सप्तम माला, खंड 45, अंक 20, बुधवार, 21 मार्च 1984, 1 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक है]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 21 मार्च, 1984/1 चैत्र, 1906 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 15, पंक्ति 19, "श्री नारायण दत्त चौबे" के स्थान पर "श्री नारायण चौबे" पढ़िये।

पृष्ठ 23, पंक्ति 19, प्र0संख्या "x335" के स्थान पर "x355" पढ़िये।

पृष्ठ 25, पंक्ति नीचे से 8, "(श्री टी0आर0शमन्न" के स्थान पर "श्री टी0आर0शमन्ना" पढ़िये।

पृष्ठ 82, पंक्ति 22, "श्री कन0के0पो0साल्वे" के स्थान पर "श्री एन0के0पो0 साल्वे" पढ़िये।

पृष्ठ 137, पंक्ति 15, "श्रीमती रामदुलारो सिंहा" के स्थान पर "श्रीमती रामदुलारो सिन्हा" पढ़िये।

पृष्ठ 162, पंक्ति 11, "नियंज्ञण" के स्थान पर "नियंत्रण" पढ़िये।

पृष्ठ 211, पंक्ति नीचे से 4, "(कलाहांडो)" के स्थान पर "(कालाहांडी)" पढ़िये।

पृष्ठ 255, पंक्ति 10, "कटौती प्रस्ताव" के पश्चात् "संख्या 1 से 47 तक" अंत: स्थापित करिये।

पृष्ठ 255, पंक्ति 18, "स्वोकृन" के स्थान पर "स्वोकृत" पढ़िये।

पृष्ठ 290, पंक्ति3, "श्री अर्जुन सेटो" के स्थान पर "श्री अर्जुन सेठो पढ़िये।

पृष्ठ 298, पंक्ति 7, "बंबई उत्तर मध्य" के स्थान पर "(बंबई उत्तर मध्य)" पढ़िये।

*किसी नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न का सभा में उस। सदस्य ने पूछा था।

विषय-सूची

अंक 20, बुधवार, 21 मार्च, 1984/1 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1
* तारांकित प्रश्न संख्या : 343, 344, 346, 350, 351, 353, और 354	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21
तारांकित प्रश्न संख्या : 345, 347 से 349 और 355 से 363	21-30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3960 से 3962, 3964 से 3972 3974 से 4009, 4011 से 4039 4041 से 4046, 4048 से 4088 4090 से 4101, 4103 से 4109 4111 से 4121, 4123 से 4195	31-204
सभा पटल पर रखे गये पत्र	205-208
राज्य सभा से संदेश	208-209
गैर-सरकारी सदस्यों विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
71वां प्रतिवेदन	210
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
81वां प्रतिवेदन	210
कार्य-मंत्रणा समिति	
58वां प्रतिवेदन	210
नियम 377 के अधीन मामले	210-215
(एक) झारसूगुड़ा-तितलागढ़ और भुवनेश्वर के बीच एक तेज चलने वाली रेल गाड़ी चलाने की मांग	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	219
(दो) उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उचित दर की दुकानें खोलने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे पनिका	211
(तीन) पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक नया रेल मंडल बनाने की मांग	
श्री रासबिहारी बहेरा	212
(चार) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर खड़गपुर जिलों में पेयजल की भारी कमी तथा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए पेय जल के नए स्त्रोत बढ़ाने की आवश्यकता	
श्री नारायण चौबे	212

*किसी नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने की कीमत की बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए बिहार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
प्रो० अजीत कुमार मेहता	212
(छः) पर्यवेक्षकों तथा अध्यापकों को वेतन में की गई वृद्धि की राशि का भुगतान करने के लिए भारी इंजीनियरी निगम (एच०ई०सी०) रांची को निदेश देने की आवश्यकता	
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	213
(सात) केन्द्रीय सरकार के सभी प्रतिष्ठानों में फैरो प्रिंटरों को एक-समान वेतनमान देने की मांग	
श्री अजित कुमार साहा	214
(आठ) कोचीन शिपयार्ड के विस्तार तथा उसके कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता	
श्री जेवियर अराकल	214
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85	215-297
विदेश मंत्रालय	
श्री जी०एम० बनातवाला	215
श्री बी०आर० भगत	215
श्री पी०के० कोडियन	224
श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	229
श्री हरिकेश बहादुर	232
श्री के०टी० कोसलराम	235
श्री चित्त बसु	238
श्री भुवनेश्वर भूयन	241
श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा	242
श्री पी०वी० नरसिंह राव	244
रक्षा मंत्रालय	268
श्री अमल दत्त	264
श्री आर०एस० स्पैरो	278
डा० वसन्त कुमार पंडित	285
श्री अर्जुन सेठी	290
श्री एन० गोजागिन	293
श्री मधुसूदन बैराले	295
आधे-घंटे की चर्चा	298-320

विषय	पृष्ठ
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिलों संबंधी जांच की रिपोर्ट	298
श्री रामविलास पासवान	298
श्री आरिफ मोहम्मद खां	298
श्री पी० शिवशंकर	311
श्री रामावतार शास्त्री	312
श्री हरीश रावत	314
श्री सुधीर गिरि	315
श्रीमती प्रमिला दंडवते	315

लोक सभा

बुधवार, 21 मार्च 1984/1 चैत्र 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री एम० सत्यनारायण राव : आज अपोजिशन खाली है ।

अध्यक्ष महोदय : न जाने आप क्यों अकेले रह गये हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका अफसोस हो रहा था ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वे एक बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : एक आदमी का वेट सवा लाख के बराबर है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं यहां पर मुकाबला करने को मौजूद हूं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

*343. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या भारत और आस्ट्रिया के बीच इस संबंध में और भारत में एक पन-बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए तथा कोयला रिडक्शन प्रक्रिया का प्रयोग करके एक लघु संयंत्र स्थापित करने पर बात चीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिए कई सुविधाओं की व्यवस्था करने का काम हाथ में लिया गया है । ब्यौरा इस प्रकार है :

विगंधकीकरण सुविधाएं	—	अक्तूबर, 1982 में चालू की गई ।
सेकेन्डरी स्टील रिफाइनिंग	—	जनवरी, 1983 से इसे चरणों में चालू किया जा रहा है ।

सिलिकन इस्पात का उत्पादन	—	चालू की जा रही है ।
पाइप के जोड़ों को नार्मलाइज करना	—	निर्माणाधीन
जस्तीकरण में जैट कोटिंग	—	निर्माणाधीन
60-60 मैगावाट के दो रक्षित विद्युत संयंत्र	—	स्थापित किए जा रहे हैं ।

उपर्युक्त योजनाओं पर लगभग 340 करोड़ रुपए खर्च होंगे । इनके अतिरिक्त कारखाने को प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने तथा आधुनिकीकरण से सम्बन्धित कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं

(ग) राउरकेला इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में आस्ट्रिया से न तो पन-बिजली परियोजना के बारे में और न ही "कोल रिडक्शन" प्रक्रिया के बारे में कोई बातचीत हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अर्जुन सेठी : विवरण के अनुसार; राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अक्तूबर, 1982 से प्रारम्भ की गई । सरकार द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की योजना को वर्ष 1982 से प्रारम्भ करने के बावजूद राउरकेला इस्पात संयत्र को 74.99 करोड़ रुपये की हानि हुई है । इसका मुख्य कारण यह है कि मिल्ली इस्पात तथा बिक्री योग्य इस्पात की वार्षिक निर्धारित क्षमता को वर्ष 1982-83 के दौरान प्राप्त नहीं किया गया है । यह मात्रा 1144, और 992 हजार टन है जबकि वर्ष 1981-82 में यह मद मात्रा 1203 तथा 1091 टन थी । इस ओर ध्यान देने के लिए कि संयंत्र के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से भविष्य में लाभ प्राप्त करने तथा संयंत्र में हुई हानियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री एन०के०पी० साल्वे : माननीय सदस्य ने यह तर्क तो ठीक ही कहा है कि संयंत्र के असंतोषजनक कार्य करने के कारण हमें हानि हुई है । अपर्याप्त उत्पादन के फलस्वरूप हानियां हुई हैं और उत्पादकता अधिकतम नहीं रही है और इसलिए—जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है—अब हमने नवम्बर, 1983 में आधुनिकीकरण के लिए एक योजना प्रारम्भ की है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त होट रोलिंग मिल्स, ब्लास्ट फरनेस कार्य-निष्पादन में सुधार करने की सुविधाओं, सिन्टरिंग प्लांट के आधुनिकीकरण, कोल डस्ट इंजक्शन को लागू करने; सम्मिलित ब्लोइंग सुविधाओं को सम्मिलित करने तथा अधिकतम उत्पादकता तथा उत्पादन को अधिकतम करने के अन्य पहलुओं में परिवर्तन किया जायेगा और यह कार्य 861 करोड़ रुपये की लागत पर किया जा रहा है । इस प्रयोजन हेतु प्रेस सूचन ब्यूरो (पी. आई. बी.) भेजने के लिए हमरा एक नोट तैयार किया जा रहा है ।

श्री अर्जुन सेठी : संयंत्र के प्रबन्ध निदेशक के वक्तव्य के अनुसार राउरकेला में उत्पादन लागत में पिछले वर्ष के दौरान ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । दूसरी ओर, इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा मूल्य में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई । यह बात सच है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है और यह बात समग्र रूप से देश तथा संयंत्र के लिए

अच्छी है । लेकिन बढ़ते हुए उत्पादन लागत के बारे में क्या स्थिति है ? मंत्री महोदय ने यह बताया है कि लगभग 800 करोड़ रुपये आधुनिकीकरण तथा सुधार पर व्यय किये जायेंगे ? क्या इस संयंत्र के लिए विचार किये जा रहे ब्यौरों को मैं जान सकता हूं ?

श्री एन०के०पी० साल्वे : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है कि उत्पादन लागत के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके बारे में मैं यही उत्तर देना चाहता हूं कि उत्पादन लागत में कुछ संघटक होते हैं, जिन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं होता है । हम जिस मात्रा में कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं, उनकी लागत का बाजार मूल्य हमें देना पड़ेगा । उस सीमा तक हमें विभिन्न खर्चों में कमी करने की आवश्यकता है । एक बहुत ही गंभीर प्रयास किया जा रहा है तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिए किये जा रहे प्रत्येक संभव कदम की हम निगरानी कर रहे हैं ।

आधुनिकीकरण जिस पर कि हम 861 करोड़ रुपये व्यय करने जा रहे हैं के बारे में इसके लिए किये जाने वाले प्रस्तावित विभिन्न कदमों को मैं पहले ही बता चुका हूं तथा पी. आई. बी. को भेजने के लिए एक प्रारूप नोट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

श्री रास बिहारी बहेरा : राउरकेला इस्पात संयंत्र को देश में सरकारी क्षेत्र के प्रथम इस्पात संयंत्र के रूप में प्रारम्भ किया गया था । उस समय यह आशा व्यक्त की गई थी कि राउरकेला इस्पात संयंत्र एक अग्रणी इस्पात संयंत्र रहेगा । जनशक्ति तथा औद्योगिक संबंधों के मामले में (राउरकेला इस्पात संयंत्र सबसे ऊपर है । लेकिन इसके आधुनिकीकरण में बहुत अधिक बिलम्ब किया गया है और इसकी काफी अर्से से प्रतीक्षा है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का कोई प्रस्ताव है ।

श्री एन०के०पी० साल्वे : मेरा उत्तर नकारात्मक है ।

एक माननीय सदस्य : आप 'नहीं' क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री रास बिहारी बहेरा : मैं जर्मनी के प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इससे अधिक तथा जोरदार उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भीकू राम जैन : देश में पांच इस्पात संयंत्र हैं जो देश को इस्पात की पूर्ति कर रहे हैं तथा निर्यात कर रहे हैं । मैं यह समझता हूं कि पिछले अनेक वर्षों से आधुनिकीकरण के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । इसके परिणामस्वरूप इन सभी वर्षों के दौरान देश में सिन्स्टर टाइप के संयंत्रों के प्रस्ताव सहित कुछ भी कार्यान्वयन नहीं किया गया है । मैं यह जानता हूं कि संयंत्र के स्वयं वित्त पोषण के लिए रूमानिया की सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । जिसके अनुसार वे आपके उत्पाद खरीदेंगे , जो अनुपयोग में पड़ी हुई हैं और हमारी मदद करेंगे । क्या सरकार द्वारा इस बात पर विचार किया गया है और क्या यह विचार किया गया है कि इससे राष्ट्र को भारी लाभ होगा ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : राउरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में रूमानिया से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री भीकू राम जैन : मैंने राऊरकेला इस्पात संयंत्र सहित देश में मौजूद पांच संयंत्रों के बारे में पूछा है, जिनके आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है। क्या सिन्स्टर टाइप की प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित किया गया है और यदि इसको कार्यान्वित नहीं किया गया है तो संयंत्रों के स्वयं वित्त पोषण के प्रस्ताव के बारे में क्या स्थिति है जिसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है ? क्या सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रस्तावों जिससे राष्ट्र को भारी लाभ होगा, के क्रियान्वयन के लिए कोई निर्णय किया गया है ? अब मैं केवल राउरकेला के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं बल्कि चार अन्य संयंत्रों के बारे में भी बात कर रहा हूं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : राउरकेला के लिए रूमानिया से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कुछ अन्य संयंत्रों के संदर्भ में रूमानिया से विशेषत: सिन्स्टर प्लांट के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ है और बदले में वे भारत से लौह-अयस्क तथा अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए इच्छुक तथा तैयार होंगे, वह प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : हम कार्य करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। **(व्यवधान)** जब किसी चीज पर विचार ही किया जा रहा है तो मैं अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त कर सकता हूं।

गुजरात के कच्छ जिले में एक गिरोह द्वारा जासूसी किया जाना

***344. श्री आर० आर० भोले :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 जनवरी, 1984 के "डेली" में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि गुजरात के कच्छ जिले में तस्करों के रूप में जासूसों का गिरोह कार्य कर रहा है और उनसे सामरिक महत्व के सैनिक प्रतिष्ठानों के फोटो बरामद हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है और उनको क्या दण्ड दिया गया है; और

(ग) सीमा पार तस्करी के व्यापार को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार ने 6 जनवरी, 1984 के "डेली" में "स्पाई रिंग बस्टेड" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार देखा है।

गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 नवम्बर, 1983 को गुजरात राज्य के कच्छ जिले में सीमा सुरक्षा बल द्वारा एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक को तस्करी की हेरोईन के साथ पकड़ा गया था। जांच पड़ताल करने पर राज्य सरकार ने कोफेपोसा के अधीन 13 व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिये हैं।

राज्य सरकार ने 3 मामले दर्ज किये हैं जिनके संक्षिप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(1) विदेशी नागरिक अधिनियम, पारपत्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम और शासकीय रहस्य अधिनियम, के अधीन 8 व्यक्तियों के विरुद्ध लखपत थाना सी० आर० नं० 78/83। 8 अभियुक्त व्यक्तियों में से 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 3 फरार हैं।

(2) विदेशी नागरिक अधिनियम, पारपत्र अधिनियम, शासकीय रहस्य अधिनियम, खतरनाक दवाई अधिनियम, आदि के अधीन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध लखपत थाना सी० आर० नं० 81/83। 2 अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और शेष 2 फरार हैं।

(3) शासकीय रहस्य अधिनियम, विदेशी नागरिक अधिनियम, इत्यादि के अधीन 6 व्यक्तियों के विरुद्ध भुज थाना सी० आर० नं० 272/83। 6 अभियुक्त व्यक्तियों में मे 4 गिरफ्तार कर लिए गये हैं और 2 फरार हैं। 3 मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

सीमाओं पर क्षेत्रीय संगठनों को सतर्क रहने के अनुदेश दिए गए हैं। तस्करी गतिविधियों वाले क्षेत्रों में आबकारी विभाग के निरोध तथा आसूचना तंत्र को जन शक्ति तथा उपकरण की दृष्टि से मजबूत बनाया गया है। सरकार द्वारा तस्करी के तरीके की निरन्तर समीक्षा की जाती है और स्थिति की अपेक्षा के अनुसार संबंधित केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ पूरा समन्वय करते हुए उपयुक्त तस्करी-विरोधी उपाय किये जाते हैं।

श्री आर० आर० भोले : यह समाचार बहुत ही दुःखदायी है क्योंकि ऐसी सूचना मिली है और इसे अब उत्तर देते समय स्वीकार किया गया है कि कुछ ऐसी बात जरूर है और ऐसे कुछ मामले दर्ज भी कराए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कारण कुछ भी हो, हम अपनी आसूचना प्रणाली को दक्ष नहीं बना सके हैं। इससे कमियों तथा हमारी आसूचना व्यवस्था के ढांचे की कमजोरियों का पता चलता है चाहे वह सेना की हो, सिविल हो अथवा कोई अन्य यूनिट हो। आये दिन, हम यह सुनते हैं कि पार-अधिकृत काश्मीर में सीमा पार बड़े पैमाने पर गतिविधियां जारी हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों को आधुनिकतम हथियार दिये जा रहे हैं। इसलिए हमें इस खतरनाक प्रवृति के प्रति बहुत ही चौकस रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हम यह पता नहीं लगा सके कि वे जासूस कौन हैं और सीमा के पास खतरनाक लोग कौन से हैं। वे केवल तभी पकड़े जाते हैं जब उनके पास हेरोईन अथवा खतरनाक दवाइयां पाई जाती हैं और जब वे सीमा के पास घूम रहे होते हैं, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। सदन में दिए गए विवरण में उन्होंने पाए गए फोटो के बारे में कुछ नहीं बताया है, जिसके बारे में समाचारपत्रों में उल्लेख किया गया है। क्या समाचारपत्रों में उल्लिखित फोटो पाए गए हैं ? आप क्या कहते हैं कि वहां जासूसी गिरोह था अथवा नहीं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : कच्छ सीमा एक बहुत बड़ी सीमा है और यहां ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। वास्तव में, केन्द्रीय सरकार, राजस्व आसूचना और इस मामले में शामिल अन्य आसूचना सेवाओं जैसे विभिन्न अभिकरणों की सहायता से सभी संभव कदम उठा रही है। सीमा के साथ-साथ निगरानी रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल के पास 21 चौकियां हैं। सीमा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने तथा तस्करी को रोकने के लिए, सीमा सुरक्षा बल ने सीमा के साथ विभिन्न स्थानों पर 8 अतिरिक्त बाह्य चौकियां स्थापित की हैं। सीमा सुरक्षा बल के मतानुसार, कच्छ जिले की बंजर सीमाओं में न तो तस्करी और न ही गैर-कानूनी प्रवेश संभव है और यह मुख्यतः समुद्रतटीय क्षेत्र में होता है जहां पर सीमा सुरक्षा बल तैनात नहीं की गई है। यह सुनिश्चित

करने हेतु कि समुद्री मार्ग पर पुलिस बल और सीमा शुल्क द्वारा पर्याप्त निगरानी रखी जा सके; सीमा सुरक्षा बल ने राज्य सरकारों को निम्नलिखित सुझाव पहले ही दे दिये हैं :

(क) क्योंकि सीमा सुरक्षा बल ने समुद्रतटीय क्षेत्र में कुछ बाह्य-चौकियां पहले ही स्थापित कर दी हैं, राज्य पुलिस रोकासर के दक्षिण से मांडवी तक अन्य बाह्य चौकियों को खोलने पर विचार कर सकती है ।

(ख) ये चौकियां प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सकती हैं यदि इन्हें आसूचना अभिकरणों, विशेष कर सी० आई० डी० का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है । क्योंकि सी० आई० डी० विशेषकर आसूचना स्कन्ध में पर्याप्त कर्मचारी मौजूद हैं, कच्छ जिले में स्थापित आसूचना को समुद्रतटीय क्षेत्र के विशेष संदर्भ में मजबूत करने की आवश्यकता है ।

(ग) कच्छ पुलिस के जल स्कन्ध में उचित नौकाओं की कमी है उसे मजबूत करने की आवश्यकता है ।

(घ) क्योंकि सीमा सुरक्षा बल कोरी क्रीक में और उसके चारों ओर समुद्र में गश्त लगा रहा है, गुजरात पुलिस का जलस्कन्ध, मांडवी और रोकासर के बीच के क्षेत्र में और अधिक गश्त लगाने का कार्य कर सकता है ।

(ङ) क्योंकि गैर-कानूनी रूप में प्रवेश करने वालों और तस्करों का बहुत अच्छी तरह से तभी पता लगाया जा सकता है जबकि उनके बारे में पहले से सूचना प्राप्त हो, इस हेतु विभिन्न बाह्य चौकियों पर तैनात सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी और आसूचना अभिकरण अर्थात् सी० आई० डी० के बीच बहुत ही निकट का सम्पर्क स्थापित करना होगा । यह भी सुझाव दिया जाता है कि सी० आई० डी० (आसूचना) के कर्मियों को बाह्य चौकियों के कर्मियों के साथ लगाने पर भी विचार किया का सकता है··· (**व्यवधान**)

श्री आर० आर० भोले : मैंने तस्करी के बारे में कुछ नहीं कहा है । मेरा जोर जासूसी पर था ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह चित्रों के बारे में जानना चाहते थे क्या फोटो चित्र प्राप्त हुए हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं । कुछ उन्होंने यह कहा है कि क्या तस्करी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है···

(**व्यवधान**)

श्री आर० आर० भोले : मैं इसके तस्करी वाले भाग की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : हमें कुछ सफलता मिली है और कई गिरोहों का भण्डाफोड़ किया गया है और उन लोगों से तस्करी का माल प्राप्त हुआ है । जहां तक फोटो और इन सब बातों का सम्बन्ध है, इन सभी बातों की गम्भीरता से जांच की जा रही है, इसलिए ऐसी स्थिति में, जबकि पूछताछ और जांच की जा रही है । मैं सार्वजनिक हित में इसे सदन को नहीं बताना चाहता ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है··· (**व्यवधान**)

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : क्षमा करें, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उनसे 6 कैसेट और कुछ वीडियो फिल्में भी प्राप्त हुई थीं । फिर इन वीडियो फिल्मों के फोटो तैयार किए

गए थे और इन फोटो में कुछ सैनिक प्रतिष्ठानों के फोटो थे जोकि अपराध सिद्ध करने वाले हैं और जोकि खतरनाक हैं। इसमें वायु सेना के अड्डे और कुछ नदी पर बने पुल भी शामिल हैं। इस पर कार्यवाही की जा रही है और इन सभी को जब्त कर लिया गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दूसरे मन्त्री को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। आप सदन को सूचना नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो जाती, आप कुछ नहीं कह सकते ...**(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री भोले ने हेरोईन की तस्करी के बारे में बात की थी। उनका मतलब हेरोईन से है न कि हिरोइन से है।

श्री आर० आर० भोले : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी हिरोईनों के बहुत शौकीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनकी उम्र अब निकल चुकी है। केवल आप उनके बारे में बात कर सकते हो।

श्री आर० आर० भोले : वास्तव में, वे प्रत्येक क्षेत्र में हीरो बनना चाहते हैं वह भी हिरोइनों के साथ। मेरा मुद्दा यह है। मैंने यह प्रश्न एक विशेष उद्देश्य से यह जानने के लिए पूछा था। हमारी आसूचना का सही ढांचा, उसकी कमजोरियां और उसके कर्मचारियों की संख्या कितनी है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि वे यह सूचना आपको देंगे।

श्री आर० आर० भोले : कम से कम उन्हें हमें यह अवश्य बताना चाहिए कि वे आसूचना ढांचे, आसूचना कमियों को मजबूत कर रहे हैं और इसके लिए किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं कि वे उसे मजबूत कर रहे हैं।

श्री आर० आर० भोले : 8+4+6 व्यक्तियों, जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं और विवरण के प्रथम भाग में उल्लिखित 13 व्यक्तियों के बीच में, असल में क्या सम्बन्ध है? यहां यह उल्लेख किया गया है कि जांच के आधार पर राज्य सरकार ने 'कोकीपोसा' के अधीन 13 व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिए हैं, यह उत्तर का एक भाग है। तीन आरोप लगाए गए हैं, 8 व्यक्तियों पर कुछ अपराध के लिए मुकद्दमा चलाया गया था, 4 व्यक्तियों पर कुछ अन्य अपराध के लिए मुकद्दमा चलाया गया था और 6 अन्य व्यक्तियों पर कुछ अन्य अपराध के लिए मुकद्दमा चलाया गया था। 8+4+6 को जोड़ें तो 18 आता है। इन दोनों तरह के व्यक्तियों के बीच कोई सम्बन्ध है?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यहां तीन तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें 'कोफेपोसा' के अधीन नजरबन्द किया गया है। इन 13 व्यक्तियों में से, जिनके विरुद्ध नजरबन्दी के आदेश जारी किए गए थे, 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 'कोफेपोसा' के अधीन जेल में रखा गया है। एक व्यक्ति फरार है और हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सके हैं। यद्यपि इस विशेष व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश लम्बित हैं।

अन्य सूचना के बारे में, जिसे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, उन लोगों को न केवल 'कोफेपोसा' के अधीन दोषी पाया गया है बल्कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम, विदेशियों विषयक पंजीकरण अधिनियम और सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन विभिन्न अपराधों के लिए भी दोषी पाया गया है। 8 व्यक्तियों में से, 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 'कोफेपोसा' के अधीन नजरबन्द रखा गया है और शेष तीन के बारे में यह बताया गया है कि वे फरार हैं। 5 फरार व्यक्तियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद समाद को निषिद्ध क्षेत्र में जासूसी गतिविधियों करने हेतु सीमा में प्रवेश करने का दोषी पाया गया है। चार व्यक्तियों के विरुद्ध मामले·····

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानकारी लिखित रूप में दे सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं, तो हम इसे लिखित में दे सकते हैं। ये सब लोग 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत नजरबन्द हैं। उसके अलावा, हमने उनके विरुद्ध अनेक अपराधों के मामले दर्ज किए हैं। गुजरात सरकार ने इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु हमारे पास भेजा है।

श्री जमीलुर्रहमान : ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा इस मामले पर, चाहे यह तस्करी के क्षेत्र में हो, राजनीतिक कार्यों के क्षेत्र में हो अथवा अन्य किसी क्षेत्र में हो, ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। इस विशेष मामले से पहले दिल्ली में जासूसी के अन्य मामले पकड़े गए थे। मैं विशेष रूप से लारकिन्स और उसके साथियों का उल्लेख कर रहा हूं। तस्करों ने अपनी गतिविधियों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पूर्णतः जर्जर बना दिया है। वास्तव में होता यह है·····

अध्यक्ष महोदय : आपको स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रश्न पूछिये।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वर्ष 1977 से 1979 के बीच कितने तस्कर रिहा किए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह असंगत है।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे तस्कर इस सूची में हैं और यदि हों, तो उनसे निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल तस्करों से संबंधित प्रश्न नहीं है।

श्री जमीलुर्रहमान : उन्होंने कच्छ क्षेत्र में अपनी गतिविधियां फिर से आरम्भ कर दी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे व्यक्ति इस सूची में हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय क्यों खराब कर रहे हैं ? यह उससे संबंधित कैसे है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक लारकिन्स के मामले का संबंध है, हम शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है।

श्री सुनील मैत्रा : यह प्रश्न जासूसी से संबंधित है न कि तस्करी से। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए लंबे वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि सरकार ने इसे राज्य सरकार को भेजा है। जासूसी और जासूसी विरोधी विषय केन्द्रीय विषय हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या जहां तक हमारी आन्तरिक सुरक्षा का संबंध है, सरकार ने जासूसी तथा जासूसी-विरोधी उपायों को मजबूत बनाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जासूसी सम्बन्धी गतिविधियां रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

*346. **श्री नीरेन घोष** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की परिवर्तन करने सम्बन्धी (कन्वर्जन) प्रौद्योगिकी पुरानी और अप्रचलित है;

(ख) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को नया रूप देने और उसका आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या तकनीकी रिपोर्ट तैयार और पूरी कर ली गई है;

(घ) सरकार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को नया रूप देने आधुनिकीकरण और विस्तार करने के कार्य को किसको देने का विचार कर रही है; और

(ङ) यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) में इस्पात डुप्लेक्स प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एसिड बेसेमर कन्वर्टरों तथा खुले मुंह की भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस्पात बनाने की यह प्रक्रिया पुरानी तथा अप्रचलित समझी जाती हैं। अधिकांश इकाइयों के संयंत्र तथा उपस्कर पुराने हो गए हैं। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर स्थित कारखाने का आधुनिकीकरण करने में सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सोवियत संघ के मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट को बर्नपुर के कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा गया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मुख्य रूप से 'इस्को' के प्रायोजना प्राधिकारी ही आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। मेसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट द्वारा तैयार की गई शक्यता रिपोर्ट के प्राप्त होते और इस रिपोर्ट की जांच करने तथा योजना के लिए पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने और सरकार द्वारा इसे अनुमोदित करने के पश्चात ही आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा।

श्री नीरेन घोष : इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) को सरकार द्वारा एक दशक पूर्व अपने हाथ में लिया गया था। उस समय जब सरकार ने उसे अपने हाथ में लिया था,

तब उसे उन सब बातों की जानकारी थी, जिनका वक्तव्य में उल्लेख किया गया है—अर्थात् इसकी मशीनरी पुरानी और अप्रचलित है और इसकी पुरानी तथा अप्रचलित प्रक्रिया है, जिसके कारण यह डूब रही है। अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि सरकार ने यह निर्णय करने में दस वर्ष क्यों लगाये कि यदि इस कम्पनी को बचाना है तो इस संयंत्र को नया रूप देने और उसका आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ अन्य संयंत्रों का विस्तार करने और आधुनिकीकरण करने तथा नए यूनिट स्थापित करने पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। जिसका परिणाम यह निकला कि 'इस्को' को कई सौ करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मंत्रालय इस तरह से उद्योग के लिए योजना क्यों बनाता है और क्यों उसे चलाता है ?

श्री एस० के० पी० साल्वे : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। जब हमने 1973 में 'इस्को' का प्रबन्ध ग्रहण किया था, तो हमने यह अपनी इच्छा से नहीं किया था। हमने इसे अनेक कारणों से अपने हाथ में लिया, जिसमें सामाजिक कारण भी हैं जिनमें से मुख्य यह है कि यदि हम इसे अपने हाथ में नहीं लेते, तो श्रमिक बेरोजगार हो जाते। यह संयंत्र 1922 में बनाया गया था और इसने 1939 में इस्पात बनाना आरम्भ किया था, सम्पूर्ण संयंत्र की हालत खस्ता थी और कम्पनी की आर्थिक स्थिति डावांडोल हो गई थी। तब हमने यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय किए कि इसकी हालत और न बिगड़े। हमारी पसन्द का कोई सवाल नहीं था, यह संयंत्र डुप्लेक्स प्रक्रिया द्वारा इस्पात के निर्माण के लिये बनाया गया था, जिसके लिए एसिड बेसेमर कन्वर्टरों तथा खुले मुंह की भट्टियों की आवश्यकता होती है। इसके उपस्कर पुराने माने जाते हैं। अतः समस्यायें ये हैं कि हमारे पास उपयुक्त कच्चा माल और 'ब्लैंडिंग' माल नहीं है, हमारे पास कोक ओवन बैटरियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं और धमन भट्टी (ब्लास्ट फरनेस) छोटी हैं। इस इस्पात संयंत्र में सिन्टरिंग नहीं होता है और इसका ऊर्जा संयंत्र बहुत पुराना है। इसलिए इसके आधुनिकीकरण के लिए हमने कुछ समय पहले जनवरी 1983 में शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सोवियत संघ की मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट को ठेका दिया था। हम उस प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा, हम उस पर विचार करेंगे और उस पर कार्य करना आरम्भ कर देंगे। इस संबंध में जो मूल मसला यह है कि यह एक पुराना संयंत्र हो गया है, इसके उपस्कर बहुत पुराने हैं और वे टूट-फूट रहे हैं। राष्ट्र के धन को खर्च करके हम अब क्या कुछ करना चाहते हैं, उस पर सावधानी से गौर किया जाएगा।

श्री नीरेन घोष : महोदय, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अपने लम्बे वक्तव्य में उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। जब आपने इस संयंत्र का प्रबन्ध ग्रहण किया था, उस समय जो भी सामाजिक बाध्यतायें और अन्य कारण रहे हों, तो क्या आपको मालूम नहीं था कि यह एक पुराना टूटा-फूटा संयंत्र है जिसका तत्काल नवीकरण और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है ? किन्तु एक दशक समाप्त हो गया है और आपने एक दशक के बाद वर्ष 1983 में इस संबंध में प्रतिवेदन तैयार करने हेतु इस कार्य को सोवियत संघ के विशेषज्ञों को सौंपने का निर्णय लिया। इस बीच कई सौ करोड़ रुपए का घाटा हो गया। उन्हें उसी समय इस पर निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : उन्होंने कई सौ करोड़ रुपए के घाटे के आंकड़े दिए। वर्ष 1980-81 में 28.79 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 28 और 79 का योग लिया है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : किसी इस्पात संयंत्र में, जो पुराना हो गया हो, उसका आधुनिकीकरण उस तरह से आरम्भ नहीं किया जा सकता है। यूरोप में इस तरह के पुराने संयंत्र का त्याग कर दिया जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें संयंत्र को कुछ समय तक चलाने हेतु रखना है क्योंकि उस पर हम काफी धनराशि खर्च कर चुके हैं। यही कारण है कि यह संयंत्र काम करता आ रहा है और पिग आयरन तथा इस्पात का उत्पादन कर रहा है। यह ढलवां लोहे के पाइप भी बना रहा है। अब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां हम इस सारे का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं और इस बात पर ध्यान दे रहे हैं और हमने यह कार्य सोवियत संघ की एक एजेन्सी को सौंपा है। इस अवस्था में पहुंचने पर कुछ समय तो लगता ही है और जैसे ही हम इस अवस्था पर पहुंचे हमने इसका आधुनिकीकरण करने के लिये कहा।

श्री नीरेन घोष : महोदय, उन्होंने फिर बड़ी होशियारी से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कम-से-कम आपने इसे स्वीकार तो कर लिया है।

श्री नीरेन घोष : या तो उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है या वे उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री नीरेन घोष : तथापि, आप उनसे उत्तर नहीं दिला सके हैं। किन्तु इससे सरकार तथा योजना प्रक्रिया की पूरी गैर-जिम्मेदारी का पता चलता है। मैं इतना ही कह सकता हूं। उन्हें तत्काल किसी सक्षम परामर्शदात्री एजेन्सी से तकनीकी प्रतिवेदन देने के लिए कहना चाहिए था और अब तक इसका नवीकरण और आधुनिकीकरण का काम हो चुका होता।

अब मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा उन्हें बहुत जल्दी प्रतिवेदन प्राप्त होगा और उसके बाद वे इस संबंध में कार्य आरम्भ करेंगे। किन्तु सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि "सरकार द्वारा खर्च की मंजूरी के बाद।" फिर उस खर्च का अनुमोदन कौन करेगा ? क्या वे हमें बतायेंगे कि उसे अनुमोदित किया जाएगा और वह तत्काल आवंटित किया जाएगा ? यह इसलिए कि मैं जानता हूं कि वे यह कहेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति दूसरे प्रतिवेदन पर विचार कर रहा है और उस समय तक अन्य 3-4 वर्ष और लग जायेंगे और इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आप सभा को आश्वासन दें कि आपको अन्य प्रतिवेदन मिलते ही आवश्यक खर्च मंजूर कर दिया जाएगा और देश को भारी नुकसान से बचाने हेतु संयंत्र का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा अथवा आप इसे बेकार घोषित कर दें अथवा बन्द कर दें।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं आश्वासन दे चुका हूं कि हमने इस कार्य को सोवियत संघ की एक प्रख्यात एजेन्सी को सौंपा है। अब उनकी रिपोर्ट आएगी। हमें उस पर विचार करना होगा। एक प्रथा है जिसे हमें अपनाना है वह यह कि हमें सरकार से इसके खर्चों को अनुमोदित करवाना है, मैंने माननीय सदस्य को और कोई आश्वासन नही दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन मांगना चाहता हूं कि मंत्रालय में किसी ने यह तर्क नहीं रखा है अथवा रखा था कि इस संयंत्र को भारी घाटा होने के कारण बन्द कर दिया जाना चाहिए, जो इतना विलम्ब होने का एक कारण हो सकता है। क्या मंत्रालय में अब भी किसी का ऐसा विचार है अथवा क्या पहले ऐसा दृष्टिकोण था और क्या इसे अब छोड़ दिया गया है ? हम यह आश्वासन चाहते हैं कि आज वास्तव में इस संयंत्र का आधुनिकीकरण तथा नवीकरण करेंगे और इसे बन्द नहीं करेंगे।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, हम इस संबंध में आगे कार्यवाही करेंगे।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों द्वारा सुविधाओं का दुरुपयोग

*350. **श्री इन्द्रजीत गुप्त† :**

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के निगमित क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियां और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन आने वाली कंपनियां, उनकी सहायक तथा उनके अधीन और अन्य सुस्थापित बड़ी कम्पनियां 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन करके लघु एककों को मिलने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की जांच की है और यह पाया है कि ये कंपनियां बड़े औद्योगिक गृह ऐसा कदाचार कर रहे हैं;

(ग) इन कंपनियों, औद्योगिक गृहों और उनकी सहायक कंपनियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किस प्रकार के लघु एकक स्थापित किए हैं; और

(घ) सरकार का इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है।

उद्योग मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (घ) रिपोर्ट फरवरी, 1984 में प्रकाशित हो चुकी है और सरकार इसकी जांच करवा रही है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन ऐसे किसी भी छोटे औद्योगिक एकक या सहायक एकक को लाइसेंसीकरण के प्रावधानों से छूट नहीं दी जाती, जो कि किसी अन्य उपक्रम का सहायक एकक हो, उसके स्वामित्वाधीन हो या नियंत्रित होता हो। जांच के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चूंकि मन्त्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैं उन्हें रिपोर्ट के विषयों के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है, किन्तु मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया है। इसलिए मैं इस स्थिति में उनसे पूछूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि लघु पैमाने के उद्योग माने जाने हेतु निवेश की सीमा बहुत समय पहले बढ़ाई गई है। कृपया हमें बताये कि वह सीमा क्या है जिसके आधार पर बड़ी संख्या में कम्पनियों को जिन्हें किसी भी प्रकार से छोटे पैमाने की कम्पनियां नहीं कहा जा सकता है,

छोटे पैमाने के उद्योगों के रूप में पंजीकृत किया गया है ? पूंजी निवेश की वह सीमा क्या है, जिससे कम राशि की पूंजी वाली किसी भी कम्पनी को, चाहे वह वास्तव में छोटे उद्योग हो या न हो, कोई भी छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में पंजीकृत करा सकता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह कहना सही नहीं है कि मुझे रिपोर्ट की जानकारी नहीं है । मैंने यह कभी नहीं कहा कि मुझे रिपोर्ट की जानकारी नहीं है । मुझे रिपोर्ट की जानकारी है । अत: हम इसकी जांच करवा रहे हैं । यह एक विस्तृत रिपोर्ट है, जिसके कई पहलू हैं और उसमें कई उदाहरण दिए गए हैं । हमने सोचा कि उसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए । जहां तक छोटे पैमाने के उद्योग की परिभाषा का संबंध है, निवेश के मुद्रास्फीति के पहलुओं को ध्यान में रखना इसमें 1980 में परिवर्तन किया गया था । 1980 की नवीनतम सीमा, जहां तक संयंत्र और मशीनरी के मूल्य का सम्बन्ध है, 20 लाख का पूंजी निवेश है । सहायक कम्पनियों के लिए यह 25 लाख रुपए है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रिपोर्ट की अन्तिम रूप से जांच किये जाने तक क्या वे यह कहने को तैयार हैं, जैसाकि उन्होंने आपने उत्तर में कहा है कि छूट और अन्य रियायत, जो उपलब्ध है, उन छोटे पैमाने की कम्पनियों को नहीं दी जाती है, जो किसी बड़े औद्योगिक गृहों की सहायक कम्पनियों के रूप में कार्य कर रही हैं ?

क्या वह यह कहने के लिए तैयार हैं कि इस प्रकार ही कोई कम्पनियां नहीं हैं जो वस्तुत: उन औद्योगिक गृहों के या तो सहायक के रूप में अथवा तथाकथित विपणन बिक्री के संगठन के रूप में अथवा उनकी नियंत्रित कम्पनी के रूप में कार्य कर रही हैं जो कि वास्तव में उन एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार कार्य की कम्पनियों अथवा 'फेरा' कम्पनियों के लिए कार्य कर रही हैं जो कि विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों के रूप में पंजीकृत हैं और वे छूटों तथा रियायतों के लाभ उठा रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह कहना मेरे लिए कठिन होगा···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने रिपोर्ट में अनेक उदाहरण दिये हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वास्तव में इस रिपोर्ट के आधार पर ही हमने इस पर विचार करने का निर्णय कर लिया है । मैं लोक प्रशासन संस्थान का आभारी हूं जिसमें यह अध्ययन किया है । हम इसके विशिष्ट उदाहरणों पर विचार करेंगे । जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं इसके विशेष स्वरूप के कारण पंजीकरण का कार्य राज्यों के निदेशालयों में किया जाता है । लघु उद्योगों की निगरानी से संबंधित अधिकांश कार्य राज्य स्तर पर होता है इसलिए जो कुछ अध्ययन उन्होंने किया है उसके संबंध में कोई घोषणा करने से पूर्व हमें कुछ समय लगना अपेक्षित है । हम इस अध्ययन के लिए आभारी हैं और जहां तक इसकी जांच का सम्बन्ध है हम निश्चय ही इस संबंध में सकारात्मक रुख अपनायेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछले सप्ताह ही संसद ने औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम का यह संशोधन विधेयक पारित किया है । उन्होंने एक संशोधन विधेयक पेश किया । जब यह रिपोर्ट पहले ही उनके पास की तो वे ऐसा संशोधन विधेयक क्यों लाए जिसमें इस समस्या पर बिल्कुल ही विचार नहीं किया गया है और इस समस्या से उसका लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे इसमें और संशोधन कर सकते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जब हमने एक अध्यादेश निकाला तो वह इस मामले विशेष के संबंध में नहीं था । यह आरक्षण के संबंध में था; इसमें विशिष्ट नीतियों के अन्तर्गत केवल लघु उद्योगों द्वारा बनाई गई मदों के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए सरकार को शक्तियां प्रदान की गयीं । वास्तविक लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून आवश्यक है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस अध्यापन का एक निष्कर्ष यह है कि तमाम नियंत्रणों और नियमनों के बावजूद, एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों, खासतौर पर बड़े औद्योगिक गृहों की परिसम्पतियां प्रतिवर्ष 15 से 20 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही हैं । इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि सरकार ने इस बात की जांच के लिए समिति गठित की है कि क्या इन नियंत्रणों को वित्तीय लाभ और हानि द्वारा बदला जा सकता है—मैं समझता हूं यह समिति कुछ महीने पहले नियुक्त की गई थी—क्या सरकार एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की वृद्धि को रोकने में अपनी असफलता को देखते हुए अधिनियम को पूर्णतया समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है ? इस समिति के गठन को ध्यान में रखते हुए, इस समिति के विचारार्थ विषय यह हैं कि वित्तीय नियंत्रण को वित्तीय लाभ और हानि द्वारा बदला जाना चाहिए । यह समिति का विचारार्थ विषय है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस दिशा में विचार कर रही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमान्, जैसा कि आप जानते हैं, योजना आयोग में खुसरो समिति उस सारे मामले पर विचार कर रही है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए क्या किया जाना है । इस रिपोर्ट का एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार वाली कम्पनियों से सीधे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एकाधिकार घराने इस दर से अपनी वृद्धि करने के लिए तौर-तरीके निकाल रहे हैं, वे एकाधिकार व्यापार व्यवहार कानून में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका तात्पर्य इसको पूर्णतया समाप्त करने से है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : निहाई (एनविल) के सम्बन्ध में एक पृथक् एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार विधेयक है और मेरे विचार से पहले ही यह विषय सदन के विचारार्थ है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं, कि माननीय मन्त्री महोदय की यह बात सही है कि लघु एककों का पंजीकरण राज्य स्तर पर किया जाता है । लेकिन एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का कार्यान्वयन और 'एम० आर० टी० पी०" कम्पनियों के कार्यकरण की निगरानी केन्द्र सरकार द्वारा की जानी होती है ।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या जब तक ये रिपोर्टें प्रकाशित नहीं होतीं तब तक सरकार के पास बड़ी कम्पनियों द्वारा लघु एकक प्रवर्तित करने की कोई सूचना अथवा जानकारी है ? कुछ मामलों में, उनके कर्मचारियों को लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों

के रूप में दर्शाया जा रहा है और बड़े उद्योगपतियों और कम्पनियों के आदेश पर वे लघु एकक लघु एककों के लिए नियत किए गए अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। क्या सरकार के पास इसके बारे में कोई जानकारी है और यदि हां, तो कब और किस कम्पनी के सम्बन्ध में और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, जब कभी सरकार को किसी मामले विशेष अथवा किसी शिकायत के बारे में कोई सूचना मिलती है तो हम उस विवरण विशेष के आधार पर कार्यवाही करते हैं। अब मैं पुनः इस विशेष रिपोर्ट की ओर भी मुख्यमन्त्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखूंगा ताकि भविष्य में राज्यों के उद्योग निदेशालय लघु उद्योगों का पंजीकरण करते समय इस मामले में अपेक्षाकृत अधिक सजग रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के बारे में विचार करना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जैसा कि मैंने कहा, मामले-मामले को देखते हैं। माननीय सदस्य महोदय इस बात से सहमत होंगे कि सारी सूची रखना मेरे लिए कठिन है क्योंकि इसका पंजीकरण हम नहीं करते अपितु यह पंजीकरण एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग तथा कम्पनी विधि बोर्ड आदि द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण तन्त्र है जो इस मामले से सम्बद्ध कार्य करता है और माननीय सदस्य महोदय इस बात से सहमत होंगे कि इस पूरक प्रश्न के उत्तर के दौरान मैं सभी ब्यौरे नहीं दे सकता।

तिहाड़ जेल में दोषसिद्ध और विचाराधीन कैदियों की मृत्यु

*351. **श्री नारायण दत्त चौबे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई दोषसिद्ध और विचाराधीन कैदियों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान हिरासत में मरने वाले कैदियों के विवरण क्या हैं;

(ग) क्या उनकी मृत्यु के कारणों की जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1983 से 29 फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय जेल तिहाड़ में 6 दोषसिद्ध और 5 विचारणाधीन कैदियों की मृत्यु के मामले हुए हैं।

(ग) और (घ) दंड प्र० सं० की धारा 176 के अन्तर्गत मरणोपरांत जांच पड़ताल की गई। 6 मामलों में मरणोपरान्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और शेष 5 मामलों में आनी है। मरणोपरान्त जांच रिपोर्ट में 5 मामलों में मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया है और एक मामले में आत्महत्या।

श्री नारायण चौबे : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सर्वाधिक सरसरी ढंग से उत्तर दिया है। 11 व्यक्ति मर गए हैं और इस उत्तर में नाम मात्र की चिन्ता व्यक्त की गई है। जैसाकि

आप जानते हैं और यह सदन जानता है तिहाड़ सेन्ट्रल जेल अत्यन्त खराब किस्म के अपराधियों के लिए एक स्वर्ग है और सामान्य व्यक्तियों के लिए एक उत्पीड़न कक्ष है ।

श्री रामप्यारे पनिका : हमें इस बात की जानकारी नहीं है । केवल चौबे जी को ही पता हो सकता है ।

श्री संतोष मोहन देव : मैं नहीं जानता लोग जेलों में क्यों जाते हैं ।

श्री नारायण चौबे : श्रीमन्, श्री संतोष मोहन देव कहते हैं कि लोग जेल क्यों जाते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि वह जेल क्यों नहीं जाते । उन्हें जेल जाना चाहिए ।

श्री संतोष मोहन देव : वह जेल जाने के शौकीन हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इधर ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं, आप सभी यहीं रहें, मुझे यह सदन चलाना है ।

श्री नारायण चौबे : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने इस बात का उल्लेख किया है कि 11 (6+5) व्यक्ति मर गए हैं और उन्हें उनमें से 6 व्यक्तियों की रिपोर्टें मिली हैं तथा 5 व्यक्ति, मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये व्यक्ति बीमारी से मरे हैं । किस-किस आयु वर्ग के थे, उनको क्या बीमारी थी और क्या उनके इलाज की व्यवस्था की गई अथवा नहीं । आत्महत्या के मामले में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उस व्यक्ति ने, जिसने कि आत्महत्या की; आत्महत्या करने का कोई कारण बताया था ।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जब इन व्यक्तियों को बीमार पाया गया तो उन्हें अस्पताल भेजा गया और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई । अस्पताल में मृत्यु के बाद उनकी शव परीक्षा (पोस्टमार्टम) की गई और जो मजिस्ट्रेट जांच-पड़ताल का कार्य कर रहे थे वह भी वहां उपस्थित थे । इसलिए, वस्तुत: इन व्यक्तियों की मृत्यु तिहाड़ जेल के परिसर में नहीं हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि तिहाड़ जेल में स्थितियां अत्यन्त खराब हैं क्योंकि तिहाड़ जेल में 700 व्यक्तियों को रखने की व्यवस्था है और इस समय तिहाड़ जेल में 3000 से अधिक व्यक्ति हैं । इसलिए वहां सफाई व्यवस्था तथा अन्य स्थितियां खराब हैं । हमारे पास पृथक् जेलों के दो प्रस्ताव हैं । तथापि, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बच्चों तथा महिला कैदियों को अलग कर दिया गया है और अब उन्हें पृथक् वार्डों में रखा जा रहा है ।

श्री नारायण चौबे : महोदय, मेरी आशंका सही सिद्ध हुई है । जहां 700 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है वहां यदि 3000 व्यक्ति रहते हैं और यदि सरकार कठोर हृदय और उदासीन रहती है तो क्या सरकार की यह कठोर हृदयता बीमारी और इन व्यक्तियों की मृत्यु की जिम्मेदार नहीं है !

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि एक और आपातस्थिति की घोषणा हो जाए तब क्या होगा ? तब तिहाड़ जेल में कोई स्थान नहीं होगा ।

श्री नारायण चौबे : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की, उसके बारे में मैं यह जानना चाहता था कि क्या उसने आत्महत्या करने के कोई कारण बताए थे ।

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस स्थान पर 700 व्यक्ति रह सकते हैं वहां आप 3000 व्यक्ति रख रहे हैं, कि इस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं ? लोग जेल जाते रहेंगे, लोग अपराध करते रहेंगे और यदि एक और आपातस्थिति की घोषणा कर दी जाती है, तो लोगों को जेलों में भेजा जाएगा। यदि सरकार बदल जाती है, तो आप लोग भी जेल जा सकते हैं—यह अलग बात है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि तिहाड़ जेल, जो कि इस राजधानी में केन्द्रीय जेल है, के विस्तार के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और जो व्यक्ति जेल में हैं, उनकी परेशानियों को यथाशीघ्र दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस समय हमने एक और कैम्प जेल खोल कर जेल की क्षमता बढ़ाई है और इससे जेल की कुल क्षमता 1800 व्यक्तियों की हो गई है। लेकिन दो और अलग जेलों का निर्माण करने के प्रस्ताव हैं। उनके लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है, दीवारों का निर्माण हो गया है। उनमें से एक के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी गई है और दूसरी के लिए वित्तीय स्वीकृति वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार इन व्यक्तियों की परेशानियों के बारे में कठोर हृदय है। जहां तक उस व्यक्ति का, जिसने आत्महत्या की, सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता उसने किन कारणों से आत्महत्या की।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इस प्रकार की खबरें आती रही हैं कि जेल अधिकारी बच्चों को अनैतिक काम करने के लिए बाध्य करते हैं और जो उसके लिए तैयार नहीं होते उनके मरने की संख्या ज्यादा है। ऐसा पेपरों में आया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह बात सही है कि जुवेनाइल कुछ लोगों के साथ इस प्रकार का गलत काम हुआ था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था कि जुवेनाइल जो अंडर ट्रायल हैं, उनको छोड़ दिया जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जुवेनाइल जितने बच्चे हैं उनको सेपरेट वार्ड में रखा जाता है। उनको खाना भी वहीं दिया जाता है और उनको बड़े लोगों के साथ, कन्विक्ट्स के साथ नहीं रखा जाता। मरने वालों में जुवेनाइल नहीं हैं।

उद्योगों को स्टील कोटे का आवंटन

***353. श्री धर्मदास शास्त्री :**

श्री के० लकप्पा : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम और संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान स्टील कोटे की मंजूरी के लिए सरकार से आवेदन किया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उद्योगों को स्टील कोटा आवंटित करने के लिए कोई मानदंड अपनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) लोहे और इस्पात के वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, अतः कोटा आवंटन करने अथवा प्रमाण-पत्र देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहूंगा कि देश में स्टील की कमी की व्यवस्था कैसे बनी हुई है और कब तक कन्ट्रोल में आ जायेगी ? यह व्यवस्था किस तरह से है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : 1980 में ज्वायंट प्लांट कमेटी ने जो गाइड-लाइन्स दी हैं, उसके हिसाब से यह बंटवारा होता है । इन दिनों पर्याप्त मात्रा में इस्पात मिलने की वजह से किसी तरह का कोई कोटा या परमिट का आधार नहीं रहा है । इस कमेटी ने जो गाइड-लाइन्स दी है, उसके हिसाब से चार ग्रेड कर दिए गए हैं । वे हैं, ए-बी-सी और डी । ए में कोल सेक्टर, डिफेन्स और रेलवेज आदि हैं । बी में स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वगैरह हैं । सी में मीडियम इंडस्ट्रीज वगैरह हैं और डी में बचे-खुचे होते हैं । जब भी किसी वी० आई० पी० की डिमाण्ड आती है तो उसे ऑयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर के पास भेज दिया जाता है । उनके पास पांच परसेंट ग्रान्ट देने की डिस्क्रीशनरी पावर्स होती है ।

श्री धर्मदास शास्त्री : किन-किन इंस्टीट्यूशन्स को प्राथमिकता दी जाती है और उस प्राथमिकता का आधार क्या है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैंने पहले भी निवेदन किया है । "ए" कैटेगिरी में ये चीजें आती हैं ।

इस्पात संयंत्र कोयला क्षेत्र, रक्षा, रेलवे, सीईए द्वारा आयोजित परियोजनाएं, सिंचाई योजनाएं, सरकारी क्षेत्र के भारी इंजीनियरिंग एकक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक तथा तार, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, राज्य और लघु उद्योग निगम, परमाणु ऊर्जा विभाग, मध्यम क्षेत्र के अधीन सीमेंट उद्योग, उर्वरक, अखबारी कागज तथा अन्य कागज ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देना

*354. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को कोई विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता अनुभव की गई है;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय स्तर पर इस प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यह किस प्रकार से लागू की जायेगी;

(घ) क्या विशेष प्रशिक्षण के अभाव में ये अधिकारी अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) (ख) तथा (ग) सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रशिक्षित कार्मिकों का महत्व बराबर महसूस किया है। प्रवेश

पूर्व प्रशिक्षण के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों को अनुसूचित जनजातियों की विकास समस्याओं के बारे में बताया जाता है। बाद में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों को तीन-तीन या चार-चार की छोटी-छोटी टोलियों में लगभग दो-दो सप्ताह के लिए जनजातीय गांवों में भेजा जाता है जिससे कि अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं, उक्त क्षेत्रों की विकास की संभावनाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराया जा सके और जनजातियों के प्रति उनमें हमदर्दी जताई जा सके। भारतीय प्रशासनिक सेवा के और अन्य सेवाओं के जो अधिकारी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं अथवा उन क्षेत्रों के विकास से किसी अन्य रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जनजातीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर संगोष्ठी और सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से चलाए जाते हैं।

(घ) तथा (ङ) : उपर्युक्त भाग (क), (ख) तथा (ग) में वर्णित स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

श्री दलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि आदिवासी लोग विशेषकर गांवों में और पहाड़ों में रहते हैं। उनकी भाषा और कल्चर अलग है। जो अधिकारी वहां जाते हैं, वे न तो गरीब हैं, न गरीबी जानते हैं और न भाषा तथा घूमना-फिरना जानते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि आदिवासी एरियाज में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था या कोई योजना है ? क्या ऐसी कोई कमेटी बनाई गई है जो उस बारे में विचार कर रही है ? क्या कार्यवाही हो रही है, कृपया बताएं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जैसाकि मैंने पहले बताया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके परिवीक्षा काल के दौरान जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके अलावा उनके लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाये गये हैं।

जैसाकि मैंने पहले ही बताया है, उनके लिये सेवा काल के दौरान विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर इनका आयोजन किया जा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय स्तर पर जनजाति विकास के सम्बन्ध में सात प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन किया गया और राज्य स्तर पर 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन किया। इन्हें अत्यन्त लाभप्रद पाया गया है।

श्री दलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री जी ने कहा, एक समय महेश्वरी प्रसाद कमेटी बनी थी। जिसने बहुत सारी बातों की सिफारिशें इस बात के लिए की थीं कि ट्राइबल एरियाज का विकास जो नहीं हो रहा है उसका कारण यह है कि जो अधिकारी वहां जाता है वह वहां की भावना और कल्चर को नहीं जानता है, इसलिए वहां का विकास नहीं हो रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस महेश्वरी प्रसाद कमेटी की जो रिपोर्ट थी, वह किस स्थिति में है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : महेश्वरी प्रसाद कमेटी 1979 में बनायी गई थी। इसने आदिवासी क्षेत्र में तैनात सभी श्रेणियों के कर्मचारियों सम्बन्धी नीति के प्रश्न पर विचार किया था। इस समिति ने सुझाव दिया कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए कार्मियों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और उसने आदिवासी क्षेत्रों में तैनात किए गए अधिकारियों को प्रोत्साहन

भत्ता दिए जाने का सुझाव दिया । इस समिति ने आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे अधिकारियों के लिए आवास और शिक्षा सुविधा की भी सिफारिश की । इस समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं, जिन्होंने उन्हें सिद्धान्त: स्वीकार कर लिया है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अनेक बातें बतायी हैं । लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, आदिवासी लोग पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में रहते हैं । जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है, तो उन अधिकारियों को उनकी भाषा और संस्कृति से अवगत होना चाहिए । उन्हें वहां के लोगों को समझना चाहिए । उन्हें अपना नौकरशाही का रवैया छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे लोग अत्यन्त पिछड़े और सीधे सादे होते हैं, वे सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की वहां नियुक्ति के समय पहला मानदण्ड यह होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों को उनकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उनकी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए तथा उनके आर्थिक पिछड़ेपन से अवगत होना चाहिए जिससे कि वे अपना नौकरशाही का रवैया छोड़ सकें और वहां के लोगों को समझ सकें । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन क्षेत्रों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति और उनको तैनात करते समय यह एक मानदण्ड अथवा शर्त होगी ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हूं—मैं तो विरोध प्रकट करना चाहती हूं । माननीय सदस्य ने, मैं नहीं जानती कि गलती से अथवा जानबूझकर, कहा है कि आदिवासी सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं । मैं नहीं समझती कि हमें इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । उनकी अपनी संस्कृति है और वह हमारे सम्मान योग्य है । वह हमारी संस्कृति से भिन्न हो सकती है । हम सभी की संस्कृति भिन्न-भिन्न है । लेकिन मैं यह नहीं समझती कि किसी को अन्यों की तुलना में ऊंचा अथवा नीचा समझा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, गलती से उन्होंने ऐसा कहा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने 'सांस्कृतिक रूप से' नहीं कहा । मैंने 'आर्थिक रूप से' कहा था ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उनका तात्पर्य था आर्थिक रूप पिछड़े सांस्कृतिक रूप से पिछड़े नहीं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : लेकिन उन्होंने 'सांस्कृतिक' (कल्चरल) शब्द का प्रयोग किया ।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक इन अधिकारियों के चयन का सम्बन्ध है, केवल उन्हीं अधिकारियों को, जिनकी आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी लोगों के लिए सहानुभूति है, आदिवासी क्षेत्रों में तैनात किए जाने के लिए चयन किया जा रहा है । प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उन क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, जहां आदिवासी लोग रहते हैं और वे उनसे परिचित हो जाते हैं । इसलिए ऐसे व्यक्तियों को वहां नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता जो उनकी भाषा अथवा संस्कृति से परिचित नहीं हैं । लेकिन यह संभव है क्योंकि आदिवासियों की अनेक बोलियां होती हैं, उनमें से कुछ बोलियों से वे परिचित न हों ।

जहां तक उनके मनोवृत्ति का सम्बन्ध है ये अधिकारी उससे परिचित हैं।

श्री सीमजीभाई डामोर : जब ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एमपीज की एक कांफ्रेंस में आश्वासन दिया था कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी अधिकारी रखे जाएंगे। उस आश्वासन को दिए हुए तीन चार साल हो गए हैं। उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां ऐसे अधिकारी उपलब्ध हैं, वहां, उनको रखा जाता है। मुश्किल यह है कि ऐसे अधिकारी, जो उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, आदिवासियों में कम मिलते हैं। लेकिन उनसे सहानुभूति रखने वाले अधिकारी रखे जाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गोआ में इलेक्ट्रॉनिक्स एककों की स्थापना

*345. **श्रीमती संयोगिता राणे :**

डा० प्रताप बाघ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विकास केन्द्र के रूप में संघ राज्य क्षेत्र गोआ की क्षमता में विश्व बैंक ने रुचि प्रदर्शित की है;

(ख) क्या गोआ में इलेक्ट्रॉनिक्स एकक की स्थापना हेतु स्थल का चयन करने के लिये कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एक उप-प्रबन्धक ने विश्व-बैंक के एक अधिकारी के साथ गोआ का दौरा किया। विश्व बैंक के अधिकारी ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में आर्थिक विकास निगम के प्रस्ताव में दिलचस्पी जाहिर की।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

लघु उद्योगों की समस्याओं सम्बन्धी समिति

347. **श्री के० मालन्ना**

श्री छोटू भाई गामित : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में लघु उद्योगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए लघु उद्योगों सम्बन्धी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य की तुलना में इन उद्योगों के कार्यनिष्पादन, लघु क्षेत्र को ऋण स्वीकृत और वितरित करने की प्रक्रिया और छोटे उद्यमियों को उचित विपणन सुविधाओं की आवश्यकता के संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निम्नांकित तालिका से यह देखा जा सकता है कि लघु उद्योगों का निष्पादन लक्ष्य से अधिक रहा है :—

	1980-81	1981-82	1982-83
1 उत्पादन (करोड़ रुपयों में) 1979-80 की कीमतों पर			
लक्ष्य	23,150	25,000	27,500
उपलब्धि	23,566	25,920	27,700
2. रोजगार (लाख संख्या)			
लक्ष्य	70.0	74.0	78.40
उपलब्धि	71.0	75.0	79.00
3. निर्यात (करोड़ रुपयों में) 1979-80 की कीमतों पर			
लक्ष्य	1,150	1,280	1,430
उपलब्धि	1,378	1,649	1,663

जहां तक लघु उद्योगों को ऋण की मंजूरी और ऋण देने का प्रश्न है, आवेदक वित्तीय सहायता हेतु सावधिक (टर्म) पूंजी के लिए राज्य वित्तीय निगमों को और कार्यशील पूंजी के लिए वाणिज्यिक बैंकों को सीधे अथवा जिला उद्योगों केन्द्रों के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। जहां तक विपणन का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और विभिन्न राज्य निगम लघु उद्योगों को उनके उत्पादों का विपणन करने सम्बन्धी कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। केन्द्र सरकार के वस्तु भण्डार क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत 400 से अधिक उत्पाद खरीद के लिए केवल लघु एककों के लिए ही आरक्षित कर दिये गए हैं। इसके अलावा, लघु एककों को बड़े और लघु एककों दोनों से ही खरीदे जाने वाली वस्तुओं के मामले में अधिकतम 15 प्रतिशत तक का मूल्य अधिमान कुछ शर्तों के अधीन दिया जाता है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सिंगल प्वाइंट पंजीकरण प्रणाली चला रहा है।

केरल में सोने के भण्डार

*348. **श्री बी०एस० विजयराघवन :**

श्री के०ए० राजन : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में सोने के भंडार का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा भंडारों का और सर्वेक्षण तथा उनके वाणिज्यिक उपयोग के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोटरगाड़ी के पुर्जों के उद्योग में आत्मनिर्भरता

*349. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मोटरगाड़ी के पुर्जों का उद्योग देश के मोटरगाड़ी उद्योग की सम्पूर्ण आवश्यकता सफलतापूर्वक पूरी कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस उद्योग को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) तथा (ख) मोटरगाड़ी हिस्सा-पुर्जा उद्योग देश के मोटरगाड़ी उद्योग की आवश्यकताओं को कुल मिलाकर सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में कुछ हिस्से-पुर्जों के आयात की अनुमति दी जाती है—

(1) चरणवद्ध निर्माण कार्यक्रम के अनुसार नई प्रकार की गाड़ियों और इन्टरनल कम्बश्चन इंजनों के लिए, क्योंकि इन हिस्से-पुर्जों के स्वदेशीकरण में समय लगेगा;

(2) किसी प्रतिकूल श्रमिक स्थिति से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए; और

(3) आयातित गाड़ियों के ऐसे फालतू-पुर्जे जिनके लिए हिस्से पुर्जों का निर्माण करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

अल्यूमीनियम का आयात

*335. **श्री विष्णु प्रसाद : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1984-85 के दौरान अल्यूमीनियम का आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां।

(ख) 1984-85 की प्रथम तिमाही में 15000 टन एल्यूमिनियम के आयात पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। परवर्ती आयात देश में उत्पादन स्तर और मांग के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

घुसपैठियों का पता लगाया जाना

*356. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान पंजाब, जम्मू और कश्मीर और पूर्वी क्षेत्र की सीमाओं पर कितने घुसपैठियों का पता लगाया गया और उनकी संख्या 1981 और 1982 के दौरान पता लगाए गए घुसपैठियों की संख्या की तुलना में यह कितनी न्यूनाधिक है;

(ख) क्या पंजाब राज्य में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्वों तथा पूर्वी क्षेत्र में उग्रवादियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते

हुए, सरकार ने पड़ौसी राज्यों से घुसपैठ को रोकने और देश में हथियारों की तस्करी बन्द करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) विवरण संभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) और (ग) पंजाब-जम्मू व कश्मीर-पाकिस्तान और भारत बंगलादेश सीमाओं पर 1090 सीमा वाह्य चौकियों में सीमा सुरक्षा बल की लगभग 54 बटालियनें तैनात हैं । सीमा सुरक्षा बल की स्वीकृत 3 और बटालियनें, उनके बनाने के बाद, पूर्वी सीमा पर लगाई जायेंगी । इसके अतिरिक्त, सरकार ने विशेष रूप से नाजुक क्षेत्रों में, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और वर्मा के साथ भूमि सीमा भी शामिल हैं, तस्करी-विरोधी अभियान को सशक्त बनाने के लिये आवश्यक कदम उठाये हैं। सीमा शुल्क विभाग के निरोध तथा आसूचना तंत्र को जन-शक्ति तथा उपकरण की दृष्टि से मजबूत बनाया गया है । भारत सरकार ने राज्य सरकारों के प्राधिकारियों से परामर्श करके उपयुक्त तस्करी-विरोधी और घुसपैठ-विरोधी उपाय किए हैं । सभी सुरक्षा एजेंसियां निरन्तर निगरानी रखे हुए हैं और इस मामले की पुनरीक्षा की जाती रहती है । सरकार ने घुसपैठ तथा सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए भारत बंगलादेश सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाने और सीमा सड़कें बनाने का निर्णय किया है ।

विवरण

(क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान पूर्वी क्षेत्र में असम/मेघालय त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए और अन्य एजेंसियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल को सौंपे गये घुसपैठियों की संख्या इस प्रकार है—

(1)		1981	1982	1983
(1)	असम	1,074	1,715	658
(2)	मेघालय	179	128	145
(3)	त्रिपुरा	789	1,319	1,728
(4)	पश्चिम बंगाल	7,228	12,628	21,852

जम्मू व कश्मीर राज्य में पकड़े गये घुसपैठियों की संख्या 1981 में 85, 1982 में 89 और 1983 में 55 थी ।

राज्य सरकार के अनुसार पंजाब राज्य में पकड़े गये घुसपैठियों की संख्या 1981 में, 1,175, 1982 में 756 और 1983 में 538 थी ।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुसार मिजोरम में पकड़े गये घुसपैठियों की संख्या 1981 में 684, 1982 में 1020 और 1983 में 1,133 थी ।

बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क खानों में संकट

*357. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों द्वारा गैर-रक्षित खानों से लौह अयस्क उठाने में धीरे-धीरे कमी करने के कारण बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क खनन उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या बिहार और उड़ीसा की सरकारें तथा वाणिज्य मंत्रालय उनके मंत्रालय से बार-बार यह अनुरोध करते रहे हैं कि गैर-रक्षित खानों से लौह अयस्क को और अधिक मात्रा में उठाया जाये;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या उपाय किए गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) (क) जी, नहीं। पूर्वी क्षेत्र की लौह-अयस्क की गैर-रक्षित खानों से लौह अयस्क की खरीद में कमी मुख्यत: निर्यात में कमी के कारण हुई है। पाराद्वीप की बन्दरगाह, जो बड़ाजमदा क्षेत्र में लौह अयस्क के मुख्य खनन क्षेत्रों मे लौह अयस्क के निर्यात के लिए मुख्य बन्दरगाह है, से वर्ष 1978-79 में 17.25 लाख टन लौह अयस्क निर्यात किया गया था। वर्ष 1982-83 में लौह अयस्क के निर्यात का स्तर घटकर 9.84 लाख टन रह गया है।

वर्ष 1983-84 में "सेल" द्वारा गैर-रक्षित खानों से लौह अयस्क (डले) की खरीद में कमी हुई है, परन्तु यह कमी बिजली की कम सप्लाई तथा कोककर कोयले की घटिया क्वालिटी के कारण तप्त धातु का सीमित उत्पादन होने के कारण हुई है। "सेल" को लौह अयस्क की अपनी वर्तमान रचित खानों की अधिकाधिक क्षमता का उपयोग करना होता है। कारखानों का रूपांकन इस प्रकार किया जाता है कि वे लौह अयस्क की सप्लाई के बारे में अपनी रक्षित खानों पर ही निर्भर करें। तदनुसार रक्षित खानों का रूपांकन कारखानों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया था। रूपांकित क्षमता को पूरा करने के लिए उनके उत्पादन में क्रमिक रूप में वृद्धि की जा रही है।

(ख) से (घ) उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर ही "सेल" ने उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन से लौह अयस्क की खरीद 120,000 टन से बढ़ाकर 150,000 टन करना स्वीकार किया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास बिक्री योग्य इस्पात का भंडार

*358. **श्री टी० आर० शमन्न** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के पास अभी भी भारी मात्रा में बिक्री के योग्य इस्पात का भडार पड़ा है;

(ख) क्या बाजारों की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित किस्म के उत्पादों के निर्माण हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग को हो रही भारी हानि को रोकने के लिए अपेक्षित अन्य कदम भी उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) 1-4-1983 को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के कारखानों और आन्तरिक बिक्री के स्टाक-यार्डों में विक्रय इस्तपात का स्टाक 14.5 लाख टन था जो 1-3-1984 को घटकर 9 लाख टन रह गया है। आशा है मार्च में स्टाक में और कमी होगी और शीघ्र ही स्टाक अपेक्षित इष्टतम स्तर तक पहुंच जाएगा।

(ख) जी, हां। 'सेल" के अनुसंधान और विकास वैज्ञानिकों और "सेल" के कारखानों के विज्ञानियों द्वारा प्रौद्योगिकी में नवीनता लाने जैसे विशेष उपायों के फलस्रूव चालू वर्ष में आयात प्रतिस्थापन की अधिक मूल्यवाली मदों का उत्पादन वर्ष 1982-83 में इन मदों के हुए उत्पादन की तुलना में काफी अधिक होने की संभावना है, जैसा कि नीचे बताया गया है—

(मात्रा टनों में है)

मद	वर्ष 1982-83 में उत्पादन	वर्ष 1983-94 में प्रत्याशित उत्पादन
एल० पी० जी०/चादरें	17.744	62,500
डी० डी०/ई० डी० डी० चादरें	6,409	18,000
बायलरों में इस्तेमाल होने वाली प्लेटें	16,730	14,000
आई० एस०-2062 प्लेटें	44,240	54,000
जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें (.4/.5 मि० मी०)	16,613	29,000
इलेक्ट्राड क्वालिटी की तार छड़ें	10,353	22,000
90 यू० टी० एस०, रेल की पटरी	—	2,500
विद्युतीय चादरें	12,073	16,500
टिन प्लेटें	33,088	46,000
रिमिंग क्वालिटी की तार छड़ें	10,188	22,500

(ग) जी, हां। हानि को कम करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड मांग के अनुरूप प्रॉडक्ट मिक्स से परिवर्तन करने, विपणन के लिए अथक प्रयास करके बिक्री में वृद्धि करने और इस प्रकार तैयार माल, कच्ची सामग्री, स्टोर्स और फालतू पुर्जों के स्टाक में कमी करने और निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है। प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार करके लागत में कमी करने, उपस्करों की समय पर मरम्मत करके तथा बेहतर रखरखाव द्वारा उनकी उपलब्धि में वृद्धि करने, स्टोर्स और फालतू पुर्जों की खरीख कम से कम करके और इस प्रकार से खर्च में हर संभव तरीके से कमी करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

रंगीन टी० वी० सैटों के मूल्य

*359. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रंगीन टी०वी० सैटों के मूल्यों में कमी करने पर विचार कर रही थी, जिससे कि समाज के कमजोर वर्ग भी रंगीन टी०वी० सैट खरीद सकें;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि मूल्य नहीं गिरे हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) तथा (ख) सरकार द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 1983 को घोषित इलेक्ट्रॉनिकी उपस्करों, संघटक-पुर्जों तथा कच्ची-सामग्रियों पर लगने वाले सीम-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में की गई कटौतियों के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, जिसमें रंगीन दूरदर्शन भी शामिल हैं, मूल्य कम होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, एशियाड के दौरान सरकार ने 51 से०मी० पर्दे के आकार वाले रंगीन दूरदर्शन सेटों का उपभोक्ता मूल्य, उनमें प्रयुक्त होने वाले समस्वरित्र (ट्यूनर) के अनुसार दिल्ली में 7500 रु० से 8000 रु० तक निर्धारित किया था। लेकिन, सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में की गई उपर्युक्त कटौतियों के पश्चात कुछ विनिर्माताओं ने अपने रंगीन दूरदर्शन सेटों का उपभोक्ता मूल्य दिल्ली में 5800 रु० से लेकर 5570 रु० तक विज्ञापित किया है। जब और अधिक रंगीन दूरदर्शन सेट बाजार में आ जाएंगे तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तब रंगीन दूरदर्शन सेटों के मूल्यों में और कमी होगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजनीतिक दलों के लिये आचार संहिता

*360. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दलों के लिये कोई आचार संहिता बनाये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी आचार संहिता की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस संबंध में किन-किन राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया गया है ; और

(घ) इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद (1980) की सामुदायिक और जाति मेल-मिलाप सम्बन्धी समिति ने अपनी पहली बैठक में सुझाव दिया था कि साम्प्रदायिक मामलों को दलगत राजनीति से ऊपर रखने के लिये राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाई जाए। राजनीतिक दलों के लिए नीति संहिता का मसौदा समिति की दूसरी बैठक में उसके समक्ष रखा गया था। समिति के सदस्य मसौदे का अध्ययन करने के लिये समय चाहते थे। समिति की तीसरी बैठक में यह निर्णय किया गया कि सदस्यों को इस मामले में पहले अपनी विस्तृत टिप्पणियां भेजनी चाहिए। समिति के सभी सदस्यों से अभी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

मामला राजनीतिक दलों को नहीं भेजा गया है।

तिहाड़ जेल के बाहर हिंसा

*361. **श्री शिव शरण वर्मा** :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 फरवरी, 1984 को तिहाड़ जेल के बाहर अकाली दल, के कार्यकर्ताओं, दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़पों, पथराव, मारपीट और लाठी चार्ज की घटनाओं के फलस्वरूप कितने लोग घायल हुए, कितने गिरफ्तार किये गये; कितनी बसों को नुकसान पहुंचा तथा कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ;

(ख) तिहाड़ जेल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त घटनाओं के लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) इस घटना में जो 18 फरवरी, 1984 को हुई थी न कि 15 फरवरी 1984 को 5 व्यक्ति (2 आंदोलनकारी, एक दिल्ली परिवहन निगम का चालक, एक पुलिस कर्मी और एक होमसार्ड) घायल हुए। छः बसों को नुकसान हुआ और कुल मिलाकर लगभग 3,000/- रुपए की क्षति हुई। दो आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए।

(ख) जिन स्थानों पर प्रदर्शन आदि करने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, वहां पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किए जाते हैं।

(ग) जिन दो आंदोलनकारियों ने दिल्ली परिवहन की बसों पर पत्थर फेंकने शुरू किए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके तथा अन्य आंदोलनकारियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों द्वारा कुछ आंदोलनकारियों को पीटने के बारे में प्राप्त एक शिकायत पर दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध भी, दंगा करने का एक मामला दर्ज किया गया है।

गुजरात में छोटे सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा

***362. श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने छोटे सीमेंट संयंत्र चल रहे हैं, वे कहां-कहां हैं तथा उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) उस राज्य में कितने छोटे सीमेंट संयंत्र निर्माणाधीन हैं और वे कहां-कहां बनाये जा रहे हैं तथा ये संयंत्र कब तक पूरे हो जायेंगे और कब तक उनमें उत्पादन आरम्भ हो जायेगा;

(ग) गुजरात में छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु कितने आवेदन स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन्हें मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) इस समय गुजरात में दो लघु सीमेंट संयंत्र हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं। 1983 में उनके द्वारा किए गए उत्पादन सहित उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

एकक का नाम	स्थापना-स्थल	वार्षिक उत्पादन (1983)
1. मै० कच्छ सीमेंट प्रा० लि०	जिला कच्छ	2482 मी० टन
2. मै० सन्दीप सीमेंट्स प्रा० लि०	जिला भावनगर	उत्पादन दिसम्बर, 1983 में ही आरंभ किया है।

(ख) गुजरात राज्य में स्थापना के लिए 37 लघु सीमेंट संयंत्रों को अनुमोदित कर दिया गया है, इनके ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। ये क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) इस समय गुजरात से प्राप्त कोई भी आवेदन सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

गुजरात में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु दी गई स्वीकृतियां

क. औद्योगिक लाइसेंस

पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	क्षमता (लाख मी० टन में)
1. मै० श्रीराम सीमेंट्स लि०	जिला-बनासकंठा	0.66
2. मै० पंचमहल सीमेंट्स लि०	जिला-पंचमहल	0.66
3. मै० राधा कृष्ण सीमेंट्स लि०	जिला-बनासकंठा	0.66
4. मै० कामदार सीमेंट्स प्रा० लि०	जिला-जूनागढ़	0.66

ख. आशय-पत्र

1. मै० जगदम्बा सीमेंट्स	जिला-बनासकंठा	0.66
2. मै० जुपीटर सीमेंट्स	जिला-जूनागढ़	0.66
3. मै० अमीरगढ़ सीमेंट्स लि०	जिला-बनासकंठा	0.66
4. मै० नायक सीमेंट्स प्रा० लि०	जिला-भावनगर	0.66
5. मै० शतरूषजय सीमेंट्स लि०	जिला-भावनगर	0.66
6. श्री युवराज दिग्विजय सिंह	जिला-राजकोट	0.66
7. श्री निरंजन शाह	जिला-जूनागढ़	0.66
8. मै० अम्बिका सीमेंट्स	जिला-जूनागढ़	0.66
9. मै० कम्बाइंड सीमेंट्स कं० प्रा० लि०	जिला-कच्छ	0.66
10. श्री एच० सी० कोहली	जिला-अमरोली	0.66
11. श्री ओम प्रकाश, श्याम सुन्दर अग्रवाल	जिला-मेहसाना	0.66
12. मै० पारस सीमेंट एण्ड कैमिकल्स	जिला-जूनागढ़	0.66
13. मै० वोकमैन्स प्रा० लि०	जिला-जूनागढ़	0.66
14. सर्वश्री एस० के० गाधवी एण्ड आर० बी० गांधी	जिला-बनासकंठा	0.66

पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	क्षमता (लाख मी० टन में)
ग० डी० जी० टी० डी० में पंजीकरण		
1. मै० शक्ति सीमेंट्स (प्रा०) लि०	जिला-सुरेन्द्रनगर	0.300
2. मै० पी० एच० पी० सीमेंट लि०	जिला-भावनगर	0.270
3. मै० कच्छ सीमेंट (प्रा०) लि०	जिला-कच्छ	0.210
4. मै० गिरनार सीमेंट कं० प्रा० लि०	जिला-जूनागढ़	0.300
5. मै० स्वास्तिक सीमेंट इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	जिला-जूनागढ़	0.300
6. मै० गुजरात सीमेंट	जिला-भावनगर	0.495
7. मै० प्रवीन सीमेंट (प्रा०) लि०	जिला-भावनगर	0.300
8. मै० सुविन सीमेंट्स (प्रा०) लि०	जिला-सुरेन्द्रनगर	0.300
9. मै० जे० के० सीमेंट (प्रा०) लि०	जिला-कच्छ	0.100
10. मै० स्वामी नारायण सीमेंट कं०	जिला-कच्छ	0.100
11. मै० रूपारल सीमेंट्स (प्रा०) लि०	जिला-भावनगर	0.300
12. मै० अजमेर सीमेंट्स (प्रा०) लि०	जिला-जूनागढ़	0.300
13. मै० पटेल एण्ड लालका सीमेंट प्रा० लि०	जिला-कच्छ	0.108
14. मै० रामचन्द सीमेंट प्रा० लि०	जिला-कच्छ	0.108
15. मै० गोपालभाई मेघजी भाई पटेल	जिला-जूनागढ़	0.300
16. मै० सर्वोत्तम सीमेंट	जिला-मेहसाना	0.300
17. मै० दोषी सीमेंट (प्रा०) लि०	जिला-राजकोट	0.150
18. मै० गाला सीमेंट प्रा० लि०	जिला-कच्छ	0.108
19. मै० स्टार सीमेंट वर्क्स प्रा० लि०	जिला-कच्छ	0.150

परमाणु ऊर्जा के धीमे विकास के कारण

*363 **श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा अमरीका में दिया गया सार्वजनिक आश्वासन कि भारत शांतिपूर्ण, कार्यों के लिये भी परमाणु विस्फोट नहीं करेगा, ऐसे विस्फोटों और परमाणु विकास में बाधक बन रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो देश में परमाणु ऊर्जा के धीमे विकास के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान परिष्कृत यूरेनियम तैयार करने में सफल हो गया है और वह शीघ्र ही परमाणु बम बनाने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) : सरकार की यह नीति जारी है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिमय प्रयोजनों के लिए किया जाये और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सभी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की जानकारी रखी जाये।

(ख) भारत में परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी विकास-कार्य तेजी से हुआ है । भारत विश्व के उन इने-गिने देशों में से एक है जिसका ईंधन चक्र पूर्णत:स्वदेशी है और जो परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिये आवश्यक सभी परिष्कृत सुविधाओं के अभिकल्पन, निर्माण तथा प्रचालन की क्षमता सिद्ध कर चुके हैं। विकासशील देशों में तो भारत एकमात्र ऐसा देश है।

(ग) तथा (घ) परमाणु हथियार बनाने के वास्ते न्यूक्लियर सामग्री के उत्पादन के लिए यूरेनियम को समृद्ध बनाने की क्षमता हासिल करने के पाकिस्तान के प्रयास से सरकार अवगत है ।

मोदक सीमेंट कारखाने में सीमेंट का उत्पादन

3960. **श्री चतुर्भुज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा जिला में मोदक सीमेंट कारखाने में पहली जनवरी, 1984 तक सीमेंट का कुल कितना उत्पादन हुआ और उपरोक्त कारखाने में उत्पादन का वर्ष-वार लक्ष्य क्या है और क्या लक्ष्य के अनुसार उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) क्या कारखाने में उत्पादित सीमेंट का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो यह परीक्षण किन-किन तारीखों को किये गये और सीमेंट की क्वालिटी के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) 4 लाख मी० टन की वार्षिक लाइसेंसीकृत क्षमता की तुलना में मैं० मंगलम् सीमेंट, मोदक द्वारा मार्च 1981 (जबकि कारखाने में उत्पादन आरम्भ हुआ) से 1983 तक किया गया वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मी० टन)
1981 (मार्च से)	1.67
1982	3.29
1983	3.0

(ख) इस कारखाने द्वारा उत्पादित सीमेंट की जांच नैशनल टेस्ट हाउस द्वारा मार्च और जून, 1983 में की गई थी और बताया गया था कि केवल एक नमूना सामग्री जो कि एक अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी को छोड़ कर शेष सामग्री जिन अपेक्षाओं के लिए जांच की गई थी उन मानकों के अनुरूप ही थी । 1-7-1983 से सीमेंट उद्योग के लिए आई० एस० आई० प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और परिणामस्वरूप बाद में पांच और नमूने दिये गये जिनकी जांच भारतीय मानक संस्थान द्वारा की जा रही है ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों में असंतोष

3961. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री अजित कुमार साहा :

श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अधिकारी संघ से कोई पत्र/ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में सेवा में आने वाले इन्जीनियर और वैज्ञानिक स्वयं को हताश अनुभव करते हैं क्योंकि उन्हें कोई यथायोग्य काम नहीं दिया जाता है और असंगत अथवा व्यर्थ का कार्य दिया जाता है; ओर

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जो पत्र मिले हैं वे कार्य के मूल्यांकन, पदोन्नति सम्बन्धी नीति, काम के लिए उपलब्ध वातावरण. शैक्षिक स्वतंत्रता, शिकायतों को दूर करने, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परिवार महायता स्कीम में प्रतिनिधित्व देने, हितकारी निधि, आदि के बारे में हैं । एसोसिएशन से प्राप्त पत्रों का अध्ययन गौर से किया जाता है और उन पर यथोचित कार्रवाई की जाती है ।

(ग) जी; नहीं । भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में काम करने के लिए जो पर्यावरण उपलब्ध है वह विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा अनुसंधान करने में सहायक है । वैज्ञनिकों को चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लेने के पर्याप्त अवसर दिये जाते हैं तथा इस कारण वे काम के सम्बन्ध में बहुत सन्तुष्ट हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

देश की आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञापन

3962. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के बारे में रोविधी दलों से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में क्या मुद्दे उठाए गये हैं; और

(ग) इस मांग-पत्र पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी; हां ।

(ख) प्रधान मंत्री को सम्बोधित पत्र में 10 विरोधी दलों के प्रतिनिधियों ने एक मांग-पत्र तुरन्त कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया है । ये मांगे संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं ।

(ग) उक्त ज्ञापन में उठाये गये प्रश्न अधिकांशत: नीति सम्बन्धी हैं । उक्त ज्ञापन में जिन आर्थिक और अन्य समस्याओं का उल्लेख किया गया है उनके बारे में सरकार ने समय-समय पर संसद में नीति-सम्बन्धी वक्तव्यों में स्पष्ट रूप से अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है। विशेष रूप से आर्थिक योजना और वित्तीय नीति से सम्बन्धित मामलों के बारे में, छठी योजना दस्तावेज, छटी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन और संसद में समय-समय पर रखे गये आर्थिक सर्वेक्षणों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इसके अतिरिक्त सरकार की नीतियों के बारे में वक्तव्य संसद के आरम्भ होने पर और सामान्य बजट के प्रस्तुत करने पर दिए जाते है जिनकी ओर कृपया ध्यान दिया जाये ।

जहां तक सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रशासनिक प्राधिकार के अन्तर्गत नीति या कार्यान्वियन के पहलुओं से सम्बन्धित विशिष्ट मामलों का सम्बन्ध है, इन्हें माननीय सदस्यों द्वारा उस समय उठाया जा सकता है जब संसद के अनुदान के लिये मंत्रालय-वार मांगों पर चर्चा होती है।

विवरण

मांग-पत्र

1. सरकार को थोक विक्रेताओं के लाभों पर सशक्त नियंत्रण करके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक व्यापक जाल संगठित करके उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति की गारंटी सुनिश्चित करनी चाहिए।

   इसके लिए उत्पादन की प्राथमिकताओं को उन उपभोग वस्तुओं के पक्ष में करना होगा जिनकी जरूरत गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को होती है, और प्रमुख खाद्यान, दालों, खाद्य तेल, नमक, चीनी, घरेलू कोयला, मिट्टी का तेल, आम कपड़ा, कागज, जीवन बचाने वाली दवाइयां, माचिसों आदि की घटी दर पर पूर्ति करनी होगी। इन सभी वस्तुओं पर उत्पाद लेवी को काफी घटाने की आवश्यकता है और उनके गमनागमन को उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है।

2. राज्य अभिकरणों के जरिए पर्याप्त खरीदों द्वारा कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित की जाए;

3. सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने और छोटे शिल्पों और कारीगरों सहित सभी वर्गों के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए आर्थिक नीतियों की पूर्ण रूप से पुनः संरचना;

4. काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः शुरू किया जाए और इसका विस्तार किया जाए।

5. काम के अधिकार को संविधान में दिए गए मूल अधिकारों में शामिल किया जाए;

6. कमियों को दूर करें वर्तमान भूमि-सुधार कानूनों को तेजी से कार्यान्वित किया जाए और विधान सभाओं द्वारा पारित भूमि-सुधार विधेयकों को तुरन्त स्वीकृति दी जाए;

7. किसान लोगों के लिए सस्ता ऋण और खेती निवेश की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए;

8. खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी लागू की जाए और ग्रामीण लोगों के रहने के और काम करने के हालातों में सुधार के लिए अन्य उपाय आरम्भ किये जायें;

9. केन्द्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों को समाप्त किया जाये और एन० एस० ए० और ई० एन० एस० ए० जैसे अनिष्ट उपायों को समाप्त किया जाये और व्यापार संघों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा प्रतिपादित मांगों को स्वीकार किया जाये और औद्योगिक इंकाईयों के बन्द होने और तालाबन्दी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं;

10. आर्थिक आत्म-निर्भरता की राष्ट्रीय नीति पुनः आरम्भ की जाए और राजकोषीय, मौद्रिक और निवेश नीतियां जो गरीबों और मजदूरों के हितों को ताक पर रख कर बड़े-

बड़े एकाधिकार घरानों और बहु-राष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहित करती हैं समाप्त कर दी जायें; और

11. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर जो लगातार आर्थिक अन्याय और शारीरिक आक्रमण होते हैं उनको समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय आरम्भ किए जाएं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को सहायता

3964. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य को अब तक दी गई सहायता का मदवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : 20 सूत्री कार्यक्रम राज्य योजनाओं का अभिन्न अंग है इसलिए इस कार्यक्रम के लिए अलग से आवंटन नहीं किए जाते हैं। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता खंड ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और विभिन्न कार्यक्रमों-स्कीमों के लिए नहीं दी जाती है। इसलिए केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सहायता का अलग से निर्धारण करना संभव नहीं है। लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजनाओं में कुछ मदों के लिए केन्द्रीय राशि में कुछ वृद्धियां की गई हैं जो वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के लिए नीचे दी गई हैं क्योंकि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1982-83 से शुरू हुआ था :—

(करोड़ रु०)

मद	1982-83	1983-84 योजना कार्यक्रम	अधिक अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहन
त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	127.50	199.6	75.0
अनुसूचित जातियों के लिए संघटक योजना	120.0	125.0	—
जनजातीय उपयोजना	95.0	110.0	—
गंदी बस्तिओं का सुधार	—	—	12.0
प्रारंभिक तथा प्रौढ़ शिक्षा	—	—	10.0
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	242.6	269.3	—
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	190.0	200.0	—
ग्रामीण भूमिहीन के लिए रोजगार गारंटी स्कीम	—	100.0	—
बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	2.0	4.5	—

छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अधीन 400 किलोमीटर/160 किलोमीटर के लिए किराये के भुगतान के मामले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों और रेलवे/रक्षा कर्मचारियों के बीच विषमता

3965. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मूल निवास छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अधीन क्रमश: 400 किलोमीटर और 160 किलोमीटर के लिए किराया स्वयं देना पड़ता है;

(ख) क्या रेलवे और रक्षा कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत के लिए स्वयं कुछ भी नहीं देना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो उक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच सरकार द्वारा भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस भेदभाव को दूर करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां । तथापि, यदि चार वर्ष के किसी ब्लाक में भारत में किसी स्थान पर जाने के लिए मिलने वाली छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग मूल निवास स्थान पर जाने के लिए किया जाता है तो मूल निवास स्थान की ऐसी यात्रा के लिए पूरी प्रतिपूर्ति की जाती है मानो यह यात्रा भारत में किसी स्थान पर जाने के लिए की गई थी ।

(ख) से (घ) : रेलवे कर्मचारी पास सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं, जबकि रक्षा कर्मचारी अर्थात् सैनिक मिलिटरी वारंट द्वारा यात्रा करते हैं, इसलिए कर्मचारियों के ये वर्ग छुट्टी यात्रा रियायत योजना के भीतर नहीं आते हैं । अत: कर्मचारियों के इन वर्गों और श्रेणी-III तथा श्रेणी-चार के अन्य कर्मचारियों के बीच भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

खादी ग्रामोद्योग निगम द्वारा उड़ीसा में व्यावसायिक केन्द्र खोला जाना

3966. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कुछ व्यावसायिक केन्द्र खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव खादी ग्रामोद्योग निगम के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वे खादी ग्रामोद्योग निगम से कहेंगे कि वह इस पहलू पर विचार को तथा उड़ीसा के सर्वाधिक पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए योजना तैयार करे :

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) कोरापुट जिले में खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, गोपालवाड़ी खादी तथा ग्रामोद्योग सम्बन्धी कार्यों में कारीगरों को प्रशिक्षण दे रहा है, आयोग से यह अनुरोध किया जायेगा कि वह आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामोद्योगों के संवर्द्धन के लिये और अधिक व्यावसायिक केन्द्र खोलने की सम्भाव्यता की जॉच करे । इस समय

मयूरभंज, सुन्दरगढ़, कोरापुट्, साम्बलपुर, गंजम, क्योंझर, कालाहाण्डी तथा उड़ीसा के आदिवासी बालासार में खादी तथा ग्रामोद्योग सम्बन्धी कार्य व्यापार चल रहा है। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में कुल 335.34 लाख रुपये का उत्पादन हुआ, तथा 50,608 व्यक्तियों को रोजगार मिला।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी

3967. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड को शक्ति प्रदान करने के क्या प्रस्ताव हैं, योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और इस उद्देश्य के लिए केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना को बिजली की सप्लाई में 65 प्रतिशत कटौती करने के कारण परियोजना में 29 दिसम्बर, 1983 से 19 फरवरी, 1984 तक तथा बाद में 7 मार्च, 1984 को उत्पादन बन्द करना पड़ा।

(ग) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार चक्र योजना को कार्यान्वित कर रही है आशा है। यह योजना वर्ष 1985 में पूरी हो जाएगी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार को 63.15 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। इस बीच कर्नाटक सरकार से परियोजना को बिजली की सप्लाई पुन: आरम्भ करने का भी अनुरोध किया गया है।

लोकपाल विधेयक

3968. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन के सभी क्षेत्रों में चारों ओर फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल नियुक्त करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसद के चालू समय में लोकपाल विधेयक पुर:स्थापित करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्र में लोकपाल नियुक्त करने के सम्बन्ध में विधेयक पुर:स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

गुजरात में कागज बनाने का कारखाना लगाना

3969. **श्री नवीन रावणी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कागज बनाने का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ग) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार गुजरात में कागज बनाने का कारखाना लगाने पर विचार करेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) गुजरात में कागज और गत्ता बनाने के लिए एक नए उपक्रम की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी देने के लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) से (घ) इस समय गुजरात राज्य में 36 एकक कागज और गत्ता बनाने के कार्य में संलग्न हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 78915 मी० टन प्रतिवर्ष है । 1984-85 के दौरान निम्नलिखित एककों द्वारा उत्पादन आरम्भ किए जाने की संभावना है:—

1. मैं० जयंत पेपर मिल्स, सूरत, आई०एल० सं० 308 (80) दिनांक 13-10-80	विस्तार 9000 मी० टन वार्षिक
2. मैं० रामा पल्प एण्ड पेपर प्राइवेट लिमिटेड, वलसाड़ आई०एल० सं० 257 (81) दिनांक 1-9-81	10000 मी० टन वार्षिक

इस्पात की कीमत

3970. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की कीमतों में निकट भविष्य में वृद्धि होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने इस्पात उद्योग के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ब्यूरो ने इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित बढ़िया इस्पात की सामान्य किस्म की मदों के मूल्य सरकार नहीं बल्कि संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित किए जाते है ।

(ख) और (ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने इस्पात उद्योग के बारे में गहराई से अध्ययन किया था । ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है । इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र की वित्तीय स्थिति

3971. **श्री भीखाभाई** :

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि यह पिछले दो वर्षों से ठेकेदारों अथवा अन्य पार्टियों द्वारा किए गए कार्यों अथवा सप्लाई के लिए भुगतान नहीं कर पाया है;

(ख) क्या कलकत्ता की कई ठेका कम्पनियों को उनकी देय राशि का समय पर भुगतान न किये जाने के कारण भारी हानि उठानी पड़ रही है और चेक फर्म इस सम्बन्ध में कई बार उन्हें लिख चुकी है; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले 1½ अथवा 2 वर्ष से पूरा भुगतान नहीं किया गया है तथा कम्पनी-वार बकाया राशि कितनी है और वह कितने समय से बकाया है तथा उनको देय राशि का जल्द भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने का पिछले तीन वर्षों का कार्य परिणाम नीचे दिया गया है :—

वर्ष	(करोड़ रुपए) लाभ (+)/हानि (—)
1980-81	(+) 17.84
1981-82	(+) 66.09
1982-83	(+) 19.95

वर्ष 1982-83 तक भिलाई इस्पात कारखाने को लगातार लाभ होता रहा है। यह कारखाना परिचालन सम्बन्धी वायदों के लिए शीघ्र भुगतान कर रहा है। केवल पूंजीगत व्यय के मामले में संसाधनों की कठिनाई के कारण हाल में बिलों के भुगतान में कुछ विलम्ब हुआ है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसमें पिछले 1½-2 वर्षों से संभारकों को भुगतान नहीं किया गया है। शीघ्र कार्रवाई करने की दृष्टि से कारखाना सभी संभारकों (कलकत्ता के संभारक भी शामिल हैं) को देय राशि के मामलों की सतत् समीक्षा करता है।

बांकुरा, पश्चिम बंगाल में दस्तकारी पर आधारित उद्योगों का सर्वेक्षण

3972. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय विज्ञान तथा औद्योगिकी विकास संस्थान द्वारा पश्चिम बंगाल के बांकुरा के दस्तकारी पर आधारित उद्योगों के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि बांकुरा में दस्तकारों की आर्थिक स्थिति द्रुतगति से बिगड़ती जा रही है और दस्तकार-गांव गरीबी का शिकार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने उस सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन किया है और उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बांकुरा के दस्तकारों को लुप्त होने से बचाने के लिए सरकार का विचार क्या सहायता देने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने दस्तकारी पर आधारित बांकुरा के ग्रामीण उद्योगों के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण का काम लिया है। रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

आयोडाइज्ड नमक का उत्पादन

3974. **श्री छीतूभाईगामित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात सरकार से केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए देश में आयोडाइज्ड नमक का उत्पादन करने सम्बन्धी कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक-तार तथा दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को वेतन निर्धारण में विशेष वेतन लाभ देने में विसंगति

3975. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 1973 के नियम संख्या 7 में राष्ट्रपति के आदेश से संशोधन करके डाक-तार विभाग में 1 जनवरी, 1973 से डाकघर आर एम एस के कर्मचारियों और अकाउंटेंटों को वेतन निर्धारण में विशेष वेतन का लाभ दिया गया है;

(ख) क्या उक्त लाभ की अनुमति दिल्ली पुलिस के अनुसचिवीय वर्गीय कर्मचारियों और अकाउंटेंटों को उनके वेतन निर्धारण में 1 जनवरी, 1973 से नहीं दी गई थी जिसके परिणाम-स्वरूप उन्हें परिलब्धियों की हानि हुई और वे तीन वर्ष या इससे भी अधिक समय से एक ही वेतन पर रुके हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों (मंत्री वर्गीय) को वेतन निर्धारण के ये लाभ 1 जनवरी, 1973 से न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अब इस विसंगति को दूर करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित आदेश केवल डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के कुछ वर्गों पर लागू है । हालांकि यह लाभ दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को नहीं दिया गया था, फिर भी यह निर्णय लिया गया कि यदि संशोधित वेतनमान में कुल परिलब्धियां, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा संशोधन पूर्व के वेतनमान में प्राप्त की जा रही कुल परिलब्धियों से कम हैं तो इस अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाए जो वेतन में आगे की वेतन वृद्धियों में समाहित किया जा सकता है ।

(घ) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को देखते हुए जी नहीं श्रीमान् ।

आशय पत्रों की प्रगति पर निगरानी रखना

3976. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक व्यापक प्रणाली तैयार करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत और निर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों ने केन्द्र के निदेशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या विशेष कार्यवाही की है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) मुख्य मंत्रियों को भेजे गए दिनांक 24 फरवरी, 1984 के एक पत्र में, आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग करने की एक व्यापक प्रणाली तैयार करने का अनुरोध किया गया है। यह केन्द्र सरकार में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जा रही विद्यमान मॉनीटरिंग के अतिरिक्त होगी।

कारों की बजाय मारूति "वैनों" की कम्प्यूटरीकृत संख्या

3977. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों को, जिन्होंने मारूति कार के लिए आवेदन किया था कार की बजाय "वैनों" की कम्प्यूटरीकृत नम्बर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी त्रुटियां सामने आयी हैं; और

(ग) उनको ठीक करने तथा वास्तव में इनकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां। 39 आवेदकों के सम्बन्ध में त्रुटियां सामने आयी हैं।

(ग) प्रभावित आवेदकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो 31-3-1986 तक कार प्राप्त करने वाले अन्तिम ग्राहक के रूप में निर्माताओं के कोटे से कार ले लें और चाहें तो 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित जमाराशि वापस ले लें।

मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3978. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने मंडल समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के समर्थन में अपनी राय भेज दी है;

(ख) ऐसी कौन-कौन सी राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने मंडल समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के विरुद्ध अपनी राय भेजी है; और

(ग) किन-किन राज्यों से इस सम्बन्ध में अब तक अपनी कोई राय नहीं भेजी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) ने अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की हैं। अधिकांश

राज्यों और संघ शासित क्षेत्र सरकारों से विभिन्न सिफारिशों पर टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। अन्य अधिक समय या उनके द्वारा पहले नियुक्त आयोगों/समितियों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना चाहती है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र सरकार ने मंडल आयोग द्वारा सिफारिश की गई पिछड़े वर्गों की सूची या आरक्षण की पूरी योजना को अपने राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में लागू करने के लिए स्वीकार नहीं किया है।

ट्रैक्टरों और हार्वेस्टर कम्बाइन्स का आयात

3979. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों और हार्वेस्टर कम्बाइन्स का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ट्रैक्टर और हार्वेस्टर कम्बाइन्स के निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलापों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के विशेष विनियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेंसों के घेरे में लाने का फैसला किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में योजना और नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

मणिपुर में पृथकतावादी दलों द्वारा अर्द्ध-सैनिक बलों और राजनैतिक नेताओं पर हमला

3980. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में पिछले तीन वर्षों के दौरान पृथकतावादी दलों द्वारा अनेक अर्द्ध-सैनिक बलों के सदस्यों और राजनैतिक नेताओं पर वर्ष-वार कितने हमले किए गए हैं; और

(ख) इन हमलों में कितने व्यक्ति मारे गए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रान दुलारी सिन्हा) : (क)

वर्ष	राजनीतिक नेताओं पर हमलों की संख्या	अर्द्ध-सैनिक बलों पर हमलों की संख्या
1981	शून्य	6
1982	शून्य	शून्य
1983	2	1

कुल : 9

(ख) मारे गये व्यक्तियों (राजनीतिक नेताओं और अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिक) की संख्या 12 थी और जिन घटनाओं में वे मारे गए, वे नीचे दी गई हैं—

(1) 15 जनवरी, 1981 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की राशन कानवाई दल पर नटु-मचिंग स्थान पर उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर आक्रमण किया गया, जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 कार्मिक मारे गए और 3 जख्मी हुए। इस मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए और 7 जख्मी हुए।

(2) 1 सितम्बर, 1981 को उग्रवादियों ने लेयीपटक से लोकटक परियोजना से वापस आ रहे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कानवाई के 2 वाहनों पर घात लगाकर आक्रमण किया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 6 कार्मिक और 4 असैनिक मारे गए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 कार्मिक और 4 असैनिक जख्मी हुए।

(3) 1 फरवरी, 1983 को जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक कांस्टेबल एक नायक के साथ मोटर साइकिल पर सवार था तो अयंगपाली सड़क पर कुछ अज्ञात सशस्त्र युवकों ने उन पर गोली चलाई। इस घटना में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक कार्मिक मारा गया।

(4) 7 जनवरी, 1983 को, तिद्दिम सड़क पर, मणिपुर पीपुल्स पार्टी के महासचिव श्री ए० के निलाकमल सिट को कुछ अज्ञात उग्रवादियों ने गोली से मार दिया।

(5) 15 अगस्त, 1983 को, 2 अज्ञात बन्दूकधारियों ने, जिन पर एन० एस० सी० एन० के भूमिगत सदस्य होने का संदेह है, मापुम गांव के श्री ए० एस० थर्मी टंकखुल (भूतपूर्व जिला परिषद् सदस्य) को गोली मारी।

1981 से 1983 तक के बीच हुई शेष चार घटनाओं में कोई व्यक्ति नहीं मारा गया लेकिन 3 अर्द्ध-सैनिक कार्मिक और 4 असैनिक जख्मी हुए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा

3981. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1980; 31 मार्च, 1981; 31 मार्च 1982 और 31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष से प्रत्येक उपक्रम की (i) प्राधिकृत और जारी जमा पूंजी (ii) आरक्षित धनराशि (iii) परिसम्पत्तियां (iv) बट्टे खाते डाली गई राशि और (v) अर्जित लाभ या हानि कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विवरण के रूप में सूची संलग्न है।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

इस्पात विभाग

1. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड।
2. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।
3. इस्को स्टेंटन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कम्पनी लिमिटेड) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।
4. मेटलर्जिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड।

5. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ।
6. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ।
7. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
8. मैंगनीज ओर (इण्डिया)लि मिटेड ।
9. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड ।
10. इण्डियन फायरवर्क्स एण्ड इन्सूलेशन कम्पनी लिमिटेड (भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कम्पनी) ।
11. मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड ।
12. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (मेटल स्क्रैप ट्रैड कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) ।
13. स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड ।
14. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ।
15. कोई पूर्वांचल इस्पात निगम लिमिटेड ।
16. [illegible]नगर स्टील लिमिटेड ।

खान विभाग

1. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ।
2. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ।
3. नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड ।
4. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ।
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड ।
6. खनिज गवेषण निगम लिमिटेड ।

सातवीं योजना के लिए आन्तरिक योजना परिव्यय

3982. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं योजना का 90 प्रतिशत परिव्यय आन्तरिक रूप से पूरा किया जाएगा; और

(ख) इससे पहले की प्रत्येक योजना का आन्तरिक तथा बाह्य परिव्यय प्रतिशत क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सातवीं योजना अभी तैयार की जानी है।

(ख) पहले की हरेक योजनाओं में आन्तरिक और बाह्य संसाधनों के द्वारा परिव्ययों के लिए की गई वित्त व्यवस्था का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

	परिव्ययों के लिए की गई वित्त व्यवस्था का प्रतिशत	
	आन्तरिक संसाधनों द्वारा	बाह्य संसाधनों द्वारा
पहली योजना	90.36	9.64
दूसरी योजना	77.55	22.45

तीसरी योजना	71.75	28.25
तीन वार्षिक योजनाएं	63.62	36.38
चौथी योजना	86.62	13.38
पांचवीं योजना 1974-79	86.50	13.50
छठी योजना	89.82	10.18
[मूल अनुमान]		

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा चासनाला कोल हैन्डलिंग संयंत्र का आधुनिकीकरण

3983. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने चासनाला कोल हैंडलिंग संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने टेन्डर स्वीकृत नहीं किए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ने इस कार्य के लिए न्यूनतम मूल्य की निविदा की पेशकश की है; और

(घ) क्या सरकार यह कार्य रिहैबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, को सौंपने का विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने चासनाला स्थित अपनी शोधशाला के लिए अनुपूरक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना का काम हाथ में लिया है। "कोल हैंडलिंग प्लांट" के के लिए अनुपूरक सुविधाओं संबंधी कार्य भी इस कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है।

(ख) और (ग) जी, हां। "कोल हैंडलिंग प्लांट" की अनुपूरक सुविधाओं के लिए।

(घ) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने "कोल हैंडलिंग प्लांट" के लिए अनुपूरक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य 18 फरवरी, 1984 को रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्री कार्पोरेशन (एक सरकारी उपक्रम) को सौंपा है।

मारूति कारों का बिना बारी के आवंटन

3984. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या **उद्योग मन्त्री** कम्पनी के वाणिज्यिक हित में मारूति कारों का बिना बारी के आवंटन के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सख्या 234 और 21 दिसम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 4788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छबि बनाना (इमेंज बिल्डिंग) और उत्पाद की साख बढ़ाना के अन्तर्गत किस प्रकार के और किन श्रेणियों के लोगों को रखा जायेगा ;

(ख) बाजार के हिस्से में वृद्धि करना (एनलार्जमेंट आफ मार्केट शेयर) का क्या अर्थ है जबकि उपभोक्ताओं की वर्तमान प्रतीक्षा सूची 1981 में समाप्त होगी और वर्तमान मांग 1987

तक के निर्धारित उत्पादन से अधिक है तथा इसके अन्तर्गत किन लोगों को रखा जायेगा;

(ग) "मोर एफीशिएंट मैनेजमेंट आफ इन्वायरमेंट एक्सटर्नल टू मारूति" का क्या अर्थ और इसके अन्तर्गत किन लोगों को रखा जाएगा ; और

(घ) निर्माता के 5 प्रतिशत कोटे में कम्पनी के वाणिज्यिक हित में आवंटन का कितना हिस्सा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ग) इस मानदंड के अधीन बिना बारी आवंटन के प्रत्येक अनुरोध पर निदेशक मंडल द्वारा मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जाता है;

(ख) कम्पनी की नीति, कम्पनी के उत्पादों को 1987 के बाद तक भी लगातार व्यापक बाजार का सुनिश्चय करने के लिए सभी प्रयत्न करने की है।

(घ) निर्माता के 5 प्रतिशत के कोटे में से कम्पनी के वाणिज्यिक हित में आवंटन करने के लिए कोई पूर्व-निर्धारित हिस्सा नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

3985. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री चित्त महाटा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण का कोई पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ उपक्रमों में घाटे की सूचना मिली है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रहे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) घाटे में चल रहे एककों के प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान हुए लाभ/हानि का विवरण प्रकाशित प्रलेखों में अर्थात् वर्ष 1981-82 और 1982-83 के सरकारी उद्योगों के सर्वेक्षण में उपलब्ध है, इन प्रलेखों को पहले ही लोकसभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पुराने संयंत्र और मशीनों का नियमित व योजना-बद्ध आधार पर नवीकरण करना और बदलना, बिजली की कमी को दूर करने के लिये डी०जी० जनित्रणु सेटों की अधिष्ठापना करना, उत्पादन के नवीनतम क्षेत्रों में विविधीकरण करना, सरकार द्वारा उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का यथासंभव सीमा तक पूरा करने के लिए धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था करना तथा उनके कच्चे माल व कोयला आदि निविष्टियों को पूरा करने में सहायता देना शामिल है। प्रक्रियाओं, प्रणालियां और योजना में सुधार करने तथा कार्य को शुरू करने के विशेष प्रयास किये गए हैं अथवा नियमित रूप से किये जा रहे हैं। उप-

क्रमों को अधिष्ठापित सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने, मिश्रित योजनाएं बनाने तथा उन पर वित्तीय नियंत्रण बढ़ाने के लिए समुचित विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए सलाह दी गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है, वहां उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

मारूति वाहनों का शहर-वार सप्लाई कार्यक्रम

3986. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **उद्योग मंत्री** मारूति कारों का उत्पादन, वितरण और उनकी सड़क पर चलने की क्षमता के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान मारूति कारों, वैनों तथा पिकअपों का शहर-वार सप्लाई कार्यक्रम क्या है तथा प्रत्येक श्रेणी-शहर में प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं जिन्हें मार्च, 1985 तक वाहन सप्लाई कर दिये जायेंगे;

(ख) 1984-85 के दौरान प्रत्येक डीलर को कम से कम कितने वाहन आवंटित किये जायेंगे जिससे उसे वित्तीय लाभ अथवा हानि न हो; और

(ग) बुकिंग की धारा 9 की शर्तों के अनुसार सप्लाई के लिए शहर में परिवर्तन के लिए कम्पनी को आज तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा फरवरी, 1984 के अन्त तक गोहाटी, भुवनेश्वर, भोपाल, श्रीनगर, लखनऊ तथा जयपुर में कितने लोग प्रतीक्षा सूची में थे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) डीलर की वित्तीय जीव्यता का सुनिश्चय करने के लिए वाहनों की न्यूनतम संख्या विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग होगी जो स्थानीय लागतों, निवेश स्तरों इत्यादि पर निर्भर करेगी। फिर भी, यह अनुमान है कि चरण-एक के शहरों को पूरे वर्ष में लगभग 800 वाहनों का आवंटन वित्तीय जीव्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा।

(ग) (1) 15-3-1984 तक डिलीवरी के लिए शहर परिवर्तन हेतु 1250 ग्राहकों ने अनुरोध किया है।

(2) इन शहरों में प्रतीक्षा सूचियों में व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है—

शहर	29-2-1984 तक ग्राहकों की संख्या
गोहाटी	972
भुवनेश्वर	1464
भोपाल	2301
श्रीनगर	1143
लखनऊ	2827
जयपुर	2747

विवरण

मार्च, 1985 तक चरण-1 के शहरों के सम्बन्ध में कारों तथा वैनों का शहरवार डिलीवरी कार्यक्रम :

क्रमांक	शहर	कारें	वैनें
1.	अहमदाबाद	500	55
2.	बंगलौर	600	110
3.	भोपाल	400	45
4.	भुवनेश्वर	400	35
5.	बम्बई	2500	475
6.	कलकत्ता	900	150
7.	चंडीगढ़	950	75
8.	दिल्ली	4000	550
9.	गौहाटी	400	26
10.	हैदराबाद	600	75
11.	जयपुर	450	40
12.	श्रीनगर	400	35
13.	लखनऊ	500	76
14.	मद्रास	600	110
15.	पटना	450	25
16.	त्रिवेन्द्रम	450	45
	उप-योग (1)	14100	1927
	निर्माता कोटा	900	84
	डीलक्स कारें	4000	
	योग (2)	19000	2011

1984-85 के दौरान पिक-अप ट्रकों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश में जल प्रदूषण में वृद्धि

3987. **श्री राम लाल राही :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है;

(ख) क्या प्रति वर्ष पेय जल में प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1974 से आज तक वर्ष-वार देश में कितने प्रतिशत जल प्रदूषित हुआ है;

(घ) क्या सरकार जल प्रदूषण में वृद्धि को रोकने के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) लगभग सभी प्रमुख नदियां मुख्य नगरों के अनुप्रवाह में अलग-अलग डिग्रियों में प्रदूषित हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रदूषित जल की प्रतिशतता का वार्षिक सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किया गया है ।

(घ) तथा (ङ) सरकार ने औद्योगिक तथा घरेलू बहिस्रावों के निस्सरण को नियमित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया है । जल प्रदूषित करने वाले 1700 बृहद तथा मध्यम उद्योगों में से 700 से अधिक उद्योगों ने पहले ही प्रदूषण उपशमन उपाय स्थापित कर लिए हैं । अन्य प्रदूषण वाले उद्योगों के लिए इन उपायों का कार्यान्वयन किया जा रहा है । स्थानीय निकायों को मलजल, एकत्रीकरण तथा उपचार सुविधायें स्थापित करने के लिए मनाया जा रहा है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आदिवासी विकास के लिए राज्यों को धनराशियों का आवंटन

3988. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अब तक वर्षवार तथा राज्यवार आदिवासी विकास के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1980 से अब तक वर्षवार तथा राज्यवार राज्यों द्वारा केन्द्र को लौटाई गई धनराशि, जिसका उपयोग नहीं किया जा सका, ब्यौरा क्या है; और

(ग) आदिवासी विकास के लिए निर्धारित धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1980-81 से 1983-84 तक आदिवासी उप योजना के अधीन विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई धनराशि का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) किसी राज्य ने अनुदान का कोई भाग केन्द्र को वापिस नहीं लौटाया है । किन्तु कुछ राज्यों ने खर्च न की गई शेष राशि की सूचना दी है और उनको उसी योजना अवधि में बाद के वर्षों के दौरान उन राशियों को प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई थी ।

(ग) राज्यों ने आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों का निरीक्षण करने के लिए आदिवासी आयुक्त नियुक्त किए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधियां सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए ही खर्च की जाए, पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देकर परियोजना अधिकारी/विशेष अधिकारी तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की है । गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों के लिए आदिवासी उप-योजना को अन्तिम रूप देते समय भिन्न-भिन्न राज्यों को आवंटित निधियों के उपयोग की समीक्षा की जाती है ।

विवरण

विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में आदिवासी उपयोजना के लिए वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान दी गई धनराशियां।

राज्य	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
				(रु० लाख में)
आंध्र प्रदेश	337.22	383.00	428-41	511.52
आसाम	319.01	367.00	411.00	477.33
बिहार	973.98	1212.28	1349.28	1566.89
गुजरात	568.64	718.26	798.26	908.26
हिमाचल प्रदेश	81.22	121.94	140.20	158.27
कर्नाटक	17.17	61.00	68.00	77.98
केरल	57.00	48.00	56.00	62.51
मध्य प्रदेश	1923.51	2412.83	2677.83	3104.95
महाराष्ट्र	544.16	578.67	646.00	758.75
मणिपुर	112.05	150.00	171.00	197.09
उड़ीसा	886.45	1166.42	1344.42	1495.89
राजस्थान	516.49	590.79	636.79	722.11
सिक्किम	10.00	22.00	25.00	29.18
तमिलनाडु	80.87	95.00	105.00	121.88
त्रिपुरा	130.58	142.00	159.00	181.92
उत्तर प्रदेश	19.07	14.81	17.81	24.39
पश्चिमी बंगाल	364.58	376.00	421.00	500.08
अं० तथा नि० द्वीप समूह	14.00*	16.53*	40.00*	95.00*
गोवा, दमन और दीव	12.81	4.00	5.00	6.00
जोड़	6968.81	8480.53	9500.00	11000.00

* संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राप्त की गई।

डोलोमाइट तथा चूनापत्थर की खानों में नियोजित ठेकेदार

3989. **श्री ए०के० राय** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्वामित्वाधीन होलोमाइट तथा चूना-पत्थर की खानों में नियोजित ठेकेदारों के नाम और खान-वार विवरण सहित तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा 1 जनवरी, 1984 को उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या सभी ठेकेदारों के पास वैध लाइसेंस हैं; यदि हां तो 1 जनवरी, 1984 को उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चूनापत्थर तथा डोलोमाइट की कुछ खानों में सहकारी श्रमिक समितियां भी कार्य कर रही हैं; यदि हां, तो उन सहकारी श्रमिक समितियों और खानों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या गैर-सरकारी ठेकेदारों के स्थान पर सहकारी श्रमिक समितियों को नियोजित करने की कोई नीति है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम बठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) पूर्ण उत्तर देने के लिए काफी आंकड़े एकत्र करने होंगे और जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मारूति वाहनों का बारी के बिना आवंटन

3990. **श्री बाबूराव परांजपे**: क्या **उद्योग मन्त्री** बारी के बिना मारूति वाहनों के आवंटन के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अनावश्यक व्यक्तिगत परेशानी से बचाने" के लिए मानदण्ड क्या है तथा "अनावश्यक व्यक्तिगत परेशानी" के अन्तर्गत किन श्रेणियों के व्यक्तियों को रखा जायेगा;

(ख) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों, जिन्हें प्रतिदिन लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले व्यक्तियों, महिला उद्यमियों, जिन्हें अपने व्यवसाय के सिलसिले में काफी यात्रा करनी पड़ती है, डाक्टरों आदि जैसे व्यवसायियों को इस वर्ग में रखने का इरादा है ; और

(ग) निर्माताओं के 5 प्रतिशत कोटे में इस वर्ग का कितना हिस्सा होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामाराव) : (क) और (ख) "अनावश्यक व्यक्तिगत परेशानी से बचाने" के लिए मानदंड शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने से हैं ।

(ग) निर्माताओं के 5 प्रतिशत कोटे में इस वर्ग का कोई पूर्व निर्धारित हिस्सा नहीं है ।

अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन में नियमों के उल्लंघन के संबंध में आदेश

3991. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई आदेश है कि यदि कोई अनुशासनिक प्राधिकारी निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है और मनमाने ढंग से सरकारी कर्मचारी को निलंबित करता है, तो उस अनुशासनिक प्राधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है और उस पर उन्हीं नियमों का नियम 14 लागू किया जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के नियम 14(3) में पहले से ही यह प्रावधान है कि अवचार के लांछन का सार और आरोप की सुस्पष्ट मदें और प्रत्येक आरोप के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण भी तैयार किए जाएं। निलंबन के कारणों को बताए जाने के संबंध में सरकार ने प्रशासनिक प्राधिकारियों के अनुपालन और मार्गदर्शन के लिए अनुदेश जारी किए हैं। इस प्रकार किसी सरकारी सेवक को मनमाने ढंग से निलंबित करने अथवा नियम 14 को मनमाने ढंग से लागू करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (सी० आर० पी० एफ०) और सीमा सुरक्षा बल (बी० एस० एफ०) के मारे गए कार्मिक

3992. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में वर्षवार और राज्यवार केन्द्र शासित प्रदेशवार केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के कितने कार्मिक मारे गए; और

(ख) वर्ष 1983-84 में 1 अप्रैल, 1983 से 31 जनवरी, 1984 तक महीनावार और राज्यवार कितने कार्मिक मारे गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के मारे गए कार्मिक की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्री रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल के सात कार्मिक मारे गये थे जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	राज्य का नाम	मारे गये कार्मिकों की संख्या	महीना
1.	असम	1 (के० रि० पु० ब०)	नवम्बर, 1983
		3 (के० रि० पु० ब०)	दिसम्बर, 1983
2.	मध्य प्रदेश	1 (सी० सु० ब०)	जून, 1983
3.	पश्चिम बंगाल	2 (सी० सु० ब०)	दिसम्बर, 1983

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	के० रि० पु० ब0 के मारे गए कार्मिकों की स०			सी० सु० ब० के मारे गए कार्मिकों की सं०		
		1981	1982	1983	1981	1982	1983
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आसाम	—	1	9	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	1	—	—	—	—	—
3.	बिहार	—	—	—	—	—	—
4.	गुजरात	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
8.	केरल	—	—	—	—	—	—
9.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	1
11.	महाराष्ट्र						
12.	मणिपुर	9	—	1	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	—	1	—	—	—	—
15.	उड़ीसा						
16.	पंजाब	—	1	—	1	—	—
17.	राजस्थान	—	—	—	2	—	—
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—
20.	त्रिपुरा	—	4	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—
22.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	2	—	2
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
25.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
26.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
27.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
28.	गोवा, दमन तथा दीव	—	—	—	—	—	—
29.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	2	7	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—

निदेशकों के स्वैच्छिक कोटे के अन्तर्गत मारूति कारों का आवंटन

3993. **श्री दया राम शाक्य :** क्या उद्योग मंत्री निदेशकों के स्वैच्छिक कोटे के अन्तर्गत मारूति कारों के आवंटन के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादकों के कोटे के अन्तर्गत वाहनों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने और बिना बारी के वाहनों का आवंटन करने के लिए मारूति उद्योग का "उद्योग में पहले से ही सुस्थापित प्रक्रियाओं में से " किस प्रक्रिया को अपनाने का विचार है;

(ख) कितने व्यक्तियों ने बिना बारी के आवंटन हेतु आवेदन किया है और क्या बिना बारी के आवंटन के लिए कोई प्रतीक्षा सूची है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिनांक 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं0 234 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को आज तक बिना बारी के आवंटन किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मारुति उद्योग लिमिटेड का वाहनों का बिना बारी के आवंटन करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का कोई विचार नहीं है। इस प्रकार के आवंटन के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा प्रत्येक मामले पर पूर्व-निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जायेगा ।

(ख) तथा (ग) मारूति उद्योग लिमिटेड तथा इसके ग्राहकों के बीच प्रत्येक लेन-देन के मामले का ब्यौरा बताना एक उपयुक्त वाणिज्यिक प्रथा नहीं होगी ।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

3994. **श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए एक समान मूल्यों के आधार पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय क्या है; और

(ख) उपर्यूक्त उल्लिखित प्रत्येक वर्ष में कृषि, निर्माण और व्यापार के तीसरे क्षेत्र से कुल राष्ट्रीय उत्पादन में रुपयों और प्रतिशतता (समान मूल्य) में कितना योगदान रहा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) वर्ष 1978-79 से 1982-83 के लिए स्थिरभावों (1970-71) के आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के योगदान के अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1978-79 से 1982-83 के लिए स्थिर भावों (1970-71) के आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के योगदान के अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण

1	2	3	4	5	6	7
		1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1. साधन आय के आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये)		46398	43830	47312	49639	50486
2. प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)		714.9	660.1	696.8	715.3	712.1

1	2	3	4	5	6	7
3.	निम्नलिखित से साधन आय के आधार पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में योगदान					
	(एक) कृषि					
	करोड़ रुपये	19493	16778	18977	19577	18743
	प्रतिशत	42.0	38.3	40.2	39.4	37.1
	(दो) विनिर्माणकारी कार्य					
	करोड़ रुपये	7107	6974	7057	7402	7580
	प्रतिशत	15.3	15.9	14.9	14.9	15.0
	(तीन) व्यापार, होटल एवं जलपान गृह					
	करोड़ रुपये	5773	5574	5859	6296	6371
	प्रतिशत	12.4	12.8	12.4	12.7	12.6
	(तीन) सहित (चार) तृतीयक क्षेत्र					
	करोड़ रुपये	15820	16182	17202	18441	19761
	प्रतिशत	34.0	37.0	36.4	37.1	39.1

नोट : वर्ष 1982-83 के आंकड़ों का सम्बन्ध शीघ्र अनुमानों से है और अन्य वर्षों के लिए अन्तिम है ।

रत्नगिरि महाराष्ट्र, में अल्युमीनियम संयंत्र की स्थापना

3995. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरि, महाराष्ट्र में अल्युमिनियम संयंत्र की परियोजना का विचार त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में याचिका कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि परियोजना के विचार का त्याग नहीं किया गया है, तो परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) रत्नगिरि में माध्यम दर्जे के संयंत्र की स्थापना के बारे में याचिका समिति (7वीं लोकसभा) की 10वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बालको) के परामर्श से व्यापक विचार किया गया। यह पाया गया कि वर्तमान आर्थिक स्थितियों में न्यूनतम उपादेय संयंत्र आकार 3-4 लाख टन वार्षिक एल्युमिना उत्पादन क्षमता का उचित रहेगा। रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना के सम्बन्ध में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पहले आकलित भंडार समुचित अवधि के लिए उपर्युक्त आकार के एल्यूमिना संयंत्र की जरूरत पर्याप्त अवधि तक पूरी नहीं कर पाएंगे। अतिरिक्त भंडारों की मौजूदगी का पता लगाने के लिये सरकार ने खनिज गवेषण निगम की इस क्षेत्र में व्यापक खोज कार्य के लिए तैनात किया है। यदि पर्याप्त अतिरिक्त भंडारों की पुष्टि हो जाती है तो माध्यम आकार के एल्युमिना संयंत्र और समान क्षमता के प्रद्रावक की स्थापना की आर्थिक उपादेयता पर विभिन्न संगत पैरामीटरों जैसे विद्युत और मांग आदि की उपलब्धि को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा।

मुजफ्फरपुर में कारीगरों को मशीनों की सप्लाई

3996. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1983 में निगम द्वारा मुजफ्फरपुर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किश्त पर भुगतान करने के आधार पर मशीनों की सप्लाई करने के लिए कारीगरों तथा लघु उद्यमियों से 121 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) क्या निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रक्रिया के बारे में उद्यमियों को सूचित किया गया था तथा उद्यमियों द्वारा तदनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे;

(ग) क्या आवेदन पत्रों को उसी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था जिस तरीके से अप्रैल, 1982 में चलाए गए अभियान के दौरान निगम के अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में मुजफ्फरपुर के उद्यमियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो आवेदकों में से किसी को भी अभी तक मशीन सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं तथा किस तिथि तक उनको मशीनों की सप्लाई कर दी जाएगी;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। किन्तु सभी आवेदकों ने तदनुसार आवेदन नहीं किया।

(ग) अप्रैल, 1982 और फरवरी, 1983 में आयोजित दोनों ही अभियानों में प्राप्त आवेदन लगभग एक ही प्रकार से किए गये थे।

(घ) आवेदनों पर कार्यवाही करने में इसलिए विलम्ब होता है क्योंकि आवेदक कम रुचि लेते हैं। अनेक मामलों में धरोहर राशि जमा की जानी शेष रहती है। कुछ आवेदकों को भेजे गए पत्र डाक विभाग की इस टिप्पणी के साथ वापिस आ गए हैं कि "पता नहीं चला"। विलम्ब का अन्य कारण यह है कि आवेदक उन आपूर्तिकारों से मशीनों का चयन करते हैं जो न तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की अनुमोदित सूची में हैं और न ही अनुमोदित आपूर्तिकारों के एकमात्र बिक्री एजेंट हैं।

यदि उद्यमी पूरे अपेक्षित ब्यौरे/प्रलेख भेज दें, आवश्यक धरोहर राशि का भुगतान कर दें और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अनुमोदित विनिर्माताओं में से मशीनों का चयन करें तो 4 से 6 माम की अवधि में उन्हें मशीनें प्राप्त कराई जा सकती हैं।

बड़े और छोटे रुग्ण एकक

3997. **श्री ईरा मोहन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 439 बड़े एककों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें 30 जून, 1983 को रुग्ण एकक बताया गया है तथा इन एककों के नाम क्या हैं;

(ख) उन 26973 छोटे एककों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 30 जून, 1983 को रुग्ण बताया गया है; और

(ग) उन एककों को चालू हालत में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) रुग्ण एककों से संबंधी 30 जून, 1983 तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किये गये बड़े रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी 30 जून, 1983 तक के नवीनतम राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) 31 दिसम्बर, 1982 के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में प्रस्तुत किये गये नवीनतम राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्ग दर्शन हेतु नीति संबंधी कुछ अभ्युपात्रों की घोषणा की है। मार्गदर्शक सिद्धांतों की प्रमुख बातों को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4974 के उत्तर में 24 मार्च, 1982 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

विवरण

बड़े रुग्ण एकक (जून, 1982 के अन्त तक) राज्य/ संघशासित क्षेत्र	बड़े रुग्ण एकक (जून, 1982 के अन्त तक) एककों की संख्या	लघु रुग्ण एकक (दिसम्बर, 1982 के अंत तक) एककों की संख्या
पश्चिम बंगाल	111	11,201
महाराष्ट्र	88	5,910
उत्तर प्रदेश	53	6,771
गुजरात	42	2,564
तमिलनाडु	35	8,111
कर्नाटक	20	4,094
आँध्र प्रदेश	13	4,595
मध्य प्रदेश	16	1,197
केरल	17	1,236

1	2	3
बिहार	13	2,504
हरियाणा	6	1,107
राजस्थान	6	689
गोवा	4	133
उड़ीसा	3	1,438
पंजाब	3	1,085
असम	2	2,565
दिल्ली	1	1,326
पांडिचेरी	2	489
हिमाचल प्रदेश	—	193
जम्मू और कश्मीर	—	449
चंडीगढ़	—	77
मणिपुर	—	385
मेघालय	—	176
नागालैण्ड	—	51
त्रिपुरा	—	177
दादरा और नगर हवेली	—	2
अण्डमान और निकोबार	—	22
मिजोरम	—	2
	435	58,549

अवैध रूप से शिकार करने की रोकथाम करने सम्बन्धी रिपोर्ट

3998. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन्य जीव संरक्षण की एक प्रमुख समस्या अवैध रूप से शिकार करना है;

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में अवैध रूप से शिकार करने की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) वन्य-प्राणियों का अनाधिकृत शिकार एक गम्भीर समस्या है जो सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए, उठाये गए अथवा प्रारम्भ किए गये प्रमुख उपाय, संलग्न विवरण में उल्लिखित किए गये हैं।

विवरण

1. वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अब सम्पूर्ण देश

में लागू है। 10 जनवरी, 1979 से, जम्मू एवं कश्मीर में, वैसा ही एक कानून अपना लिया गया है। इससे कानूनी ढांचे की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत वन्य जीवन से सम्बन्धित अपराधों को निपटाया जाता है।

2. राज्य सरकारों, जो वन्य जीवन रिजर्वों के वास्तविक प्रबन्ध से सम्बन्धित है जिसमें सुरक्षात्मक उपाय सम्मिलित हैं को, समय-समय पर सलाह दी गई है कि इस मसले पर विशेष ध्यान दें। वन्य-जीवन अधिनियम को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता के साथ-साथ, इस उद्देश्य के लिए, वन्य-जीवन स्कन्धों, एककों को सुदृढ़ करने के लिए बार-बार कहा गया है।

3. 90,000 वर्ग किलोमीटर, को सन्निहित करते हुए 47 राष्ट्रीय उद्यानों तथा 210 अभ्यारण्यों के एक तंत्र की सारे देश में स्थापना की गई है जिसमें वन्य-जीवन तथा उनके प्राकृतिक वासों की विशेष सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

4. प्रधान मत्री की अध्यक्षता में, अक्तूबर, 1983 में, वन्य जीवन हेतु भारतीय बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के बाद, वन्य जीवन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीवन कार्यकारी योजना को हाल ही में स्वीकार कर दिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यकारी योजना में अनधिकृत शिकार को नियन्त्रित करने के लिए उपायों पर विशेष सिफारिशें निहित हैं जो प्रभावी अनाधिकार शिकार निरोधी/कानून के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही की मांग करती है जो बहुविध उपयोग के क्षेत्रों में विशेषतया उठाए जाने हैं, तथा इस उद्देश्य के लिए सम्पकरूपेण सज्जित तथा प्रशिक्षित निषेधित-शिकार विरोधी दल की स्थापना की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग की 7वीं योजना के प्रस्तावों में इस पहलू को शामिल कर लिया गया है।

5. 5वीं योजना के दौरान 664 लाख रुपयों की तुलना में छठी योजना में वन्य जीवन संरक्षण पर केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए वित्तीय परिव्यय 1,244.00 लाख रुपए है। अनाधिकार शिकार के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने के लिए, राज्यों में राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के विकास में सहायता प्रदान करने वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें इन वन्य जीव रिजर्वों में क्षमताओं की स्थापना तथा पुष्टीकरण पर बल देती है। इनमें संचार की बेतार-प्रणाली की स्थापना, शस्त्रों का, उपकरणों तथा वाहनों का क्रम, निरीक्षण चौकियों, तथा उड़न-दस्ते इत्यादि की स्थापना शामिल है। विशेषकर, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में इन कदमों से अनाधिकृत शिकार पर नियन्त्रण में बड़ी सहायता मिली है।

6. गैर-कानूनी व्यापार तथा वाणिज्य पर अधिक नियन्त्रण लगाने को दृष्टिगत रखते हुए वन्य जीवों तथा उनके व्युत्पादितों पर निर्यात नीति को और कठोर बना दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यवसाय में लगे व्यक्तियों से प्रेरक को दूर कर दिया गया है।

7. कई राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अवैतनिक वन्य-जीव वार्डनों की नियुक्ति की गई है, जिसके अन्तर्गत, संरक्षण लागू करने के कार्य में राज्य वन्य-जीवन संस्थाओं को मदद देने हेतु, जन-सहयोग को सूची में शामिल किया गया है।

8. वन्य-जीव संरक्षण के लिए जन-जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही साथ जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड (आई० बी० डब्ल्यु० एल०) द्वारा गठित एक

कृतिक-बल द्वारा, विशेष उपाय करने की सिफारिश की गई है जिन पर सम्बन्धित विभागों तथा अभिकरणों के सहयोग से आगे कार्यवाही की जा रही है ।

उद्योगों में पूंजीगत राजसहायता

3999. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को उद्योगों को पूंजीगत राजसहायता देने के मार्गनिदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 1984-85 वित्तीय वर्ष में उद्योगों को पूंजीगत राजसहायता की अदायगी हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य सरकारों के लिए राशि का कोई निर्धारण नही किया गया है, राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त दावों के आधार पर उन्हें केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना के समस्त बजट आवंटन की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ।

केन्द्रीय भंडारों का लूटा जाना

4000. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डारों की कितनी शाखाओं को लूटा गया है;

(ख) इनमें लूटी गई धनराशि और माल सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने मामलों को हल कर लिया गया और कितने मामले लम्बित पड़े हैं और वे किस स्तर पर लम्बित पड़े हैं; और

(घ) क्या लूटी गई धनराशि और माल बीमाकृत था और यदि हां, तो क्या बीमा कम्पनी ने इस घाटे की पूर्ति कर दी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 1 मार्च, 1984 तक, केन्द्रीय भंडार की चार शाखाओं में सेंधमारी/लूट के निम्नलिखित मामले हुए हैं :—

(1) **लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज शाखा :**

सेंधमारी 23 नवम्बर, 1981 को हुई, जब माल और 4897.85 रुपए की धनराशि चुराई गई ।

(2) **लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज शाखा :**

25 मार्च, 1983 को फिर सेंधमारी हुई, जब 1580.55 रुपए का माल चुराया गया ।

(3) **आर० के० पुरम, सेक्टर-9 :**

सेंधमारी 3 जनवरी, 1983 को हुई, जब नकदी और 5840.59 रुपए का सामान चुराया गया ।

(4) **पुष्प विहार :**

सेंधमारी 6 दिसम्बर, 1983 की रात को हुई जब 3639.00 रुपए का सामान चुराया गया ।

(5) **प्रगति विहार :**

लूट 1 मार्च, 1984 को की गई, जब तीन सशस्त्र व्यक्तियों ने स्टोर-इंचार्ज से 7085/- रुपए लूटे ।

(ग) कोई नहीं । चार मामलों को लापता मामलों के रूप में फाइल कर दिया गया है और पांचवे मामले में जांच पड़ताल चल रही है ।

(घ) पूरे माल तथा धन का, जिसमें लेन-देन की राशि भी शामिल होती है, व्यापक बीमा किया जाता है । बीमा कम्पनी ने प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में (I) और (III) में उल्लिखित मामलों में हुई क्षति को पूरा कर दिया है । बाकी मामलों में दावों को अभी निपटाया जाना है ।

मारुति कारों के काले बाजार में बिक्री मूल्य

4001. **श्री सी० चिन्ना स्वामी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारूति कार बाजार में 1,25,000 रुपये की बिक रही है जबकि इसका मूल्य 52,000 रुपये है;

(ख) क्या इसके काला बाजार के विरुद्ध सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर मारूति कार आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) यद्यपि इस प्रकार के लेन देन की सम्भावनाओं मे इंकार नहीं किया जा सकता है लेकिन कोई विशिष्ट मामले सरकार की जानकारी में नहीं आये हैं ।

(ख) तथा (ग) मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए मारूति उद्योग लि० त्वरित गति से उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है ।

(घ) कारों की बिक्री और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है और इस प्रकार संसद सदस्य समेत प्राथमिकता प्राप्त किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को आवंटन करने के लिए कोई कोटा नहीं है ।

मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना

4002. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस राज्य में ऐसे कुल कितने एकक चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग मध्य प्रदेश में लघु एककों की स्थापना करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में जिले-वार ऐसे कौन-कौन से एककों की स्थापना की जाएगी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने मध्य प्रदेश में अपने सामान्य कार्यकलापों के अतिरिक्त समेकित ग्रामीण बिकास कार्यक्रम भी चलाने के लिए 28 ब्लाकों का चयन किया है ।

(ख) मध्य प्रदेश में खादी आयोग की गतिविधि में 24 पंजीकृत संस्थान तथा 477 सहकारी समितियां कार्यरत हैं । आयोग इन एककों को स्वयं नहीं चलाता किन्तु इन्हें प्रत्यक्ष रूप में अथवा राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से वित्तीय सहायता देता है ।

(ग) तथा (घ) मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्य-व्यापार पहले से ही चल रहे हैं और आयोग अपनी गतिविधियों में भाग लेने वाले एककों की सहायता प्रत्यक्षत: अथवा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से करता रहा है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक के लिए मध्य प्रदेश हेतु आयोग द्वारा निर्धारित किए गए उत्पादन और रोजगार के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं—

	उत्पादन (करोड़ रुपयों में)	बेरोजगार (लाख व्यक्ति)
1. खादी	3.15	0.16
2. ग्रामोद्योग	13.10	0.68
योग :	16.25	0.84

तृतीय श्रेणी के चयन पद के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय को रद्द करने सम्बन्धी कार्यविधि

4003. **श्री अनवार अहमद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वयं नियुक्ति अधिकारी की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय को रद्द करने के सम्बन्ध में क्या कार्यविधि है, जबकि अधिक्रमित अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार करते समय, नियुक्ति अधिकारी से भी वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत हो जाये कि विभागीय पदोन्नति समिति ने गलत निर्णय दिया है और उसमें कुछ तकनीकी त्रुटियां भी हैं; और

(ख) तृतीय श्रेणी के चयन पद के मामले में पहले ही क्रियान्वित हो चुके विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय को रद्द करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसे आदेश नहीं जारी किए गए हैं जिनमें इस प्रकार के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई हो । ऐसे प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोषों के आधार पर जांच करने की आवश्यकता होगी और यह आशा की जाती है कि नियुक्ति प्राधिकारी

से उच्चतर प्राधिकारी, जिसे अभ्यावेदन किया गया है, विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्षों पर पुनर्विचार करने की सलाह देते हुए समुचित आदेश पारित करेगा, बशर्ते कि उक्त उच्च प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। यदि विभागीय पदोन्नति समिति इस बार भी अपनी पहली सिफारिश को ही दुहराती है और अपनी सिफारिश के समर्थन में कारण भी प्रस्तुत करती है तो उक्त सिफारिश को स्वीकार करना अगले उच्च प्राधिकारी पर निर्भर करेगा, बशर्ते कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिए गए कारण विश्वास करने योग्य हों। फिर भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी से अगला उच्च प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश स्वीकार न करे तो वह अपनी सिफारिश के साथ कागजात अगले उच्चतर प्राधिकारी की प्रस्तुत कर सकेगा। सामान्यतः ऐसे मामलों में अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि इस विषय से सम्बन्धित मौजूदा नियमों के अनुसार पुनरीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक केवल उन्हीं मामलों में की जा सकेगी जहां महत्वपूर्ण तथ्य विभागीय पदोन्नति समिति की जानकारी में न लाए गए हों या यहां गलत प्रक्रिया अपनाई गई हो। इस प्रकार के मामलों में भी पुनरीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति पहले वाली विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगी।

आटो-मोबाइल फिल्टर बनाने वाले लघु क्षेत्र के उद्योग में संकट की स्थिति

4004. **श्री रशीद मसूद** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान आयात नीति, उत्पादन-शुल्क से अल्प छूट सीमा तथा इम्प्रेगनेटिड फिल्टर पर अतिरिक्त आयात-शुल्क के कारण देश में लघु क्षेत्र के आटोमोबाइल फिल्टर निर्माताओं को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्पादन लागत अत्यधिक होने के कारण वे अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर नहीं बेच सकते; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा लघु क्षेत्र के आटोमोबाइल निर्माताओं के मामले में भेद-भावपूर्ण आयात नीति अपनाए जाने के क्या कारण हैं और इस विषमता को समाप्त करने के लिए, जो इसके विकास में बाधक है, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राय) : (क) तथा (ख) : इम्प्रेगनेटिड फिल्टर पेपर पर आयात शुल्क में कमी और वर्गीकरण में परिवर्तन के बारे में आल इण्डिया फिल्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए० आई० एफ० एम० ए०) से उद्योग मन्त्रालय को 1980 और 1982 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। किन्तु लागत विश्लेषण आदि के रूप में अपने तर्क के समर्थन में कोई भी आंकड़े प्रस्तुत करने में ए० आई० एफ० एम०ए० ने अपनी असमर्थता प्रकट की है।

गृह मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों/सहायकों/उच्च श्रेणी लिपिकों के रिक्त पदों का भरा जाना

4005. **श्री राजगोपाल राव बोड्डेपल्ली** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-फरवरी, 1984 के दौरान गृह मन्त्रालय में 12 से अधिक अनुभाग अधिकारी/सहायक सेवानिवृत्त हो गये हैं;

(ख) मार्च से जून 1984 के दौरान कितने अनुभाग अधिकारी-सहायक सेवानिवृत्त होने वाले हैं;

(ग) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग के दिनांक 23 जून, 1982 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/3/82-ई एस० टी० टी० (डी) में उल्लिखित अनुदेशों के सन्दर्भ में इन ग्रेडों और उच्च श्रेणी लिपिकों के ग्रेडों में रिक्त पदों को पात्र अधिकारियों को यथा समय पदोन्नत करके, भरा गया है;

(घ) अनुभाग अधिकारियों/सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के ग्रेडों में अभी तक कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग के दिनांक 23 जून, 1982 के कार्यालय ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए, इन पदों के यथा समय न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) : आठ अनुभाग अधिकारी और 2 सहायक जनवरी-फरवरी 1984 में सेवानिवृत्त हुए। 3 अनुभाग अधिकारी और 1 सहायक को मार्च से जून, 1984 की अवधि में सेवानिवृत्त होना है।

2. अनुभाग अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न 7 रिक्तियों को भरा जा चुका है। 1-3-1984 को हुई शेष एक रिक्ति इस प्रयोजन के लिए नामित चयन सूची के अनुभाग अधिकारी कार्यभार संभालते ही भर दी जायेगी। दो सहायकों के सेवानिवृत्त होने के कारण उत्पन्न दोनों रिक्तियों को भर दिया गया है। इस अवधि के दौरान केवल एक उच्च श्रेणी लिपिक सेवानिवृत हुआ और उसकी रिक्ति भी भर दी गई है। अनुभाग अधिकारियों सहायकों, और उच्च श्रेणी लिपिकों की सेवानिवृत्त से उत्पन्न कोई रिक्त स्थान खाली नहीं हैं।

3. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 23 जून, 1982 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/3/82-स्थापना (घ) में निहित निदेश, विभागीय पदोन्नति समिति की वार्षिक बैठक बुलाने से सम्बन्धित है और उनका पालन किया जा रहा है।

नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना

4006. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में नैमित्तिक मजदूरों को कुछ दिनों तक काम करने के बाद स्वयंमेव नियमित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मन्त्रालय में गत एक वर्ष में कितने नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया गया है;

(घ) ऐसे कितने नैमित्तिक मजदूर हैं, जो गत दो वर्षों से कार्य कर रहे हैं और अभी तक नियमित नहीं किए गए हैं तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

रांची में पुलिस कर्मियों द्वारा आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार

4007. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी के अन्तिम सप्ताह में रांची में पुलिस कर्मियों द्वारा दो आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय महिलाओं द्वारा आन्दोलन और धरने सहित व्यापक जन विरोध किया गया;

(ख) यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों को पता लगाने और उन्हें सजा देने के लिए क्या कदम उठाये गये थे; और

(ग) क्या पुलिस ने फिर 31 जनवरी को रांची हजारीबाग रोड़ पर थारपखुआ में एक घायल किशोर लड़के को गोली से मार डाला था ?

गृह मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लिखाई गई एक रिपोर्ट के अनुसार तीन लड़कियों (उनमें से दो आदिवासी थी) के साथ 21-1-1984 को रांची में दो कांस्टेबलों द्वारा कथित बलात्कार किया गया था । आदिवासी लड़कियों में से एलिजाबेथ एक्का नामक एक लड़की ने अपने आपको आग लगाकर आत्म हत्या करली । इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन के सामने प्रदर्शन किए । 4 संदिग्ध पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध भा० दं० सं० की धारा 376/34 के अधीन एक मामला चलाया गया है । सभी 4 अभियुक्त पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है । जांच-पड़ताल की जा रही है । मृतक एलिजाबेथ एक्का की शव परीक्षा और अन्य दो पीड़ितों की डाक्टरी जांच से बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला । मामले के इतिहास के अनुसार, जो उपचारक सर्जन द्वारा दर्ज किया गया था, मृतक ने अपनी मां और परिवार के सदस्यों के साथ झगड़े के बाद अपने आपको आग लगा ली । पीड़ितों को वित्तीय सहायतता दी जा रही है ।

(ग) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 31 जनवरी, 1984 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई । परन्तु 30 जनवरी 1984 को समाज विरोधी तत्वों द्वारा बम्ब फैंकने की एक घटना दो हवलदारों ने आत्म रक्षा में गोली चलाई और उसके परिणाम स्वरूप एक छात्र को अग्नेस्त्रों से चोटें आयीं । चोटों के कारण 31-1-1984 को उसकी मृत्यु हो गई । अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घटना की जांच से प्रकट हुआ कि हवलदारों ने केवल आत्म रक्षा में गोली चलाई थी । मृतक के निकट सम्बन्धी को 10,000 रुपए की रकम स्वीकृत की गई है ।

कलकत्ता में कांग्रेस-आई-अधिवेशन के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मंडप

4008. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (आई) के 77 वें अधिवेशन के सम्बन्ध में आयोजित प्रदर्शनी "भारत की प्रगति" में अपने मंडप लगाए थे और प्रत्येक ने उक्त प्रदर्शनी के आयोजकों को कितनी धनराशि दी थी; और

(ख) उक्त अदायगी का तरीका क्या था;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) : उद्योग मन्त्रालय के अधीन उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम जिन्होंने "इण्डिया आन मार्च" नामक प्रदर्शनी में भाग लिया था, तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा किए गए भुगतान की राशि और भुगतान की किस्म बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम. संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	भुगतान की गई राशि	भुगतान की किस्म
1.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	3,600/- रु. कंपनी का अपना कोई मण्डप नहीं था किन्तु उसने प्रदर्शनी में एक छोटा सा स्टाल लिया था	पाने वाले खाते में चेक द्वारा
2.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	4,273,66/- रु. कंपनी का कोई मंडप नहीं था, किन्तु उन्होंने नेशनल रिचर्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० के मण्डप में ही कुछ स्थान लेकर हिस्सा बटाया था ।	धनराशि का भुगतान नेशनल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० को पाने वाले के खाते में चेक द्वारा किया गया था ।
3.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	18,000/- कम्पनी का प्रदर्शनी में एक मण्डप था	पाने वाले के खाते में चेक द्वारा
4.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	6,000/- रु०कम्पनी का प्रदर्शनी में एक मण्डप था ।	चेक द्वारा
5.	भारत प्रोसेस एण्ड मैके-नीकल इन्जीनियर्स लि०	9,375/- रु. (भूमि के किराए हिसाब में)	चेक द्वारा
6.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	6,000/- (स्टाल के किराए के हिसाब में)	चेक द्वारा
7.	बर्न स्टैंडर्ड कं० लि०	9,375/- रु० (जमीन के किराये के हिसाब में) 1,030 (बिजली की खपत का बिल) 10,405/- रु० (जगह का किराया)	चेक द्वारा चेक द्वारा
8.	ब्रेथवेट्स एण्ड कं०लि०	8,000/- रु० (जगह का किराया)	चेक द्वारा
9.	जेसेप एण्ड कं० लि०	7,500/- रु० (जगह का किराया)	चेक द्वारा
10.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	9,000/- रु०	चेक द्वारा
11.	लगन जूट मशीनरी लि०	4,500/- रु०	चेक द्वारा

देश में अनुसूचित जातियों के लोगों को दी गई वित्तीय सहायता

4009. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1970, 1975, 1980 और 1983 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा राज्यवार अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि वसूल कर ली गई और कितनी बकाया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) गृह मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सीधी वित्तीय सहायता दी जाती हो ।

विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर प्रतिबंध

4011. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पार्टियों द्वारा विदेशी धन लेने पर नियंत्रण लगाने के प्रस्तावित प्रस्ताव से स्वैच्छिक समाज कार्य में कार्यरत 4000 से अधिक संस्थाएं प्रभावित होंगी;

(ख) क्या सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 को संशोधित करने का फैसला किया है;

(ग) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन पर विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा; और

(घ) भारत में विदेशी धन के आगमन को रोकने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बरया) : (क) तथा (ख) यद्यपि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 को संशोधित करने का प्रस्ताव है तथापि समय पूर्व इन स्वयं सेवी संगठनों पर संशोधन के प्रभावों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) सामान्य बैंक माध्यमों आदि के अतिरिक्त विदेशी निधियों के आगमन को रोकने के लिए पहले ही स्थाई अनुदेश हैं ।

पठानकोट, अमृतसर आदि सीमावर्ती स्थानों पर कांटेदार तार लगाना

4012. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के अलावा, बाडमेर, जैसलमेर, गंगानगर, अमृतसर, पठानकोट और काश्मीर जैसे अन्य सीमावर्ती स्थानों, जहां से घुसपैठ हो रही है पर भी कांटेदार तार लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वह कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार इन क्षेत्रों में इस प्रकार की किसी योजना पर विचार करना आवश्यक नह समझती ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए जर्मनी के साथ बातचीत

4013. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान मंत्रालय के राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु अपेक्षित उपकरणों की खरीद के लिए जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के साथ कोई बातचीत शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो जर्मन संघीय गणराज्य से खरीदे जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा क्या है तथा यह आयात कितने मूल्य का होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रुप "ए" और "बी" के पदों के अंतर्गत अधिकारियों की सूची का मंत्रालयों को परिचालन

4014. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रुप "ए" और "बी" पदों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों की सूची भारत सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों को परिचालित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सूची की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :(क) जी हां । सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गए सेवा-विवरण सारणीबद्ध कर परिचालित किए गए है; ताकि सभी संबंधितों को इनकी जानकारी हो जाए और इनमें कोई अशुद्धि न रहने पाये ।

(ख) ऐसी सूचियां सामान्यतः सभा के पटल पर रखनी अपेक्षित नहीं हैं ।

मध्य प्रदेश में विदिशा में सोयाबीन पर आधारित उद्योगों की स्थापना

4015. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सोयाबीन पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ आशय-पत्र जारी किये;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) मैसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सोयाबीन पर आधारित उत्पादों के निर्माण के लिए आशय-पत्र स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण की वस्तुओं का ब्यौरा और वार्षिक क्षमता नीचे दी गई है:—

1 ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड

निर्माण की वस्तु	वार्षिक क्षमता
1. सोया खाद्य पदार्थ	36,000 मी० टन
2. सोया आटा	25,000 मी० टन
3. प्रोटीन कन्सेंट्रेट	10,000 मी० ठन
4. टैक्सचर्ड सोया प्रोटीन	4,000 मी० टन
5. सोया प्रोटीन मिश्रण	1,000 मी० टन
डपोत्पाद	
6. लेसिथिन (खाद्य ग्रेड और वाणिज्यिक ग्रेड)	2,000 मी० टन
7. विटराइज्ड और डियोडो राइन्ड रिफाइन्ड सोयाबीन का तेल	11,000 मी० टन

2. मैसर्स मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

विनिर्माण की वस्तु	वार्षिक क्षमता
सोया मक्खन	
सोया ब्रेड स्प्रेड	30,000 मी० टन
सोया गारगरीन	

मैसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड ने उपर्युक्त आशय-पत्रों में कुछ संशोधन करने के लिए इस मंत्रालय से प्रस्ताव किया था और सरकार द्वारा 25 जनवरी, 1984 को ये संशोधन स्वीकृत कर लिए गए थे। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित उपर्युक्त संशोधन निर्णय के लिए विचाराधीन थे उसी बीच कम्पनी ने उक्त आशय-पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाने के लिए सरकार की स्वीकृति मांगी जो 30 जून, 1984 तक बढ़ा दी गई थी। कम्पनी को आशय-पत्र की वैधता की बढ़ी हुई अवधि समाप्त होने से पहले ही इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ करनी होगी,

मैसर्स मध्य प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड को स्वीकृत किये गए आशय-पत्र की वैधता अवधि 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हो चुकी है और आशय-पत्र की वैधता को बढ़ाने के लिए इस पार्टी से कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु उद्योग शुरू करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति

4016. **श्री ए० के० बालन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने किन्हीं राज्य सरकारों के वहां के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लाभ के लिए नए उद्योग शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं और उनकी प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एल्यूमीनियम परियोजना की स्थापना

4017. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में सरकारी क्षेत्र में एक एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना का विचार त्यागने का अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एल्यूमिनियम परियोजना के लिए किसानों से खरीदी भूमि को बेचना प्रारम्भ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जबकि सरकार ने किसानों से भूमि 50 रुपए प्रति गुंठा के मूल्य पर खरीदी थी अब वही भूमि 1200 रुपए प्रति गुंठा के मूल्य पर बेची जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार लाभ अर्जित न करके अपनी भूमि किसानों को उसी मूल्य पर बेचेंगी जिस पर वह उनसे खरीदी गई थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) रत्नागिरि परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम० आई० डी० सी०) की मार्फत वर्ष 1971 से 1975 के दौरान भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बाल्को) को 1006 एकड़ भूमि दी थी। बाल्को ने उक्त निगम के पास 20 लाख रु० की मुआवजा राशि जमा करवा दी। भूमि अधिग्रहण की अन्तिम दर बाल्को को बता दी गई है। एम० आई० डी० सी० के अनुरोध पर बाल्को ने सरकार के अनुमोदन से, टाऊनशिप के लिए आवंटित भूमि में से 200 एकड़ भूमि एम० आई० डी० सी० को वापस दे दी है। एम० आई० डी० सी० को लौटायी भूमि के लिए भुगतान नहीं किया गया है। कोई और भूखण्ड छोड़ा या बेचा नहीं गया है। इसे देखते हुए, लाभ कमाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन

4018. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष (1983-84) मुख्य इस्पात संयंत्रों में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 16.5 प्रतिशत कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो दोनों वर्षों के तुलनात्मक उत्पादन आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उत्पादन कम होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) अप्रैल 1983 से फरवरी 1984 तक की अवधि में देश के छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 56.53 लाख टन हुआ जबकि अप्रैल 1982 से फरवरी 1983 की अवधि में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 65.37 लाख टन हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष विक्रेय इस्पात का उत्पादन 13.5 प्रतिशत कम हुआ है।

(ख) पिछले दो वर्षों और अप्रैल 1983 से फरवरी 1984 तक की अवधि में विक्रेय इस्पात के उत्पादन संबंधी तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं—

(हजार टन)

अवधि	बिक्रेय इस्पात "सेल"	उत्पादन टिस्को	कुल
1981-82	5652	1605	7257
1982-83	5671	1620	7291
अप्रैल, 83-फरवरी-84	4200	1453	5653

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के तिमाही उत्पादन और उनके द्वारा देश में उत्पादित लोहे और इस्पात की बिक्री संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

(हजार टन)

	1982-83				1983-84			
	उत्पादन	देशीय उत्पादन की बिक्री	तिमाही के अन्त में स्टाक कच्चा लोहा	इस्पात	उत्पादन	देशीय उत्पादन की बिक्री	तिमाही के अन्त में स्टाक कच्चा लोहा	इस्पात
पहली तिमाही अप्रैल-जून	1505.9	1454.2	41.8	1093.4	1222.9	1387.0	46.3	1257.7
दूसरी तिमाही जुलाई-सितम्बर	1589.2	1409.8	38.1	1113.2	1330.7	1398.4	32.7	1167.8
तीसरी तिमाही अक्तूबर-दिसम्बर	1818.8	1564.6	48.4	1316.1	1666.6	1680.5	116.0	1003.5
चौथी तिमाही जनवरी-फरवरी	1163.0	993.5	49.5	1465.6	1213.7	1286.0	204.0	980.7

(ग) बाजार की मांग में कमी, "सेल" के कारखानों को बिजली की सप्लाई पर कड़े प्रतिबन्ध और देशीय कोककर कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि और देशीय कोककर कोयले की क्वालिटी ठीक न होने जैसे कारणों से देशीय उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इस्पात की कीमत

4019. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 और जनवरी, 1980 में इस्पात की कीमतें क्या थीं तथा गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में प्रत्येक अवसर पर इसकी कीमतों में कितनी और कब-कब वृद्धि की गई;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितना लाभ और हानि हुई तथा चालू वर्ष में अनुमानतः कितना लाभ अथवा हानि होने का अनुमान है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों और (बिक्री संस्थानों) में कुल कितना निवेश किया गया और कुल कितना लाभ हुआ तथा चालू वर्ष के बारे में क्या अनुमान है; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के सर्वोच्च इस्पात कारखानों से इनकी कहां तक तुलना की जा सकती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) 1-3-77 तथा 1-1-1980 को इस्पात की कुछ श्रेणियों के मूल्य और वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 (फरवरी, 1984 तक) के दौरान इस्पात की इन श्रेणियों के मूल्यों में हुई वृद्धि इस प्रकार है :—

(रुपये/टन)

इस्पात की श्रेणी	संयुक्त संयंत्र समिति का आधार मूल्य रेल पर्यन्त/गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार जिसमें उत्पाद शुल्क तथा (1) भाड़ासमीकरण निधि (2) इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए सहायता निधि (3) इम्पोर्ट पूल निधि (4) इस्पात विकास निधि और (5) संयुक्त संयंत्र समिति के उपकर में अंशदान भी शामिल हैं।	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि, जिसमें उत्पाद शुल्क तथा (1) भाड़ा समीकरण निधि (2) इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए सहायता निधि (3) इम्पोर्ट पूल निधि (1) इस्पात विकास निधि और (5) संयुक्त संयंत्र समिति के उपकर में अंशदान में हुए परिवर्तन भी शामिल हैं जिनसे सेल की आय में वृद्धि नहीं होती है।

	6-3-4977 से	1-1-1980 से	80-81	81-82	82-83	83-84 (फरवरी 84 तक)
1	2	3	4	5	6	7
प्लेट						
5 से 10 मि. मी. तक	1523	2773	607	120	650	210
10 मि. मी. से अधिक	1523	2773	607	120	950	260
ज्वास्ट	1448	2517	553	120	1010	160
संरचनात्मक	1377	2427	538	120	1003	160
52 कि. ग्रा. रेल की भारी पटरी (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	1416	1882	638	455	1025	700
विलेट/ आर. सी. स्केयर	1582	2190	1455	शून्य(-)	145	160
ब्लूम	1457	2132	883	शून्य(-)	15	300
स्लेव	1457	2132	1283	शून्य(-)	75	160
छड़ें तथा गोल छड़े						
10 मि. मी. तक	1877	2650	1845	शून्य	235	60
10 मि. मी. से 25 मि. मी. से अधिक	1752	2650	1375	शून्य	155	160
जस्ती सादी चादरें/ क्वायल						
1.6 मि. मी. से 1.0 मि. मी. तक	2972	4641	1009	120	25	360
1.0 मि. मी. से 0.63 मि. मी. तक पतली	3332	5519	1186	120	25	360
	औसतन मूल्य					
जस्ती जाली दार चादरें						
1.6 मि० मी० से 1.0 मि० मी० तक	2997	4670	1015	120	25	380

1	2	3	4	5	6	7
1.0 मि० मी० से 0.63 मि० मी० तक पतली	3392	5547	1188	120	25	380
गर्म वेलित क्वायल						
3.15 मि० मी० तथा उससे कम	1997	3023	662	120	295	360
3,15 मि० मी से अधिक से 5 मि० मी० से कम तक	1997	3023	662	120	25	470
स्कैल्प (3.७5 मि० मी० से कम)	2056	3103	682	120(—)	175	630
गर्म वेलित चादरें						
1.6 मि० मी० से 1.0 मि० मी० तक	2297	3808	817	120	25	260
1.0 मि० मी० से पतली	2497	4222	903	120	25	260
ठंडी वेलित क्वायल						
1·6 ँम० मी० से 1.0 मि० मी० तक	2672	4266	924	120	25	160
1.0 मि० मी० से पतली	2722	4496	969	120	25	160
ठंडी वेलित चादरें						
1.6 मि० मी० से 1.0 मि० मी० तक	2722	4324	931	120	25	160
1.0 मि० मी० से पतली	2772	4554	981	120	25	160

वर्ष 1980 से संयुक्त संयंत्र समिति ने जिन तरीखों को मूल्य में संशोधन किया है, वे इस प्रकार हैं .—

1980	1-4-1980
	19-6-1980
	15-7-1980
1981	9-2-1981
	24-2-1981
	1-4-1981
	1-8-1981

1982	—	1-4-1982
		2-4-1982
		23-10-1982
1983	—	1-4-1983
		23-7-1983

(ख) : पिछले तीन वर्षों में सेल की लाभ/हानि की स्थिति इस प्रकार है :—

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

वर्ष	लाभ (+)/हानि (—)	लागत में वृद्धि घटा पिछले वर्ष की तुलना में हुई वास्तविक वसूली में वृद्धि)
1980-81	(+) 1.01	(+) 45
1981-82	(+) 39.17	(—) 16
1982-83	(—) 105.76	(+) 115

पिछले तीन वर्षों की तुलना में बिक्री तथा लागत में हुई अनुमानित वृद्धि इस प्रकार है :—

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में है)

	1980-81	1981-82	1982-83
पिछले वर्ष की तुलना में "सेल" की बिक्री से हुई वसूली में अनुमानित वृद्धि (इस्पात और कच्चा लोहा)	125	319	231
पिछले वर्ष की तुलना में "सेल" के कारखानों की लागत में वृद्धि			
—कच्चा माल, स्टोर, फालतू पुर्जे, बिजली	124	232	199
—वेतन और मजदूरी	29	42	57
—रख-रखाव	3	10	3
—मूल्यह्रास	(—) 1	9	9
—ब्याज	15	11	78
कुल :	170	304	346

चालू वर्ष अर्थात् 1983-84 की लाभ तथा हानि की स्थिति का पता केवल वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही चल सकता है।

(ग) और (घ) : जानकारी इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

पूंजी-निवेश

	1980-81	1981-82	1982-83
1. सेल (इस्को भी शामिल है)	4055.66 (2778.06)	4756.67 (3184.87)	5073.21 (3580.41)
	कोष्ठकों में आंकड़े भिलाई और वोकारो के इस्पात कारखानों के बारे में हैं।		
2. टिस्को	426.32	412.02	527.26

लाभदायकता

	1980-81	1981.82	1982-83
सेल			
3. मूल्य ह्रास तथा दीर्घावधि ऋण पर ब्याज की अदायगी से पूर्व कर-लाभ	204.27 (115.92)	278.98 (201.51)	167.84 (175.99)
4. प्रतिशतता (3 से 1)	5.04 (4.17)	5.86 (6.33)	3.30 (4.9)
	कोष्ठकों में आंकड़े भिलाई और वोकारो के इस्पात कारखानों के बारे में है।		
टिस्को			
5. मूल्यह्रास तथा दीर्घावधि ऋण पर ब्याज की अदायगी से पूर्व कर-लाभ	59.78	91.79	106.92
6. प्रतिशतता (5 से 2 तक)	14.02	22.28	20.28

वर्ष 1983-84 की लाभदायकता की स्थिति का पता केवल लेखों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही चल सकता है।

ऐसे राज्यों के नाम, जहां की सूची में बेरवा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है

4020. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें बेरवा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) उन राज्यों ने बेरवा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं;

(ग) क्या बेरवा समुदाय के नेताओं द्वारा देश भर के अभ्यावेदन प्राप्त होने के बावजूद बेरवा समुदाया को अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने का अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का, अन्तिम निर्णय कब तक लेने का विचार है ?

गृह-मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : (क) बेरवा समुदाय को राजस्थान और मध्य प्रदेश (बईरवा के रूप में) के सम्बत्ध में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है । अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में यह समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है ।

(ख) किसी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए मान दंड यह है कि "कोई समुदाय अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से अत्यधिक पीड़ित होना चाहिए ।"

(ग) तथा (घ) संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन किए गए प्रावधानों की दृष्टि से किसी भी समुदाय को अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित जातियों के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता । अन्य राज्यों में बेरवा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव के साथ अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महापंजीकार के साथ परामर्श करके किसी समुदाय को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की सूचियों में शामिल करने के लिए मामले में अपनाए जाने वाले सम्बन्धित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में बिधिवत विचार किया जा रहा है । कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं । सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात इस मामले में अन्तिम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) की दृष्टि से केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है ।

सातवीं योजना में मूल तत्व

4021. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग सातवीं योजना (1985-90) तैयार करने में व्यस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं योजना में किन-किन मूलतत्वों पर ध्यान रखा जाएगा और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) योजना आयोग, इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीति-पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। यह, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होने पर केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना तैयार करने से सम्बन्धित विस्तृत कार्य आरम्भ करने का आधार होगा। अत: सातवीं योजना में मूल आश्यों पर टिप्पणी करना अभी सम्भव नहीं है।

धार्मिक स्थानों में तोड़-फोड़ और हिंसक गतिविधियों में संलग्न समाज विरोधी तत्व

4022. **श्री विलास मुत्तेमबार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुलिस को, उन समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश देगी, जो धार्मिक स्थानों में तोड़-फोड़ और हिंसा करते हैं; ताकि पुलिस की लापरवाही के कारणा साम्प्रदायिक दंगे न होने पायें; और

(ख) सरकार का उन पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है; जो तुरन्त कार्यवाही करने में असफल रहते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध मुख्यतया राज्य सरकारों से है। कानून को लागू करने वाले प्राधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। कर्त्तव्य की उपेक्षा करने के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकारें भी सक्षम हैं।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

4023. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त प्रत्येक समिति ने कितनी बैठकें की; और

(ग) उनके मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति की गत दो वर्षों के दौरान कितनी बैठकें हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एक

विवरण

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची जहाँ हिन्दी सलाहकार समितियां गठित कर ली गई हैं और पिछले दो वर्षों में हुई उनकी बैठकों की संख्या।

क्र० सं०	मंत्रालय/विभाग	पिछले दो वर्षों में हुई बैठकों की संख्या
1.	गृह मंत्रालय	1
2.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	5
3.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	7
४.	रेल मंत्रालय	1
5.	डाकतार विभाग (संचार मंत्रालय)	5
6.	विदेश मंत्रालय (केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप-समिति)	1
7.	शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय	2
8.	रक्षा मंत्रालय	3
9.	कृषि मंत्रालय	2
10.	वित्त मंत्रालय	2
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	4
12.	उद्योग मंत्रालय	3
13.	वाणिज्य मंत्रालय	3
14.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	6
15.	पूर्ति विभाग	4
16.	इस्पात और खान मंत्रालय	5
17.	ऊर्जा मंत्रालय	1
18.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	3
19.	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय	2
20.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	1
21.	योजना मंत्रालय	3
22.	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	3
23.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	3
24.	निर्माण और आवास मंत्रालय	1
25.	सिंचाई मंत्रालय	3
26.	समाज कल्याण मंत्रालय	2
27.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	एक संयुक्त सलाहकार
28.	पर्यावरण विभाग	समिति है । 1
29.	महासागर विकास विभाग	

राउरकेला इस्पात संयंत्र में "स्लैग" का उत्पादन

4024. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस और मेल्टिंग शाप से प्रतिदिन "स्लैग" का कितना उत्पादन होता है और इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है;

(ख) राउरकेला में "स्लेग" सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष में (जनवरी, 1984 तक) राउरकेला इस्पात कारखाने की धमन-भट्टियों तथा इस्पात गलन शाला से निकलने वाले धातुमाल का ब्यौरा इस प्रकार है—

वर्ष	धमन भट्टियों से निकलने वाली धातुमल (हजार टन)	इस्पात गलनशाला से निकलने वाला धातुमल (हजार टन)
1980-81	717	175
1981-82	810	180
1982-83	758	172
1983-84 (अप्रैल, 83 से जनवरी, 84 तक)	558	132

धमन भट्टियों से निकलने वाले धातु मल का कुछ भाग दानेदार धातुमल में परिवर्तित किया जाता है और सीमेंट उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। इस कारखाने में दानेदार धातुमल के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है—

अवधि	हजार टन
1980-81	145
1981-82	260
1982-83	236
1983-84 (अप्रैल, 1983 जनवरी, 1984)	254

(ख) से (घ) ऐसा पता चला है कि राउरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखानों से निकलने वाले दानेदार धातुमल का इस्तेमाल करने के लिए 216.69 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया एक परियोजना बना रहा है।

अनिवासी-पूंजी निवेश योजना के अधीन प्रस्ताव

4025. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी-पूंजी निवेश योजना के अन्तर्गत इस योजना की घोषणा के समय से क्या क्या प्रस्ताव हुए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामाराव) : (क) जनवरी, 1983 में अनिवासी भारतीयों से औद्योगिक निवेश और लाइसेंस के आवेदन प्राप्त करने और इन पर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। 1983 के दौरान, अनिवासी भारतीयों से विशेष प्रकोष्ठ में औद्योगिक लाइसेंसों/अनुमति/विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए कुल 83 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) उपर्युक्त आवेदनों में से 56 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं, 19 अस्वीकृत कर दिये गये अथवा अन्य किसी प्रकार से निपटाये गये और शेष 8 आवेदन इस समय विचार की विभिन्न स्थितियों में हैं। सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि अनिवासी भारतीयों से प्राप्त औद्योगिक निवेश और लाइसेंस के आवेदनों के जितनी शीघ्र सम्भव हो सके उतनी जल्दी निपटाय जाए।

राष्ट्रीय अखण्डता के लिए अपनाई गई नीतियां

4026. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री बी० डी० सिंह :

श्री रसीद मसूद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अखण्डता के लिए यदि सरकार द्वारा कोई संक्षिप्त नीति का पालन किया गया है और कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं, तो वे क्या हैं और ये नीतियां और कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने और केन्द्र तथा राज्यों, विशेषकर वे जहां पर अन्य दलों का शासन है, के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में किस सीमा तक सफल हुए हैं : और

(ख) प्राप्त अनुभव के अनुसार यदि कोई त्रुटियां हैं, तो वे क्या हैं और विशाल राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार का उन्हें कैसे दूर करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) (क) और (ख) :—सरकार ने राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित सभी मामलों की पुनरीक्षा करने और उन पर सिफारिशें देने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद गठित की है। पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद (1990) ने राष्ट्रीय एकता के मुख्य विषय के विशिष्ट पहलुओं की जांच करने के लिए तीन समितियां नियुक्त की हैं :

(1) साम्प्रदायिक तथा जातीय सद्भाव सम्बन्धी समिति :
(2) शिक्षा सम्बन्धी समिति : और
(3) स्थायी समिति।

समितियों की सिफारिशों को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से पाठ्य-पुस्तकों की पुनरीक्षा तथा उन्हें तैयार करना और अध्यापकों का प्रशिक्षण, सरकारी जन सम्पर्क माध्यम एककों का प्रयोग, छात्र तथा गैर-छात्र युवकों के लिए कार्यक्रम विशेष प्रकाशन कार्यक्रम और सांस्कृतिक मंडलियों आदि का अन्तर राज्य आदान प्रदान शामिल हैं।

अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता नियमों में संशोधन

4027. **श्री एम० अरुणाचल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों से वरीयता से संबंधित नियमों और अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए स्वीकृत सेवा से सम्बन्धित मानदण्डों में परिवर्तन करने सम्बन्धी कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्रीय सचिवालय (सीधे भर्ती-राजपत्रित) एसोसियेशन से इन प्रस्तावों के विरोध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) सीधे भर्ती किए गए अनुभाग अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क),(ख) तथा (घ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद् में कर्मचारी पक्ष ने यह मांग की है कि वरिष्ठता और पदोन्नति के मामले में पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की तुलना में सीधी भर्ती के अनुभाग अधिकारियों को मिल रहे नाजायज फायदे दूर किए जाएं । इस मामले पर विचार किया जा रहा है और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा ।

(ग) जी, हां ।

करोल बाग की डकैती का मामला

4028. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोलबाग (नई दिल्ली) में 26 नवम्बर, 1983 को हुई डकैती के मामले से सम्बन्धित कुछ संदेहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक संदेहास्पद व्यक्ति लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन का एक कुख्यात दुष्चरित्र व्यक्ति है;

(घ) यदि हां, तो क्या उसको पहले गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम उठाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) डकैती के इस मामले से संबंधित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 2 जनवरी, 1984 को जब वह एक लूटपाट करने के बाद बचकर भाग निकलने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा गया था । उससे पूछताछ करने से लूटी गई सम्पत्ति का एक भाग बरामद हुआ और चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिनसे लूटी गई सम्पत्ति बरामद हुई ।

(ग) जी हां, ।

(घ) और (ङ) उसे पहले नवम्बर, 1981 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया था ।

आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में नक्सलवादियों की गतिविधियां

4029. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों ने आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियां फिर शुरू कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकट सुब्बय्या) (क) आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ रहीं हैं। मध्य प्रदेश के निकटवर्ती सीमा क्षेत्रों में भी उग्रवादियों की कुछ गतिविधियां देखने में आयी हैं।

(ख) कानून और व्यवस्था बनाये रखने का सम्बन्ध मुख्यतया राज्य सरकारों से है और वे उपर्युक्त कार्रवाई कर रही हैं। तथापि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार उनसे सम्पर्क बनाए रखती है।

लोहारदगा, बिहार में अल्यूमीनिय संसंत्र की स्थापना

4030. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहारदगा (बिहार में बाक्साइट के भारी भंडार होने के बावजूद भारतीय अल्यूमीनियम कारपोरेशन द्वारा इस क्षेत्र में कोई संयंत्र स्थापित न करके इसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा रखा जा रहा है;

(ख) क्या सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए वहां एक अल्यूमीनियम एकक स्थापित करने पर विचार करेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कन्नु के० पी० साल्वे) (क) से (ग) इस समय इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी तथा हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लि० बिहार के पलामू-रांची क्षेत्र से अपनी बोक्साइट जरूरतों को अंशत: पूरी कर रहे हैं। एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया का आसनसोल प्रदावक, जो इस समय बन्द हैं, इस क्षेत्र के बौक्साइट निक्षेपों पर आधारित है। लोहारदागा के बौक्साइट निक्षेपों पर आधारित किसी नई परियोजना की स्थापना का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

बिहार में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की सिफारिश करने के प्राधिकृत व्यक्ति

4031. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों विधायकों और भूतपूर्व विधायकों को स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन देने की सिफारिश करने का प्राधिकार दिया गया है :

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अनेक लोगों से यह प्राधिकार वापस ले लिया गया है: और

(ग) यदि हाँ, तो उसके आधार क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार ने सम्मान पेंशन की सिफारिशें करने के लिए भूतपूर्व/वर्तमान विधायकों को कोई औपचारिक प्राधिकार नहीं दिया है । स्वतन्त्रता सम्मान पेंशन योजना के उपबंधों के अनुसार सम्मान पेंशन के लिए भूतपूर्व अथवा वर्तमान विधायकों अर्हक अवधि के लिए सहबंदी प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाते हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान् । परन्तु थोड़े से मामलों में कुछ प्रमाणकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जा सके, क्योंकि इन व्यक्तियों द्वारा इस सुविधा के दुरुपयोग के बारे में विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त हुई थीं ।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की बैठक के विचार विमर्श पर की गई कार्यवाही

4032. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद (नेशनल काउंसिल फार साइंस एण्ड टैक्नोलोजीकल कम्यूनिकेशन) की पहली बैठक में विचार विमर्श के क्या परिणाम रहे, और

(ख) उनके सुझावों पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की पहली बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए गए थे :

(1) अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएं तैयार की जानी चाहिए ।

(2) मात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना का प्रचार करने की अपेक्षा वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ।

(3) रेडियो, टेलिविजन, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और जर्नलों जैसे जनसंपर्क के साधनों का उपयोग अधिक गहनता से किया जाना चाहिए । विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और सामाजिक-आर्थिक कारकों के प्रति संगत होना चाहिए और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारी परंपराओं और विरासत से भी संबंधित होना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, महिलाओं और बच्चों के साथ विशेष संगति के कार्यक्रमों को अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(4) यंत्रेतर सामग्री निर्माताओं सहित संचारकों को और इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के प्रभावों का मूल्यांकन और मानीटरन करने के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ।

(5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक सूचना कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने में लगी हुई विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रसार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना का संग्रह, मिलान और भारतीय भाषाओं में अनुवाद करे ।

(6) राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों/समितियों/विभागों और इस कार्य में रुचि लेने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के कार्य में निकटता से संबंधित किया जाना चाहिए ।

(7) उपयुक्त स्कीमों का निर्माण करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचारकों का प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के साधनों और गतिविधियों का मानीटरन और मूल्यांकन, संचारकों, फिल्मों, प्रदर्शनियों, यंत्रेतर सामग्री के निर्माताओं आदि की संदर्शिकाओं को तैयार करने जैसे मामलों का अध्ययन किया जाना चाहिए ।

(8) विदेशी भाषाओं की पुस्तकों के अनुवादों सहित भारतीय भाषाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित पुस्तकों की तैयारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । ऐसी पुस्तकों और सामग्री के व्यापक वितरण के लिए व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ।

(ख) परिषद के विभिन्न सुझावों को संसाधित करने, कार्य योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था करने के लिए एक कार्यपालक समिति का निर्माण किया जा रहा है ।

20 वर्ष की सेवा के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन

4033. **श्री छांगुर राम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अपनी सेवानिवृत्ति के समय तक अस्थायी आधार पर सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं;

(ख) क्या 20 वर्ष की सेवा के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले अस्थायी कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अस्थायी आधार पर सेवा करने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) साधारणत: स्थायी सरकारी सेवक ही पेंशन पाने के हकदार होते हैं । तथापि जो सरकारी सेवक किसी पद पर स्थायी हुए बिना काफी लम्बी सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें पेंशन मंजूर करने के प्रश्न की सरकार द्वारा समीक्षा की गई थी और दिसम्बर, 1980 में यह निर्णय लिया गया था कि कम से कम बीस वर्ष की अस्थाई सेवा करने के बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करके सेवा निवृत्त होने वाले अथवा समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सरकारी सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ घोषित किए जाने वाले किसी सरकारी सेवक को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन लाया जाएगा और उसके मामले में मूल हैसियत से किसी पेंशनशुदा पद पर कार्य करने की सर्त समाप्त कर दी जाएगी ।

(ख) से (घ) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लागू की गई स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की योजना केवल उन्हीं स्थायी सरकारी सेवकों पर लागू होती है जो सरकार के अधीन

की गई सेवा के लिए पेंशनी-प्रसुविधाओं का नुकसान उठाए बिना काफी पहले सरकारी सेवा छोड़ने के लिए इच्छुक हों बशर्ते कि वे यह अनुभव करते हों कि सरकारी सेवा में आगे बढ़ने की अथवा कार्य संतुष्टि की गुंजाइश नहीं है और यह महसूस करते हों कि सरकार से बाहर उनकी प्रतिभा का बेहतर उपयोग हो सकता है। इस योजना को अस्थाई कर्मचारियों पर लागू करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों को निर्देश

4034. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग विभाग को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति के बिना भविष्य में ऐसे उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जिनकी वजह से नदियों और सार्वजनिक कूओं का जल प्रदूषित होने की संभावना हो तथा कृषि भूमि को नुकसान पहुंच सकता हो; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सांविधिक निर्देश जारी किए जाएंगे, अथवा क्या विभाग केवल उस स्थिति में ही उद्योग स्थापित करने की अनुमति देगा जब कि हानिकर पदार्थ को नष्ट करने की क्षमता रखने वाला "ट्रीटमेन्ट प्लांट" भी साथ-साथ स्थापित किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली में तथा जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिनियमों में भी सांविधिक प्रावधानों को शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योगों को संतोषजन उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के पश्चात् ही चालू करने की अनुमति दी जा सके।

1980 के आम चुनावों के बाद राज्यों में नक्सलवादी कैदियों की रिहाई

4035. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने कैदी (दोषसिद्ध नजरबन्द आदि), जिन्हें नक्सलवादी कहा जाता था 1980 के आम चुनावों के बाद रिहा कर दिये गये और उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार उन सभी को (विशेषकर महिला कैदियों के) रिहा करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक रिहा कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) गुजरात, हरियाणा, मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों तथा अंडमान व निकोबार, चण्डीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने ऐसे किन्हीं बंदियों के बारे में रिपोर्ट नहीं दी है, जैसा कि उल्लेख किया गया है। अन्य राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्थानीय स्तर की आयोजना

4036. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय क्षेत्रों का विकास करने, उपलब्ध संसाधन क्षमता पर आधारित से स्थानीय स्तर पर विधिवत आयोजन को प्रोत्साहित करने और स्थानीय स्तर पर आयोजना तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या विशेष प्रयास करने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार योजना को विकेन्द्रित करने और व्यवस्थित स्थानीय स्तर योजना को प्रोत्साहन देने के लिए उत्सुक है। वास्तव में, जिला योजना को संचालित करने के लिए, वर्ष 1969 में राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे। वर्ष 1982-83 मे, जिला योजना तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक स्कीम का प्रचालन किया गया है। जिला योजना के लिए अधिक आधुनिक कार्यप्रणाली बनाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन भी किया गया है।

कोटा आणविक बिजली घर, राजस्थान का बन्द होना

4037. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में कोटा आणविक बिजली घर की पहली यूनिट अब एक साल से अधिक समय से बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसे पुनः चलाने के लिए अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस यूनिट के कब तक पुनः चालू होने की संभावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राजस्थान परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट को उसकी एक एंड शील्ड की खराबी के कारण मार्च, 1982 से बंद रखा गया है।

(ख) तथा (ग) एंड शील्ड की खराबी की जांच की जा रही है और मरम्मत जारी है। क्योंकि यह काम जटिल है, अतः वर्तमान स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि इस यूनिट को निश्चित रूप से किस तारीख तक चालू किया जा सकेगा।

पंजाब बन्द के कारण हुई हानि

4038. **श्री कमल नाथ** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में 8 फरवरी, 1984 को एक दिन का बन्द आयोजित किया गया था;

(ख) क्या उस दिन पंजाब में रेलगाड़ी तथा बस सेवाएं रद्द कर दी गई थीं; और

(ग) बन्द के दौरान जनजीवन तथा सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) कोई जन हानि नहीं हुई थी। परन्तु सम्पत्ति के नुकसान के कुछ मामले हुए थे।

उद्योगहीन जिलों में उद्योगों की स्थापना

4039. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें उद्योगहीन जिलों के रूप में चुना गया है और उनके औद्योगिकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने आशय पत्र जारी किए गए हैं और उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके लिए ये जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इन जिलों में सरकारी क्षेत्र में कम से कम एक उद्योग की स्थापना करने के बारे में कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो वहां पर किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) राज्यवार उद्योग रहित जिलों के नामों को दर्शाने वाला एक **विवरण संलग्न है**। उद्योग रहित जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने संबंधी संशोधित एक मुश्त प्रोत्साहनों की घोषणा 27-4-1983 के प्रेस टिप्पण द्वारा की गई है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान सभी उद्योग रहित जिलों को जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या क्रमश: 158, 110 और 4 है। आशय-पत्रों के विवरण जिसमें उपक्रम का नाम, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता तथा स्थापना-स्थल होता है, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय निवेश मूलत: आधारभूत प्रकृति की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है। अत: ऐसी परियोजनाओं के स्थापना-स्थल पर व्यापक तकनीकी आर्थिक आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना के बारे में सरकार की नीति तकनीकी-आर्थिक धारणाओं के अधीन पिछले क्षेत्रों को अधिमान देने की नही है।

विवरण

जिन जिलों में कोई बड़ा या मझौला उद्योग नहीं है उनकी सूची ।

1. आसाम
   1. लखीमपुर
   2. उत्तरी कछार पहाड़ियां
2. बिहार
   1. औरंगाबाद
   2. भोजपुर
   3. खगारिया
   4. नालन्दा
   5. पूर्णिया
   6. सहरसा (माधेपुर जिले में से बनाए गए नए जिले सहित)
3. गुजरात
   1. डांगस
4. हिमाचल प्रदेश
   1. चम्बा
   2. कांगड़ा
   3. किन्नौर
   4. कुल्लू
   5. लाहौल और स्पिती
5. जम्मू और काश्मीर
   1. डोडा
   2. कुपवाड़ा
   3. लद्दाख
   4. पूंछ
   5. पुलवामा
   6. राजौरी
   7. ऊधमपुर
6. कर्नाटक
   1. बीदर
7. केरल
   1. वाइनाड
   2. इडुकी
8. मध्य प्रदेश
   1. बालाघाट
   2. भिण्ड
   3. छत्तरपुर
   4. छिन्दवाड़ा
   5. दमोह
   6. दतिया
   7. धार
   8. गुना
   9. झुबुआ
   10. माण्डला
   11. नरसिंहपुर
   12. पन्ना
   13. राजगढ़
   14. सिवनी
   15. शिवपुरी
   16. सीधो
   17. सरगजा
   18. टीकमगढ़
9. मणिपुर
   1. मणिपुर (केन्द्रीय)
   2. मणिपुर (पूर्वी)
   3. मणिपुर (उत्तरी)
   4. मणिपुर (दक्षिण)
   5. मणिपुर (पश्चिम)
   6. तांगनोपाल
10. मेघालय
   1. पूर्वी गारो पहाड़ियां
   2. पश्चिम गारो पहाड़ियां
   3. जैन्तिया पहाड़ियां
   4. पश्चिम खासी पहाड़ियां
11. नागालैंड
   1. तान सांग
12. उड़ीसा
   1. बालासौर
   2. बोलनगीर
   3. बौद्ध खोन्डमाल (फुलबानी)

13. राजस्थान
    1. जैसलमेर
    2. सिरोही
14. सिक्किम
    1. गंगटोक
    2. ग्यालशिंग
    3. मेनगन
    4. नामची
15. त्रिपुरा
    1. उत्तरी त्रिपुरा
    2. दक्षिणी त्रिपुरा
    3. पश्चिम त्रिपुरा
16. उत्तर प्रदेश
    1. बांदा
    2. चमोली
    3. फतेहपुर
    4. हमीरपुर
    5. जालौन
    6. जौनपुर
    7. पौड़ी गढ़वाल
    8. सुल्तानपुर
    9. टेहरी गढ़वाल
    10. उत्तर काशी
    11. कानपुर देहात
17. पश्चिम बंगाल
    1. बांकुरा
    2. कूंच बिहार
    3. दार्जिलिंग
    4. जलपाईगुड़ी
    5. मालदा
18. अण्डमान और निकोबार द्वीप
    1. निकोबार द्वीप
19. अरुणाचल प्रदेश
    1. कामेंग
    2. सियांग
    3. सुबन्सिरी
    4. तिरप
20. लक्षद्वीप
    1. लक्षद्वीप
21. मिजोरम
    1. ऐजवाल
    2. लंगलेज
22. दादरा और नगर हवेली
    1. दादरा और नगर हवेली

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक ग्रेड परीक्षा में नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार

4041. **श्री केशवराव पारधी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 1982 में आयोजित आशुलिपिक ग्रेड परीक्षा में अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवार बैठे;

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया;

(ग) क्या सफल उम्मीदवारों को इस बीच नियुक्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है; और

(ङ) शेष उम्मीदवारों को नियुक्त करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) 938

(ख) 246

(ग) से (ङ) कर्मचारी चयन आयोग सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए मांगकर्त्ता विभागों को केवल अपनी सिफारिश भेजता है। आयोग ने आशुलिपिक ग्रेड परीक्षा, 1982 के

सभी सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विभिन्न मांगकर्त्ता कार्यालयों/विभागों को अपनी सिफारिश पहले ही भेज दी है। चूंकि वास्तविक नियुक्ति-प्रस्ताव भिन्न-भिन्न कार्यालयों के विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाने होते हैं; अतः इस आशय की केन्द्रीकृत सूचना उपलब्ध नहीं है कि अब तक सभी उम्मीदवार नियुक्त कर लिए गये हैं या नहीं अथवा किसी मामले में नियुक्ति में देरी हुई है या नहीं।

हिंसा और तोड़-फोड़ की कार्यवाही में संलग्न समाज विरोधी तत्व

4042. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सक्रिय ऐसे तत्वों का ब्यौरा क्या है, जो विदेशों की सहायता से देश में हिंसा और तोड़-फोड़ की कार्यवाही में संलग्न हैं और उनको सहायता देने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन तत्वों पर पाबन्दी लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) : सरकार देश की सुरक्षा करने और एकता बनाए रखने के लिए निरन्तर सतर्कता रख रही है। व्यक्तियों अथवा संगठनों द्वारा तोड़-फोड़, विद्रोही और ऐसी अन्य प्रतिकूल गतिविधियों के किसी प्रयत्न का पता लगाने, खोज निकालने और उनके विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

फिर भी ऐसे संवेदनशील मामलों पर विचार-विमर्श करना लोकहित में नहीं होगा जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी शक्तियों के साथ मैत्री-पूर्ण सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है।

भाट्टी खानों में अनबिकी पड़ी लाल रेत का स्टाक

4043. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाट्टी खानों में 300 ट्रक लाल रेत अनबिकी पड़ी है;

(ख) यदि हां, इन खनिजों के जमा रह जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस उत्पादन स्थल से खनिजों को मुहानों से बाहर भेजने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ख) दिल्ली प्रशासन से जानकारी मांगी जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करना

4044. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को प्रतिवर्ष तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को वर्षों तक नियमित नहीं किया जाता और इस प्रकार उन्हें संवर्ग में आगे पदोन्नत के उचित अधिकार से वंचित रखा जाता है;

(ग) क्या वरीयता में इनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को इनसे वरिष्ठ बना दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अकुशलता बढ़ती है और कर्मचारियों में असन्तोष का यही मुख्य कारण है; और

(घ) यदि हां, तो इस अवस्था को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में तदर्थ पदोन्नतियां विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन अल्पकालिक या दीर्घकालिक रिक्तियों पर केवल उन्हीं अवधियों के लिए की जाती हैं जिनके दौरान नियमित पदोन्नति के लिए अनुमोदित अधिकारी उपलब्ध नहीं होते ।

(ख) नियमित पदोन्नति के लिए अनुमोदित अधिकारियों के उपलब्ध होते ही सभी तदर्थ पदोन्नतियां समाप्त की जा सकती हैं ।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न संवर्गों में व्यक्तियों की वरिष्ठता संगत नियमों/विनियमों के अनुसार विनियमित की जाती है ।

दिहाड़ी के श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करना

4045. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 21 मार्च, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49014 (4) 77 ई० एस० टी० टी० (सी) तथा दिनांक 5 जनवरी, 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49014 (3)/83 ई० एस० टी० टी० (सी) में उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर काम कर रहे उन दिहाड़ी के श्रमिकों की सेवा को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिनकी 240 दिन की सेवा हो चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों में सभी कर्मचारियों को इस लक्ष्य के बावजूद कि वे कर्मचारी लगभग पिछले 4 वर्षों से दिहाड़ी के आधार पर कार्य करते रहे हैं तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है तथा सम्बन्धित विभागों में पद खाली होने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया गया है; और

(घ) क्या तदर्थ कर्मचारियों को छुट्टी, एल० टी० सी० तथा अन्य ऐसी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि दिहाड़ी के श्रमिकों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति का वस्तुतः क्या आशय है । संभवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने उन व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं जिन्हें प्रारंभ में दिहाड़ी के आधार पर भर्ती किया गया था;

लेकिन बाद में जिन्हें समूह "घ" के नियमित पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त कर दिया गया था। इस तरह के कोई अनुदेश नहीं हैं जिनके अनुसार दिहाड़ी के श्रमिकों की नियमित पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति की जानी अपेक्षित हो। इसके विपरीत नियमित पदों पर दिहाड़ी के श्रमिकों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। इस आशय के अनुदेश हैं जो समूह "घ" पदों को भरने के लिए रोजगार कार्यालय की प्रक्रिया में छूट देते हुए ऐसे पदों की नियमित रिक्तियों पर दिहाड़ी के श्रमिकों को नियुक्त करने की इजाजत देते हैं, बशर्ते कि इस विभाग के (समय-समय पर यथा संशोधित) दिनांक 21-3-79 के कार्यालय ज्ञापन सं० 49014/4/77-स्थापना (ग) और दिनांक 5-1-84 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49014/3/83-स्थापना (ग) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार कतिपय शर्तें पूरी होती हों।

(ग) समूह "घ" के किसी नियमित पद को भरने के लिए रोजगार कार्यालय की प्रक्रिया में छूट देते हुए उक्त पद पर दिहाड़ी वाले किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उसने अन्य शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ लगातार दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिहाड़ी मजदूर के रूप में कम से कम 240 दिन की सेवा (सेवा के विच्छिन अंतरालों सहित) कर ली हो। विभिन्न मंत्रालय/विभाग आदि पूर्णतः नैमित्तिक/सामयिक/क्षणिक स्वरूप के कार्यों के लिए अपनी शक्तियों के अधीन दिहाड़ी के मजदूर नियुक्त कर सकते हैं। वे इस विषय से सम्बन्धित उपर्युक्त सामान्य अनुदेशों के अनुसार समूह "घ" पदों पर ऐसे दिहाड़ी मजदूरों को नियमित आधार पर नियुक्त करने के लिए भी सक्षम हैं। चूंकि दिहाड़ी के मजदूरों की भर्ती और उनका विनियमन और किसी केन्द्रीय एजेन्सी के माध्यम से नहीं किया जाता है अतः यह संभव नहीं है कि कोई दिहाड़ी का श्रमिक लगभग चार वर्षों से दिहाड़ी के श्रमिक के रूप में अथवा समूह "घ" पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा है या नहीं।

(घ) एक बार जब कोई दिहाड़ी का मजदूर तदर्थ आधार पर किसी नियमित पद पर नियुक्त कर लिया जाता है तो वह दिहाड़ी का मजदूर नहीं रह जाता। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति कतिपय शर्तों के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होते हैं। किंतु वे छुट्टी और वरिष्ठता के लाभों के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति नियमित न होने के कारण किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

गृह मंत्रालय में सहायकों को अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति

4046 **स्वामी इन्द्रवेश :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय में किस वर्ष (सहायक के रूप में नियुक्ति की तारीख) तक के सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पदों पर, पदोन्नति मिल चुकी है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : 1976 तक के सीधी भर्ती वाले सहायकों जिनमें इस वर्ष की परीक्षा वाले बैच के कुछ सहायक भी शामिल हैं, और सहायकों की संयुक्त वरीयता सूची में निम्न ग्रेड से पदोन्नत सहायकों को लम्बी अवधि/तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया है।

टायरों के मूल्यों में वृद्धि

4048. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टायरों के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि ने परिवहन उद्योग को ठप्प होने के कगार पर ला दिया है खासतौर से उस समय जबकि यह उद्योग व्यापार में मंदी और डीजल के ऊंचे मूल्यों के कारण बढ़ती हुई परिचालन लागतों से त्रस्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न यह नहीं उठता—टायरों पर कोई कानूनी मूल्य नियंत्रण नहीं है।

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड में ब्याज स्थगन का प्रावधान

4049. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता को ब्याज स्थगन की सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं जबकि सरकारी क्षेत्र के अधिकतर उद्योगों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिसमें कम्पनी को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार को अभी निर्णय लेना है।

राज्यों में पुलिस बल के ढांचे का पुनर्गठन

4050. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या **गृह मन्त्री** राज्यों में विशेष पुलिस बल की स्थापना करने के बारे में 4 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10007 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने पुलिस बल को व्यापक आधार देने तथा समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उसके ढांचे का पुनर्गठन करने हेतु केन्द्रीय सरकार के सुझाव को स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इस सुझाव को स्वीकार और क्रियान्वित किया है और क्या केन्द्रीय सरकार इस सुझाव को कार्यान्वित करने के तरीके तथा जिस हद तक क्रियान्वित किया गया है, उससे संतुष्ट हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सुझाव को अस्वीकार करने की सूचना नहीं दी है अथवा इसे अस्वीकार कर दिया है और उसके क्या कारण हैं और

(घ) ऐसे राज्यों में पुलिस बल के ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) से (घ) : "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए अपने पुलिस बलों का पुनर्गठन करने के लिए कार्रवाही करना राज्य सरकारों का काम है। तथापि उन्हें अपने पुलिस बलों का फिर से गठन करने की सलाह दी गई

है ताकि इन बलों को व्यापक आधार वाला तथा समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला बल बनाया जा सके। राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि वे स्थिति के प्रति जागरूक हैं और इस बारे में आवश्यक उपाय कर रही हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा गृह निर्माण ऋण मंजूर किए जाने में भाई-भतीजा वाद के अभियोग

4051. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों ने गृह निर्माण ऋण मंजूर करने में, बी० ए० आर० सी० के विरुद्ध भाई भतीजावाद के अभियोग लगाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन अभियोगों के बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्तर जिले में स्वनियोजन योजना के लिए वित्तीय सहायता

4052. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी बहुल बस्तर जिले में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित स्वनियोजन योजना के लिए वित्तीय सहायता शीघ्र मंजूर करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बस्तर जिले में इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) प्रधान मंत्री द्वारा घोषित शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने की योजना बस्तर जिले के लिए उसी प्रकार लागू होती है जिस प्रकार किसी अन्य ऐसे स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए जिला उद्योग केन्द्र, बस्तर ने इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार किया और फरवरी 1984 के अन्त तक 540 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। कृतिक बल ने इनकी समीक्षा की है और इस योजना के अन्तर्गत मिश्रित ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंकों को पहले ही 288 आवेदन-पत्रों की सिफारिश की जा चुकी है।

(ख) बैंकों द्वारा अब तक 1 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

एक परमाणु ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव

4053. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एसोसियेशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज से एक परमाणु ऊर्जा विकास प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी जिससे परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना के लिए संभावनाएं बढ़ सकें; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सुझाव विचाराधीन है।

पंजाब समस्या पर बातचीत पुनः शुरू करना

4054. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री आर० एन० राकेश : क्या **गृह-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकाली दल ने दिनांक 27 जनवरी, 1984 को संघर्ष का एक नया कार्यक्रम घोषित किया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल निकालने के लिए बातचीत पुनः शुरू करने की कोई पहल की है : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) अकाली दल द्वारा 27 जनवरी, 1984 को घोषित संघर्ष के कार्यक्रम में 8 फरवरी, 1984 को "पंजाब बन्द" मनाने और 27 फरवरी, 1984 को संविधान के अनुच्छेद 25 की प्रतियां जलाने, यदि इसे संशोधित नहीं किया जाता है, का निर्णय किया गया था। इसकी उन्होंने 25 फरवरी, 1984 को मांग की थी।

(ग) और (घ) पंजाब समस्या के सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए 14-2-1984 को त्रिपक्षीय वार्ता पुनः शुरू की गई थी। उस दिन पंजाब में कुछ घटनाओं के कारण अकाली दल सहित विपक्षी दलों के सुझाव पर बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। बताया जाता है कि अकाली दल ने त्रिपक्षीय वार्ता में आगे भाग नहीं लेने का निर्णय किया है। सरकार समस्या का बातचीत के द्वारा हल निकालने के पक्ष में है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साधन जुटाना

4055. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्ष के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्यवार अपने अन्तरिम साधनों से कितनी राशि जुटाई गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए कुल व्यय का कितना प्रतिशत भाग उनके अपने राजस्व से किया गया; और

(ग) इसी अवधि के दौरान राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय के लिए राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 से 3 में दी गई है ?

विवरण-1

(करोड़ रु०)

राज्य	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	249.28	284.63	311.22	386.99	614.99
2. असम	46.97	16.01	—27.76	—44.95	—32.61
3. बिहार	109.16	223.49	132.41	82.12	368.96
4. गुजरात	360.30	467.45	535.68	623.80	764.40
5. हरियाणा	153.44	159.10	216.60	218.55	354.29
6. हिमाचल प्रदेश	11.33	20.24	2.02	31.50	39.58
7. जम्मू और कश्मीर	—1.46	—21.75	—29.97	—21.33	—49.78
8. कर्नाटक	220.34	250.10	347.28	391.01	454.97
9. केरल	141.43	212.51	134.18	178.45	225.88
10. मध्य प्रदेश	346.51	309.14	444.73	450.16	611.72
11. महाराष्ट्र	653.20	698.02	883.84	1165.35	1269.27
12. मणिपुर	+0.46	—3.42	—47.08	—33.16	—16.52
13. मेघालय	4.74	5.76	—12.32	—7.77	—7.01
14. नागालैंड	—5.86	—0.15	—21.68	—33.86	—24.25
15. उड़ीसा	59.88	95.65	127.00	99.52	187.51
16. पंजाब	198.02	183.07	266.16	324.02	367.18
17. राजस्थान	156.85	57.49	104.54	166.53	258.52
18. सिक्किम	—1.05	—5.82	0.28	—4.76	—1.13
19. तमिलनाडु	256.96	320.71	483.89	570.62	687.03
20. त्रिपुरा	—0.75	0.95	—10.79	—0.85	—2.94
21. उत्तर प्रदेश	478.05	662.70	726.32	732.42	825.16
22. पश्चिम बंगाल	191.01	260.44	100.23	96.99	383.48
संघ शासित राज्य					
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	—	0.89	1.05	1.62	0.18

1	2	3	4	5	6
3. चंडीगढ़	5.79	10.40	10.01	15.13	20.27
4. दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—
5. दिल्ली	13.69	53.87	96.27	79.52	74.04
6. गोवा दमन और द्वीप	3.97	5.22	11.17	16.60	20.25
7. लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—
8. मिजोरम	—	0.22	0.56	0.47	0.38
9. पांडिचेरी	1.53	2.62	5.42	7.29	7.73

विवरण-2

राज्य	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	55.4	59.9	61.8	67.5	74.5
2. असम	29.4	8.2	13.3	19.9	11.2
3. बिहार	34.0	48.0	23.0	13.8	54.2
4. गुजरात	79.0	77.8	79.1	82.8	84.9
5. हरियाणा	75.6	78.4	74.8	64.5	87.0
6. हिमाचल प्रदेश	14.3	21.0	1.7	24.4	28.3
7. जम्मू और कश्मीर	1.2	14.7	18.2	12.1	26.9
8. कर्नाटक	69.4	64.6	78.4	73.4	79.1
9. केरल	63.2	71.2	41.4	64.6	70.6
10. मध्य प्रदेश	67.3	53.0	67.4	63.2	71.5
11. महाराष्ट्र	80.3	77.0	79.6	85.8	84.6
12. मणिपुर	0.1	8.6	112.7	74.2	31.3
13. मेघालय	15.4	14.2	29.6	16.0	12.4
14. नागालैंड	21.2	0.4	57.2	80.3	43.0
15. उड़ीसा	30.7	38.5	45.2	19.9	54.4
16. पंजाब	73.5	61.1	77.1	51.3	83.5
17. राजस्थान	54.0	18.6	29.9	45.4	64.5
18. सिक्किम	5.9	28.6	1.2	20.2	3.7
19. तमिलनाडु	69.4	70.3	79.8	34.9	81.3
20. त्रिपुरा	2.5	2.4	22.6	1.5	5.1
21. उत्तर प्रदेश	57.9	67.0	64.9	58.4	64.0
22. पश्चिम बंगाल	49.8	58.0	22.1	40.6	71.0

1	2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र					
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	—	3.3	2.8	3.6	0.3
3. चंडीगढ़	47.1	61.6	55.0	66.2	72.4
4. दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—
5. दिल्ली	15.6	42.0	53.9	37.2	29.6
6. गोवा दमन और द्वीप	13.9	16.5	29.7	33.8	34.0
7. लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—
8. मिजोरम	—	1.1	2.4	1.5	1.1
9. पांडिचेरी	14.1	20.2	33.9	37.9	37.7

विवरण-3

(करोड़ रुपये)

राज्य	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1. विशेष श्रेणी के राज्य					
1. असम	112.76	134.56	153.46	239.94	323.61
2. हिमाचल प्रदेश	68.12	76.26	79.68	86.44	100.42
3. जम्मू और कश्मीर	125.01	169.47	194.92	197.72	234.78
4. मणिपुर	27.60	36.75	42.07	60.29	69.32
5. मेघालय	25.96	34.60	37.55	49.10	63.33
6. नागालैंड	28.67	35.14	40.20	57.06	35.26
7. सिक्किम	18.84	26.14	23.92	28.35	31.63
8. त्रिपुरा	25.65	32.13	39.31	52.10	60.94
जोड़-1	432.61	539.05	611.11	771.00	959.28
2. अ—विशेष श्रेणी के राज्य					
1. आंध्र प्रदेश	201.04	190.54	173.82	185.95	211.01
2. बिहार	211.62	241.98	244.85	275.90	312.04
3. गुजरात	95.87	94.66	105.13	129.55	135.60

1	2	3	4	5	6
4. हरियाणा	42.19	53.41	42.08	53.20	52.71
5. कर्नाटक	97.26	98.70	95.75	96.45	120.03
6. केरल	82.44	77.88	104.04	96.37	94.12
7. मध्य प्रदेश	143.05	177.47	182.63	197.90	243.28
8. महाराष्ट्र	160.16	178.68	174.99	192.33	230.73
9. उड़ीसा	135.13	147.75	134.55	145.36	157.49
10. पंजाब	43.72	61.89	63.55	62.09	72.82
11. राजस्थान	99.24	130.40	117.83	153.13	142.48
11. तमिलनाडु	113.12	135.75	122.13	138.66	157.97
13. उत्तर प्रदेश	347.47	326.87	392.27	434.69	464.84
14. पश्चिम बंगाल	127.21	136.01	136.05	291.05	156.52
जोड़-2	1899.51	2051.99	2084.67	2452.67	2551.64
जोड़ (1+2)	2332.12	2591.04*	2695.78*	3223.67	3510.92

* 1980-81 में 6.45 करोड़ रुपये और 1981-82 में 3.55 करोड़ रुपये की आर० ई० सी० सहायता सहित। इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

स्कूटर इंडिया लिमिटेड की आर्थिक सक्षमता

4056. **श्री दिगम्बर सिंह :**

श्री छांगुर राम : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्कूटर इंडिया लि० को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) इस उपक्रम के क्षमता और लक्ष्य के अनुसार उत्पादन न करने और सदा घाटे में चलने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस यूनिट की प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने और इसे बजाज या लोहिया मशीन्स के समकक्ष लाने के लिए किसी इतावली या जापानी फर्म के साथ सहयोग करार करना उचित क्यों नहीं समझा और इस तथ्य के बावजूद कि लोहिया कम्पनी ने अभी उत्पादन आरम्भ ही किया है और लक्ष्य और लाइसेंस शुदा क्षमता भी पूरी नहीं की है, उन्हें और विस्तार की अनुमति दे दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दो कम्पनियों को दो पहिया और तीन पहिया स्कूटर तथा अन्य वाहनों के निर्माण के लिए कितने विस्तार की मंजूरी दी गई है और सरकार द्वारा अपने उपक्रम के हितों की अवहेलना करके ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 31-3-1984 तक लगभग 49 करोड़ रुपये की संचित हानि होने का अनुमान है।

(ख) हानियां मुख्यरूप से निम्नलिखित कारणों से हुई :—

(1) उत्पादन में अड़चनें जिनके परिणामस्वरूप क्षमता का कम उपयोग हुआ है;

(2) ग्राहकों द्वारा दूसरे मेक के स्कूटरों को अधिक पसन्द किया जाना;

(3) तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध;

(4) लगातार हानियों के कारण नकदी की खराब स्थिति।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस और/ या विदेशी सहयोग के लिए अलग-अलग आवेदनों पर सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने स्कूटरों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग हेतु कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा था।

(घ) मे० बजाज आटो लिमिटेड को प्रतिवर्ष 33,000 नग तक तिपहियों की क्षमता के पुनः अनुमोदन के अलावा अपनी दुपहिया निर्माण क्षमता में ·3 लाख नग की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। मे० लोहिया मशीन्स को प्रतिवर्ष 50,000 तिपहियों के निर्माण हेतु एकक स्थापित करने के अलावा अपनी दुपहियों की क्षमता में 2 लाख नग की वृद्धि की अनुमति दी गई है।

बिहार में लौह अयस्क खानों का बन्द होना

4057. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दक्षिण बिहार में पांच से अधिक लौह अयस्क खानें बन्द होने के कगार पर हैं क्योंकि इन खानों से निकाले जाने वाले लौह अयस्क की बाजार में पर्याप्त मांग नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अनुभव करती है कि इन खानों के बंद होने के परिणाम-स्वरूप हजारों मजदूर भुखमरी के शिकार होंगे;

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि कोई कदम उठाने का विचार नहीं है तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क की खरीद में कमी मुख्यतः पिछले कुछ वर्षों में पारादीप बन्दरगाह की मार्फत निर्यात में कमी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के कारण हुई है। पारादीप की बन्दरगाह, जो बड़ाजमदा क्षेत्र में लौह अयस्क के मुख्य खनन क्षेत्रों से लौह अयस्क के निर्यात के लिए मुख्य बन्दरगाह है, से वर्ष 1978-79 में 17.25 लाख टन लौह अयस्क निर्यात किया गया था। वर्ष 1982-83 में लौह अयस्क के निर्यात का स्तर घटकर 9.84 लाख टन रह गया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार के सिंहभूम जिले में स्थित लौह अयस्क की एक खान ने सितम्बर, 1983 से उत्पादन करना बंद कर दिया था। जिसका अन्य कारणों के साथ साथ एक कारण यह भी था कि खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा वसूली में कमी करने के परिणामस्वरूप इस खान से लौह अयस्क निकालना लाभप्रद नहीं था। चूंकि खनिज व धातु व्यापार निगम दिसम्बर, 8 के बाद भी इस क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी और खान के वास्तव में बंद होने की सूचना नहीं मिली है और न ही अन्य समीपवर्ती खनन क्षेत्रों से खान बन्द होने के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

खनिज व धातु व्यापार निगम से लौह अयस्क के निर्यात के लिए उन देशों का पता लगाने के लिए कहा गया है, जो देश पारादीप वन्दरगाह से अयस्क उठाने के लिए छोटे पोत नियोजित करने के लिए तैयार हों। खनिज व धातु व्यापार निगम चालू वर्ष में पारादीप बन्दरगाह से दक्षिण कोरिया, जर्मन जनवादी गणतन्त्र (जी० डी० आर०) और रूमानिया द्वारा लगभग 7 लाख टन लौह अयस्क खरीदने के लिए उन्हें राजी करने में सफल हो गया है। यह मात्रा जापान की इस्पात मिलों द्वारा खरीदे गए 1.7 लाख टन लौह अयस्क के अलावा है। पारादीप बन्दरगाह से लगभग 7 लाख टन लौह अयस्क के पूर्वनुमानित निर्यात की तुलना में खनिज व धातु व्यापार निगम को वर्ष 1983-84 के दौरान इस बन्दरगाह से लगभग 9 लाख टन अयस्क निर्यात करने की उम्मीद है।

खनिज व धातु व्यापार निगम ग्राहकों को पारादीप बन्दरगाह से अयस्क उठाने पर लगने वाले अधिक भाड़े की प्रतिपूर्ति करने के लिए तैयार है।

खनिज व धातु व्यापार निगम दो बन्दरगाह पर माल लादने अर्थात् पहले पारादीप पर माल लादने और फिर मद्रास बन्दरगाह पर "अपटाप" करने की सम्भावना और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में विचार कर रहा है।

हाल में पारादीप की बन्दरगाह में काफी लागत से लौह अयस्क उठाने धरने की सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

रात के समय जहाजों के आने-जाने की सुविधा शुरू की गई है ताकि रात के समय भी जहाजों में माल लादा जा सके।

उड़ीसा की सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से पारादीप बन्दगाह की माल धरने की क्षमता में वृद्धि करने और बन्दरगाह की तह में मिट्टी जमने की समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए पारादीप बन्दरगाह में एक "ट्रांसशिपर एवं ड्रेजर" रखने की सम्भावना पर विचार कर रही है। चालू वर्ष में खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त करने का काम जारी है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यों के बारे में सरकार जांच आयोग

4058. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1968 में नियुक्त किये गए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यों की जांच करने हेतु सरकार आयोग को दबाव में रखते हुए वैज्ञानिक तथा

औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अन्य अनुदेशों के साथ-साथ निदेशक, राष्ट्रीय धातु कर्मीय प्रयोगशाला (एन० एम० एल०) जमशेदपुर को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किये है कि किसी वैज्ञानिकों को विशेषत: उन वैज्ञानिकों को किसी प्रकार से उत्पीड़ित न किया जाये, जो इस "आयोग" के समक्ष अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मंत्रालय को उसके बाद से अब तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों से सामान्य रूप से तथा राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों से विशेष रूप से सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में उनको उत्पीड़ित करने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय की शिकायतों से इस प्रकार निपटने से संतुष्ट है तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुदेशों के बावजूद अथवा उनके कारण उनके अधीन कार्यरत वैज्ञानिकों को उत्पीड़ित करते पाये जाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और/ अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। सी०एस०आई०आर० की एक प्रयोगशाला—राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन० एम० एल०) जमशेदपुर के एक वैज्ञानिक से एक अभ्यावेदन दिनांक 21-9-1983 और 31 जनवरी, 1984 का विस्तृत अभ्यावेदन उसी के क्रम में प्राप्त हुआ है—जिसमें उसने सी० एस० आई० आर० के अध्यक्ष द्वारा 1968 में नियुक्त की गई सी० एस० आई० आर० की जांच के लिए सरकार समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के कारण उसे सताये जाने का आरोप लगाया है, अभ्यावेदन का संबंध वर्ष 1972 के तथ्यों से है और जिस पर महानिदेशक द्वारा शीघ्रता से विचार किया जा रहा है।

(ग) वैज्ञानिकों की ऐसी समस्त शिकायतें सावधानी पूर्वक देखी जाती हैं और जैसा आवश्यक होता है सी० एस० आई० आर० द्वारा उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

बंगलादेश से घुसपैठ

4059. **श्री राम प्यारे पनिका :**

श्री रेणुपद दास :

श्री संतोष मोहन देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश से आने वाले घुसपैठियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; और

(ख) भारत-बंगलादेश सीमा पर कांटेदार तार लगाने के निर्णय के बाद से भारत में कितने लोगों ने घुसपैठ की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सितम्बर, 1983 से बंगला देश के सीमावर्ती राज्यों में बंगलादेश से आने वाले घुसपैठियों की संख्या में कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सीमावर्ती राज्यों में सितम्बर, 1983 से जनवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान द्वारा पकड़े गए और सीमा सुरक्षा बल को सौंपे गए घुसपैठियों की संख्या इस प्रकार है :

(1) असम	—	241
(2) मेघालय	—	20
(3) त्रिपुरा	—	668
(4) पश्चिम बंगाल	—	9901

सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने संबंधी अधिनियम 1984 का कार्यान्वयन

4060. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 28 जनवरी, 1984 को प्रख्यापित सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 1984 का अभी तक कभी इस्तेमाल किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे का विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) इस अध्यादेश के उपबंध, जो इसके प्रख्यापित होने से लागू हुए अवसर आने पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं। इस अध्यादेश के स्थान पर अब सार्वजनिक संपत्ति की क्षति निवारण अधिनियम, 1984 (1984 का 3) लाया गया है। इस अध्यादेश के अधीन हिमाचल प्रदेश और गोवा, दमन व दीव में एक-एक मामला दर्ज किया गया। बताया गया है कि केरल में भी इस अध्यादेश के उपबंध लागू किए गए हैं। पंजाब, राजस्थान सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में इस अध्यादेश के अधीन कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में हत्याओं, बैंक डकैतियों आदि की घटनाएं

4061. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री रवीन्द्र वर्मा

श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत महीनों के दौरान दिल्ली, पंजाब और चण्डीगढ़ में बैंक डकैतियों, अन्य डकैतियों, हत्याओं, बम विस्फोटों, चोरी और राहजनी की घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग ऐसी कितनी घटनायें दर्ज हुई हैं; और

(ग) उन घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में सरकार को अभी तक कोई सूत्र नहीं मिला है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) गत तीन महीनों अर्थात् 1 नवम्बर, 1983 से 31 जनवरी 1984 तक दिल्ली, पंजाब और चण्डीगढ़ में सूचित की गई इस प्रकार की घटनाओं की संख्या और उनमें से जिनका अभी तक हल नहीं खोजा जा सका है, उनकी संख्या, नीचे दी गई है :

दिल्ली	मामलों की कुल संख्या	अभी तक हल नहीं किए गए मामलों की संख्या
बैंक डकैती	1	—
अन्य डकैतियां	3	1
हत्या	52	22
बम विस्फोट	—	—
चोरी	3173	2954
राहजनी	23	15
पंजाब		
बैंक डकैती	1	—
अन्य डकैती	3	2
हत्या	116	18
बम विस्फोट	3	3
चोरी	358	149
राहजनी	27	9
चंडीगढ़		
बैंक डकैती	शून्य	—
अन्य डकैती	शून्य	—
हत्या	1	—
बम विस्फोट	1	1
चोरी	197	147
राहजनी	2	1

नई दिल्ली स्थित इसेक्स कार्म में विस्फोट

4062. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री दौलत राम सारण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 29 जनवरी, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस", नई दिल्ली में "इसेक्स फार्म ब्लास्ट कलेम्ड सिक्स" शीर्षक से छपे समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस ने इस घटना की कोई जांच की है;

(घ) क्या सम्बन्धित फार्म ने विस्फोट में मारे गये क्या बाद में अस्पताल में मरे कर्मचारियों के रिश्तेदारों को पर्याप्त मुआवजा दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 21 नवम्बर, 1983 को इसेक्स फार्म में डिब्बा बन्द मीट को लकड़ी के बक्सों में पैक करते समय कर्मचारी आग की लपेट में आ गए । डिब्बों को लैकर में डुबोकर, जो एक अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है, पैक किया जा रहा था । लैकर में आग लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप विस्फोट हुआ और आग भड़क उठी और 9 व्यक्तियों को जलने से जख्म हो गए । उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और उनमें से 6 की जलने के कारण मृत्यु हो गयी ।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 285/338/204 ए के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है, और इसेक्स फार्म के मालिक और मैनेजर को 22 नवम्बर, 1984 को गिरफ्तार किया एया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है ।

(घ) यह बताया जाता है कि इसेक्स फार्म के प्रबन्धकों ने इस घटना में मारे गए छः व्यक्तियों के रिश्तेदारों को 3200-3200 रुपए का मुआवजा दिया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा की गई प्रगति

4063. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम के प्रत्येक प्वाइन्ट की उपलब्धि पर विभिन्न राज्यों द्वारा 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति की गई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की, की गई आलोचना की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) राज्यों में जनवरी, 1984 तक 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सूत्रवार प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7990/84]

(ख) और (ग) यद्यपि कुछ मदों के कार्यान्वयन के विवरण के बारे में आलोचना की गई परन्तु सम्पूर्ण 20-सूत्री कार्यक्रम की किसी भी अर्थशास्त्री ने आलोचना नहीं की है ।

विदेशों में भारतीय हीरों की मांग

4064. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर विदेशों में भारतीय हीरों की काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मांग को पूरा करने के लिए देश में हीरों के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई विशेष धनराशि नियत की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी०साल्वे): (क) जी, हां। विदेशों में तराशे तथा पॉलिश किए गए भारतीय होरों की काफी मांग है।

(ख) और (ग) हीरों के देशीय उत्पादन में वृद्धि करने तथा हीरों के नए भण्डारों का पता लगाने के लिए भारतीय भूसर्वेक्षण, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० तथा खनिज गवेषण निगम द्वारा संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना तथा छतरपुर जिलों तथा आन्ध्र प्रदेश के कुरनल, अनन्तपुर तथा कृष्णा जिलों के प्रत्याशित क्षेत्रों में राष्ट्रीय हीरा गवेषण योजना कार्यान्वित की जा रही है।

प्रति वर्ष 3000 केरेट हीरों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए मझ गांव खान का विकास किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 0.58 करोड़ रुपये होगी। मझ गांव खान के समीप हिनोटा विकास योजना तथा आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में हीरों की नई खानों की विकास योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में इन योजनाओं के लिए केवल सांकेतिक व्यवस्था की गई है।

असम में अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए न्यायाधिकरण

4065. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

श्री अर्जुन सेठी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत असम में कितने न्यायाधिकरण स्थापित किए गए है और इन्हें किन-किन तारीखों से स्थापित किया गया है;

(ख) प्रत्येक न्यायाधिकरण किन-किन मुख्यालयों से कार्य कर रहा है;

(ग) असम में बाहर के क्षेत्रों मे कितने न्यायाधीश इन न्यायाधिकरणों में नियुक्त किए गए हैं; और

(घ) 15 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक न्यायाधिकरण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) असम राज्य सरकार ने 29 अक्तूबर, 1983 को 20 न्यायाधिकरणों की स्थापना को अधिसूचित किया है। 20 न्यायाधिकरणों में से छः ने धुबरी, गोहाटी, नौगांव, सिलचर, तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर में कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ग) अब तक असम से बाहर के 14 न्यायाधीशों ने न्यायायिकरणों में कार्य भार ग्रहण किया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गया में उद्योगों की स्थापना

4066. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) क्या उनको यह जानकारी है कि स्वतंत्रता के समय से इस जिले में उद्योग आरम्भ करने के लिए कोई उपाय नहीं किये गयेहैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य को आर्थिक प्रगति में मदद देने के लिए, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में, कोई उद्योग लगाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिरामराव) : (क) पुनर्वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्रों के अधीन गया जिले को श्रेणी "ग" जिलों में रखा गया है जो 10 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने का पात्र है ।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र गया से मिली जानकारी के अनुसार लघु क्षेत्र में पिछड़े कुछ वर्षों में स्थापित किए गए एककों का विवरण निम्न प्रकार हैं—

स्थापित किए गए एककों की संख्या

वर्ष	कारीगर	लघु उद्योग	योग
1978-79	706	148	854
1979-80	2398	184	2582
1980-81	1215	184	1399
1981-82	1130	167	1267
1982-83	527	147	674

तकनीकी विकास के महानिदेशालय में वर्ष 1981-83 के दौरान चार एककों का पंजीकरण किया गया है तथा वर्ष 1983 में गया जिले को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है । इसके अलावा, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तैयार की गई "कार्रवाई योजना" के अनुसार जिले में दो बड़े/मझौले उद्योग हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में बिहार के गया जिले में किसी भी बड़े अथवा मझौल औद्योगिक एकक की स्थापना करने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में योजना आयोग के विचाराधीन नहीं हैं ।

देश में रैसस-मकाकों (वानरों) की संख्या

4067. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रेसस-मकाकों (वानरों) की संख्या में भारी कमी हुई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा रैसस-मकाकों (वानरों) और लंगूरों की गणना की गई है; और

(ग) इन्हें पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने तथा इनकी आबादी को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) देशव्यापी आधार पर अभी तक लंगूरों तथा रेसस-मकाकों (वानरों) की कोई गणनां नहीं की गई है । तथापि, कुछ

कथनों और स्थानिक गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्षों के बाद इन जातियों की आबादी में कमी हुई है।

(ग) इन दोनों जातियों को वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-2 में शामिल किया गया है जिससे शिकार तथा वाणिज्यक शोषण से कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। 1977-78 से निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए हैदराबाद में एक बस्ती का निर्माण

4068. **श्री जी० भूपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए बस्ती के निर्माण के निर्णय के बारे में दिनांक 27 अगस्त, 1983 को केन्द्र सरकार को कोई पत्र लिखा है और केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि इस परियोजना को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में स्थापित करने के दावे पर उचित विचार किया जाए, और

(ख) यदि हां. तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों मे राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) हैदराबाद में प्रौद्योगिकी उद्यमनगर की स्थापना करने के बारे में एक सुसाध्यता रिपोर्ट जांच के लिए प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में अनुदानों और ऋणों के रूप में सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान की परिकल्पना की गई है। ऐसे टाऊनशिप की स्थापना के लिए अनुदानों और ऋणों के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करने के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है, जहां अनिवासी भारतीयों द्वारा विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों को हाथ में लिया जाएगा। इस बारे में किसी वित्तीय सहायता को स्वयं उद्यमियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से व्यवस्था की जानी चाहिए। देश में विनिर्माण यूनिटों को आरम्भ करने के लिए अनिवासी भारतीयों को कुछ प्रोत्साहन अवश्य प्रदान किए गए हैं और उनका फायदा विदेशों में काम करने वाले उन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भी उठाया जा सकता है जो कोई ऐसे यूनिट स्थापित करने के इच्छुक हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को भारत सरकार द्वारा सरकारी विभागों और अभिकरणों के बारे में जानकारी देने और उनके साथ बैठकों का आयोजन करने में सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार ने इन्हें आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दिया है।

श्रीनगर के कोषागार के तहखाने में पाये गये खजाने में गैर-सरकारी पार्टी का दावा

4069. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष जुलाई में श्रीनगर के कोषागार के तहखानेमें 1400 करोड़ रुपये का मूल्य का एक खजाना मिला था;

(ख) खजाने के विभिन्न घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस खजाने के बारे में किसी गैर-सरकारी पार्टी ने दावा किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 20 अक्तूबर, 1983 को जारी किए गए समाचार के अनुसार नियंत्रक, तवाजा ने अक्तूबर, 1951 में श्रीनगर खजाने में 8 सन्दूकें जमा की थी, जिनमें मूल्यवान पत्थर, राजसी आभूषण, पहनने के कपड़े, सजावट की वस्तुयें, प्राचीन कलाकृतियां, स्वर्ण, हीरे, मानिक, नीलम और अनुष्ठानिक वस्तुयें थीं। जम्मू तथा कश्मीर सरकार को 3 दिसम्बर, 1983 के पत्र के अनुसार खजाने का जुलाई 1983 में प्रचार हो गया। एक ब्रिटिश विशेषज्ञ ने मूल्यांकन के प्रयोजनों से खजाने को देखा था और उसकी रिपोर्ट प्रत्याशित है।

(ग) और (घ) डा० करण सिंह ने एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें दावा किया गया है कि वे कुलागत वस्तुएं हैं और उसकी सम्पत्ति हैं। मामले पर भारत सरकार ध्यान दे रही है।

गुजरात को सीमेंट की सप्लाई

4070. **श्री नवीन रावणी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 के प्रति माह कितनी सीमेंट की मांग की गई है;

(ख) अप्रैल दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान प्रतिमाह वास्तव में कितनी मात्रा में सीमेंट की सप्लाई की गई;

(ग) क्या यह सच है कि सप्लाई की गई मात्रा गुजरात सरकार द्वारा की गई मात्रा की अपेक्षा बहुत कम है तथा उसके कारण सरकार के कई कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या बकाया अवधि के दौरान विशेष कोटे के आवंटन के बारे में सरकार विचार करेगी ताकि अधूरा कार्य पूरा किया जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारें लेवी सीमेंट की अपनी आवश्यकताएं नियमित आधार पर प्रस्तुत नहीं करती। परन्तु गुजरात सरकार ने हाल ही में बताया था कि उनकी लेवी सीमेंट की त्रैमासिक आवश्यकता 7 लाख मी० टन की है।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए सीमेंट के प्रेषणों के बारे में सूचना त्रैमासिक आधार पर रखी जाती है। अप्रैल से दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य के लिए लेवी सीमेंट की निम्नलिखित मात्रा प्रेषित की गई है :

अवधि	प्रेषण (मी० टन)
अप्रैल-जून, 1983	2,55,000
जुलाई-सितम्बर, 1983	2,39,000
अक्तूबर-दिसम्बर, 1983	2,93,000

इसके अतिरिक्त, गुजरात राज्य को वर्ष 1983 के दौरान, प्रति तिमाही औसतन लगभग 1,82,000 मी० टन गैर-लेवी सीमेंट प्राप्त हुआ है।

(ग) चूंकि लेवी-सीमेंट की पूरी आवश्यकता को पूरा करना सम्भव नहीं हुआ है, इसलिए यह सम्भव है कि कुल परियोजनाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) लेवी लीमेंट की सीमित उपलब्धता के कारण राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के, प्रशासनों के लिए किए जाने वाले आवंटनों में वृद्धि करना अभी संभव नहीं हुआ है। फिर भी वर्ष 1983-84 के दौरान आवंटनों में 83 की तीसरी तिमाही के आरम्भ से 84 की पहली तिमाही तीन तिमाहियों की अवधि में बाढ़-राहत कार्यों हेतु राज्य के लिए किए गए 55,000 मी० टन के तदर्थ आवंटनों के अतिरिक्त 34,000 मी० टन की वृद्धि की गई थी।

अनिवासी भारतीयों द्वारा लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र

4071. **श्री नवीन रावणी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों के औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों को शीघ्र मंजूर करने के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं;

(ख) वर्ष 1982 और 1983 में कितने अनिवासी भारतीयों ने भारत में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है;

(ग) उपरोक्त अवधि में कितने आवेदन-पत्रों पर लाइसेंसों की मंजूरी दी गई है;

(घ) उपरोक्त अवधि में जिन व्यक्तियों ने भारत में उद्योग स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) जी हां। औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्रवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदनों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए जनवरी, 1983 में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग में किया गया था और इसके बाद सरकार ने नवम्बर, 1983 में एक विशेष अनुमोदन समिति गठित की है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 1983 में 29 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके अलावा 1983 में औद्योगिक लाइसेंसों और पूंजीगत सामान/विदेशी सहयोग के 9 मिश्रित आवेदन भी प्राप्त हुए थे।

उपर्युक्त आवेदनों में से 24 स्वीकृत कर दिए गए हैं, 9 अस्वीकृत कर दिए गए हैं और 5 विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं।

आशय-पत्र 12 मास की वैधता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं जो 12 मास के लिए और बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि के दौरान पार्टियों से अपने प्रस्ताव क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है। आशय-पत्र अभी हाल ही में जारी किए गए हैं अतः पार्टियों द्वारा अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किए गए उपायों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) प्रवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जाती है । संक्षेप में यह सुविधाएं इस प्रकार हैं ।

(1) वास्तविक संपदा कारोबार तथा कृषि बागान कार्यों को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में राशि प्रत्यावर्तन के अधिकार बिना 100 प्रतिशत तक निवेश ।

(2) राशि प्रत्यावर्तन के लाभ सहित किसी भी उद्योग में 40 प्रतिशत और कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 70 प्रतिशत तक निवेश ।

(3) विदेशों में अपनी विदेशी मुद्रा की बचत और आरक्षित राशि से कुछ प्रतिबन्धित वस्तुओं को छोड़कर अन्य पूंजीगत सामान का आयात ।

(4) उनके द्वारा विदेश में कम से कम एक वर्ष तक प्रयोग में लाए गए व्यावसायिक उपकरणों (नए अथवा पुराने) का आयात ।

(5) 500 के० वी० ए० और अधिक की रेटिंग वाले जनरेटिंग सेटों का आयात ।

राजस्थान राज्य में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत हुआ खर्चा

4072. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में 1981 से अब तक जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य को वर्षवार कुल कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) क्या यह सच है कि घटक योजना के समान न होकर जनजाति उपयोजना क्षेत्रोन्मुखी है; और

(घ) क्या जनजाति उपयोजना नीति और योजना के उद्देश्यों को परिवारोन्मुखी बनाने की दृष्टि से संशोधित करने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राजस्थान राज्य में जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत किया गया वर्ष-वार और योजना-वार व्यय निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	क्षेत्र योजना	व्यय		
		1980-81	1981-82	1982-83
			(रुपए लाखों में)	
1.	कृषि और संबद्ध सेवाएं	421.68	391.42	482.90
2.	सहकारिता	15.87	5.42	29.44
3.	जल तथा विद्युत	2206.15	3196.33	3039.38
4.	उद्योग तथा खनिज	186.28	179.09	225.41
5.	परिवहन और संचार	232.52	204.14	220.63
6.	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	390.49	443.79	411.63
7.	आर्थिक सेवाएं	1.72	1.69	1.84
	कुल व्यय (अन्य मदों सहित)	3460.73	4428.38	4419.14

(ख) राज्य को दी गई वर्ष वार विशेष केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	धनराशि (रु० लाखों में)
1980-81	516.49
1981-82	590.79
1982-83	636.79
1983-84	722.11

(ग) जी हां, श्रीमान ।

जनजाति उप-योजना क्षेत्रोन्मुख है लेकिन इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जनजाति के 50% परिवारों के उत्थान का भी है ।

(घ) जनजाति उप-योजना नीति में छठी योजना अवधि के दौरान परिवारोन्मुख कल्याण कार्यक्रम पहले से सम्मिलित हैं ।

राज्यों में मोडीफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र

4073. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम क्या हैं जहां मोडीफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच योजना शुरू की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में एम० ए० डी० ए० के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है; और

(ग) इस अवधि में प्रत्येक राज्य को वर्षवार कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) संलग्न विवरण में ब्यौरे दिये गए हैं ।

(19-3-1984 को)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अन्तर्गत लाए गए गांवों की संख्या	1980-85	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
			एम० ए० डी० ए० (खड़) के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता					
			1980-85	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(लाख रु० में)				
1.	आंध्र प्रदेश	453	275.51	70.10	47.00	48.41	55.00	55.00
2.	बिहार	2338	790.09	138.10	143 28	143.28	167.67	207.76
3.	गुजरात	554	437.10	65.20	79.26	85.26	92.75	114.63
4.	हिमाचल प्रदेश	178	27.22	—	4.94	5.20	5.78	11.30
5.	मध्य प्रदेश	6692	1730.66	277.90	313.83	313.83	367.25	457.85
6.	महाराष्ट्र	596	235.28	45.60	42.67	45.00	49.93	52.08
7.	उड़ीसा	2183	548.29	86.10	99.42	99.42	116.34	147.01
8.	राजस्थान	2939	1140.34	210.00	206.79	206·79	241.99	274.77
9.	उत्तर प्रदेश	38	15.51	2.20	2.81	2.81	3.29	4.40
	कुल जोड़	15971	5200.00	885.20	940.00	950.00	1100.00	1324.80

डब्ल्यू० जी० फोर्ज एण्ड एलाईड इंडस्ट्रीज का बन्द किया जाना

4074. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डब्ल्यू०जी०फोर्ज एण्ड एलाईड इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता जो कि सरकार को महत्व-पूर्ण रक्षा उपस्कर सप्लाई करने वाली एक प्रमुख इन्जीनियरी कम्पनी है जिसमें 3000 से अधिक लोग काम करते हैं, निकट भविष्य में बन्द होने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके बन्द होने की नौबत इतने शीघ्र आने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संस्था को चलाए रखने और यह सुनिश्चित करने कि इसके किसी भी कर्मचारी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) जी नहीं, फिर भी मै० डब्ल्यू० जी० फोर्ज एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि० बम्बई (महाराष्ट्र) मुख्यतः अपर्याप्त कार्यसंचालन पूंजी वित्त की समस्याओं के कारण बन्द होने की स्थिति में है। आई० डी० बी० आई० तथा बैंकों का एक संघ इस एकक को पुनरुज्जीवित करने के तरीकों का पता लगा रहे हैं।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन में हानि

4075. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग मन्त्री** एम० ए० एम० सी० में हानि के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी इस औचित्य के बारे में विचार किया है कि 125 करोड़ रुपये से अधिक घाटे के बावजूद माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन, दुर्गापुर राजधानी में स्थित अपने सुसज्जित गैस्ट-हाउस के रख-रखाव पर एक लाख से अधिक धनराशि का, सरकारी राजकोष से परिहार्य खर्च कर रहा है;

(ख) इस फिजूल खर्च को उनके मंत्रालय ने किन आधारों पर उचित ठहराया है; और

(ग) भारी घाटे में चल रहे इस उपक्रम को दिल्ली में गैस्ट-हाउस की अपनी संस्थापना को बन्द करके अशोक यात्री निवास में, जो सरकारी उपक्रमों को कमरा देने पर रियायत भी है, 2 कमरे किराए पर लेने के निर्देश देने में सरकार द्वारा हिचकिचाहट दिखाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) जी, हां। माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा दिल्ली में गेस्ट-हाउस का रखरखाव सरकारी दौरों पर रहने वाले अपने अधिकारियों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। यह उचित है क्योंकि गेस्ट-हाउस के रखरखाव पर और अशोक यात्री निवास में वैकल्पिक आवास के किराये पर व्यय के बीच मामूली सा अन्तर है और इससे कोई अर्थपूर्ण बचत नहीं होगी। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह व्यय फिजूल नहीं समझा जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाटा के जूतों के मूल्यों में वृद्धि

4076. **डा० ए० यू० आजमी** क्या **उद्योग मन्त्री** बाटा के जूतों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में 7 दिसम्बर, 1983 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2365 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के ध्यान में कुछ विशिष्ट मामले आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को सूचित किया गया एक उदाहरण बाद में इस मंत्रालय की जानकारी में भी आया था। खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने जो इस मामले से प्रशासनिक रूप से संबंधित है, इस मामले पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए इसे दिल्ली प्रशासन को भेजा है।

सरकारी कर्मचारियों को परेशान करने और अनुशासनात्मक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने हेतु जारी किए गए आदेश

4077. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **गृह मंत्री** अनुशासन प्राधिकारी द्वारा लगाए गए अवचार के आरोपों से सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4765 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सूरज चन्द्र बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में आल इण्डिया रिपोर्टर 1971. एस० सी० 752 के निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया है जैसाकि मुथुस्वामी की केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, और अपील) नियम 1965 में मुद्रित है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारी को परेशान करने और अनुशासनात्मक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या जारी किए गए आदेशों की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित निर्णय को नोट कर लिया है। उक्त निर्णय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में नियमों में अपनी कोई दुर्बलता नहीं अपितु नियमों के उपबन्धों का पालन करने में विफलता ही अधिक वर्णित हुई है।

सरकारी कर्मचारियों को शासित करने वाले अनुशासनिक नियमों में स्वतः ही यह प्रावधान है कि अनुशासनिक प्राधिकारी अवचार या कदाचार के लांछन के सार को आरोप की निश्चित और सुस्पष्ट मदों में और आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछन का विवरण तैयार करेगा या तैयार कराएगा; जिनमें आरोप की मदों के समर्थन में दस्ता-

वेजों की सूची और साक्षियों की सूची भी होगी। इस दृष्टि से इस मामले में आगे कोई और अनुदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

संगणकों के निर्माण हेतु सोवियत संघ से प्रौद्योगिकी

4078. **श्रीलक्ष्मण मलिक :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संगणकों की अद्यतन संगणकों के निर्माण के लिए सोवियत संघ से प्रौद्योगिकी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार उस देश को संगणकों, "साफ्टवेयर" और उपकरणों के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान सोवियत संघ को कम्प्यूटर की यंत्रेतर-सामग्री (साफ्टवेयर) तथा संघटक पुर्जों के निर्यात में वृद्धि करने के सम्बन्ध में दिलचस्पी जाहिर की है। किन्तु, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर गठित "भारत-सोवियत संयुक्त आयोग" के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित कार्यदल द्वारा अभी तक इसके विवरण तैयार किए जाने शेष हैं।

उड़ीसा में खनिजों की खोज

4079. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान उड़ीसा के विभिन्न भागों में और अधिक खनिज स्रोतों की खोज करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे;

(ख) उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उनकी खोज के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) खनिजों की खोज और गवेषण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा उड़ीसा राज्य खनन निदेशालय ने 1983 हेतु बनाए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अनुसार अपने-अपने चुने हुए परिचालन क्षेत्रों में यह कार्य किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2588 वर्ग मील क्षेत्र का मानचित्रण तथा 12500 मीटर का डिलिंग किया है।

(ख) कोयला तथा क्रोमाइट के अतिरिक्त भंडारों की पुष्टि की गई है, तथा बोलनगीर और कालाहांडी में नए चूना पत्थर निक्षेप खोजे गए हैं । राज्य खान निदेशालय ने कोयला, चूना पत्थर, क्रोमाइट, फायरक्ले, टिन आदि के लिए भी अपने क्षेत्रों में गवेषण किया है ।

(ग) चालू फील्ड सत्र (1983-84) के दौरान भी विभिन्न खनिजों के लिए गवेषण जारी है ।

मारुति कारों का बिना बारी के आवंटन

4080. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या **उद्योग मंत्री** मारुति कारों का बिना बारी के आवंटन के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 234 और 14 दिसम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक हित का संवर्धन का मापदण्ड क्या है और क्या इस लोक हित की परिधि के अन्दर न्यायाधीशों, संसद सदस्यों, विधायकों, सरकार के सचिवों को आवंटन किया जाएगा;

(ख) कारों के आवंटन के संदर्भ में 'लोक हित' को परिभाषित करने का मापदण्ड क्या है;

(ग) क्या कतिपय वर्गों के व्यक्तियों को लोक हित के अन्तर्गत रखा जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माता के 5 प्रतिशत कोटे में इस श्रेणी का हिस्सा कितना होगा ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) "लोकहित का संवर्धन" मापदण्ड के अन्तर्गत अलग-अलग व्यक्तियों और संगठनों को, जो विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक और सामाजिक सेवाओं में लगे हुए हैं, लाने का इरादा है । कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अलग अलग मामले के आधार पर प्रत्येक अनुरोध पर विचार किया जाता है और किसी भी वर्ग या श्रेणी का व्यक्ति सामान्य तौर पर इस मापदण्ड के अन्तर्गत नहीं आता है ।

(घ) निर्माता के 5 प्रतिशत कोटे से इस श्रेणी का कोई पूर्व निर्धारित हिस्सा नहीं है ।

मारुति वाहनों के निर्माण का स्वीकृत चरणबद्ध कार्यक्रम

4081. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या **उद्योग मंत्री** मारुति वाहनों की खरीद के लिए आवेदकों के बारे में 27 जुलाई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 567 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "समुचित रूप से स्वीकृत चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम" का ब्यौरा क्या है जिसके वर्ष 1984-85 में 31 प्रतिशत से कुछ अधिक के स्वदेशी अंशदान को वर्ष 1988-89 में बढ़कर 95 प्रतिशत हो जाना है;

(ख) देश में ही खरीदे जाने वाले हिस्से और पुर्जों के ब्यौरे सहित 1984-85 के लिए कितने स्वदेशीय अंशदान का विचार है;

(ग) वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में क्रमश: स्वदेशीय रूप में खरीदे जाने वाले हिस्सों और पुर्जों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसकी एक प्रति संसद ग्रन्थालय में उपलब्ध कराई जायेगी और यदि हां, तो उसकी संदर्भ संख्या क्या है और क्या "समुचित रूप से स्वीकृत चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम" की एक प्रति सभा पटल पर रखी जानी संभव नहीं है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मारुति कारों के लिए स्वीकृत चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम में स्वदेशी अंशदान निम्नलिखित है : —

1984-85	31.6 प्रतिशत
1985-86	42.6 प्रतिशत
1986-87	57.3 प्रतिशत
1987-88	84·5 प्रतिशत
1988-89	95.3 प्रतिशत

(ख) तथा (ग) जिन हिस्से/पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाना है, सम्पूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से उनके विकास में की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, उनके ब्यौरों का समय-समय पर अद्यतन बनाया जा रहा है ।

(घ) इसके चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम के ब्यौरे बताना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में नहीं है ।

स्कूटर और कारें बुक कराने की शर्तें

4082. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या **उद्योग मंत्री** स्कूटर और कारें बुक कराने की शर्तों के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4736 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्रश्न में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत आने वाले मोटर वाहन निर्माताओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक निर्माता के पास 31 दिसम्बर, 1983 को कुल कितनी अग्रिम राशि जमा थी;

(ख) प्रत्येक कम्पनी 21 दिसम्बर, 1983 को (एक) राष्ट्रीयकृत बैंकों में (दो) सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में (तीन) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जमा की गई इस प्रकार की अग्रिम धनराशि कितनी थी;

(ग) क्या ये मार्गदर्शी सिद्धांत मारुति उद्योग लिमिटेड पर भी लागू होते हैं यदि हां, तो क्या मारुति सहित सभी कम्पनियों ने मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भारी उद्योग विभाग को इस जमा धनराशि के उपयोग की स्थिति बताई है; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1983 को मारुति उद्योग लिमिटेड के पास जमा धनराशि के उपयोग की स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करने की समय-सीमा 30-6-1984 तक बढ़ा दी गई है और धनराशियों को उपयोग में लाने से संम्बन्धित कम्पनी वार जानकारी 30-9-1984 को समाप्त होने

वाली तिमाही में उपलब्ध होगी । ये मार्गदर्शी सिद्धांत मारुति उद्योग लिमिटेड पर भी लागू होते हैं।

आदिवासियों के लिये केन्द्रीय मन्त्रालय

4083. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1984 के "स्टेट्समैन" में "सेंट्रल मिनिस्ट्री फार ट्राईबल वेल्फेयर साट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिये एक अलग मन्त्रालय बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) अलग मन्त्रालय बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है अपितु मन्त्रालय में वर्तमान प्रबन्धों को अधिक प्रभावकारी बनाया जा रहा है ।

दिल्ली में रुग्ण एकक

4084. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स में रुग्ण एककों की संख्या कितनी है;

(ख) उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार संघशासित क्षेत्र, दिल्ली में उद्योगों को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में रुग्ण एककों को पुन: चालू करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 1981 के अंत तक दिल्ली में 826 रुग्ण लघु एकक थे ।

(ख) दिल्ली में छोटे एककों की रुग्णता के कारण इस प्रकार हैं: —

(I) बैंकों द्वारा अपर्याप्त कार्यशील पूंजी दिया जाना;

(II) आवश्यक बिजली (पावर लोड) की मंजूरी मिलने में विलम्ब होना ।

(ग) से (ङ) जी हां ।

छोटे रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए दिल्ली प्रशासन निम्नलिखित दो योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:—

(ii) **सीमान्त धन योजना :**

रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु सीमान्त धन की योजना के अन्तर्गत एक रुग्ण एकक अपने पुनरुज्जीवन हेतु कम से कम 1,000 रुपये और अधिक-से-अधिक 20,000 रुपये के ऋण का हकदार है। इस योजना के वर्तमान रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार द्वारा सम्मिलित प्रयास किया जाना निहित है। वर्तमान स्वरूप में इसके अन्तर्गत कार्य करने वाले एक ओर तो बैंक और वित्तीय संस्थान हैं तथा दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य स्तरीय अत: संस्थानात्मक समिति है जिसे संबन्धित एजेंसियों के बीच कार्यक्रम का समन्वय करना होता है।

(1) **रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का पुनर्वासन-भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा छोटे एककों को सहायता के लिए ऋण योजना की पद्धति :**

इस योजना के अन्तर्गत एक एकक स्वयं को रुग्णता से उबारने के लिए निम्नलिखित वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते ऋण लेने का पात्र है :

(1) सहमत पुनरूज्जीवन कार्यक्रम में दिखाए गए पूर्वानुमाओं अनुसार अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत धन ।

(2) बंद एकक को पुन: आरम्भ करने के लिए आवश्यकताओं पर आधारित आरम्भिक खर्चे ।

(3) सीमांत धन के बिना संतुलनकारी संयंत्र और उपक्रमों के वित्तीययन हेतु अवस्थापना लागत सहित सीमित पूँजीगत व्यय ।

(4) पुनरूज्जीवन योजना में दर्शाए गए पूर्वानुमानों के अनुसार नकद हानि ।

इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की योजना का क्रियान्वयन दिल्ली फाइनान्शियल कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

महिला उद्यमियों के लिये सुविधाए

4085. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को दी गई भर्ती, आरक्षण और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे कारखानों का भी उल्लेख किया है जो नगरों के बीच जैसे उपयुक्त स्थानों पर स्थित होने के कारण महिला उद्यमियों के लिए सुविधाजनक है;

(ग) क्या सरकार ने महिला उद्यमियों के कल्याण की देखभाल करने के लिए इस सम्बन्ध में कोई सलाहकार समिति भी नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए दी जा रही सुविधाओं के विषय में महिला उद्यमियों को अग्रिमान दिया जाता है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक प्लाटों/शेडों का कुछ आरक्षण भी किया जा रहा है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

(ख) संवर्धनात्मक एजेंसियों ने महिला उद्यमियों के लिए उपयुक्त उद्योगों का चयन कर लिया गया है और संभावित महिला उद्यमियों को उनके उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थापना स्थल के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है।

(ग) तथा (घ) किसी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है क्योंकि महिला उद्यमियों की आवश्यकताओं की देखरेख विधान संवर्धनात्मक एजेंसियां करती हैं।

गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध लोगों का मूल्यांकन अध्ययन.

4086. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे लोगों के बारे में योजना आयोग ने हाल ही में एक मूल्यांकन अध्ययन किया है जो सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से लाभान्वित नहीं हुए जबकि कई राज्यों में इन लोगों के लिये आर्थिक स्तर का मापदंड कम कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा किए गए इस मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) :(क) जी, नहीं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का एक मूल्यांकन अध्ययन अवश्य किया था। तथापि, यह विशिष्ट रूप से गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं था।

(ख) इस अध्ययन के अन्य निष्कर्षों के साथ-साथ यह भी पता लगा कि नमूने में बिजली लगाए गए गांवों में गुजरात में केवल 3.4 प्रतिशत, हरियाणा में 8.3 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 11.8 प्रतिशत, मेघालय में 12.5 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 15.8 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की जनसंख्या थी जो 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच थी। आंध्र प्रदेश में केवल 3.8 प्रतिशत, बिहार में 8.0 प्रतिशत, केरल में 8.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 12.2 प्रतिशत, पंजाब में 14.3 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 15.8 प्रतिशत चुने हुए बिजली लगाये गये गांवों में कमजोर वर्गों की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या थी।

(ग) एकत्र किए गए आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चला कि राज्य सरकारों को उन गांवों में बिजली लगाने की व्यवस्था करने के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है। उपयुक्त नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि कमजोर वर्गों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके ताकि वे भी बिजली का लाभ उठा सकें।

राजभाषा अधिनियम 1983 का कार्यान्वयन

4087. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963, के उपबन्धों के अनुसार उनके मंत्रालय द्वारा देश के "क" "ख" तथा "ग" श्रेणी के राज्यों में स्थित अपने विभागों सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों को पृथक रूप से कुल कितने मूल पत्र लिखे गये;

(ख) राज्य-वार तथा वर्ष-वार उनमें से कितने पत्र मूल रूप से हिन्दी तथा अंग्रेजी में पृथक-पृथक रूप से लिखे गये;

(ग) इन वर्षों के दौरान वर्ष-वार "क" "ख" तथा "ग" श्रेणी के उपयुक्त राज्यों में स्थित उनके विभागों सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों से उनके मंत्रालय में कुल कितने मूल पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) इन मूल पत्रों में से राज्य-वार कितने पत्र पृथक रूप से हिन्दी में लिखे गये तथा कितने अंग्रेजी के लिखे गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

मुंगेर जिले में सोने के निक्षेप

4088. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी के दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गिरिडीह जिले की सीमा से लगे हुए मुंगेर जिले के सोनन खंड के अन्तर्गत चूरहेता ग्राम पंचायत में करमटिया गांव में सोने के निक्षेप पाए जाने की सम्भावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा वहां खनन कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां । मुंगेर जिले के करमाटिया गांव के लोगों ने गांव के निकट स्वर्ण खनिजीकरण होने की सूचना दी है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य के खनन और भूतत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया है । भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वहां पर व्यापक मानचित्रण, गर्त्तन, खन्दक निर्माण और नमूना संकलन का कार्य शुरू कर दिया है ।

(ख) खोज कार्य अभी चल रहा है । निक्षेपों का वाणिज्यिक दोहन उनकी प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता की पुष्टि होने पर ही किया जा सकता है ।

डोलोमाइट खानों में "प्राइस रेटेड" श्रमिकों के कार्यभार का ब्यौरा

4090. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खानों में "प्राइस रेटेड" श्रमिकों के कार्यभार का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक खान के बारे से तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह कार्यभार किस आधार पर निर्धारित किया गया; और

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन इस्पात कारखानों में किये जाने वाले समान कार्य से इस कार्यभार का कोई सम्बन्ध हैं; यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) भिलाई, बोकारो तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों की चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट की अपनी खानों में उजरती कामगारों के, चाहे वे विभागीय आधार पर अथवा उन ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए जाएं, जो उजरती आधार पर भुगतान करते हैं, कार्य मापदंडों/मजूरी के भुगतान का ब्यौरा विवरण-I, II तथा III में दिया गया है । जहां कार्य मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं वहां विभिन्न श्रेणियों से कामगारों की दैनिक मजूरी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी के आधार पर निर्धारित की गई है।

(ख) कार्य मापदंड संयंत्र स्तर पर द्वि-पक्षीय/त्रि-पक्षीय समझौतों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । ठेकेदारों के श्रमिकों के मामले में कार्य मापदंड ठेकेदारों तथा श्रमिकों के साथ समझौते के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं । इस्पात फैक्टरियों में सामान्यत: इस प्रकार के कार्य नहीं है क्योंकि भाग (क) में उल्लिखित कार्य खनन कार्य से सम्बन्धित है ।

विवरण

भिलाई इस्पात कारखाने की चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट की अपनी खानों में विभागीय उजरती कामगारों के कार्य मापदंड

नन्दिनी की चूना-पत्थर की खानें		हिर्री की डोलोमाइट की खानें	
क्रम सं० कार्य	कार्य मापदंड	क्रम सं० कार्य	कार्य मापदंड
मुख्य कार्य	**प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन (टन)**		**प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन (टन)**
1. उपरि-भाग को काटना तथा हटाना और उसे ट्रकों में लादना		1. उपरि भाग को काटना और हटाना तथा उसे टिपरों में लादना	5.48
मुरभरी मिट्टी	6.84	2. खानों यथा स्टैक से अंतर्वेशन मिट्टी एकत्र करना और उसे टिपरों में लादना	2.38
मध्यम सख्त	5.98	3. डलों/चिपों का संफुल्लन, साईंजिंग और खनन क्षेत्र में उसे ट्रकों पर लादना	1.82 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
2. खानों तथा स्टैक से अंतर्वेशन मिट्टी एकत्र करना और उसे ट्रकों में लादना	2.79	4. डलों को लादना	4.4
3. संफुल्लन, साइजन, चितिकरण करना और खनन क्षेत्र में ट्रकों पर लादना	"		
डले (50 मि. मी. से 100 मि. मी.)	2.55		
चिप्स (0 मि. मी. से 25 मि. मी.)	4.08	5. चिप्स को लादना	5.1
4. डलों तथा चिप्स के वैगनों में माल लादना	7.7		

नन्दिनी की चूना-पत्थर की खानें		हिरी की डोलोमाइट की खानें	
क्रम सं० कार्य	कार्य के मापदंड	क्रम सं० कार्य	कार्य के मापदंड
अन्य कार्य	**घन मीटर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन**	**अन्य कार्य**	**घन मीटर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन**
1. मेरेम क्वेरिंग	2.77	1. मेरेम क्वेरिंग	2.77
2. मोरम स्टेंकिंग	7.70	2. मोरम स्टेंकिंग	7.70
3. हार्ड मोरम सोएल	2.16	3. हार्ड मोरम सोएल	2.16
4. हार्ड मोरम सोएल/बोल्डर स्टेडेड	1.32	4. हार्ड मोरम सोएल/बोल्डर स्टेडेड	1.32
5. लेटेराइट आरवनन	2.96	5. लेटेराइट क्वेरिंग	2.96
6. नरम चट्टान (स्फोटन के बिना)	1.24	6. नरम चट्टान (स्फोटन के बिना)	1.24
7. स्टैक से अयस्क का साइजन	1.90	7. स्टैक से अयस्क का साइजन	1.90
8. नरम शेल	3.30	8. नरम शेल	3.30
	मीटर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन		**मीटर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन**
9. हस्त-वेधन (नरम चट्टान)	2.53	9. हस्त वेधन (नरम चट्टान)	2.53
10. हस्त वेधन (सख्त चट्टान)	2.02	10. हस्त वेधन (सख्त चट्टान)	2.02

विवरण-II

बोकारो इस्पात कारखाने की न्यू चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट की अपनी खानों में उजरती कामगारों के कार्य मापदंड

1. बोकारो इस्पात कारखाने में कोई भी विभागीय उजरती कामगार नहीं है।

2. विभागीय कारखानों को समय-दर के अनुसार मजूरी दी जाती है।

3. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कामगारों को कार्य के निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार उजरती आधार पर भुगतान दिया जाता है :—

कार्य	मापदंड
1. भवनाथपुर (चूना-पत्थर)	
संफुल्लन तथा साइजन	1.2 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
माल लादना (क) वैगनों में	7 से 8 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन एक पूरे बाक्स वैगन पर माल लादना
(ख) ट्रकों में	5 से 6 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन 5 से 6 ट्रकों पर माल लादना
2. तुलसीदमार (डोलोमाइट)	
संफुल्लन तथा साइजन	1 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदन
माल लादना (क) वैगनों में	7 से 8 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन एक पूरे बाक्स वैगन पर माल लादना
(ख) ट्रकों में	5 से 6 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन 5 से 6 ट्रकों पर माल लादना
3. कुटेश्वर (चूना-पत्थर)	
संफुल्लन तथा साइजन	0.9 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
माल लादना (क) वैगनों में	7 से 8 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन एक पूरे बाक्स वैगन पर माल लादना
(ख) ट्रकों में	5 से 6 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन 5 से 6 ट्रकों पर माल लादना

विवरण-III

राउरकेला इस्पात कारखाने की चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट की अपनी खानों में उजरती कामगारों के कार्य मापदंड

1. केवल सतना की इस्पात चूना-पत्थर खान में विभागीय उजरती कामगार हैं। इन कामगारों के कार्य मापदंडों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	कार्य	मापदंड (घन मीटर)
1.	मिट्टी तथा चट्टान का उपरि-भाग हटाना	2.0
2.	चूना-पत्थर का साइजन (+40 मि० मी० से 80 मि० मी०)	1.6
3.	खनन तल पर स्टैक में निराकृत अवध मिट्टी तथा स्टैकड को हटाना	3.6

2. पूर्ण पानी की चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट की खानों में ठेकेदार के श्रमिक काम करते हैं। इन खानों से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में वेतनमान

4091. **श्री बाबूराव परांजपे :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उपमहाप्रबन्धक और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों तथा गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और राष्ट्रीय तथा बिजली निगम कारपोरेशन जैसे अन्य महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों सहित पुनरीक्षित वेतनमानों में समता मिली है, कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ऐसी समता नहीं दी गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया में समतुल्य कैडरों के वर्तमान महंगाई भत्ते सहित पुनरीक्षण पूर्व और हाल के पुनरीक्षित वेतनमान क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेष अधिकारियों को भी राष्ट्रीय ताप बिजली निगम और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के बराबर वेतनमानों में समता मंजूर करेंगे क्योंकि सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अच्छे कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट दी है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) अनुसूचित वेतनमानों से निम्न कार्यकारियों के वेतनमान सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में एक समान नहीं हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, एन० टी० पी० सी० और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के कार्यकारियों के पूर्व संशोधित तथा संशोधित वेतनमानों का ब्यौरा विवरण में दिया जाता है। बी० एच० ई० एल में संशोधित वेतनमान 1-8-1982 से पांच साल तक की अवधि के लिए वैध हैं।

विवरण

भेल, सेल और एन० टी० पी० सी० के कार्यकारियों का वेतनमान बताने वाला विवरण

श्रेणी (भेल में)	संगठन	पूर्व संशोधित वेतनमान	संशोधित वेतनमान
ई-1			
इन्जीनियर	भेल	775-40-1375	1100-60-1940
	सेल	800-50-1400	1150-60-1870
	एन० टी० पी० सी०	800-40-1200-50-1400	1100-60-2000
ई-2			
वरिष्ठ इंजीनियर	भेल	1075-50-1675	1450-60-1750-70-2240
	सेल	1100-50-1700	1500-70-2340
	एन० टी० पी० सी०	1100-50-1700	1600-60-2200-75-2500
ई-3			
उप-प्रबन्धक	भेल	1375-50-1775	1800-70-2080-80-2480
	सेल	1250-50-1750/1400-50-1800/ 1200-50-1800	1700-80-2660
	एन० टी० पी० सी०	1400-20-1800	2000-75-2300-100-2800
ई-4			
प्रबन्धक	भेल	1575-75-2175	2050-80-2450-100-2750
	सेल	1650-80-2210/1600-60-1900-100-2200	2200-90-3100
	एन० टी० पी० सी०	1600-75-2700	2300-100-3100

श्रेणी (भेल)	सं न	पूर्व-संशोधित वेतनमान	संशोधित वेतनमान
ई-5			
वरिष्ठ प्रबन्धक	भेल	1875-100-2475	2475-100-3075
	सेल	1900-100-2500	2550-100-3250
	एन० टी० पी० सी०	1900-100-2500	2600-100-3400
ई-6			
उप महा प्रबन्धक	भेल	2250-100-2750	3000-100-3700
	सेल	(1) 2250-100-2650	(1) 3000-100-3500
		(2) 2350-100-2750	(2) 3100-100-3700
	एन० टी० पी० सी०	2250-100-2750	3000-100-3700
ई-7			
महा प्रबन्धक	भेल	2500-100-3000	3500-100-4000
	सेल	2500-100-3000/2600-100-3100	3500-100-4000/3600-100-4100
	एन० टी० पी० सी०	2500-100-3000	3500-100-4000
ई-8			
कार्यकारी निदेशक/	भेल	3000-125-3500	4000-125-4500
जी०जी०एम०एस०/	सेल	3000-125-3500	4000-125-4500
क्रियाशील निदेशक	एन० टी० पी० सी०	3000-125-3500	4000-125-4500

महंगाई भत्ता	(1-3-1984 को)
भेल	574.50 रुपये
सेल	575.10 रुपये
एन० टी० पी० सी०	574.50 रुपये

"भेल" द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

4092. **श्री बाबूराव परांजपे :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित जानकारी देते हुए "भेल" द्वारा जनवरी 1980 से नए स्थानों पर खोले गए नए एककों, उप-एककों, सर्विस सेंटर्स के नाम क्या हैं, परियोजनाओं के नाम, बनाये जाने वाले उत्पाद, परियोजनाओं की कुल लागत, प्रारम्भिक वर्ष अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा, परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लाभ/घाटा, पिछले दो वर्षों में वास्तविक लाभ/घाटा और भूगोलिक दृष्टि से सम्बद्ध संसदीय चुनाव क्षेत्र का नाम ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परियोजनाओं की सूची और उनके ब्यौरे

क्रमांक	परियोजना का नाम	उत्पाद	परियोजना की कुल लागत	वर्ष कब शुरू हुआ (वाणिज्यिक उत्पादन)	अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा	सम्भाव्यता रिपोर्ट के अनुसार कर पूर्वशुद्ध लाभ (निर्धारित क्षमता पर)	पिछले दो वर्षों में वास्तविक लाभ/हानि	संसदीय चुनाव क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क—नए निर्माण एकक/उप एकक								
1.	इन्सुलेटर प्लांट जगदीश पुर (उ० प्र०)	डिस्क इन्सुलेटर्स	1889 लाख रु.	1984	480 लाख रुपये	287 लाख रुपये	लागू नहीं होता	अमेठी
2.	कम्पोनेंट फैब्रीकेशन प्लांट, रुद्रपुर	वाटर लेविल गेजेज, फासनर्स, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत उपकरण	95 लाख रु.	अभी शुरू नहीं हुआ	कुछ नहीं	28 लाख रुपये	लागू नहीं होता	नैनीताल
3.	कन्ट्रोल गियर डिवीजन, कालागढ़, उत्तर प्रदेश	खुले और बन्द प्रकार के बोर्ड और पैनल	85 लाख रु०	1982	कुछ नहीं	28.4 लाख रुपये	अलग से विवरण नहीं बनाया गया है क्योंकि यह एच. ई. ई. पी/ भेल हरिद्वार का उप-एकक है।	गढ़वाल
4.	औद्योगिक वाल्व्स संयंत्र, गोइन्दवाल (पंजाब)	गेट-वाल्व्स	275 लाख रु०	अभी शुरू नहीं हुआ	कुछ नहीं	105 लाख रुपये	लागू नहीं होता	तरन तारन

क्रमांक	परियोजना का नाम	उत्पाद	परियोजना की कुल लागत	वर्ष कब शुरू हुआ (सेवा केन्द्र)	अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा	सम्भाव्यता रिपोर्ट के अनुसार कर-पूर्वशुद्ध लाभ	पिछले दो वर्षों में वास्तविक लाभ/हानि	संसदीय चुनाव क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	भारी उपकरण मरम्मत संयंत्र, वाराणसी	विद्युत संयंत्र उपकरणों की मरम्मत और फालतू पुर्जों का निर्माण	380 लाख रु०	अभी शुरू नहीं हुआ	19 लाख रुपये	118 लाख रुपये	लागू नहीं होता	वाराणसी
ख—सेवा केन्द्र								
6.	सेवा केन्द्र, वाराणसी	विद्युत/औद्योगिक उपकरणों के रख-रखाव के लिए बिक्री पश्चात सेवा	लागू नहीं होता	1983	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	वाराणसी
7.	सेवा केन्द्र, नागपुर	-वही-	लागू नहीं होता	1983	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नागपुर
8.	सेवा केन्द्र, चण्डीगढ़	-वही-	लागू नहीं हाता	1984	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	चण्डीगढ़

हरियाणा में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर बनाने के कारखाने

4093. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में, विशेष रूप से महेन्द्रगढ़ जिले में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों के निर्माण के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए गए कारखानों की कुल संख्या क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में, उद्योगपतियों को विशेषकर खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के निर्माताओं को, राज सहायता देने में भेदभाव बरता गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) हरियाणा राज्य में एल० पी० जी० सिलेंडरों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित कारखाने तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में दर्ज हैं :—

(1) इण्डियन गैस सिलेंडर्स, फरीदाबाद

(2) स्टैन्डर्ड सिलेंडर्स (प्रा०) लि०, गुडगांव

(3) मैटल उद्योग, फरीदाबाद

(4) हिन्दुस्तान बायर्स लि०, फरीदाबाद

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । केन्द्रीय निवेश सहायता योजना, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है ।

पर्यावरण प्रदूषण तथा स्वास्थ्य के लिए खतरा

4094. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सीमित संसाधनों के उपयोग की बढ़ती हुई मांग, पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य को खतरे के सन्दर्भ में "वेस्ट रिसाइक्लिंग" अथवा "वेस्ट कनवर्जन" या "वेस्ट यूटीलाइजेशन" के बारे में किसी राज्य में विशेषज्ञों द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों को सरकार का वैसे प्रचार करने तथा किसी भी अपशिष्ट पदार्थ (वेस्ट) का अधिकतम उपयोग कैसे सुनिश्चित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा अध्ययन करने की आवश्यकता पर विचार करेगी?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्जिनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर ने, सिंचाई तथा कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट जल के उपयोग से पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों की जांच पड़ताल की है। परिणामस्वरूप, कई उद्योगों के अपशिष्ट जल को, सिंचाई हेतु रिसाईकल किया जा रहा है । कुड़े-करकट के उपयोग की स्कीमें भी प्रारम्भ की गई हैं तथा कई स्थानीय निकाओं ने शहरी कुड़े-करकट को खाद में बदलने के लिए, संयंत्र स्थापित किए हैं । ओखला मल जल उपचार संयंत्र में अपशिष्ट पदार्थों से गैस बनाने की स्कीम का क्रियान्वन किया गया है । अन्य शहरों में ऐसी स्कीमों को चालू करने के लिए विचार किया जा रहा है । इन स्कीमों को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार आमतौर से रियायत तथा आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ।

आशय-पत्रों पर निगरानी रखा जाना

4095. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विदेशी सहयोगों, पूंजीगत सामान का निपटान, वित्तीय सहायता दिये जाने, स्थलों के चयन और प्रदूषण-विरोधी उपायों की स्वीकृति आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिये कोई तंत्र/मशीनरी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एकाधिकार अवरोधक तथा व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न उद्योगों को जारी किए उन आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है जो गत दो वर्षों से बेकार पड़े हैं; और

(घ) इस मामले में यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि इन लाइसेंसों का यथासमय उपयोग किया जाये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, तकनीकी विकास के महानिदेशालय और सम्बन्धित अनुभागों के माध्यम से आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की प्रगति की मॉनिटरिंग की जाती है । प्रशासनिक मंत्रालय भी अपने से सम्बन्धित आशय-पत्रों और लाइसेंसों की प्रगति की निगरानी करते हैं । हाल ही में, राज्य सरकारों से भी ऐसे आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

आशय-पत्र एक वर्ष लिए वैध होते हैं जिसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है । औद्योगिक लाइसेंस 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध होते हैं । एक औद्योगिक परियोजना के पनपने की अवधि सामान्यतः 2 से 3 वर्ष तक भिन्न-भिन्न होती है ।

पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न एम०आर०टी०पी० घरानों को जारी किए गए आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे ।

चिकित्सकीय प्रयोजन के लिए हिन्द महासागर के समुद्री जीवन का व्यवस्थित रूप से दोहन और उपयोग

4096. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के समुद्री जीवन के विविध रूपों का उपयोग करने और चिकित्सकीय प्रयोजन हेतु समुद्री जीवन का पता लगाने तथा समुद्र के भीतर विविध रूपों में व्याप्त अनछुए खजाने के विशाल भंडार को मनुष्य के तेजी से समाप्त हो रहे स्थलीय स्रोतों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित रूप से इस सम्पदा का दोहन करने हेतु कोई परियोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं और उनका उपयोग किस प्रकार करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान । समुद्र की

वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं से जीव-सक्रिय द्रव्यक और (बॉयो-एक्टिव सबस्टेंटिव) दोहन करने हेतु एक परियोजना, अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सहयोग से हाल ही में प्रारंभ की गई है । इसी प्रकार, कच्चे माल की हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुद्र-तल स्रोतों की खोज करने संबंधी प्रयत्न जारी हैं ।

(ग) इन सभी परियोजनाओं में प्राप्त की गई प्रगति आशाप्रद है । अधिक आंकड़े और सूचना प्राप्त होने पर, यथासमय उनकी उपयोगिता के बारे में रूपरेखा तैयार करना संभव हो सकेगा ।

भारत में स्पंज लोहा संयंत्रों की स्थापना

4097. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्पंज लोहा संयंत्रों की संख्या कितनी है तथा यह कहां-कहां पर हैं; और

(ख) इन संयंत्रों के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में और अधिक स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात औद्योगिक निदेश निगम ने गुजरात में स्पंज लोहा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आशय-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) इस समय देश में स्पंज लोहे के दो कारखाने हैं । एक कारखाना मैसर्स स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड आंध्र प्रदेश के जिला खम्मम के कोतगुडेम के स्थान पर है तथा दूसरा मैसर्स उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड उड़ीसा के क्योंझर जिले के नयागढ़ क्षेत्र में है।

(ख) इन कारखानों का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है :—

	वर्ष 1982-83	वर्ष 1983-84
स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश	23,430 टन	24,084 टन (फरवरी, 84 तक)
उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड, उड़ीसा		16,500 टन (लगभग) (जनवरी, 84 तक)

(ग) और (घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत स्पंज लोहे के निम्नलिखित कारखानों को लाइसेंस/आशय-पत्र दिए गए हैं :—

इकाई का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता
1. बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	जिला राँची	1,20,000 टन
2. मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	तहसील : हटिया जिला : रांची, बिहार	3,000 टन
3. मैसर्स इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड	क्योंझर, उड़ीसा	90,000 टन
4. दि स्टेट इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र	वाडावली, तहसील अलीबेग, जिला : रायगढ़ महाराष्ट्र	4,00,000 टन
5. मैसर्स गुजरात इंड्रस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन	हाजिरा, सूरत, गुजरात	4,00,000 टन
6. कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम	हास्पेट, वेलारी, कर्नाटक	1,50,000 टन
7. एम० पी० औद्योगिक विकास निगम	छतीसगढ़, रायगढ़, मध्य प्रदेश	1,50,000 टन
8. सरोज एलायज लिमिटेड	हास्पेट, वेलारी, कर्नाटक	20,000 टन

जैसाकि ऊपर मद (5) में बताया गया है,गुजरात में गैस पर आधारित स्पंज लोहे का एक कारखाना लगाने के लिए मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को एक आशय-पत्र संख्या-741(83) दिनांक 18-11-83 जारी किया गया है ।

मारुति वाहनों के लिये दी गई बुकिंग राशि को वापस लेना

4098. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **उद्योग मंत्री** मारुति कारों के लिए दी गई बुकिंग राशि को वापस लेने के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4678 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने आवेदकों, जिन्होंने मारुति उद्योग लि० में वाहन बुक किए हुए हैं, ने फरवरी, 1984 के अंत तक अपनी बुकिंग रद्द करने हेतु निवेदन किया है;

(ख) कितने आवेदकों को वास्तव में उनकी धनराशि वापिस की गई है और क्या उन्हें उनके द्वारा जमा की गई धनराशि पर ब्याज का भुगतान किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 4736 के उत्तर में बताये गये सरकारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) फरवरी, 1984 के अंत तक 1313 आवेदकों ने धन-वापसी के लिए अनुरोध किया था।

(ख) अब तक बिना ब्याज के 1224 आवेदकों को जमा धनराशि लौटाई गई है।

(ग) ब्याज के भुगतान से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत बुकिंगों के रद्द किए जाने की दशा में लागू नहीं होते हैं, इसके अलावा, बुकिंग करते समय मारुति उद्योग लि० ने घोषित किया था कि यदि एक वर्ष के अन्दर बुकिंग रद्द की जाती है तो कोई ब्याज नही दिया जायेगा।

देश में आदिवासी विकास

4099. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के आदिवासी विकास पर अत्यधिक जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 में विभिन्न राज्यों में किन-किन आदिवासी कल्याण योजनाओं को लागू किया गया है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों विशेषत: गुजरात के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1983-84 के दौरान निम्नलिखित आदिवासी कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) विभिन्न संरक्षात्मक उपायों जैसे आदिवासी भूमि के अन्तरण के विरुद्ध कानून, साहूकारी के व्यवसाय की विनियमन, बन्धक मजदूरी को समाप्त करना। अन्तर्राज्जीय उत्प्रवासी श्रम का विनियमन, वन आबकारी, ऋण और विपणन नीतियों की समीक्षा का प्रवर्तन।

(2) उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमियों का आवंटन और उसका विकास करना।

(3) मकान स्थलों का आवंटन और मकान बनाने के लिए सहायता।

(4) सिंचाई क्षमता की बढ़ोतरी, आधुनिक तकनीक लागू करना और पर्याप्त निवेश अर्थात सुधरे हुए बीज खाद आदि के प्रयोग द्वारा कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों में उत्पादकता स्तर बढ़ाने पर ध्यान देना।

(5) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले आदिवासी परिवारों का पता लगाना और विभिन्न विकास कार्यक्रमों अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम; ग्रामीण गरीबों का आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम, रोजगार गारंटी पुष्टिकरण योजना, पहाड़ी क्षेत्र विकास और आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता देना ताकि वे गरीबी रेखा पार कर सकें।

(6) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आश्रम-स्कूलों, कन्या छात्रावासों, पुस्तक बैंकों की स्थापना और पर्याप्त मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों/वजीफों का प्रावधान करना और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों और सेवाओं के आरक्षण का पुनरीक्षण करने के अतिरिक्त विशिष्ट रोजगार अवसरों के लिए आदिवासी लड़कों के अनुशिक्षण और प्रशिक्षण की योजना चलाना ।

(ग) 1983-84 के दौरान आदिवासी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों को आवंटित राशि और वे आदिवासी परिवार जिनकी आर्थिक रूप से सहायता की गई है, इस प्रकार है :—

मद	आवंटित राशि (रु० लाख में)	वे परिवार जिनकी आर्थिक रूप से सहायता की गई
आदिवासी उपयोजना	89604.94	615233
राज्य		(जनवरी, 1984 तक)
गुजरात	14164.30	53678
		(जनवरी, 1984 तक)

इंजीनियरिंग यूनिटों के लिये नियंत्रक कम्पनी की स्थापना

4100. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पश्चिम बंगाल में भारी उद्योग विभाग के अधीन कुछ इन्जीनियरिंग यूनिटों के लिए एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना के एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है और कौन से इन्जीनियरिंग यूनिटों को इसके अन्तर्गत रखा जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेरोजगार युवकों के लिये बनायी गयी योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब

4101. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिये सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और शिक्षित लोगों को अपना रोजगार खोलने के लिये बनायी गयी योजनाओं की कार्यान्वित की गति बहुत धीमी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इसकी कार्यान्विति में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने संबंधी योजना में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि

प्रत्येक परिवार के केवल एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यापक मानदण्ड के अधीन राज्य/संघशासित सरकारों को योजना को इस तरीके से कार्यान्वित करने का परामर्श दिया गया है जिससे उपयुक्ततम उम्मीदवारों को लाभ मिलना सुनिश्चय हो सके। 6 मार्च, 1984 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जिला उद्योग केन्द्रकृतिक बलों द्वारा लगभग 2.05 लाख आवेदन पत्रों की जांच करके उनकी सिफारिश बैंकों को किए जाने की जानकारी मिली है। बैंकों ने 37,518 मामलों को स्वीकृत किया है। यह देखते हुए कि योजना हाल ही में शुरू हुई है। इसके कार्यान्वयन की गति को अधिक धीमा नहीं कहा जा सकता है।

बिहार में लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना

4103. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक खंड में प्रति वर्ष 200 लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने संबंधी लक्ष्य को, विशेष रूप से बिहार में, प्राप्त न कर पाने के कारणों की जांच करने के कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए० ग्रा० वि० का) के अंतर्गत प्रत्येक खंड में 600 व्यक्तियों को, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, सहायता देने का लक्ष्य है। बिहार में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का निष्पादन संतोषजनक है, जैसा कि नीचे की सारणी में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :—

मदें	यूनिट	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (जनवरी 84 तक)
लाभान्वित होने वालों की संख्या	(लाख में)				
(क) लक्ष्य	(संख्या)	3.52	3.52	3.52	3.52
(ख) सहायता प्राप्त लाभान्वित होने वालों की संख्या	(संख्या)	2.53	2.76	3.63	2.40
(ग) प्रतिशत उपलब्धि	(प्रतिशत)	1.9	78.4	103.1	68.2

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में विचाराधीन कैदी

4104. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न जेलों में राज्य-वार विचाराधीन कैदियों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कैदी हैं;

(ग) इन विचाराधीन कैदियों के मामले औसतन कितनी अवधि से लम्बित पड़े हैं;

(घ) क्या ऐसे विचाराधीन कैदी भी हैं जिनके विरुद्ध मामले न्यायालयों में दर्ज नहीं कराये गये हैं; और

(ङ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) जेल राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती ।

(ङ) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि विचारणाधीन कैदी अवैध रूप से लम्बे समय तक जेलों में सजा न काटें, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सावधिक रूप से विचारणाधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा करने के लिए राज्यों और जिला स्तर की समितियां स्थापित करने, गरीब तथा असहाय कैदियों को कानूनी सहायता देने की व्यवस्था करने और मामलों का अन्वेषण और जांच करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। उनसे समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों की दृष्टि से विचारणाधीन कैदियों के मामलों की जांच करने का भी अनुरोध किया गया है । इसके अतिरिक्त सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ राज्यों में अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है ।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	30-6-83 को विचारणाधीन कैदी
1	2	3
1.	असम	2441
*2.	आंध्र प्रदेश	11006
*3.	बिहार	20414
*4.	गुजरात	1550
5.	हरियाणा	1217
6.	हिमाचल प्रदेश	158
7.	जम्मू और कश्मीर	326
8.	कर्नाटक	2831
9.	केरल	1478
10.	मध्य प्रदेश	8929
11.	महाराष्ट्र	8747
12.	मणिपुर	339

1	2	4
13.	मेघालय	234
14.	नागालैण्ड	322
15.	उड़ीसा	4364
16.	पंजाब	3134
17.	राजस्थान	3225
18.	सिक्किम	39
19.	तमिलनाडु	3091
20.	त्रिपुरा	242
21.	उत्तर प्रदेश	16974
*22.	पश्चिम बंगाल	7328
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	35
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
25.	चण्डीगढ़	78
26.	दादरा और नगर हवेली	5
27.	दिल्ली	2109
28.	गोवा, दमन और दीव	64
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	310
31.	पाण्डिचेरी	58

* 31-12-82 को

जेलों में सड़ रहे कैदी

4105. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न जेलों में 14 वर्ष से अधिक समय से जेलों में सड़ रहे कैदियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने ऐसे सभी कैदियों के मामलों की पुनरीक्षा की है ;

(ग) यदि हां, तो इस पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप, राज्यवार कितने कैदी रिहा किए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रकार से रिहा किए गए कैदियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी सहायता धनराशि दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जेल राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार ऐसे आंकड़े नहीं रखती।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछड़े क्षेत्रों में आणविक संयंत्र लगाने के लिए एकाधिकार अवरोधक तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कम्पनियों को प्रोत्साहन

4106. **श्री बी० वी० देसाई** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार अवरोधक तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और बिदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत उन कम्पनियों को जो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आणविक संयंत्र लगाने की इच्छुक हैं, अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कुछ विशेष रियायतें दी जा रही हैं;

(ग) यदि हां तो उन्हें क्या रियायतें दी जा रही हैं; और

(घ) अब तक उनमें से कितनी कम्पनियों ने पिछड़े क्षेत्र में आणविक संयंत्र लगाने की पेशकश की है और उन्हें क्या रियायतें दी जा रही हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियां सभी केन्द्रस्थ संयंत्रों के लिए उपलब्ध रियायतों और प्रोत्साहनों के अतिरिक्त निम्नलिखित की पात्र हैं :—

1. कम्पनी अधिनियम की धारा 372 (1) के अधीन अलग-अलग प्रकरण के आधार पर 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा के स्थान पर 30 प्रतिशत तक अन्तर-कम्पनी निवेश ।

2. सावधिक ऋणदायी संस्थानों द्वारा स्वीकृति की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए या राशि वितरण की तारीख से 5 वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, लगाई गई परिवर्तनीयता की धारा लागू का न होना ।

3. पिछड़े क्षेत्रों के जिलों की श्रेणी (ख) में किए गए निवेश के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत राजसहायता जिसकी सीमा 5 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाना है । इसका ब्यौरा 27 अप्रैल, 1983 के प्रेस टिप्पण में दिया गया है ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वरोजगार योजना

4107. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "दिल्ली में स्नातकों से बेलदार और कुली के काम" शीर्षक से 29 जनवरी, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार स्थापित करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उनको सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी; हां ।

(ख) प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त, 1983 को दिए गए स्वतन्त्रता दिवस के भाषण के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को छोड़कर समग्र देश में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है । योजना के अन्तर्गत उन शिक्षित बेरोजगार युवकों का पता लगाने के बाद, जो मैट्रिक (दसवीं कक्षा) पास हैं अथवा अधिक शिक्षा प्राप्त हैं तथा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, और जो समाज के संपन्न वर्गों से संबद्ध नहीं हैं बैंक ऐसे प्रत्येक उद्यमी को जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल की सिफारिश पर 25,000/- रु० से अनधिक तक का मिश्रित ऋण प्रदान करेंगे । ये कृतिम बल उद्योग क्षेत्र अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से स्व-रोजगार उद्यमों के लिए जीव्य परियोजनाएं तैयार करने में भी उनकी मदद करेंगे । केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता बैंकों से संविदाकृत ऋण के 25 प्रतिशत तक की पूंजी राज-सहायता के रूप में दी जाएगी ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार

4108. **श्री नीरेन घोष** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के पुनरुद्धार आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य किसको सौंपा गया है;

(ख) क्या उन्होंने अपने तकनीकी और अन्य कार्य पूरे कर लिए हैं ।

(ग) यदि हां, क्या उन्हें कार्य आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई है; और

(घ) क्या ब्रिटिश मिनिस्टर आफ ओवरसीज ने इस सम्बन्ध में कलकत्ता में कुछ कहा था ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण की योजना सरकार की अनुमति मिलने के पश्चात् स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी ।

(ख) और (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने इस योजना के लिए एक शक्यता रिपोर्ट तैयार की है । यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) अगस्त 1983 में ब्रिटेन की सरकार ने सुझाव दिया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार को दी जाने वाली द्विपक्षीय सहायता में से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ पाउंड की राशि इस परियोजना के काम में लाई जा सकती है ।

लोहा, इस्पात और सीमेंट के भाड़े की दरों को समान किया जाना

4109. **श्री नीरेन घोष** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा, इस्पात और सीमेंट की भाड़े की दरें कब तक अथवा किस तारीख तक समान हो जायेगी;

(ख) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) क्या भाड़े की दरें समान करने की तारीख का फैसला हो गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

औद्योगिक लायसेंस जारी करना

4111. **श्री हरीश रावत** . क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, अलग-अलग विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए कितने आशय-पत्र और लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने आशय-पत्र और लाइसेंस सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए अलग-अलग जारी किए गए हैं;

(ग) इनमें से कितने आशय-पत्रों और लाइसेंसों का प्रत्येक राज्य ने उस विशिष्ट उद्योग की स्थापना के लिए उपयोग किया, जिसके लिए वे जारी किए गए थे; और

(घ) कुल कितने आशय-पत्रों और लाइसेंसों का दो वर्ष से अधिक अवधि तक उपयोग नहीं किया गया और उनके समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) एक विवरण संलग्न किया गया है ।

(ख) वर्ष 1980 से 1983 के दौरान जारी किये गये 3,960 आशय-पत्रों में से 3,215 आशय-पत्र गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वीकृत किये गये थे और 745 आशय-पत्र केन्द्र और राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिसमें राज्य औद्योगिक विकास निगम सम्मिलित हैं, को स्वीकृत किये गये थे । इसी प्रकार इस अवधि के दौरान किये गये 2,458 औद्योगिक लाइसेंसों में से 2,168 लाइसेंस गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वीकृत किये गए थे और शेष 290 लाइसेंस केन्द्र और राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वीकृत किये गये थे ।

(ग) और (घ) 1980 से 1983 के दौरान जारी किये गये 3,960 आशय-पत्रों में से 988 आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किये जा चुके हैं और 320 आशय-पत्रों को व्यपगत मान लिया गया है । 1980 से 1983 के दौरान जारी किये गये 2,458 औद्योगिक लाइसेंसों में से 832 "कार्य जारी रखने" के लाइसेंस हैं । शेष 1,626 औद्योगिक लाइसेंसों में से 313 लाइसेंस पहले ही कार्यान्वित किये जा चुके हैं और 8 औद्योगिक लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं ।

जिन परियोजनाओं के आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं । उन्हें शीघ्रता से कार्यान्वित किए जाने की दृष्टि से उद्योग मंत्रालय ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से प्रत्येक मामले की प्रगति की समीक्षा करने और उन आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त कर देने के लिए कहा है जिन्होंने अनुमत वैधता अवधि के दौरान इन्हें कार्यान्वित नहीं किया है । राज्य सरकारों से भी अपने राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है ।

विवरण

वर्ष 1980 से 1983 के दौरान जारी किये गये आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का राज्य-बार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं. राज्य	1980		1981		1982		1983	
	आशय-पत्र	औद्यो-लाइ.	आशय-पत्र	औद्यो. लाइ.	आशय-पत्र	औद्यो. लाइ.	आशय-पत्र	औद्यो. लाइ.
1. आंध्र प्रदेश	78	42	68	39	66	26	79	63
2. अण्डमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—
3. अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	—	1	—	7	2
4. असम	2	5	7	4	5	1	3	22
5. बिहार	19	4	17	10	22	9	30	29
6. चंडीगढ़	—	1	1	1	4	3	1	3
7. दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	4	—	3	—
8. दिल्ली	2	5	9	2	9	7	8	18
9. गोआ, दमन और दिव	9	2	8	5	9	7	12	3
10. गुजरात	148	85	131	79	121	69	116	115
11. हिमाचल प्रदेश	11	2	15	1	15	6	20	5
12. हरियाणा	59	20	59	21	66	91	68	59
13. जम्मू व कश्मीर	12	1	8	3	8	3	17	10
14. कर्नाटक	73	40	58	25	85	34	74	65
15. केरल	22	11	25	15	29	9	35	22
16. लक्षद्वीप मिनीकाय तथा अमीद्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—
17. मध्य प्रदेश	47	18	30	15	63	9	54	30
18. महाराष्ट्र	175	107	144	144	148	95	155	171
19. मणिपुर	—	—	—	1	—	—	1	—
20. मेघालय	—	—	11	—	4	—	4	—
21. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
22. नागालैंड	—	—	6	—	1	—	3	2
23. उड़ीसा	14	8	32	5	43	10	25	14
24. पांडिचेरी	1	—	3	1	2	1	10	3

25. पंजाब	38	18	46	17	39	14	45	169
26. राजस्थान	45	15	42	26	55	14	34	25
27. सिक्किम	—	—	—	—	1	—	—	—
28. तमिलनाडु	52	37	69	30	66	41	68	76
29. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1	—
30. उत्तर प्रदेश	80	30	77	24	111	22	128	98
31. पश्चिम बंगाल	55	23	43	34	37	27	45	71
32. राज्य का नाम नहीं दिया गया/ एक से अधिक राज्य	4	1	6	4	29	4	9	—
योग :	946	475	916	476	1043	432	1055	1075

विदेशों के लिए तकनीकी व्यक्तियों के चयन के लिए मापदंड

4112. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र और इसी प्रकार की नियुक्तियों के लिए लघु उद्योग विकास प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अधिकारियों में से तकनीकी कार्मिकों के चयन के लिए क्या मापदण्ड हैं;

(ख) क्या इसके लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों हेतु कोई आरक्षण है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कराण है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) चुने गए अधिकारी के चयन की कसौटी कार्य-विवरण के अनुरूप उसकी उपयुक्तता, वरिष्ठता और सक्षमता होती है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) नियमों में इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

पंजाब से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूटरों/मोटर साइकिलों के चलाये जाने पर अस्थायी रोक लागू किया जाना

4113. **श्री हरीश रावत** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में उग्रवादियों द्वारा अधिकांश हत्यायें स्कूटर अथवा मोटर साइकिल पर की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से स्कूटर और मोटर-साइकिल चलाने पर अस्थायी रोक लगाने पर विचार करेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) उग्रवादियों द्वारा की गई हत्या के कुछ मामलों में उन्होंने स्कूटरों अथवा मोटर साइकिलों का प्रयोग किया था ।

(ख) पंजाब सरकार ने राज्य में सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निदेश दिये थे कि 1 मार्च, 1984 से 15 दिन के लिए स्कूटर तथा मोटर साइकिल चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाये। उनसे यह कहा गया है कि वे 15 मार्च 1984 के बाद इन वाहन के चलाने को अपने अनुभव तथा स्थिति की अपेक्षा के अनुसार नियमित करें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में जातियों/उपजातियों को सम्मिलित किया जाना

4114. **श्री हरीश रावत :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जातियों और उप जातियों की संख्या कितनी है जिनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए उनके मंत्रालय को विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या इन सभी प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव लोकहित में प्रकट नहीं किये जा सकते। कुछ राज्य सरकारों से टिप्पणियां अभी प्रत्याशित हैं और उन्हें नियमित रूप से स्मारक भेजे जा रहे हैं। इस मामले में सभी राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में आगे और संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखकर संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

उद्योग रहित जिलों में छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करना

4115. **श्री धर्मदास शास्त्री :**
श्री मोहन लाल पटेल :
श्री के० लकप्पा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कमी वाले क्षेत्रों तथा उद्योग रहित जिलों में छोटे सीमेट सयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सीमेंट संयंत्रों के किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सीमेंट की बढ़ती हुई मांग की समस्या कहां तक हल होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी दिनांक 21-2-84 के प्रेस टिप्पण द्वारा जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धांतों की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—7991/84]

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता लगभग 440 लाख मी० टन होगी, (जिसमें से मिनी संयंत्रों का 6.77 लाख मी० टन अंश होने की संभावना है) उत्पादन के हिसाब से 1983-84 के अन्त तक उद्योग द्वारा 270 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन कर लिए जाने की सम्भावना है, (जिसमें से मिनी सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन का अंश लगभग 2.00 लाख मी० टन होगा) उद्योग में विद्यमान क्षमता के उपयोग में सुधार करने और तेजी से अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ताकि 1984-85 में मांग और लक्ष्यबद्ध उत्पादन के बीच अन्तर कम किया जा सके तथा देश में सीमेंट की उपलब्धता में और अधिक सुधार किया जा सके।

स्कूटर कारखानों के लिए आशय-पत्र

4116. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनके स्कूटर बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ग) क्या कानून गैर-सरकारी उद्योगपतियों का इन उद्योगों के कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही उपभोक्ताओं से पंजीकरण राशि के रूप में करोड़ों रुपये एकत्र करने की अनुमति देता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण करने वाले 9 कारखाने हैं।

(ख) कोई नहीं, श्रीमान।

(ग) तथा (घ) भावी तिथि में डिलीवरी करने के लिए मोटर-गाड़ियों की बुकिंग हेतु जमा-राशियां लेने की प्रथा एक सामान्य वाणिज्यिक प्रथा है और इस प्रकार इससे कम्पनी (जमा-राशियों की स्वीकृति) नियम 1975 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत खंड-वार लाभान्वित लोग

4117. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 15 अगस्त, 1983 को प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित विशेष आर्थिक रोजगार कार्यक्रम से, देश के प्रत्येक विकास खंड में कितने-कितने लोगों को लाभ पहुंचा;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या समृद्ध वर्गों के लोगों ने इस कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाया है;

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कितने लोगों को लाभ पहुंचा तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्या है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की प्रगति की दर सन्तोषजनक नहीं है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में इस कार्यक्रम को दूर-दूर तक और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क),(ख)तथा(घ) राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत सरकार लाभ ग्राहियों की संख्या अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभग्राहियों के प्रतिशत के बारे में ब्लाक-वार जानकारी एकत्र नहीं करती ।

(ग) जी, नहीं ।

(ङ) तथा (च) 6.3.1984 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश में 53,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं; जिनमें से 21,135 आवेदनों की जांच की जा चुकी है और जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बलों द्वारा सिफारिश करके बैंकों को भेजे जा चुके हैं । लगभग 3000 मामलों में बैंकों द्वारा पहले ही स्वीकृति दे दी गई है । इस प्रगति को असन्तोषजनक नहीं समझा गया है।

(छ) इस योजना के सुप्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार किया गया है, प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में कृतिम बल कार्यरत हैं, निरन्तर समीक्षा की जा रही है और अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है । मानिटरिंग विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जा रही है ।

पूर्वोत्तर परिषद द्वारा मंजूर किया गया योजना परिव्यय

4118. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर परिषद ने वर्ष 1984-85 के लिये 107.75 करोड़ रु० के योजना परिव्यय की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां । उत्तर-पूर्वी परिषद 1984-85 योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 107.75 करोड़ रु० है जिसमें जीवन बीमा निगम से लिया जाने वाला 10 करोड़ रु० का ऋण भी शामिल है । अनुमोदित परिव्यय का क्षेत्रकवार विवरण नीचे दिया गया है ।

क्षेत्रक	(करोड़ रु०) 1984-85 के लिए परिव्यय
1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	9.07
2. जल और विद्युत विकास	20.78*
3. उद्योग और खनन	5.92
4. परिवहन और संचार	56.38
5. जनशक्ति विकास	9.01

6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	4.89
7. सामान्य सेवायें	1.70
जोड़	107.75

* कोपिली जल-विद्युत परियोजना के लिए जीवन बीमा निगम से लिया जाने वाला 10 करोड़ रु० का ऋण शामिल है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक एककों की स्थापना

4119. **श्री विष्णु प्रसाद :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर परिषद ने टी वी सेट, इलेक्ट्रोनिक घड़ियां, बैट्री एलीमिनेटर जैसी मदों के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक एककों की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उत्तर पूर्वी परिषद ने,

(1) अगरतल्ला में इलेक्ट्रोनिक घड़ियों (अंक) के पुर्जे जोड़ने की इकाई;

(2) ईटानगर में रेडियो और बैटरी इलिमिनेटर के पुर्जे जोड़ने की इकाई; और

(3) इम्फाल में टी वी रिसीवर्स, जन-सम्बोधन एम्पली फायर/वोल्टेज स्टेबलाईजर और बैटरी इलिमिनेटर के लिए इलेक्ट्रोनिक पुर्जों को जोड़ने की इकाई ।

स्थापित करने की सम्भावना सम्बन्धी अध्ययन करवाया है ।

(ख) आगे कार्रवाई करने से पूर्व उपर्युक्त अध्ययनों की रिपोर्ट त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर सरकारों की उपलब्ध करायी गयी है ।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रेड I से V तक के पदों पर काम करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4120. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रेड I, II, III, IV और V के पदों पर ग्रेड-वार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक गेड में कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों से सम्बन्धित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) व (ख) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है । यह भागीदार मन्त्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण आदि के बारे में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा नियमों में आवश्यक प्रावधान किया गया है ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश से अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन करने के बारे में सिफारिशें

4121. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने अपनी अपनी अनुसूचित जातियों की सूचियों में कोई परिवर्तन और वृद्धि करने की कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन जातियों के नाम क्या हैं जिन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा इन राज्यों की अनुसूचित जातियों की सूची से निकालने अथवा जोड़ने की सिफारिश की गई है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अनुसूचित जातियों की सूची से निकालने या जोड़ने के लिए जातियों के नाम लोकहित में नहीं बताये जा सकते ।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा की गयी सिफारिशों पर भारत के महापंजीयक के साथ विचार-विमर्श करके और किसी समुदाय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए अपनाए जाने वाले संबंधित मापदण्डों, जो निम्न प्रकार से है; के अनुसार कार्रवाई की जा रही है :—

अनुसूचित जाति

छुआछूत की परम्परागत प्रथा से उत्पन्न अत्यन्त, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन ।

अनुसूचित जनजातियां

आदिम जनजाति विशेषता, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक रूप से पृथकता, समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित करने में शर्म और पिछड़ेपन के संकेत ।

उड़ीसा में निकल परियोजना की स्थापना

4123. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सुकिन्दा की खानों पर आधारित एक निकल परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव पिछले दशक से है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे):(क) और (ख) सुकिन्दा निकिल परियोजना को देशी प्रौद्योगिकी अपनाकर, प्राथमिक साध्यता रिपोर्ट के आधार पर 1974 में मंजूरी दी गई थी । लेकिन चुनी गई देशी प्रौद्योगिकी के प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर फेल हो जाने से परियोजना प्रगति नहीं कर सकी ।

देशी प्रौद्योगिकी के असफल हो जाने पर विदेशी परामर्शक का सोच-समझकर चुनाव करना था । कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा तैनात विशेषज्ञ ने सुलभ आकड़ों का प्रारम्भिक मूल्यांकन किया जिसने रिपोर्ट दी कि साध्यता रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अतिरिक्त गवेषण, प्रयोगशाला तथा प्रयोगिक संयंत्र परीक्षण करना जरूरी होगा। अतिरिक्त गवेषण की स्कीम तैयार कर ली गई है । गवेषण आंकड़े, प्रयोगशाला तथा प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण कार्यों के पुनरीक्षण हेतु विदेशी परामर्शकों से प्रस्ताव माँगे जा चुके हैं। उपयुक्त परामर्शक के चयन जो अग्रिम स्तर पर हैं, के बाद अयस्कों पर अतिरिक्त गवेषण तथा परीक्षण कार्य शुरू करने के समूचे प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

रिमोट सैन्सिंग तकनीक का विकास

4124. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 तथा उसके बाद रिमोट सैन्सिग तकनीक को विकसित करने के लिए अन्तरिक्ष विभाग की क्या योजनाएं हैं;

(ख) लोगों के लाभार्थ विकास के विभिन्न क्षेत्रों में रिमोट सैन्सिंग तकनीक के इस्तेमाल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) रिमोट सैन्सिंग तकनीक के उपयोग की क्षमता विकसित करने के लिए राज्यों को क्या सहायता दी गई है अथवा दिए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रोनिकी, तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भू-संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए उपग्रह-आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली की आयोजना और क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ किया गया है । भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला में प्रथम उपग्रह (आई०आर०एस०ए०) का प्रमोचन 1986 के लिए निर्धारित है । आई० आर० एस० की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वायुयानों और उपग्रहों पर संवेदकों से प्राप्त आंकड़ों के अर्जन और प्रसारण के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन० आर० एस० ए०) में विद्यमान सुविधाओं के संवर्धन का प्रस्ताव है ।

(ख) एन० आर० एस० ए० द्वारा आकड़ों को केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों में विविध प्रयोक्ता एजेन्सियों को कृषि, जलविज्ञान, मौसम विज्ञान, मत्स्य पालन, भू-विज्ञान, पर्यावरणीय मानीटरन, वानिकी; समुद्र विज्ञान और फसल की बीमारी की निगरानी जैसे क्षेत्रों में उपयोग के लिए व्यापक रूप में वितरित किया जाता है । प्रयोक्ता एजेंसियों में सुदूर संवेदन तकनीकों को द्रुतगति से प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली की आयोजना-समिति (पी० सी-एन० एन० आर० एम० एस०) की स्थापना की गई है ।

(ग) अन्तरिक्ष विभाग ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ कई संयुक्त परीक्षण आयोजित किये हैं तथा ये जारी रहेंगे । एन० आर० एस० ए० ने विविध राज्यों में प्रयोक्ता संगठनों के लिए हवाई और उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन सम्बन्धी सर्वेक्षण किए हैं। लगभग सभी राज्यों ने संयुक्त परीक्षण करने के लिए सुदूर संवेदन सुविधाओं का उपयोग किया है । आई० आर० एस० ए० उपग्रह के 1986 में छोड़े जाने और प्रचालनीकरण के बाद, विविध प्रयोक्ता एजेंसियों को उपलब्ध सुदूर संवेदन उपयोगों के कार्य क्षेत्र में और अधिक विस्तार होगा ।

पूर्वी क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर स्थापित करना

4125. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्ति

4126. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों की दिसम्बर, 1983 तक की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों, अपेक्षाकृत अधिक व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और यदि हां; तो इसमें कितना समय लगेगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण : (क) गरीबी के राज्यवार अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी आवधिक सर्वेक्षणों पर आधारित हैं । अन्तिम सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 से संबंधित हैं जिसके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं । अद्यतन सर्वेक्षण वर्ष 1983 में किया गया था और परिणाम अभी उपलब्ध होने हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) : हमारी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है । यह मुख्य रूप से अप्रकट बेरोजगारी के उच्च स्तर और उत्पादकता के कम स्तरों के कारण है । यद्यपि लोगों को गरीबी के स्तर से ऊंचा उठाने के लिए सतत् प्रयत्न किए जाते हैं । फिर भी ग्रामीण गरीबी को पूरी तरह से दूर करने के लिए समयावधि का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही उपाय किए हैं और गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करने वाले अनेक विशिष्ट कार्यक्रमों को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है । इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए० ग्रा० वि० का०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा० ग्रा० रो० का०), स्व० रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का

प्रशिक्षण (स्व० ग्रा० यु० प्र०) हैं और अगस्त, 1983 से ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है। सामान्यतः 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य भी गरीबी दूर करना ही है।

नर्मदा परियोजना के क्षेत्र में सीमेंट कारखाने की स्थापना

4127. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा परियोजना के क्षेत्र में जिस पत्थर भंडार का पता चला है यह सीमेंट बनाने के लिए अच्छी किस्म का है; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में एक मिनी सीमेंट कारखाना स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि नर्मदा परियोजना क्षेत्र में तथा उसके आस-पास यत्र-तत्र अलग-अलग अच्छी किस्म के चूना पत्थर की कुछ छोटी, खदानों के होने का पता चला है। अतएव, ऐसे लघु, यत्र-तत्र अलग-अलग फैली खदानों से किसी भी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने की योजना नहीं बनाई जा सकती है।

असम का उद्योगीकरण

4128. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल एलिएन्स आफ यंग एन्टरप्रिनर्स के विशेषज्ञ दल ने हाल में असम की यात्रा की थी और सरकार को लघु और मध्यम दर्जे के क्षेत्रों में तीव्र उद्योगीकरण की सलाह दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में छांटे गये उद्योगों का ब्यौरा क्या है तथा उद्योगों के विकास के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को किस किस्म की सहायता प्रदान की जायेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) असम राज्य को पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी "क" में शामिल किया गया है। इस राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को केन्द्र सरकार औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने में सर्वोपरि प्राथमिकता, 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25 लाख रुपये की केन्द्रीय निवेश राजसहायता और परिवहन राजसहायता दे रही है। अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी संस्थान रियायती वित्त प्रदान कर रहे हैं। इन रियायतों/प्रोत्साहनों के अलावा, इस राज्य में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी कर सम्बन्धी रियायत, लघु उद्योग द्वारा मशीनों की किराया खरीद तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, मूल/सीमांत (मार्जिन) धनराशि की सहायता तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से अनेक प्रकार की विस्तार सेवाओं और सहायता के भी पात्र हैं।

एम०आर०टी०पी०/फेरा कम्पनियों को 30 प्रतिशत की निर्यात दायित्व की शर्त पर ऐसे उद्योगों की स्थापना हेतु अनुमति दे दी गई है जो परिशिष्ट-1 से भिन्न हैं और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं हैं।

उद्योग रहित जिलों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये राज्य सरकार की कुल लागत की एक-तिहाई राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये प्रति जिला रखी गई है।

मध्य प्रदेश में परियोजनाओं को स्वीकृति

4129. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशी कम्पनियों के तकनीकी सहयोग से मध्य प्रदेश में कुछ नई परियोजनाओं को हाल में स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी सहयोग के स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा, जिसमें भारतीय और विदेशी पुर्जों के नाम, विनिर्माण की वस्तुएं तथा सहयोग का प्रकार सम्मिलित है, भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मन्थली न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप से नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

विदिशा और रायसेन में स्व-नियोजन योजना के अधीन विचाराधीन मामले

4130. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदिशा और रायसेन जिले के जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा स्व-नियोजन योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर विभिन्न मामले इस योजना के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण अभी भी बैंकर्स के पास लंबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दो जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का विभिन्न शाखाओं को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) स्व-रोजगार योजना के लिए महाजनों (बैंकरों) के पास धनराशि उपलब्ध न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फरवरी, 1984 के अन्त तक जिला उद्योग केन्द्र, रायसेन के बारे में बताया गया है कि उसने 204 मामलों की संवीक्षा करके, बैंकों को इनकी स्वीकृति की सिफारिश की थी, जिसने उस समय तक 75 मामलों में मंजूरी दे दी थी। विदिशा में जिला उद्योग केन्द्र के कृतिक बल के बारे में बताया गया है कि उसने फरवरी, 1984 के अन्त तक 86 मामलों की संवीक्षा करके उनकी मंजूरी की सिफारिश की थी और जिसमें से बैंक उस समय तक 40 मामलों में मंजूरी दे चुका था।

सातवीं योजना में पश्चिम बंगाल का परिव्यय

4131. **श्री सनत कुमार मण्डल** :

श्री चित्त बसु : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवीं योजना में राज्य के परिव्यय, जिसे उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम कर दिया गया है, के बारे में उनके साथ तथा योजगा आयोग के साथ कोई विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के परिव्यय को कम करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की सरकार की दलील पर विचार किया है और इसके परिव्यय में वृद्धि की गई है और यदि नहीं ; तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाब में बम विस्फोटों तथा आगजनी में मारे गये व्यक्ति

4132. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1984 के दैनिक 'हिन्दुस्तान' में पंजाब में आगजनी व बम विस्फोट में चार मरे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त उपाय किये गये हैं ताकि समाज-विरोधी तत्व किसी भी रूप में पंजाब में रहने वाले लोगों को कोई हानि न पहुंचा सके; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन्होंने क्या-क्या अपराध किये थे तथा उनको क्या-क्या सजा दी गई तथा पंजाब में इन घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार ने समाचार देखा है ।

(ख) सरकार ने पंजाब में ऐसे तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं । इनमें अपेक्षित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये छापे मारना और नाकाबन्दी आयोजित करना और बिना लाइसेंस के शस्त्रों और गोलाबारूद को पकड़ना तथा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना शामिल हैं । पुलिस की बेहतर तैनातगी, गहन गश्त, आसूचना तन्त्र को चुस्त बनाने के उपाय भी किए गए हैं । पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम 1983 और चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम 1983 बनाए गए हैं । इन अधिनियमों के अन्तर्गत पंजाब राज्य और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है । कानून प्रवर्तक एजेंसियों की सहायता करने के लिये सशस्त्र बल (पंजाब और चंडीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1983 के अधीन सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां दी गई हैं । राज्य में के कुछ क्षेत्रों को इस अधिनियम के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में निर्माणाधीन परमाणु विद्युत संयंत्रों की संख्या और स्थान

4133. **श्री नवीन रावणी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने और किन स्थानों पर परमाणु विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं ;

(ख) इन संयंत्रों का निर्माण पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई थी और उस समय प्रत्येक संयंत्र पर कितनी लागत आने का अनुमान था;

(ग) यह कब तक पूरे हो जाएंगे; और

(घ) क्या यह सच है कि इन संयंत्रों के प्राक्कलनों में संशोधन किया गया है और अब लागत मूल प्राक्कलनों से अधिक होगी; यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना पर कितनी अधिक लागत आएगी और उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

क्रम संख्या	निर्माणाधीन परमाणु बिजली घर	आरंभ में काम कब पूरा करने का कार्यक्रम था	आरंभिक लागत अनुमान	अब काम कब पूरा करने का कार्यक्रम है	संशोधित लागत अनुमान	लागत अनुमान में वृद्धि होने का कारण
			(करोड़ रुपए)		(करोड़ रुपए	
1.	मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-II कलपक्कम, जिला चेंगलपट्ट, तमिलनाडु	1976	70.63	1984-85	127.04	(i) संघटकों तथा सामग्री की लागत में वृद्धि होना।
2.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-I नरोरा, जिला बुलन्दशहर, यूनिट-II उत्तर प्रदेश	1981 1982	209.89	1987-88 1988-89	399.64	(ii) कूलिंग टावर शामिल करने और सुरक्षा संबंधी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन में सुधार करना। (iii) कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होना, जिसमें भारी पानी का ग्रेड बढ़ाने और अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण की सुविधाओं में विस्तार करना भी शामिल है। (iv) नए निर्माण-कार्य।
3.	ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना, ककरापार, जिला सूरत, यूनिट-I गुजरात यूनिट-II	1990 1991	382.52	1990-1991 1991-1992	कोई संशोधन नहीं किया गया।	

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन

4134. **श्री नवीन रावणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में चालू वर्ष 1984-85 के दौरान इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हमारे देश में इलेक्ट्रानिकी के उत्पादन को यथा संभव द्रुत गति से बढ़ाने की एक समूची नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी विभाग एक ऐसे औद्योगिक ढांचे के माध्यम से अनेकानेक उपाय कर रहा है । जो न केवल अधिकतम आधार पर स्वावलम्बी हो तथा प्रौद्योगिकीय दृष्टि से समकालीन हो । ये उपाय इस प्रकार हैं : औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों जिससे तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उत्पादन विषयक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ावा मिलता हो; तथा किफायती लागत पर थोक मात्रा में उत्पादन हो; इलेक्ट्रानिकी के प्रमुख सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयोगकर्ताओं के साथ उनकी भावी/बढ़ती हुई आवश्यकताओं के बारे में योजना बनाना तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना और उनकी स्थापना में समन्वय स्थापित करना; उच्च प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार द्वारा उत्पादन करना और अनुसंधान तथा विकास कार्य में पूंजी-निवेश करना; उदाहरणार्थ बड़े/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परपथ (एल० एम० आई०/वी० एल० एस० आई०), सूक्ष्मतरंग ट्यूब, सिलिकेन तथा मध्यम आकार के मुख्य ढांचे वाले कम्प्यूटर; देश के दूरसंचार नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली की अद्यतन प्रौद्योगिकी जानकारी पर एक प्रमुख विकास एवं इंजीनियरी कार्यक्रम, कई प्रकार की प्रणालियों, उपस्करों, संघटक-पुर्जों तथा सामग्रियों में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना तथा प्रौद्योगिकी विकास करना; इलेक्ट्रानिकी की अग्रणी प्रौद्योगिकियों/अनुप्रयोगों में उत्तमता केन्द्र स्थापित करना जैसे अंतुप्रकाशिकी, दूरमिति, कृषि तथा शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी, कम्प्युटरों में व्यापक पैमाने पर जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम; नियंत्रण एवं यंत्रीकरण संचार तथा सेमीकण्डक्टर । इन उपायों की प्रकृति ही ऐसी है कि इनका प्रभाव किसी विशिष्ट/एक वर्ष अर्थात 1984 में पड़ने की अपेक्षा कई वर्षों तक महसूस किया जाता रहेगा । यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि 1976-79 की अवधि में हमारा इलेक्ट्रानिक उद्योग में लगभग 20% की औसत दर से वृद्धि हुई और यह कि वर्ष 1980-83 की अवधि में इस औसत दर में लगभग 25% की वृद्धि हुई है । किन्तु, पिछले 2-3 वर्षों में किए गए उपायों तथा परिणामतः जिन क्षेत्रों में वर्ष 1984 के दौरान इलेक्ट्रानिक उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है उनका ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिए अनुसार है :--

आर्थिक उपाय

संसद में दिनांक 18 अगस्त, 1983 को घोषित 'इलेक्ट्रानिकी के शीघ्र एवं द्रुत, विकास के लिए किए गए उपाय' का आर्थिक अंश का उद्देश्य मूलत: देश में विनिर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पादों के मूल्यों में कमी लाना था। उदाहरणार्थ रंगीन दूरदर्शन ट्यूब, एकीकृत परिपथ, प्रतिरोधक (रजिस्टर) संधारित्र (कैपेसिटर) आदि जैसे आयातित संघटक-पुर्जों पर लगने वाला सीमा-शुल्क 158% से घटाकर 75% कर दिया गया है, : रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सहित सभी इलेक्ट्रानिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत उपस्करों पर लगने वाले सीमा शुल्क को 35% से घटाकर 25% कर दिया है तथा रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सेटों पर उत्पादन शुल्क 25%+5% अधिभार से घटाकर 15% कर दिया गया है। 51 से० मी० से कम आकार के पर्दे वाले श्याम तथा श्वेत सेटों के लिए इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। विशेषकर इलेक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टेकनालॉजी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा रंगीन दूरदर्शन ट्यूब जैसे संघटक-पुर्जों की एक साथ थोक मात्रा में खरीद करने पर लागत में और अधिक कमी होने की संभावना है। परिणामत: अनेक उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उत्पादों तथा संघटक-पुर्जों की कीमतों में पहले ही गिरावट आ गई है। इनका ब्यौरा **अनुबंध** 1 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7992/84]

दूरदर्शन का प्रसारण विस्तार

जून, 1983 में सरकार ने दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए एक विशेष योजना की शुरूआत की ताकि उस समय 30% जनसंख्या की तुलना में लगभग 70% जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। दूरदर्शन की सुविधा के विस्तार के लक्ष्य की प्राप्ति 113 निम्न शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों (एल० पी० टी०) तथा उच्च शक्ति के 26 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों (एच० पी० टी०) की स्थापना करके की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-1बी० के दूरदर्शन प्रसारण क्षमता का उपयोग करते हुए, जिसमें प्रत्येक दूरदर्शन ट्रांसमीटर में लगे उपग्रह टर्मिनल में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह से ऐसे दूरदर्शन प्रसारण प्राप्त करने की क्षमता है (तथाकथित दूरदर्शन अभिग्रहण मात्र टर्मिनल) विशेष योजना के अन्तर्गत सभी 391 ट्रांसमीटरों को एक राष्ट्रीय नेटवर्क में जोड़ने की योजना है जिसके फलस्वरूप 70% जनसंख्या को राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, दूरदर्शन, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, फिल्म तथा दूरदर्शन संस्थान, पुणे तथा निजी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं की इस व्यापक तौर पर विस्तृत दूरदर्शन नेटवर्क पर विभिन्न किस्म के दूरदर्शन कार्यक्रमों को पेश करने की क्षमता में भी दूरदर्शन स्टूडियो, के स्थापना/विस्तार, सुवाह्य दूरदर्शन कैमरों तथा वीडियो रिकार्डरों आदि के माध्यम से वृद्धि की जा रही है। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम के फलस्वरूप आज तक विभिन्न किस्म के उच्च प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक इलेक्ट्रानिक उपस्करों की लगभग 62 करोड़ की आवश्यकता हुई है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करने के फलस्वरूप इलेक्ट्रानिकी विभाग ने कई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों, भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड गुजरात संचार इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, केन्ट्रान तथा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र को इन सभी इलेक्ट्रानिक उपस्करों को सम्पूर्णतया देश में ही बनाने और उनकी आपूर्ति करने के लिए तैयार

किया है । इसके लिए तकनीकी दृष्टि से योजना बनाने, संवर्धन तथा समन्वय की आवश्यकता हुई है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में लगने वाले उपस्करों, संघटक-पुर्जों तथा सामग्रियों और जनशक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं का कठोर समय अनुसूची के अन्तर्गत व्यवस्था करने में कामयाबी मिली है और आवश्यक औद्योगिक तथा आयात लाइसेंसों की शीघ्र व्यवस्था करने से भी लाभ पहुंचा है । इसके फलस्वरूप 62 करोड़ रु० की कुल आवश्यकता का लगभग 90% अर्थात लगभग 55 करोड़ रु० का अतिरिक्त उत्पादन वर्ष 1984-85 के दौरान होने की संभावना है तथा वर्ष 1985-86 में आवश्यक शेष 10% की आपूर्ति उसी वर्ष में की जाएगी । इतना ही नहीं, इस 55 करोड़ रु० के आधे की पूर्ति (जो दूरदर्शन ट्रांसमीटरों और दूरदर्शन अभिग्रहण मात्र टर्मिनलों से सम्बन्धित है) स्वदेशी अनुसंधान/प्रौद्योगिकी जानकारी पर आधारित होगी ।

दूरदर्शन रिसीवर

ऊपर उल्लिखित आर्थिक उपायों का विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि दूरदर्शन के दो वर्तमान विनिर्माताओं ने 31 से० मी० पर्दे वाले श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों का निर्माण किया है जिसका उपभोक्ता मूल्य दिल्ली में लगने वाले सभी करों तथा शुल्कों सहित 1265 रु० तथा 1500 रु० के बीच होगा । इनमें से एक विनिर्माता ने फरवरी, 1984 के अन्त तक ऐसे 5000 सेटों की बिक्री होने की सूचना दी है । इस विनिर्माता को आशा है कि वर्ष 1984-85 के दौरान वह ऐसे लगभग 50,000 दूरदर्शन सेटों की बिक्री कर सकेगा ।

इन्हीं आर्थिक प्रोत्साहनों तथा रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए निर्धारित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के फलस्वरूप, जिनमें सरकार द्वारा अनुमोदित उत्पादन क्षमता पर कोई ऊपरी सीमा नहीं लागू की गई है, कम से कम तीन विनिर्माताओं ने यह घोषणा पहले ही कर दी है कि उनके रंगीन दूरदर्शन सेटों का उपभोक्ता मूल्य दिल्ली में लगने वाले सभी करों तथा शुल्कों सहित 5570 तथा 5862 रु० के बीच होगा । भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) नामक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी दूरदर्शन विनिर्माता कम्पनी ने भी सूचित किया है कि 1984 में आपूर्ति के लिए उन्होंने लगभग 30,000 रंगीन दूरदर्शन सेटों का पंजीकरण किया है ।

पूर्ववर्ती खण्ड में उल्लिखित विशिष्ट योजना द्वारा उपलब्ध दूरदर्शन ट्रांसमिशन की महती विस्तार योजना के फलस्वरूप दूरदर्शन रिसीवरों की मांग और फलतः उनके उत्पादन में भारी वृद्धि होगी, इस प्रकार वर्ष 1983 में श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन सेटों की मांग अनन्तिम तौर पर 7 लाख सेट आंकी गई है जिसका मूल्य 1 9 करोड़ रुपये होगा । वर्ष 1984 में ऐसे उत्पादन की कीमतों के आंकड़ों का विवरण इसलिए देना कठिन है क्योंकि विशेष योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई विस्तृत दूरदर्शन योजना चरणबद्ध तरीके से केवल जून से अक्तूबर में प्रभावी होगी और इसलिए भी कि दूरदर्शन रिसीवर उद्योग को श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन के अतिरिक्त रंगीन दूरदर्शन सेटों का न केवल वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए अपितु ऐसे कई नए शहरों और कस्बों में अपनी विपणन तथा मरम्मत से सम्बन्धित सुविधाओं का जाल बिछाने के लिए अपने आपको तैयार करना होगा जिन्हें विशिष्ट योजना के अन्तर्गत पहली बार दूरदर्शन की सुविधा प्राप्त होगी । किन्तु प्राप्त सूचना के आधार पर अस्थायी रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1984 के दौरान रंगीन तथा श्याम एवं श्वेत दूरदर्शन रिसीवरों का कुल

मिलाकर उत्पादन लगभग 10 लाख से 12 लाख सेट होगा । इसके फलस्वरूप वर्ष 1984 में इलेक्ट्रानिकी उत्पादन में 180 करोड़ रुपये से लेकर 240 करोड़ रुपये के बीच वृद्धि होगी ।

संचार

पिछले 3 वर्षों में संचार उपस्करों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं : स्विचन, ट्रांसमिशन तथा रेडियो संचार उपस्करों में स्वदेशी विकास/उत्पादन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रानिकी निजी स्वचालित शाखा केन्द्र (पी० ए० बी० एक्स०), ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (ई० आर० ए० एक्स०), इलेक्ट्रानिकी टेलीफोनों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी को समन्वित, करना केन्द्रीकृत खरीद तथा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी निगम तथा भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा स्थापित नए संयंत्रों को बढ़ावा देना । पिछले तीन वर्षों में किए गए उपायों के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि वर्ष 1984-85 में निम्नलिखित संचार उपस्कर विनिर्मित किए जाएंगे : सेटों के लिए अंकीय स्वचालित इलेक्ट्रानिकी एक्सचेंज उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति तथा परा उच्च आवृत्ति रेडियो संचार उपस्कर; उपग्रह भू-केन्द्रों के लिए उच्च शक्ति के प्रवर्धक, उपग्रह भू-केन्द्रों के लिए भू-संचार उपस्कर, पी०सी०एम० मल्टिरलेक्स उपस्कर, एफ० डी० एम० मल्टिरलेक्स उपस्कर, पराउच्च आवृत्ति रेडियो रिले उपस्कर, सूक्ष्म तरंग रेडियो रिले उपस्कर । इन वस्तुओं के विनिर्माण से वर्ष 1984-85 तक उत्पादन में लगभग 60 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है ।

कम्प्यूटर

जिन 30 पार्टियों को मिनी/माइक्रो कम्प्यूटरों के उत्पादन के लिए औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किया गया था उनमें से लगभग 50 पार्टियों ने उत्पादन शुरू कर दिया और अब तक बाजार में मिनी/माइक्रो कम्प्यूटरों के अनुमानत: 60 मॉडल उपलब्ध हैं । वर्ष 1984-85 के दौरान आशा की जाती है कि और अधिक विनिर्माता उत्पादन शुरू करेंगे और मिनी/माइक्रो कम्प्यूटरों में मॉडलों की संख्या 70 से 90 के बीच हो जाएगी । कम्प्यूटरों के उत्पादन जहां वर्ष 1982 में 20.6 करोड़ रुपये का था वहां वर्ष 1983 में इसका अनन्तिम तौर पर 63 करोड़ का उत्पादन हुआ वर्ष 1984-85 में लगभग 25% वृद्धि होने की संभावना है ।

नियंत्रण यंत्रीकरण तथा औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी

संगठित क्षेत्र की 5 कम्पानियों जिनमें से 2 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 3 निजी क्षेत्र में हैं, को नियंत्रण यंत्रीकरण तथा औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी उत्पादन के व्यापक रेंज के लिए विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए बढ़ावा दिया गया है । इनमें से 3 कम्पनियों ने सीमेन्ट, उर्वरक, इस्पात विद्युत केन्द्र आदि जैसे अनेक उद्योगों में यंत्रीकरण तथा औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी अनुप्रयोगों के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं । इस क्षेत्र में आयात प्रतिस्थापन लगातार बढ़ रहा है । ऐसी आशा हैं कि वर्ष 1984-85 में 2 और कम्पनियां उत्पादन आरम्भ करेंगी और इस क्षेत्र में 2 या 3 और यूनिटों को भी लाइसेंस दिए जाने की संभावना है । इस क्षेत्र में पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 20% वृद्धि होने की संभावना है ।

सीमेंट का उत्पादन

4135 : **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमेंट का उत्पादन इस वर्ष (1983-84) पिछले वर्ष (1982-83) की तुलना में लगभग 12.5% बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों वर्षों में सीमेंट उत्पादन के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सीमेंट की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है और भारत इस संबंध में किस सीमा तक आत्मनिर्भर हो गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) 1982-83 के दौरान सीमेंट का वास्तविक उत्पादन तथा 1983-84 के दौरान प्रत्याशित उत्पादन और प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार रही :—

1982-83 में वास्तविक उत्पादन	1983-84 में प्रत्याशित उत्पादन (मिलियन टनों में)	प्रतिशत वृद्धि
23.30	27.00	15.9

(ग) सीमेंट उद्योग संबंधी कार्यकारी दल (1980-85) ने छठी पंचवर्षीय योजना (1984-85) के अन्त तक सीमेंट की मांग का अनुमान 380 लाख मी० टन के आस-पास लगाया था। वर्ष 1984-85 के लिए सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य 345 लाख मी० टन है। विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके तथा अतिरिक्त क्षमता स्थापित हो जाने से सीमेंट के मिलने की स्थिति और अच्छी हो जाने की आशा है।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों की बिक्री

4136. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हरियाणा सरकार के सरकारी क्षेत्र के आधा दर्जन औद्योगिक एककों को गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचने के प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में हरियाणा "कनकास्ट" भी शामिल है जो कि हरियाणा में राज्य क्षेत्र में सबसे बड़ा एकक है और जबकि इसमें लाभ भी अर्जित किया जाने वाला है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य क्षेत्र में चलाए जाने वाले उद्योगों के स्वरूप के बारे में कुछ मानदण्ड, नियम या अनुदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रस्तावित बिक्री के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क), (ख) और (ग) सरकार को राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया है कि वह सरकार के स्वामित्व में कुछ ऐसी फैक्टरियों, जो घाटे में चल रही हैं, की बिक्री की सम्भाव्यता की जांच कर रही है। इसमें मैसर्स हरियाणा कन्कास्ट लिमिटेड, हिसार सम्मिलित है।

(ग) औद्योगिक नीति संकल्प-1956 की अनुसूची "क" में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित 17 उद्योगों की सूची दी गई है।

आंध्र प्रदेश में अल्यूमिनियम संयंत्र

4137. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में 8 लाख टन की अल्यूमिनियम संयंत्र परियोजना ताक पर उठा कर रख दी गई है और छः वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक यह शुरू नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) पूर्वी घाट बाक्साइट निक्षेपों के आधार पर आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना परियोजना की स्थापना हेतु 1980 में सोवियत विशेषज्ञों ने एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की थी। परियोजना के वित्त पोषण तथा उत्पादन के दीर्घकालीन आधार पर सोवियत संघ को निर्यात से संबंधित मुद्दों पर अभी समाधान नहीं हो पाया है और वे सभी मुद्दे भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के विचाराधीन हैं।

रुग्ण एकक

4138. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री अजय विश्वास : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और मध्यम दर्जे के हजारों औद्योगिक एकक रुग्ण पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने एकक हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार का विचार स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही करने का है; और

(ङ) क्या सरकार के पास सभी रुग्ण एककों का अधिग्रहण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार इकट्ठे किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बड़े और लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में प्रस्तुत किए गए नवीनतम उपलब्ध राज्य-वार आंकड़े संलग्न **विवरण** में दर्शाए गए हैं।

(ग) भारत में औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी संयुक्त रूप से क्रियाशील कई आंतरिक और बाह्य कारण हैं। औद्योगिक रुग्णता के कुछ प्रमुख कारण ये हैं : त्रुटिपूर्ण योजना, प्रबन्धकीय कमियां, अक्षम वित्तीय नियंत्रण, संसाधनों का प्रत्यावर्तन, पिछड़े क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास पर कम ध्यान देना, प्रौद्योगिकी और मशीनों का गत प्रयोग होना, खराब औद्योगिक संबंध, मार्ग की कमी कच्चे माल और अन्य निविष्टयों की कमी और अवस्थापना-परक बाधाएं।

(घ) औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्ग दर्शन के लिए नीति सम्बन्धी कुछ अभ्युपाय की घोषणा की

है । मार्ग-दर्शक सिद्धांतों की प्रमुख-प्रमुख बातों को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 4974 के उत्तर में 24 मार्च, 1982 को प्रस्तुत किया गया था ।

(ङ) जी, नहीं ।

विवरण

राज्य/संघशासित क्षेत्र	बड़े रुग्ण एकक (जून, 1982 के अन्त तक) एककों की संख्या	लघु रुग्ण एकक (दिसम्बर 1982 के अन्त तक) एककों की संख्या
पश्चिम बंगाल	111	11,201
महाराष्ट्र	88	5,910
उत्तर प्रदेश	53	6,771
गुजरात	42	2,564
तमिलनाडु	35	8,111
कर्नाटक	20	4,094
आंध्र प्रदेश	13	4,595
मध्य प्रदेश	16	1,197
केरल	17	1,236
बिहार	13	2,504
हरियाणा	6	1,107
राजस्थान	6	889
गोवा	4	133
उड़ीसा	3	1,438
पंजाब	3	1,085
असम	2	2,565
दिल्ली	1	1,326
पांडिचेरी	2	489
हिमाचल प्रदेश	—	193
जम्मू और कश्मीर	—	449
चंडीगढ़	—	77
मणिपुर	—	385
मेघालय	—	176
नागालैण्ड	—	51
त्रिपुरा	—	177
दादरा और नगर हवेली	—	2
अण्डमान और निकोबार	—	22
मिजोरम	—	2
	135	58,549

विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण नीति का लागू न किया जाना

4139. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विभागों के नाम क्या है जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण नीति लागू नहीं की जाती है और उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर लागू होती है। फिर भी, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका, छठा संस्करण, के अध्याय 3 में यथा उपबंधित नियुक्तियों की कतिपय रीतियों के सम्बन्ध में दी गई सामान्य छूट के अलावा अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिक विभाग में अनुसंधान करने के लिए या अनुसंधान आयोजित करने, मार्ग-दर्शन करने और उसका संचालन करने के लिए अपेक्षित सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों और परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती के संबंध में इस आधार पर छूट दी गई है कि उनके कार्य का स्वरूप इस तरह का है कि यदि उसे सर्वोत्तम प्रतिभा से युक्त और दक्ष व्यक्तियों की मदद से अधिक उत्कृष्ट ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो देश की वैज्ञानिक प्रगति और उन्नति में तेजी आ सकेगी, साथ ही इन पदों की संख्या भी इतनी अधिक नहीं है जिससे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के हितों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

टायरों के मूल्य में वृद्धि

4140. **श्री राम विलास पासवान** :

श्री सतीश अग्रवाल :

प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1984 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि टायर निर्माता कम्पनियों ने टायरों के मूल्यों में प्रति टायर 800 रुपये बढ़ा दिए हैं;

(ख) क्या उसमें यह भी बताया गया है कि टायर निर्माता कम्पनियां 8 फरवरी, 1984 की बैठक में प्रति टायर 1700 से 1770 रुपये तक के मूल्य पर सप्लाई करने को सहमत हो गई थी;

(ग) टायरों के मूल्यों में इस प्रकार की वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की एसोसिएशन ने बताया हैं कि टायर कम्पनियों ने 800/-रुपये प्रति टायर कीमत बढ़ा दी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जिन टायर कम्पनियों ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों से टायरों की आपूर्ति के लिए बातचीत की थी उन्होंने इससे इंकार किया है कि उन्होंने अपनी कीमतें 800/- रुपये प्रति टायर बढ़ाई है।

जाली फर्मों द्वारा विशेष इस्पात का आयात

4141. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री सतीश अग्रवाल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1984 के "ब्लिटज" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया था कि दिल्ली और बम्बई स्थित अनेक जाली फर्मों द्वारा धोखे से विशेष इस्पात का आयात किये जाने से राजकोष को लगभग 6 करोड़ रुपये का नुकसान होता है;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) मंत्रालय पेपर में छपी रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। जानकारी प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

देश में कम्प्यूटरीकरण संबंधी नीति

4142. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम्प्यूटरीकरण के बारे में सरकार की (वर्तमान में और भावी में) नीति क्या है;

(ख) अनेक माप के कम्प्यूटरों के निर्माण/ आयात के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है;

(ग) क्या देश में पहले से ही लगे कम्प्यूटरों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए गैर-सरकारी या सरकारी क्षेत्र में एक संस्था स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और यदि हां, तो उक्त संस्था किस प्रकार की होगी; और

(घ) क्या कम्प्यूटरों की मरम्मत के लिए आवश्यक हिस्से पुर्जे देश में उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) देश में कम्प्यूटरीकरण के संबंध में सरकार की नीति (वर्तमान एवं भावी) से संबंधित निम्नलिखित अधिसूचनाओं/प्रेस नोट की एक-एक प्रति क्रमशः अनुबंध I,II तथा III के रूप में संलग्न है :

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-7993/84]

1. लघु (मिनी) कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) पर आधारित प्रणालियों के लिए औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय नीति- (अनुबंध-I)।

2. कम्प्यूटरों के आयात के लिए मार्गदर्शी नीति (मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 1975 को यथा अनुमोदित (—) (अनुबंध-II) तथा

3. कम्प्यूटर की यंत्रेतर-सामग्री (सॉफ्टवेयर) के निर्यात की परियोजनाओं के लिए नई नीति एवं कार्यपद्धति से संबंधित प्रेस नोट (जिसमें ऐसी परियोजनाओं के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, कम्प्यूटरों का आयात भी शामिल है (—) (अनुबंध-III)

(ख) सूक्ष्म (माइक्रो), लघु (मिनी) तथा मध्यम आकार के कम्प्यूटरों का विनिर्माण भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) नामक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी में बिना किसी विदेशी सहयोग के किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1978 में घोषित लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) पर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण के लिए पार्टियों को औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी नीति के अन्तर्गत वर्ष 1983 के अन्त तक 130 पार्टियों को औद्योगिक अनुमोदन जारी किए गए हैं। जहां तक मध्यम आकार के कम्प्यूटरों का संबंध है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड के अतिरिक्त इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स इण्डियन मैन्यूफैक्चर लिमिटेड भी ऐसे कम्प्यूटर बना रहा है लेकिन इसमें विदेशी सहयोग लिया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 20 कम्पनियां वर्ष 1981 में 42 कम्पनियां वर्ष 1982 में तथा 50 कम्पनियां वर्ष 1983 में (सभी प्रकार के) कम्प्यूटर बना रही थीं।

जिस प्रकार के कम्प्यूटर स्वदेशी विनिर्माण क्षमता के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनके आयात की अनुमति इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा मांग की आवश्यकता/अनुप्रयोग क्षेत्र का मूल्यांकन करने के पश्चात् दी जाती है। ऐसे आयात पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा रखी गई निगरानी से यह पता चला है कि जो भी कम्प्यूटर आयात किए गए हैं वे मुख्यत: देश में भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले सर्वाधिक बड़े आकार के कम्प्यूटर टी० डी० सी०-332 से भी अधिक क्षमता वाले मध्यम आकार के मेनफ्रेम कम्प्यूटर हैं। अत: सरकार ने यह निर्णय किया है कि ऐसे मध्यम आकार के मेनफ्रेम कम्प्यूटरों का उत्पादन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग में किया जाएगा जो विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा। ऐसे विदेशी सहयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा आमंत्रित किए गए विश्वव्यापी टेंडर के उत्तर में प्राप्त प्रस्तावों का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा स्थापित कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कारपोरेशन नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक संगठन देश में प्रतिस्थापित कम्प्यूटरों का अनुरक्षण तथा मरम्मत पहले से ही कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में इस उद्देश्य से और एक संगठन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, और न ऐसे संगठन की कोई आवश्यकता ही है।

(घ) आयातित अथवा देश में विनिर्मित कम्प्यूटरों के लिए कल-पुर्जे देश में ही उपलब्ध हैं जिनमें से कुछ का तो देश में ही उत्पादन किया गया है और कुछ का आयात किया गया है।

सीमेंट की सप्लाई और मांग के बीच अन्तर

4143. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग एक विशिष्ट स्थिति में पहुंच गया है और यह सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की ओर अग्रसर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेंट की प्रौद्योगिक विकास उत्पादन तकनीकी खपत और लक्ष्य काफी हद तक पूरे हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सीमेंट उद्योग ने 1984 के दौरान सीमेंट की आवश्यकता पूरी करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान सप्लाई और मांग के बीच कुल कितना अन्तर होगा और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार सीमेंट उद्योग का किस सीमा तक आधुनिकीकरण और विस्तार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट उद्योग ने अभूतपूर्व प्रगति की है। अधिष्ठापित क्षमता जो छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 242.9 लाख मी०टन थी, अब बढ़कर 363.3 लाख मी० टन हो गई है और इसी योजना की अवधि में इसके लगभग 440 लाख मी० टन तक हो जाने की आशा है। 1980-81 में 185.6 लाख मी० टन उत्पादन की तुलना में 1983-84 के अन्त तक इस उद्योग द्वारा 270 लाख मी० टन उत्पादन होने लगने की आशा है जिससे इसमें 45.47% वृद्धि हो जाने का पता चलता है। उद्योग ने यह बताया है कि उसने आधुनिकीकरण विस्तार की योजनाएं जैसे गीली प्रक्रिया को सूखी प्रक्रिया में परिवर्तित करने, प्रिन्केलिसिनेटरों की शुरूआत करने, कैप्टिव डीज़ल जनित्रप सेटों को स्थापित करने, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने इत्यादि की योजनाएं बनाई हैं। उद्योग की विद्यमान क्षमता के उपयोग में सुधार करने तथा अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सीमेंट उद्योग संबंधी कार्यकारी दल द्वारा 1984-85 में बताये गए 380 लाख मी० टन सीमेंट की मांग की तुलना में 345 लाख मी० टन सीमेंट के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य के बीच के अन्तर को कम किया जा सके और देश में सीमेंट के मिलने की स्थिति में और आगे सुधार हो सके।

विकास आयोजन तथा कार्यान्वयन प्रणाली का विकेन्द्रीयकरण

4144. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय आर्थिक सलाहकार परिषद ने यह विचार व्यक्त किया है कि योजना परिव्यय उन क्षेत्रों में, जहां पर लाभार्थी स्थित हैं, उत्पादकता तथा बाजारों का विस्तार करने के लिए सुनियोजित व्यापक कार्यक्रम के अंग के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों में विकास आयोजन तथा कार्यान्वयन प्रणाली के विकेन्द्रीकरण संबंधी एक प्रतिवेदन प्रधान मन्त्री को 4 अक्तूबर, 1983 को प्रस्तुत किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह प्रतिवेदन मुख्यमंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्यों के विचार प्राप्त हो गए हैं; और

(च) क्या अंतिम निर्णय लिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। यदि कृषि और ग्रामीण विकास के विकेन्द्रित कार्यक्रमों से संबंधित परिव्ययों के संदर्भ में है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट राज्य के मुख्य मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई है और उनमें से कुछ के विचार प्राप्त हो चुके हैं। तथापि, सामान्यत सरकार विकेन्द्रित योजना के लिए उत्सुक है। राज्यों को जिला योजना के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धांतों का एक सेट 1969 में भेजा गया था। हाल ही, में 1982-83 से जिला योजना तंत्र को मजबूत करने के लिए एक स्कीम चालू की गई है।

लाइसेंस नीति को कठोर बनाया जाना

4145. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग स्थापित करने की क्षमता मानकर कार्यवाही करने की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस तंत्र को कठोर बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने अंतिम तिथि के बाद आशय-पत्रों की अवधि बढ़ाने संबंधी मंजूरी दिए जाने की उदार प्रक्रिया तत्काल बन्द करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन दो वर्षों के समय में आशय-पत्र धारियों को भूमि खरीदने, ऋण की व्यवस्था करने और सहयोगियों के साथ करार करने जैसे सभी प्रभावी उपाय कर देने चाहिये थे;

(घ) यदि हां, तो कितने आशय-पत्र रद्द कर दिए गए हैं; और

(ङ) सरकार इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) औद्योगिक लाइसेंस तंत्र में उद्योग स्थापित करने की क्षमता मानकर कार्यवाई करने की प्रथा को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में पहले से ही व्यवस्था है।

(ख) और (ग) आशय पत्र प्रारम्भ में 12 माह के लिए ही जारी किए जाते हैं। इस अवधि को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा वैध कारणों के लिए छः-छः माह करके दो बार बढ़ाया जा सकता है। इससे आगे समय बढ़ाने की अनुमति समुचित स्वीकृति समिति जैसे लाइसेंसिंग समिति एल० सी०-कम-एम० आर० टी० पी० समिति आदि की स्वीकृति से दी जाती है। उपक्रम स्थापित करने के लिए सभी प्रभावी कदम/आशय-पत्र वाले व्यक्तियों द्वारा मूल वैधता अवधि अथवा ऐसी ही बढ़ी हुई अवधि में उठाए जाने चाहिए।

(घ) वर्ष 1980 से 1983 की अवधि में 320 आशय-पत्र रद्द किया/ अथवा व्यपगत कर दिये गए थे।

(ङ) प्रशासनिक मंत्रालयों में आशय पत्र के कार्यान्वयन की निकट से मॉनीटरिंग करने तथा उस स्थिति में उनकी वैध अवधि न बढ़ाने के लिए, जहां आशयपत्रधारी द्वारा संतोषजनक प्रगति नहीं की गई है, अनुरोध किया गया है ।

मोटरगाड़ी उद्योग में भारत-जर्मन जनवादी गणराज्य सहयोग

4146. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने वर्ष 1982 में अपने दौरे के समय यूरोपीय कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया था और उसके बाद जर्मन जनवादी गणराज्य की कुछ कम्पनियों ने उसके लिए पेशकश की थी;

(ख) क्या मोटरगाड़ी दो पहिया उद्योगों में विदेशी सहयोग की स्वीकृति के लिए औद्योगिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव सचिवालय को भेजा गया था, यदि हां, तो आवेदन पत्रों के भेजे जाने की तिथि क्या है और उन पर क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) क्या नई दिल्ली में नवम्बर, 1983 में आयोजित भारत-जर्मन जनबादी गणराज्य संयुक्त आयोग की बैठक में उच्चतम स्तर पर सहयोग संबंधी इन मामलों पर विचार विमर्श किया गया था; यदि हां, तो दो पहिया क्षेत्र में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) जर्मन जनवादी गणराज्य के सहयोग को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार इस प्रक्रिया को कब तक पूरा करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सितम्बर, 1982 में हुए इन्डो-जी० डी० आर० संयुक्त आयोग के पांचवे सत्र की बैठक में जी० डी०आर० पक्ष ने भारतीय संगठनों के साथ अन्य बातों के साथ-साथ मोटर गाड़ी उद्योग विशेषरूप से मोटर साइकिल उद्योग के विकास में सहयोग करने के बारे में रुचि प्रकट की थी ।

(ख) जी० डी० आर० के मैसर्स ट्रांसपोर्ट मैकिनन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के साथ तकनीकी सहयोग करने के बारे में करनाल के मैं० बलराज अग्रवाल से मई 1983 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । जांच-पड़ताल करने पर प्रस्ताव अधूरा पाया गया था और प्रस्तावित उत्पाद के तकनीकी ब्यौरे नहीं थे । अतः प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था और प्रस्ताव रद्द करने के कारणों के बारे में पार्टी को बता दिया गया था ।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1983 में जी० डी० आर० पक्ष के साथ हुए विचार विमर्श में जी० डी० आर० पक्ष ने इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक सूचना देने के लिए प्रस्ताव किया था । नवम्बर, 1983 में सरकार के निर्णय के विरुद्ध भारतीय पार्टी से एक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ था । यह अभ्यावेदन विचाराधीन है ।

सातवीं परियोजना पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा

4147. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने से पहले इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी विरोधी दलों को भी इस बारे में सूचित किया जाएगा और इस विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) देश में यथा संभव अवगत मत के व्यापक प्रतिनिधिक समूह से परामर्श करने का सरकार का प्रस्ताव है । यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और योजना मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति में पहले ही कुछ विचार विमर्श हो चुके हैं जिसमें विरोधी दलों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है । योजना आयोग को सलाह देने के लिए नियुक्त अर्थशास्त्रियों के पेनल के साथ भी तथा व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधिक निकायों के साथ विचार-विमर्श हुए हैं । सातवीं योजना के निर्माण के सभी चरणों में परामर्श तथा विचार-विमर्श की यह प्रक्रिया जारी रहेगी । अन्ततः सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसका अनुमोदन कर देने के बाद संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

छठी योजना में शामिल परियोजनाओं को सातवीं योजना में अंतरित करना

4148. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री रशीद मसूद :

प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना में शामिल की गई बहुत से प्रमुख परियोजनाओं को अब सातवीं योजना में अंतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को छठी योजना अवधि में शूरू न करने के क्या कारण है; और

(ग) इन योजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना तक स्थगित करने के कारण इनके कार्यान्वयन पर अनुमानतः कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्टेनलेस स्टील की चादरों का उत्पादन

4149, **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से स्टेनलेस स्टील की चादरों का उत्पादन करने के लिए कारखाने स्थापित करने पर गंभीरता में विचार कर रही है;

(ख) क्या मिश्रित इस्पात संयंत्र दुर्गापुर के आधुनिकीकरण/विस्तार का कोई और प्रस्ताव है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र में कोल्ड रोलिंग यूनिटें लगाने के लिए अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने की इस्पात पिंड बनाने की वार्षिक क्षमता 160,000 टन से बढ़ाकर 260,000 टन द्रव दब इस्पात करने की योजना को सरकार ने जुलाई, 1981 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) बेदाग इस्पात की चादरों का उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र में कोई नई ठंडी बेलन इकाई लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन उत्पादन में लचीलापन लाने तथा अर्थ-क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उन इकाइयों को जिन्हें इस समय चादरों/पत्तियों/क्वायलों के ठंडे बेलन के लिए लाइसेंस दिया गया है, अपने उत्पादन में विविधता लाकर कार्बन तथा मिश्र इस्पात और बेदाग इस्पात की चादरों/पत्तियों तथा क्वायलों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है।

स्टेनलैस स्टील कारखानों के लिए विस्तार कार्यक्रम

4150. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनलैस स्टील विस्तार कार्यक्रम से सम्बन्धित विशेष बातें क्या हैं;

(ख) ऐसे कारखानों का ब्यौरा क्या है, जो सरकार चलाना चाहती है;

(ग) प्रत्येक कारखाने की क्षमता क्या होगी तथा इसे कहां स्थापित किया जाएगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) मिश्र-इस्पात (बेदाग इस्पात भी शामिल है) के अत्याधुनिक ग्रेडों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुर्गापुर में स्थित मिश्र इस्पात कारखाने का विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को भी मिश्र इस्पात (बेदाग इस्पात भी शामिल है) के उत्पादन के लिए उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दी गई है।

चादरों, स्ट्रिप और क्वायलों के ठंडे बेलन के लिए लाइसेंसीकृत वर्तमान इकाइयों को भी कार्बन और मिश्र इस्पात (बेदाग इस्पात की चादरें, स्ट्रिप और क्वायल भी शामिल हैं) का उत्पादन करने के लिए अनुमति दी गई है।

(ख) चूंकि वर्तमान क्षमता तथा ऊपर बताए गए उपाय के अनुसार क्षमता में वृद्धि करने से थोड़ी-थोड़ी मात्रा की मांग वाली केवल कुछ विशिष्ट साइजों और विशिष्टियों वाली मदों को छोड़कर, जिनका देश में उत्पादन करना मितव्ययी नहीं होगा, देशीय आवश्यकताओं की पूरी तरह पूर्ति करना संभव है इसलिए सरकार का बेदाग इस्पात के उत्पादन के लिए नई फ़ैक्टरियां खोलने का विचार नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

योजना आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का क्रियान्वयन

4151. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को "क", "ख" और "ग" तीनों क्षेत्रों के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के सांख्यिकीय विभाग और कार्यालयों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान पृथक-पृथक धारा 3(3) की क्रियान्विति की प्रतिशतता का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों क्षेत्रों में उक्त सभी चौदह मुद्दों का शत-प्रतिशत कार्य द्विभाषी रूप में करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : **(क) योजना आयोग**

(क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक) में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का कार्यान्वयन शतप्रतिशत रहा है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ख) सांख्यिकी विभाग

(क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 का कार्यान्वयन

4152. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के सभी राज्यों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों का द्विभाषी रूप में कार्यान्वयन करने का उपबन्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय और "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित उनके मंत्रालय, विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों में 1981-82, 1982-83 और 1983 में पृथक-पृथक धारा 3(3) के कार्यान्वयन की प्रतिशतता का राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उक्त सभी तीनों क्षेत्रों में सभी 14 मुद्दों का कार्य द्विभाषी रूप में करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) जहां तक इस्पात विभाग और खान विभाग के सचिवालय का सम्बन्ध है, अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है । विवरण में दी गई जानकारी को देखने से पता चलेगा कि दोनों विभागों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है ।

जहां तक मंत्रालय के "क", "ख" तथा "ग" राज्यों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों का सम्बन्ध है, जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण	इस्पात विभाग									खान विभाग*								
	1981-82			1982-83			1983-84 (सितम्बर, 1983 तक)			1981-82			1982-83			1983-84		
	द्वि-भाषिक	अंग्रेजी में	कुल	द्वि-भाषिक	अंग्रेजी में	कुल	द्वि-भाषिक	अंग्रेजी में	कुल	द्वि-भाषिक	अंग्रेजी में	कुल	द्वि-भाषिक	अंग्रेजी में	कुल	द्वि-भाषिक	अंग्रेजी में	कुल
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. सामान्य आदेश		473	—	473	589	—	589	209	—	269	53	—	53	80	—	80	94	—	94
2. संकल्प		163	—	163	116	—	116	63	—	63	81	—	81	78	—	78	46	—	46
3. नियम																			
4.. अधिसूचना																			
5. प्रशासनिक प्रतिवेदन		3	—	2	3	—	3	2	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—	2
6. अन्य प्रतिवेदन																			
7. प्रेस विज्ञप्तियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. संसद के समक्ष प्रस्तुत कागजात		63	—	63	41	—	41	4	—	4	6	—	6	20	—	20	21	—	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	संविदा																		
10.	करार																		
11.	लाइसेंस*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	परमिट																		
13.	ट्रेडर नोटिस																		
14.	टेडर फार्म																		

* टिप्पणी :— हिन्दी भाषी राज्यों से पूर्वेक्षण लाइसेंसों/खनन पट्टों के बारे में अंग्रेजी में प्राप्त हुई पुनरीक्षण याचिकाओं पर अर्द्धन्यायिक आदेश भी हिन्दी में पारित/जारी किए जा रहे हैं। वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-83 (31 दिसम्बर, 1983 तक) में इस प्रकार के क्रमश: 395, 622 और 396 आदेश हिन्दी में जारी किए गए थे।

भारतीय आदिवासी सहकारिता विपणन परिसंघ की स्थापना संबंधी प्रस्ताव

4153. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री छीतू भाई गामित :

श्री एन० ई० होरो : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास आदिवासी सहकारिता विपणन परिसंघ की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छोटे-छोटे उन वन उत्पादों जैसी समस्याओं पर विचार करने तथा उनकी कुल क्षमता पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है;

(घ) क्या इस समिति में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके गठन और कार्य संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) प्रस्ताव प्राथमिक स्तर पर है । भारतीय जनजाति सरकारिता विपणन फेडरेशन (भा० ज० सं० वि० फ०) गठित करने के लिए उप नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए, एक समिति गठित करने पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने लघु वन उत्पादनों की क्षमता और समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए अभी कोई समिति गठित नहीं की है ।

इस्पात क्षेत्र के लिए योजना व्यय में कटौती

4154. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित योजना व्यय में पांच प्रतिशत कटौती का अगले तथा उससे अगले वर्ष इस्पात क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या लगभग इस्पात मंत्रालय द्वारा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए धन के नियतन में कमी किए जाने और दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण न किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । विशाखापत्तनम, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों की इन परियोजनाओं और योजनाओं में से प्रत्येक के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था की गई है और इन इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करने और इनकी प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने

हेतु प्रौद्योगिकी खरीदने और इन कारखानों में रखरखाव और मरम्मत के काम में तेजी लाने के लिए भी धन की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के ऊपर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक रुग्णता दूर करने के उपाय

4155. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विभाग के रुग्ण सूची में सम्मिलित 26000 लघु क्षेत्र के एककों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) औद्योगिक एककों में रुग्णता रोकने के लिए, जैसा कि दिनांक 7 फरवरी, 1984 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वार्षिकोत्सव के अवसर पर बताया गया था, किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार जून, 1982 के अन्त में 26,973 लघु रुग्ण औद्योगिक एकक थे । लघु क्षेत्र में रुग्णता की स्थिति का जायजा लेने, इसके कारणों का पता लगाने और रुग्ण एककों की पुनः स्थापना के संबंध में उपाय सुझाने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा वर्ष 1982-83 में, स्तरबद्ध आकस्मिक नमूना लिए जाने के आधार पर चुने गए 7890 एककों का एक नमूना सर्वेक्षण किया गया है । रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

केरल में बेनजीन के उत्पादन के लिए परियोजना

4156. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बेनजीन के उत्पादन के लिए एक परियोजना तैयार की है और केन्द्र की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परियोजना की स्वीकृत क्षमता कितनी है और उसका अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1980 में केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम से बेनजीन, आक्सीलीन और पी एक्सीलीन के विनिर्माण के लिए आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस को मंजूरी हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था और इसे परियोजना के लिए अपेक्षित आधारमूलक कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत का सुनिश्चय न किये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था । निगम को दिसम्बर, 1980 में इसके अनुसार अस्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया था ।

मध्य प्रदेश में हल्के वाणिज्यिक वाहनों के कारखाने की स्थापना करना

4157. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जापान के सहयोग से मध्य प्रदेश में एक हल्के वाणिज्यिक वाहन कारखाने को स्थापित करने के लिए प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में हल्के वाणिज्यिक वाहन कारखाने को स्थापित करने के लिए किस स्थान का चयन किया गया है; और

(ग) परियोजना पर क्या लागत आयेगी तथा उपर्युक्त परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मैसर्स आइशर गुडअर्थ लिमिटेड द्वारा जापान के मित्सुबिशी मोटर कारपोरेशन के सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य में एक हल्की वाणिज्यिक मोटर गाड़ी कारखाना स्थापित करने के बारे में प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है ।

(ख) परियोजना मुख्य रूप से पिछड़े हुए जिले में कार्यान्वित की जानी है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी चुनाव स्थल के सम्बन्ध में बताया जाना है ।

(ग) कम्पनी द्वारा परियोजना लागत 92 मिलियन रुपये बताई गई है । कम्पनी, इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

नर्मदा सागर परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

4158. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा बांध परियोजना कार्यान्वयन से सम्बद्ध पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जांच कर ली गई है;

(ख) क्या नर्मदा सागर परियोजना प्राधिकारियों ने केन्द्रीय सरकार से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना से सम्बद्ध पर्यावरण सम्बन्धी समस्यायें क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां, । नर्मदा सागर परियोजना के पर्यावरणीय पहलू पर अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ) प्रमुख पर्यावरणीय मामलों में, वन-भूमि की जल-मग्नता, छोटे-बड़े जल वायु परिवर्तन, जलाशय-प्रेरित कम्पनीयता प्रभावित आबादी जिसमें जन-जातियां भी हैं, का पुर्नवास, मिट्टी तथा जल से उत्पन्न बीमारियों से स्वास्थ्य पर प्रभाव, मृदा संरक्षण तथा जल-ग्रहण के गम्भीर क्षेत्रों में वनीकरण तथा जल अवरुद्धता तथा लवणीयता की स्थिति रोकने के लिए कमाण्ड क्षेत्र का विकास, शामिल है । इन पहलुओं पर अध्ययन, विचाराधीन है ।

गरीबी की रेखा से नीचे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

4159. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में जिलावार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिस्थितियों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने की यदि कोई विशेष योजना है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने कोई विशिष्ट जिला-वार अध्ययन नहीं किया है। परन्तु आमतौर पर यह मालूम है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्राय: सभी परिवार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अत्यधिक आर्थिक रूप से पीड़ित हैं। अधिकांश स्थानों में सम्पूर्ण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को गरीबी की रेखा मे नीचे माना गया है।

(ग) अन्य राज्यों की तरह बिहार राज्य ने छठी योजना के दौरान यथा प्रस्तुत विशेष संघटक योजना (एस०सी०पी०) की नीति अपनाई है; और छठी योजना के अन्त तक गरीबी की रेखा पार करने के लिए 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिवारों के वास्ते प्रति वर्ष विशेष संघटक योजना तैयार करता रहा है और उसे कार्यान्वित करता रहा है।

इंदौर में उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र की स्थापना

4160. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अन्तर्गत इंदौर, मध्य प्रदेश में उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) उपर्युक्त योजना की रूपरेखा क्या है और यह केन्द्र कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंदौर में स्थापित किये जा रहे नये अनुसंधान केन्द्र का मुख्य उद्देश्य लेसरों, प्लाज्मा भौतिकी तथा त्वरकों जैसी प्रगत प्रौद्योगिकियों के संबंध में काम करना है।

(ख) आशा है कि यह केन्द्र वर्ष 1986-87 में काम करना शुरू कर देगा।

बिहार में बन्दूक बनाने के कारखाने का पकड़ा जाना

4161. **प्रो० सफुद्दीन सोज** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने बिहार में मालादान गाँव में एक छोटी बन्दूक कारखाना पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से इस बन्दूक कारखाने के विषय में पूछताछ की है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास

4162. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए एक संगठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकसित देशों का मुकाबला करने के लिए भारत को इसकी अत्यन्त आवश्यकता है; और

(ग) इस उद्योग के पर्याप्त विस्तार के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (डा०एम०एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने पिछले दशक के दौरान विशेषकर रक्षा, उपग्रह पर आधारित दूरदर्शन तथा दूरसंचार, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटरों के संदर्भ में काफी प्रगति की है । किन्तु, इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में तकनीकी-परिवर्तन तेजी से होते रहते हैं । हमारी अर्थव्यवस्था तथा हमारे समाज में इलेवटॉनिक अनुप्रयोगों की आवश्यकता में भी काफी विविधता आई है तथा ये और अधिक सूक्ष्म तथा जटिल हो गए हैं । अतः एक ऐसे स्वावलम्बी इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का विकास करने की सम्पूर्ण नीति के ही अनिवार्य अंग के रूप में जो प्रौद्योगिकीय एवं औद्योगिक दृष्टि से समकालीन हो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग अनेकानेक उपाय कर रहा है । ये उपाय इस प्रकार है : औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियां जिससे तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उत्पादन विषेयक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ावा मिलता हो; तथा किफायती लागत पर थोक मात्रा में उत्पादन हो; उच्च प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन देना, उत्पादन करना और अनुसंधान तथा विकास कार्य में पूंजी-निवेश करना उदाहरणार्थ बड़े/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई०), सूक्ष्मतरंग ट्यूब, सिलिकन तथा मध्यम आकार के मुख्य ढांचे वाले कम्प्यूटर; देश के दूरसंचार नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्विचन प्रणाली की अद्यतन प्रौद्योगिकी जानकारी पर एक प्रमुख विकास एवं इंजीनियरी कार्यक्रम, कई प्रकार की प्रणालियों, उपस्करों, संघटक-पुर्जों तथा सामग्रियों में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना तथा प्रौद्योगिकी विकास करना; इलेक्ट्रॉनिकी की अग्रणी प्रौद्योगिकियों/अनुप्रयोगों में उत्तमता केन्द्र स्थापित करना जैसे तंतु-प्रकाशिकी, दूरमिति, कृषि तथा शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी, कम्प्यूटरों में व्यापक पैमाने पर जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम; नियंत्रण एवं यंत्रीकरण संचार तथा सेमीकण्डक्टर ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के अधीन इस्पात कारखानों को लाभ तथा हानि

4163. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इस्पात प्राधिकरण लि० के अधीन इस्पात कारखानों के लाभ तथा हानि का कारखाने-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले वर्ष भारी घाटा हुआ है, और यदि हां, तो घाटा होने के विभिन्न कारणों तथा प्रत्येक कारखानों को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) पिछले तीन वर्षों में "सेल" की विभिन्न इकाइयों की लाभ और हानि की स्थिति इस प्रकार है :—

	लाभ (+)/हानि (—) (करोड़ रुपयों में)		
इकाई का नाम	1980-81	1981-82	1982-83
भिलाई इस्पात कारखाना	(+) 17.84	(+) 66.09	(+) 19.95
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 8.44	(+) 0.70	(—) 44.23
राउरकेला इस्पात कारखाना (राउरकेला उर्वरक संयंत्र भी शामिल है)	(+) 13.97	(—) 21.72	(—) 74.99
बोकारो इस्पात कारखाना	(—) 17.30	(+) 6.54	(+) 18.09
मिश्र इस्पात कारखाना	(—) 4.51	(—) 6.64	(—) 15.31
मलेम इस्पात कारखाना	—	(—) 0.13	(—) 14.21
अन्य इकाइयां	(—) 0.55	(—) 5.67	(+) 4.94
सेल : कुल	(+) 1.01	(+) 39.17	(—) 105.76
"इस्को"	(—) 28.79	(—) 37.11	(—) 71.05

(ख) "सेल" को हुई हानि का मुख्य कारण यह है कि वास्तविक वसूली लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम होती रही है, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है :

	(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)		
	1980-81	1981-82	1982-83
पिछले वर्ष की तुलना में "सेल" की बिक्री से हुई वसूली में अनुमानित वृद्धि (इस्पात तथा कच्चा लोहा)	125	319	231
पिछले वर्ष की तुलना में लागत में वृद्धि			
— कच्चा माल, स्टोर, फालतू पुर्जे, बिजली	124	232	199
— वेतन तथा मजूरी	29	42	57
— रख-रखाव	3	10	3
— मूल्यह्रास	1	9	9
— ब्याज	15	11	78
उपर्युक्त मदों के बारे में पिछले वर्ष की तुलना में लागत में हुई कुल वृद्धि	170	304	346

वर्ष 1983-84 में "सेल" की लाभ तथा हानि की स्थिति का पता तभी चलेगा जब इस वर्ष का हिसाब-किताब अन्तिम रूप से तैयार हो जाएगा।

(ग) हानि को कम करने तथा कार्यकरण में सुधार लाने के लिए "सेल" मांग के अनुरूप प्रॉडक्ट-मिक्स में परिवर्तन लाने, विपणन के लिए अथक प्रयास करके बिक्री में वृद्धि करने और इस प्रकार तैयार माल, कच्ची सामग्री, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों के स्टाक में कमी करने तथा निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है । प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार करके लागत में कमी करने, उपस्करों की समय पर मरम्मत करके तथा बेहतर रख-रखाव द्वारा उनकी उपलब्धि में वृद्धि करने, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों की खरीद कम से कम करने और हर प्रकार से खर्च में कमी करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं ।

सातवीं योजना के दौरान रंगीन टेलीविजन सेटों की आवश्यकता

4164. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रंगीन टेलीविजन सेटों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है;

(ख) उन कम्पनियों की संख्या कितनी हैं जिन्हें रंगीन टेलीविजन बनाने के लिए लाइसेंस मंजूर किये गये हैं;

(ग) प्रतिवर्ष कुल कितनी क्षमता की मंजूरी दी गई है; और

(घ) उत्पादों की अच्छी किस्म सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इलेक्ट्रॉनिक विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (डा०एम०एस० संजीवी राव) : (क) रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन वर्ष 1984 में ही आरम्भ होने जा रहा है इसके साथ ही, दूरदर्शन विस्तार की विशिष्ट योजना के अन्तर्गत जहां इस समय 30 प्रतिशत जन संख्या को दूरदर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है, वहां वर्ष 1984 के अंत तक 70 प्रतिशत जनसंख्या को इससे लाभान्वित किया जाएगा । इन कारणों से तथा अन्य संगत कारणों से निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि सातवीं योजना के दौरान रंगीन दूरदर्शन सेटों की मांग किस सीमा तक बढ़ेगी । तथापि, उपलब्ध तथा लागू कसौटियों के आधार पर जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में रंगीन दूरदर्शन सेटों की मांग अनुमानत: 15 लाख से 20 लाख तक हो सकती है ।

(ख) रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए दिनांक 12 मार्च, 1984 तक संगठित क्षेत्र में 86 इकाइयों को तथा लघु उद्योग क्षेत्र में 368 इकाइयों को आशय पत्र/लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अनुमोदन पत्र जारी किए गए हैं ।

(ग) दिनांक 12 मार्च, 1984 तक लघु क्षेत्र की इकाइयों के लिए 70.7 लाख तथा दिनांक 12 मार्च, 1984 तक संगठित क्षेत्र के लिए लगभग 42 लाख सेट ।

(घ) उत्पादों के कार्य-निष्पादन तथा उनकी सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए विनिर्माताओं से अपेक्षा की गई थी कि वे उत्पादन तथा परीक्षण के लिए न्यूनतम सुविधाएं स्थापित करेंगे ।

न्यूनतम आवश्यक संघटक-पुर्जों (विशिष्ट रूप से रंगीन पिक्चर ट्यूबों) का पता लगाया गया है । पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलॉजी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के माध्यम से आयात किए जा रहे हैं ।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के परीक्षण एवं उनके अनुमोदन के लिए दिल्ली स्थित इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) तथा कलकत्ता स्थित इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पूर्व) में व्यापक परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। बम्बई स्थित इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम तथा बंगलौर स्थित इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण तथा विकास केन्द्र में भी ऐसी सुविधाएं स्थापित की जा रही है ताकि देश के सभी क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

उत्पादों के आरम्भिक अनुमोदन के लिए व्यापक विशिष्टियों परीक्षण एवं कार्यविधियों को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है।

टी० वी० सेटों की कीमतें कम करने के उपाय

4165. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत 6 महीनों के दौरान कितने टी०वी० सेटों का उत्पादन हुआ;

(ख) टी० वी० सेटों की कीमतों में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इसकी अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) पिछले छः महीनों (सितम्बर, 1983 से फरवरी, 1984) के दौरान विनिर्मित दूरदर्शन सेटों की अनुमानित संख्या लगभग 3.5 लाख है।

(ख) संसद में दिनांक 18 अगस्त, 1983 को घोषित "इलेक्ट्रॉनिकी के शीघ्र एवं द्रुत विकास के लिए किए गए उपाय" का आर्थिक अंश का उद्देश्य मूलतः देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाना था। अतः इसमें दूरदर्शन रिसीवरों से संबंधित विभिन्न घटक भी शामिल थे, उदाहरणार्थ रंगीन दूरदर्शन ट्यूब, एकीकृत परिपथ, प्रतिरोधक (रजिस्टर) संधारित्र (कैपेसिटर) आदि जैसे आयातित संघटक-पुर्जों पर लगने वाला सीमा-शुल्क 158% से घटाकर 75% कर दिया गया है; रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत उपस्करों पर लगने वाले सीमा शुल्क की 35% से घटाकर 25% कर दिया गया है तथा 51 से० मी० वाले रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सेटों पर उत्पादन शुल्क 25%+5% अधिभार से घटाकर 15% कर दिया गया है। विशेष कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेकनोलाजी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा रंगीन दूरदर्शन ट्यूब जैसे संघटक-पुर्जों की एक साथ थोक मात्रा में खरीद करने पर लागत में और अधिक कमी होने की संभावना है। जब और अधिक विनिर्माताओं द्वारा रंगीन दूरदर्शन सेटों का थोक मात्रा में उत्पादन एवं विपणन किया जाने लगेगा तब इनके मूल्यों में और अधिक कमी हो सकती है।

(ग) उत्पादों के निष्पादन तथा उनकी सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए विनिर्माताओं से अपेक्षा की गई थी कि वे उत्पादन तथा परीक्षण के लिए न्यूनतम सुविधाएं स्थापित करेंगे।

न्यूनतम आवश्यक संघटन-पुर्जों (विशेषकर रंगीन पिक्चर ट्यूबों) का पता लगाया गया है। पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलॉजी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के माध्यम से आयात किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए दिल्ली स्थित इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर), तथा कलकत्ता स्थित इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पूर्व), में व्यापक परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। बम्बई स्थित इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम), तथा बंगलौर स्थित इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण एवं विकास केन्द्र, में भी ऐसी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं ताकि देश के सभी क्षेत्रों को ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

उत्पादों के आरम्भिक अनुमोदन के लिए परीक्षण एवं कार्यविधियों की व्यापक विशिष्टियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

बहुओं को जलाने और मारने-पीटने के मामलों के विचारण के लिए दिल्ली में विशेष सत्र न्यायालयों की स्थापना

4166. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बहुओं को जलाने और मारने-पीटने के मामलों में वृद्धि हुई है और पुलिस अपराधी को सजा दिलाने में काफी देर लगा देती हैं; और

(ख) क्या सरकार का ऐसे सभी मामलों के शीघ्र विचारण हेतु कुछ विशेष सत्र न्यायालय स्थापित करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जबकि दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों के विचारण के लिए पूर्णतः अलग से एक न्यायालय स्थापित किया गया है; इस उद्देश्य के लिए अधिक न्यायालयों को निर्धारित करने के मामले पर सरकार विचार कर रही है।

बंद पड़े कागज बनाने के कारखानों का ब्यौरा

4167. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1984 तक कागज बनाने के कितने कारखाने बंद पड़े थे या उनमें तालाबंदी थी;

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या 1983-84 में अनेक किस्मों के कागज का भारी मात्रा में आयात किया गया तथा यह आयात किन-किन देशों से किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 1984 को तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत 29 कागज उत्पादक एकक बन्द पड़े थे या उनमें तालाबंदी हो गई थी। अधिष्ठापित क्षमता सहित ऐसे एककों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) वर्ष 1983-84 में कागज की कुछ विशेषीकृत किस्मों का सीमित मात्रा में ही आयात किया गया था। ऐसे आयात का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	एकक का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (मी० टन में)
1.	मैसर्स टीटा-गढ़ पेपर मिल्स	काकीनाड़ा (पश्चिम बंगाल)	35,000
2.	मैसर्स टीटा-गढ़ पेपर मिल्म	टीटागढ़ (पश्चिम बंगाल)	40,000
3.	मैसर्स अशोक पेपर मिल्स	जोगीघोपा (असम)	27,000
4.	मैसर्स अशोक पेपर मिल्स	रामेश्वर नगर (बिहार)	13,500
5.	मैसर्स रोहताश इन्डस्ट्रीज	डालमियानगर (बिहार)	60,000
6.	मैसर्स बंगाल पेपर मिल्स	रानी गंज (पश्चिम बंगाल)	50,000
7.	मैसर्स सहगल पेपर लिमिटेड	धारूहेड़ा (हरियाणा)	15,000
8.	मैसर्स बसन्त पेपर मिल्स	बसन्त नगर (उत्तर प्रदेश)	5,275
9.	मैसर्स बडेखा पेपर मिल्स	तन्डर पुरा, नगन गुड, (कर्नाटक)	9,000
10.	मैसर्स शिवालिक सेलुलोस	गजरौला, मुरादावाद (उत्तर प्रदेश)	9,000
11.	मैसर्स कुलेरु पेपर लिमिटेड	बानालेरु, (आन्ध्र प्रदेश)	10,000
12.	मैसर्स नार्थ बिहार शूगर मिल्स	नारायणपुर, जिला चम्पारन,(बिहार)	7,500
13.	ठाकुर पेपर मिल्स	समस्तीपुर, (बिहार)	3,000
14.	परशुराम पेपर मिल्म	खेरड़ी, जिला रत्नागिरि (महाराष्ट्र)	2,100
15.	मैसर्स बाम्बे पल्प एण्ड पेपर मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी	डोम्बीवाली; बम्वई (एम)	4,000
16.	मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क (वीविंग) मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	बिड़ला कुट्टम कांजीकोड, केरल	2,700
17.	मैसर्स वालोद अन्तोदय सहकारी पेपर मिल्स	डम खाल पी. ओ. वालोद गुजरात	3,000
18.	आई० पी ०पी० सी० ओ० (इपको) पेपर मिल्स	जिला थाना (महाराष्ट्र)	5,000
19.	मैसर्स काबिमी पेपर लिमिटेड	नान्जनगुड, कर्नाटक	3,000
20.	मैसर्स प्रीमियर पेपर एण्ड बोर्ड	कोटा, उद्योग मार्ग कोटा,(राजस्थान)	3,000
21.	मैसर्स प्रीति पेपर बोर्ड मिल्स लिमिटेड	बड़ानगर (पश्चिम बंगाल)	1,200
22.	मैसर्स पी०जी० पेपर मिल्स	दमदम रेलवे स्टेशन के समीप (पश्चिम बंगाल)	1,500
23.	मैसर्स स्वतन्त्र भारत पेपर मिल्स	जिला गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)	2,000
24.	मैसर्स अकबोस पेपर मिल्स लिमिटेड	गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)	1,500
25.	मैसर्स प्रोविडेन्स पेपर मिल्स	सान्ताक्रुज, बम्बई, (महाराष्ट्र)	510

1	2	3	4
26.	श्री पेपर मिल्स एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	धारुहेडा जिला महेन्द्रगढ़, (हरियाणा)	1,500
27.	मैं० रानीसती पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	साहिबाबाद, (उत्तर प्रदेश)	1,500
28.	मैसर्स भार्गव पेपर प्राइवेट लिमिटेड	गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)	1,650
29.	मैसर्स गोवर्धन कागज उद्योग	किरावली, आगरा, (उत्तर प्रदेश)	1,200

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्नपुर में बिक्री योग्य "स्लैग" का जमा होना

4168. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्नपुर में "इस्को" संयंत्र में बिक्री योग्य स्लेग की भारी मात्रा जमा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस स्लैग की अनुमानित मात्रा और मूल्य क्या है; और

(ग) क्या इच्छुक खरीददारों से टेंडर आमंत्रित किये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के बर्नपुर के कारखाने में धातुमल (स्लैग) जमा हो गया है क्योंकि इस प्रकार के धातुमल की मांग अधिक नहीं है ।

(ख) जमा हुए धातुमल की सही मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि कारखाने के आरम्भ से ही तकनीकी आवश्यकता के कारण धातुमल जमा हो रहा है ।

(ग) जी हां । 15,000 टन धातुमल का आर्डर पहले मिल चुका है ।

इस्पात के तार के स्टाक का जमा होना

4169. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के विभिन्न भंडारों में इस्पात के तार का भारी स्टाक जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इतना फालतू उत्पादन होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस स्टाक का भारत-बंगलादेश सीमा पर कांटेदार तार लगाने के लिए प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस परियोजना के लिए कोई निश्चित आर्डर दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कारखानों तथा आन्तरिक बिक्री के स्टाकयार्डों में तार-छड़ का स्टाक, जो 1-4-1983 को 93,800 टन था, 1.3.1984 को घटकर 47,600 टन रह गया है ।

(ग) और (घ) भारत बंगलादेश सीमा पर लोहे की कांटेदार तार लगाने के लिए कांटेदार तार की आवश्यकता अभी अन्तिम रूप से तय नहीं की गई है ।

गुजरात स्टील ट्यूब के कार्यकरण में सुधार

4170. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात स्टील ट्यूब के कार्यकरण को धक्का पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 और 1983-84 में कितना उत्पादन कम हुआ है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इसके कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) निम्नलिखित उत्पादन आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि गुजरात स्टील ट्यूब के उत्पादन से कोई विशेष धक्का नहीं पहुंचा है : —

1979-1980	—	58,690 एम० टी०
1980-1981	—	86,755 एम० टी०
1981-1982	—	98,315 एम० टी०
1982-1983	—	84,093 एम० टी०
1983-1984	—	84,000 एम० टी० (सम्भावित)

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योग स्थापित करना

4171. **श्री ए० नीला लोहितदसन नाडार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में राज्य-वार कुल कितने नए औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं;

(ख) केरल में, जो कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है, नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के मामले में प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि इस राज्य में उद्योग के लिए कच्चामाल, जनशक्ति, ऊर्जा और तकनीकी विशेषज्ञता के रूप में सभी क्षमताएं मौजूद हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय क्षेत्र में अगला औद्योगिक एकक केरल में स्थापित करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) विगत 4 वर्षों में उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 18 सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं/एकक स्थापित किए गए हैं । राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

राज्य	एककों/परियोजनाओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2
बिहार	1
हिमाचल प्रदेश	1
हरियाणा	1
केरल	1
मध्य प्रदेश	2
नागालैंड	1
उड़ीसा	1
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	2

(ख) और (ग) केन्द्रीय परियोजनाओं के बारे में स्थापनास्थल सम्बन्धी निर्णय तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर लिया जाता है ।

प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाया जाना

4172. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कम उत्पादकता का सर्वाधिक उल्लेखनीय कारण प्रौद्योगिकी का ऊर्जा बढ़ाने के ठोस प्रयासों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्योगों को आधुनिक बनाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके सुझावों के बारे में क्या ब्यौरा है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) गत प्रयोग और अकुशल प्रौद्योगिकी ही भारतीय उद्योग के कुछ भागों में कम उत्पादकता का एकमात्र या अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण नहीं हो सकती । बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, महत्वपूर्ण कच्चे माल की कमी, खराब औद्योगिक सम्बन्ध और वैज्ञानिक प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से क्षमता का अनुपयुक्त उपयोग तथा उत्पादकता सम्बन्धी अकुशल तकनीक जैसे अन्य कारक कम उत्पादकता के प्रति जिम्मेदार हैं ।

सरकार की प्रौद्योगिकी नीति के उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संसाधनों के लिए उपयुक्त आयातित प्रौद्योगिकी को सुचारू ढंग से आत्मसात करना और उसे अपनाना है । यह स्वीकार किया गया है कि उद्योग में अन्त: संयंत्र अनुसंधान तथा विकास एककों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में तथा उद्योग के उत्पादन में होने वाले प्रयासों के बीच वांछनीय एवं आवश्यक अन्तर उपयोग की व्यवस्था हो जाती है । तदनुसार, आयातित प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने, समाविष्ट करने और उसे अपनाने तथा उन्नत प्रौद्यो-

गिकी का विकास करने की दृष्टि से अंत: संयंत्र अनुसंधान तथा विकास एककों की स्थापना के लिए प्रत्येक एकक को प्रोत्साहन दिया जाता है।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने हेतु कदम

4173. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाये गए कदमों के बारे में राज्यों से सूचना मांगी है क्योंकि इसमें कुछ ढील आ गई है और इस विषय पर प्रधान मंत्री के हाल ही के निदेशों के बावजूद नए उपायों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्यों से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में केन्द्र सरकार को प्राप्त सूचना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) साम्प्रदायिक स्थिति को नियन्त्रित करने और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को कुछ उपायों का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(1) राज्य सरकारें साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनुभवी तथा निष्पक्ष अधिकारी नियुक्त करने के लिए कार्रवाई कर रही है।

(2) राज्य सरकारें साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने में किए गए अच्छे कार्य के लिए अधिकारियों को पुरस्कार देने की कार्रवाई कर रही हैं।

(3) कई राज्य सरकारों ने साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं/निर्धारित किए हैं।

(4) राज्य सरकारें सांप्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को उपयुक्त वित्तीय सहायता दे रही है। हाल में राज्य सरकारों को उनके विचार के लिए साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास तथा उनको अनुग्रहपूर्वक अदायगी के संबंध में कुछ मार्गदर्शी निदेशों की सिफारिश भी की गई है।

(5) राज्यों द्वारा आपत्तिजनक तथा भड़काने वाले लेखों के प्रकाशन को रोकने के लिए भी उपयुक्त कार्रवाई की गई है। कुछ मामलों में आपत्तिजनक पुस्तकें जब्त कर ली गई हैं। कुछ राज्यों का इस प्रयोजन के लिए नया कानून बनाने का इरादा है। कुछ मामलों में प्रेस परिषद् ने भी कार्रवाई की है।

(6) राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि विकासात्मक कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों को मिले।

अभ्रक उत्पादन में निरन्तर गिरावट

4174. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980 के अभ्रक के उत्पादन में निरन्तर गिरावट आ रही है तथा अभ्रक खानों के श्रमिक बेरोजगार होते जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो 1975 से, वर्ष-वार अभ्रक के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1975 में अभ्रक की कितनी खानों में काम चल रहा है तथा इस समय कितनी खानों में काम चल रहा है तथा सभी खानों में काम करने वाले श्रमिकों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1975 से 1983 के दौरान अभ्रक का उत्पादन और अभ्रक खानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या निम्नलिखित है :—

उत्पादन टनों में

वर्ष	औसत दैनिक श्रमिक	क्रूड	छीजन व कतरन
1975	10,235	11,501	4,222
1976	7,962	9,494	4,306
1977	7,366	9,352	5,319
1978	6,848	9,593	4,681
1979	5,911	9,073	5,107
1980	6,662	7,934	4,393
1981	6,735	8,534	4,456
1982	6,599	8,776	4,574
1983	अप्राप्त	7,284 (अनन्तिम)	3,700

1983 में 207 अभ्रक खानों (अनन्तिम) में उत्पादन हो रहा था जबकि 1975 में इनकी संख्या 387 थी।

बिहार/पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में घुसपैठ

4175. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा**: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जांच के दौरान पता चला है कि बिहार के पुर्निया, कटिहार, किसनगंज, संस्थाल परगना जिलों और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में विदेशी नागरिकों की घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो रही है;

(ख) क्या जनसंख्या तथा राष्ट्रीय विपदाओं में व्यापक वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, सरकार का विचार किसी भेदभाव के बिना, विदेशी नागरिकों को अपने देश में वापस भेजने का है;

(ग) क्या इस दिशा में अब तक कोई प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सीमा की पर्याप्त लंबाई को ध्यान में रखते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल में बंगलादेश राष्ट्रिकों की घुसपैठ से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) घुसपैठियों को रोकने, उनका पता लगाने और कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को स्थाई अनुदेश दिए गए हैं।

(ग) सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ कर दिया गया है, सीमा बाह्य चौकियां बढ़ा दी गई हैं और सीमा बाह्य चौकियों के बीच की औसतन दूरी को कम किया गया है। भारत बंगलादेश सीमा के साथ-साथ कांटेदार तारों की बाड़ लगाने का भी प्रस्ताव है।

कर्नाटक में तुमकुर को पिछड़ा जिला घोषित करना

4176. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में तुमकुर को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जिले में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इस जिले में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ उद्यमियों को सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) पुनर्वर्गीकृत पिछड़े जिलों के अन्तर्गत तुमकुर जिला पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी "ग" में शामिल है। दिनांक 27-4-1983 के प्रेस टिप्पण सं०4/1/84 बी० ए०डी० (खण्ड-3) द्वारा जारी किए गए सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन (जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) श्रेणी "ग" के क्षेत्र अन्य के साथ-साथ 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये तक पूंजीगत निवेश राजसहायता, अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त, इंजीनियर उद्यमियों को ब्याज राजसहायता आयकर में राहत, जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1982-83 में 611 उद्यमियों ने तुमकुर जिले में लघु क्षेत्र में नए एकक स्थापित किए हैं।

तुमकुर कर्नाटक में मोपेडों के सहयोगी उद्योगों के लिए लाईसेंस

4177. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोपेडों के निर्माण के लिए आवश्यक सहयोगी उद्योगों के विकास के लिए कर्नाटक में तुमकुर जैसे पिछड़े जिलों में उद्यमियों की कोई लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऐसे उद्यमियों को कोई ऋण दिए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार कर्नाटक में तुमकुर जैसे पिछड़े जिलों में मोटरगाड़ियों के सहायक सामान के निर्माण हेतु निम्नलिखित औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए हैं :—

(1) इंजन वाल्वों के निर्माण के लिए मैं० कार वाल्व्स लि०, बंगलौर;

(2) पिस्टन, पिस्टन रिंगों तथा गजियन पिनों के निर्माण के लिए मैं० कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०;

(3) शाक एबजार्बरों के निर्माण के लिए मैं० कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम को तकनीकी विकास महानिदेशालय का पंजीकरण ;

जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, इसका पता कम्पनियों को दी गई मंजूरियों के कार्यान्वयन के समय चल सकेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिप बंधक (जिप-फास्टनर्स) के सम्बन्ध में निर्णय

4178. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षण समाप्त करने वाली समिति द्वारा लघु क्षेत्र के लिए जिप बंधकों के सम्बन्ध में निर्णय देने में 18 महीनों के असाधारण विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र के लिए जिप बंधक के हिस्से पुर्जों की परियोजना के सन्बन्ध में निर्णय कब घोषित किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) आरक्षण संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 2 जुलाई, 1983 को हुई बैठक में जिप-फासनरों के अनारक्षण के एक प्रस्ताव पर विचार किया था । समिति ने इस प्रस्ताव की विस्तृत जांच करने और अपनी रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है । अध्ययन दल को अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए गए हैं ।

(ख) जिप-फासनरों के पुर्जे बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4179. **श्री भीखा भाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों तथा अवर सचिवों की संख्या कितनी थी; और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तर को दूर करने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय 14 अनुभाग अधिकारी और 5 अवर सचिव कार्यरत हैं । परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवालय के इन काडरों में 1-1-1984 को अनुसुचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों का कोई अधिकारी नहीं था ।

(ख) अनुभाग अधिकारियों तथा अवर सचिवों के काडर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व देना इस कारण से सम्भव नहीं पाया गया है कि मानकों को शिथिल करने के बावजूद इन जातियों का ऐसा कोई भी पात्र उम्मीदवार नहीं मिला जो अर्हता प्राप्त हो ।

(ग) यह प्रयास जारी रखा जाएगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन शिथिल किये गए मानकों के आधार पर करके इस अन्तर को दूर किया जाए ।

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4180. **श्री भीखा भाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विभाग में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों की संख्या कितनी थी और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी थे;

(ख) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तर को दूर करने के लिये सरकार की वर्तमान नीति क्या; और

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दिए अनुसार है :

अनुभाग अधिकारियों/ अवर सचिवों की संख्या (दिनांक 1-1-84 की स्थिति के अनुसार	कालम 1 में से कितने अनुसूचित जाति के सदस्य हैं	कालम 1 में से कितने अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं
1	2	3
17 (अनुभाग अधिकारी)	दो	शून्य
1 (अवर सचिव)	शून्य	शून्य

(ख) तथा (ग) आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित कार्यविधि का अनुपालन करता है । अन्य बातों के साथ-साथ, जहां कहीं आवश्यक हो, मानकों में नियमानुसार छूट देकर आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के प्रयास किये जाते हैं । दिनांक 1-1-84 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के दो अनुभाग

अधिकारियों सहित कोई भी अनुभाग अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार इलेक्ट्रानिकी विभाग में अवर सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए अभी पात्र नहीं है ।

दिल्ली में प्रति एक हजार नागरिकों पर पुलिस की नियुक्ति

4181. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रति एक हजार नागरिक पर नियुक्त पुलिस का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में प्रति एक हजार नागरिक पर हत्या की कितनी घटनाएं हुईं; और

(ग) ऐसे मामलों का पता लगाने और मुकद्दमा चलाने में पुलिस को औसतन कितना समय लगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1981 की पिछली जनगणना से आबादी में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए तथा दिल्ली पुलिस की मौजूदा स्वीकृत संख्या के अनुसार, प्रति हजार आबादी पर पुलिस कार्मिकों का अनुपात लगभग 4.25 बनता है ।

(ख) वर्ष 1983 में दिल्ली में हत्या के 247 मामलों की रिपोर्ट मिली । प्रति हजार आबादी के हिसाब से हत्या की औसत घटना .034 बनती है ।

(ग) हत्या के मामलों में जांच करने तथा चालान करने के लिए पुलिस द्वारा लिया गया औसत समय मामले को दर्ज किए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर है ।

पाली में स्व-नियोजन योजना

4182. **श्री मूलचंद डागा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के उन गरीब से गरीब शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी है, जिन्होंने स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत 25,000 रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया है;

(ख) राजस्थान के पाली जिले के 18 से 35 वर्ष के बीच के शिक्षित युवकों, जिन्हें यह ऋण दिया गया है, के ग्राम-वार नाम क्या हैं; और

(ग) उनके द्वारा स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत आजीविका कमाने के लिए अब तक आरम्भ किए गए व्यवसायों अथवा उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार की योजना के अन्तर्गत लाभग्राहियों के चयन का एक मानदंड यह है कि इसमें वे शिक्षित युवा शामिल नहीं हो सकते जिनके पास वित्त के वैकल्पिक साधन हैं और जो समाज के अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग के हैं । 6 मार्च, 1984 तक प्राप्त समाचारों के अनुसार देश में लगभग 9.20 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए आवेदन किया है ।

(ख) यह योजना राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों क माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । केन्द्रीय सरकार गांव-वार सूचना एकत्र नहीं करती ।

किन्तु फरवरी, 1984 के अन्त तक पाली जिले में 858 मामलों की संवीक्षा किए जाने और बैंकों को सिफारिश किए जाने की सूचना मिली है जिनमें से बैंकों द्वारा 375 मामले स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) उद्योग, सेवा या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। पाली जिले में, स्वीकृत किए 375 मामलों में से स्व-उद्यम के 96 मामले उद्योग के, 42 सेवा संबंधी और 237 लघु व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के थे।

सातवीं योजना तैयार करते समय पंचायत समितियों और परिषदों से परामर्श लेना

4183. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय पंचायत समितियों और जिला परिषदों से परामर्श किया जाएगा;

(ख) क्या उक्त समितियों और जिला परिषदों द्वारा तैयार की गई ऐसी योजनाओं को, जिन पर सम्बन्धित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विचार किए जाने के बाद योजना आयोग को अपने सुझावों के साथ प्रस्तुत की जायेंगी, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय विचार में रखा जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं और क्या उन मार्ग-निर्देशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग इस समय सातवीं योजना के लिए नीति पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसका अनुमोदन हो जाने पर यह वह आधार बनेगा जिस पर केन्द्र तथा राज्यों द्वारा योजना तैयार करने का व्यापक कार्य शुरू किया जायेगा। योजना तैयार करने सम्बन्धी वर्तमान कार्य प्रणाली में राज्य सरकारों को योजना निर्माण के कार्य में पूरी तरह शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय योजना में राज्य सरकारों की योजनायें शामिल होती हैं।

कार्यशील स्तर पर, सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए नियुक्त विभिन्न कार्यकारी दलों में उन सभी क्षेत्रकों के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं जहां योजनागत स्कीमों/परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन तथा प्रचालन में राज्य सरकारों की प्रमुख भूमिका होती है। नीति निर्माण स्तर पर सभी राज्यों के मुख्य मन्त्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं जो मूल मामलों, राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना नीति, योजना के प्रारूप और अन्ततः अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर भी विचार करती है।

13 अप्रैल, 1984 को महावीर जयन्ती के उपलक्ष में छुट्टी की घोषणा

4184. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान महावीर जयन्ती चैत्र सुदी त्रियोदशी को मनाई जाती है;

(ख) क्या जैन तथा हिन्दू दोनों ही ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है । कि यह तिथि 13 अप्रैल को पड़ती है न कि 14 अप्रैल, 1984 को जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या महावीर जयन्ती की छुट्टी को 14 अप्रैल, 1984 के स्थान पर 13 अप्रैल, 1984 को करने और उसको तदनुसार अधिसूचित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वेंकटसुब्बय्या): (क) भगवान महावीर जयन्ती चन्द्रमास चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है जिसका आशय चैत शुदी त्रयोदीशी से ही है ।

(ख) तथा (ग) विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर तथा संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अब अनुदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें महावीर जयन्ती की छुट्टी 14 अप्रैल, 1984 के स्थान पर 13 अप्रैल, 1984 को घोषित की गई है । दिनांक 9 मार्च, 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/5/84-जे० सी० ए० की प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-7994/84]

राजस्थान में उद्योग विहीन जिलों में उद्योग लगाना

4185. **श्री चतुर्भुज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के ऐसे जिलों के बारे में एक सूची तैयार की गई है जहां कोई उद्योग नहीं है; यदि हां, तो ऐसे जिले कौन-कौन से हैं;

(ख) राजस्थान में "उद्योग विहीन जिले" की सूची किस तारीख को प्रकाशित की गई थी तथा इस सूची के प्रकाशन के बाद किन-किन जिलों को किस-किस वर्ष में सम्भावित योजनाओं में शामिल किया जायेगा ताकि उक्त जिलों में बेरोजगारी समाप्त करने में मदद मिल सके; और

(ग) क्या झालावाड़ जिले को उद्योग विहीन जिला घोषित किया गया है और यदि इसके औद्योगिकरण की कोई योजना हो, तो क्या यह सभा पटल पर रखी जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) राजस्थान में जैसलमेर और सिरोही जिले उद्योग रहित जिले माने गये हैं ।

(ख) अगस्त, 1982 में उद्योग रहित जिलों की सूची तैयार की गयी थी । 1-4-83 से पिछड़े जिलों का पुनः वर्गीकरण हो जाने के बाद इन जिलों को वर्ग "क" में शामिल कर लिया गया है । यद्यपि निर्दिष्ट जिलों के औद्योगिकीकरण का मुख्य रूप से उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का होता है, तथापि केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रोत्साहनों द्वारा उनके प्रत्यनों में सहयोग देती है । उद्योग रहित जिलों और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए संशोधित प्रोत्साहनो की घोषणा दिनांक 27-4-83 के ऐसे टिप्पण में की गई है जिसकी (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) ।

(ग) जी, नहीं ।

मैसर्स बड़ौदा रेयन कारपोरेशन द्वारा सीमेंट के तथा अन्य कारखाने स्थापित किया जाना

4186. **श्री के० लक्प्पा :**

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा रेयन कारपोरेशन ने हाल ही में कुछ नए सीमेंट कारखाने तथा अन्य कारखाने स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाईसेंसों के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) वर्ष 1983 और 1984 (16-3-84 तक) के दौरान, औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन मैसर्स बड़ौदा रेयन कारपोरेशन से सीमेंट, ओलियम और औषधियों के निर्माण के लिए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु 3 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

सीमेंट के निर्माण से सम्बन्धित औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है । ओलियम और औषधियों के निर्माण का आवेदन-पत्र इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

मसर्स एम० एस० टी० सी० कलकत्ता द्वारा "एम० वी० एनसटेसिस की खरीद

4187. **डा. बसंत कुमार पंडित** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एम०एस०टी०सी०, कलकत्ता ने दिसम्बर, 1980 में स्क्रैप बनाने के लिए एम० वी० एनसटेसिस नामक एक जहाज की खरीद की थी और क्या दिनांक 4-5-1979 के परिपत्र संख्या टेक/1/ए/79-80 के अनुसार नौवहन महानिदेशक से लिखित अनुमति प्राप्त की गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) मालिकों, खरीद/बिक्री पत्तन के नाम क्या हैं और उनका मूल्य तथा समझौते के ज्ञापन की तारीख और स्थान क्या हैं;

(ग) क्या जहाज की बिक्री की गई थी और उसके कर्मचारियों सहित उसकी सुपुर्दगी की गई थी और यदि हां, तो कर्मचारियों को मजूरी और अन्य देयताओं की अदायगी के सम्बन्ध में क्या समझौता/प्रबन्ध किया गया था; और

(घ) क्या जहाज के मास्टर को न तो सेवा मुक्त किया गया था और न ही उसे मजूरी और अन्य देयताओं की अदायगी की गई और यदि हां, तो जहाज का स्क्रेपिंग के लिए अधिग्रहण समुद्री दायित्वों की अदायगी किए बिना और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और भारतीय मर्चेंट अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षाओं के अनुसार जहाज के मास्टर को सेवा मुक्त किए बिना क्यों किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) दिसम्बर, 1980 में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड ने तोड़ने के लिए एम० वी० एनसटेसिस नामक जहाज खरीदा था।

वर्ष 1980-81 की आयात नीति में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन को माध्यम अभिकरण के रूप में तोड़ने के लिए विदेशों से ध्वज-पोतों का आयात करने की अनुमति दी गई है। इस मामले में नौवहन महानिदेशक की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं था।

(ख) लन्दन के मैसर्स पोलासिया कैरियर्स लिमिटेड ने यह जहाज मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड को 243896 अमरीकी डालर में बेचा था समझौता ज्ञापन पर 10 दिसम्बर, 1980 को कलकत्ता में हस्ताक्षर किए गए थे। यह जहाज विक्रेताओं द्वारा अपने अधिकार के अन्तर्गत बन्दरगाह पर दिया गया था, इस प्रकार इस मामले में में कोई खरीद/बिक्री पत्तन नहीं था।

(ग) यह जहाज विक्रेताओं से इस गारन्टी पर खरीदा गया था कि सुपुर्दगी के समय यह जहाज सभी ऋणभारों, जहाजी गहन अथवा किसी प्रकार की अन्य देनदारियों से मुक्त था। क्रेता को इस बन्दरगाह पर इस जहाज की सुपुर्दगी विक्रेता के अपने अधिकार के अन्तर्गत तथा अपने जोखिम और लागत पर करनी थी। क्रेता को कर्मचारियों सहित जहाज की सुपुर्दगी करने का प्रश्न नहीं था, इसलिए कर्मचारियों को मजूरी तथा अन्य देयताओं की अदायगी के बारे में कोई अलग समझौता करने की आवश्यकता नहीं थी।

(घ) जहाज के मास्टर की सेवा मुक्ति तथा उसको मंजूरी तथा अन्य देयताओं की अदायगी करने का मामला न्यायाधीन है।

स्टील इण्डस्ट्रियलस केरल लिमिटेड द्वारा, जिसे मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन ने तोड़ने के लिए यह जहाज दिया था, केरल के उच्च न्यायालय के निदेशानुसार प्रतिभूति जमा करवाने पर उच्च न्यायालय द्वारा उसे जहाज तोड़ने की अनुमति दी गई थी।

केरल में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले की घोषणा

4188. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पद्यानम थिट्टा जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूटर इंडिया लि० चलाने में कर्मचारियों की भागेदारी

4189. **श्री छांगुर राम** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी घाटों के परिप्रेक्ष्य में सरकार का स्कूटर इण्डिया लि० के कर्मचारियों को यह फर्म चलाने में भागेदारी प्रदान करने तथा इस सम्बन्ध में उन्हें औपचारिक अनुरोध करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) एकक की जीव्यता में सुधार लाने की दृष्टि से, प्रबन्ध मण्डल को सुदृढ़ बनाने, उत्पादों का विविधीकरण करने तथा संगठनात्मक ढांचे में कुछ परिवर्तन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत और स्वीडन के बीच संयुक्त सहयोग करार

4190. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और स्वीडन ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अच्छी संभावनाओं वाले वे विभिन्न क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें भारत स्वीडन के संयुक्त उद्यम स्थापित किये जा सकते हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के लिए भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक फरवरी, 1984 में नई दिल्ली में हुई थी। बैठक के अन्त में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें इस्पात, इलेक्ट्रानिक्स, दूर-संचार, प्रिसिजन मशीनों, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी, महासागर प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक इंजीनियरी, विद्युत पारेषण और उर्जा के फिर से काम में लाये जाने वाले स्रोतों जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग की परिकल्पना की गई है। निर्माण, औद्योगिक संयंत्रों, रेल लाइनों और रोलिंग स्टाक के क्षेत्रों में तीसरे देशों में संयुक्त उद्यम लगाने की सम्भावना पर भी प्रकाश डाला गया था। दोनों देशों के सम्बन्धित संगठनों द्वारा इन सम्भावनाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

अत्याचारों से पीड़ित कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को आर्थिक राहत और कानूनी सहायता

4191. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1984 के "डेकन क्रोनिकल" के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में अत्याचारों से पीड़ित समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक राहत और कानूनी सहायता के लिए निर्धारित की गई धनराशि का अधिकांश भाग खर्च नही किया गया है अथवा इसे दूसरे कामों पर लगाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाई गई अनेक योजनाओं के मामलों में विकास एजेंसियां न तो सारी धनराशि खर्च कर पाई हैं और न विभिन्न विकास विभागों में समन्वय स्थापित कर सकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): (क) सरकार "डेकन क्रोनिकाल" में प्रकाशित समाचार से अवगत है। गृह मन्त्रालय, समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचारों के पीड़ितों को सीधे वित्तीय राहत और कानूनी सहायता नहीं देता है।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश में एकीकृत जनजाति विकास अभिकरणों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रयोग सन्तोषजनक पाया गया है। तथापि कुछ क्षेत्रों में जनजाति उप-योजना निधि (राज्य योजना) से धन के प्रयोग की गति धीमी पायी गई है।

जनजाति उप-योजना 1984-85 को अन्तिम रूप देते समय राज्य सरकार से जनजाति उप-योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति में सतत आधार पर समीक्षा करने और कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया गया है।

अनिवासी भारतीयों को निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने की अनुमति

4192. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12 अनिवासी भारतीयों को देश में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित एकक चमड़ा, खेल तथा ट्रेवल बैग आदि से सम्बन्धित समान तैयार करेंगे;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के एकक किन-किन राज्यों में स्थापित किए जायेंगे;

(घ) इन एककों को कब तक स्थापित कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) सरकार का विचार उन एककों को कितनी सहायता देने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) वर्ष 1983 और 1984 (फरवरी तक) के दौरान सरकार ने 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के अन्तर्गत एककों की स्थापना करने के लिए अनिवासी भारतीयों से प्राप्त 11 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

(ख) और (ग) स्वीकृत किए गए एककों में से एक गुजरात में, बने-बनाए वस्त्रों (खेलों में पहुंच जाने वाले) के निर्माण के लिए है।

(घ) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए सामान्य रूप से एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि की अनुमति दी जाती है।

(ङ) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित या उनके नियंत्रणाधीन एककों सहित सभी एकक भारत में कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं और वे पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल और अन्तर्वस्तुओं के निःशुल्क आयात के पात्र हैं। इन एककों के लिए पूंजीगत वस्तुओं, अन्तर्बस्तुओं और कच्चे माल की देश में आपूर्ति पर उत्पादन-शुल्क नहीं लगेगा। तैयार किए गये उत्पाद भी उत्पादन और अन्य केन्द्रीय करों (लेवियों) से मुक्त होंगे।

पहाड़ी क्षेत्रों में असन्तुलन

4193. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 फरवरी, 1984 को ईटा नगर में प्रधान मन्त्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में असंतुलन दूर करने के लिए योजना बनाई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार वास्तविक समस्याओं की सही जानकारी प्राप्त करने और फिर तुरन्त सुधारात्मक कदम उठाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक/आर्थिक दलों की एक बैठक बुलाने का है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। सरकार की संतुलित क्षेत्रीय विकास की नीति के अनुसरण में देश के पहाड़ी क्षेत्रों की ओर दूसरी पंचवर्षीय योजना से विशेष ध्यान दिया जा रहा है परन्तु पांचवी पंचवर्षीय योजना अर्थात 1974-75 से इनकी ओर और भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। देश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम एक अविरत कार्यक्रम है। इसके ब्यौरे छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अध्याय 25 में दिए गए हैं जो 6-5-1981 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था।

(ख) योजना आयोग ने, योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में दो सलाहकार समितियों की स्थापना है जिनमें से एक हिमालय क्षेत्र और दूसरी पश्चिम घाटों के लिए है। यह समितियां इन दो क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित मामलों के बारे में सलाह देंगी इन दो समितियों में इन क्षेत्रों के जन-प्रतिनिधियों और पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं की घनिष्ठ जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सन्दर्भ में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। इस कार्यकारी दल में जन-प्रतिनिधियों, समाज सेवक, अर्थशास्त्री और पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं की घनिष्ठ जानकारी रखने वाले लोगों को नियुक्त किया गया है। इस दल में पहाड़ी क्षेत्रों की समस्यों का विश्लेषण करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने की आशा की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी

4194. **श्री चित्त महाटा** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र गरीबी से बुरी तरह प्रभावित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से अधिक है। गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए आवधिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं। जैसा कि छठी योजना दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, अद्यतन दो सर्वेक्षण जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का निम्नलिखित प्रतिशत बताते हैं—

	1972-73	1977-78
ग्रामीण क्षेत्र	54.1	50.8
शहरी क्षेत्र	41.2	38.2
अखिल भारत	51.5	48.1

विभिन्न कम्प्यूटरों के बारे में अध्ययन करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेश भेजा गया दल

4195. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आई० बी० एम० द्वारा बनाये गए कम्प्यूटर सहित अन्य कम्प्यूटरों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक दल विदेश भेजा है;

(ख) क्या वर्ष 1982 में पहले ही कम्प्यूटर प्रणाली का चयन करने और उसके बारे में अध्ययन करने के लिए एक अन्तर मंत्रालय दल विदेश गया था;

(ग) यदि हां, तो इस दल की सिफारिशें क्या हैं;

(घ) इसे सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या इलेक्ट्रानिक्स विभाग का विचार है कि कम्प्यूटरीकरण स्थानीय लघु-कम्प्यूटरों के प्रयोग से किया जाना चाहिए ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) इलेक्ट्रानिकी विभाग की राय में प्रयोगकर्ताओं की कुछ आवश्यकताओं को स्थानीय रूप से विनिर्मित लघु (मिनी) कम्प्यूटरों से पूरा किया जा सकता है । किन्तु, कई अन्य अनुप्रयोग ऐसे हैं जिनमें बड़े कम्प्यूटरों अथवा विशिष्ट यंत्र सामग्री या यंत्रेतर सामग्री क्षमता/सुविधा से युक्त कम्प्यूटरों की आवश्यकता होती है, उदाहरण के तौर पर, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल/गैस के सम्बन्ध में एक एकत्रित किए जाने वाले भूकम्प विषयक खोज के आंकड़े एकत्रित करने के लिए ऐसे कम्प्यूटरों की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी आवश्यकता स्थानीय लघु कम्प्यूटरों से पूरी नहीं की जा सकती ।

12.00 **म० प०**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के बारे में इस सदन में एक वक्तव्य देंगी । दूसरे सदन में यह किया जा चुका है । जब मैंने इससे पहले आप से पूछा, आपने कहा नहीं, नहीं···महोदय, यह क्या है ? यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है । उसकी तरफ से कौन बोलेगा ? पांच किश्तें पहले ही देय हो चुकी हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कल पूरे हिन्दुस्तान में उनकी रैलियां हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप रूल 377 में लिखकर दे दीजिए ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : **

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । यह अनुचित है । आप लिखकर दें, मैं पता करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का कोई सवाल नहीं है···आप भी शिक्षित व्यक्ति हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता ।

आप लिखकर दे दें ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और सरकार की तरफ से बार-बार कहा जाता है कि पालेकर एवार्ड लागू किया जाएगा । समाचार भारती के कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दें । मैं भिजवा दूंगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है । उनके जनरल मैनेजर विदेश जा रहे हैं। वहां पालेकर एवार्ड लागू नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि लिखकर दे दें । आप लिखकर शिकायत करें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमने इस बारे में कालिंग एटेन्शन नोटिस दिया है । क्या आप उसको स्वीकार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे ।

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के अधीन, अधिसूचना चण्डीगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड जनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(1) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा अनुज्ञापन (संशोधन) नियम 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 14 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 66 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7949/84]

(2) (एक) चंडीगढ़ इंडस्ट्रीयल एण्ड जनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) चंडीगढ़ इंडस्ट्रीयल एंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7950/84]

4. (एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7951/84]

श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम के अधीन अधिसूचना और बोस इंस्टिच्यूट कलकत्ता के वर्ष 1982-83 **के प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 33 के अन्तर्गत, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विनियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी० आर० तीन (4) 5/81 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7952/84]

(2) (एक) बोस इंस्टिच्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) बोस इंस्टिच्यूट कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (ख) उपर्युक्त मद (6) के भाग (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7953/84]

नारियल जटा बोर्ड, एर्णाकुलम, कोचीन का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, नारियल जटा बोर्ड, एर्णाकुलम, कोचीन की गतिविधियों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण के बारे में 1 अप्रैल, 1983 से 30 सितम्बर, 1983 तक की अवधि के अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7954/84]

मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड नागपुर, का वर्ष 1982-83 की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7955/84]

हिन्दी के प्रसार और विकास में तेजी लाने के कार्यक्रम और उसके क्रियान्वयन के बारे में वर्ष 1982-83 का वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं देश के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग के कार्य में तेजी लाने के कार्यक्रम और उसके क्रियान्वयन के बारे में वर्ष 1982-83 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 7956/84]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 मार्च 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 213 (स) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7957/84]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग-I

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं, श्री जनार्दन पुजारी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1983 के प्रतिवेदन— संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग-I प्रस्तावना की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7958/84]

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं, श्री दिग्विजय सिंह की ओर से, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 53 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 3 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 6 (अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7959/84]

12.03 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा 19 मार्च, 1984 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 8 मार्च, 1984 को पारित इनचेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के, सहमत हुई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 186 के उप नियम संख्या (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 186 के उपनियम संख्या (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग विधेयक, 1984 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा

को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 186 के उपनियम संख्या (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 1984 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में इस सभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 186 के उपनियम संख्या (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) विधेयक, 1984 जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 15 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(छः) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 186 के उपनियम संख्या (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक 1984 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 15 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

(सात) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 186 के उपनियम संख्या (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1984 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 15 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(आठ) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 19 मार्च, 1984 को हुई अपनी बैठक में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक 1981 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के वर्तमान सत्र (129वां) के अन्तिम दिन तक और बढ़ाया जाए।"

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

71वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 71वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

81वां प्रतिवेदन

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड फिल्मों और थियेटरों के वित्त पोषण के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 79वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 81वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.05 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

58वां प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 20 मार्च, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 58वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 20 मार्च, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 58वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.06 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) झारसुगुड़ा-तितलागढ़ और भुवनेश्वर के बीच एक तेज गति वाली रेलगाड़ी चलाने की मांग

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों को राज्य की राजधानी से एक सीधी गाड़ी द्वारा नहीं जोड़ा गया है इससे राज्य के इन क्षेत्रों के बीच आने

जाने में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और इससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। झारसूगुड़ा-तितलागढ़ और भुवनेश्वर के बीच एक तेज गति वाली रेलगाड़ी चलाने की लगातार मांग की गई है। कोरापुट, कालाहांडी, बालागीर और सम्भलपुर जिलों में नए विकास केन्द्रों तथा उद्योगों की स्थापना से इस प्रकार की गाड़ी चलाना बहुत ही आवश्यक हो गया है।

इसलिए यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक तेज गति वाली रेलगाड़ी बहुत शीघ्र चलाई जाए। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं।

(दो) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उचित दर की दुकानें खोलने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं :

यह गम्भीर चिन्ता का प्रश्न हो गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में विशेषकर मिर्जापुर जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। परिणामस्वरूप मिर्जापुर में दूर-दराज इलाकों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को सुविधा पूर्वक राशन नहीं मिल पा रहा है। खासकर उन मजदूरों को जो केजुअल हैं और उन खेतिहर मजदूरों और आदिवासी हरिजनों को जो इन्टीरियर भागों में निवास करते हैं। मुझे जानकारी दी गई है कि मिर्जापुर जनपद में कई कई दुकानों पर 8 हजार से लेकर 10 हजार यूनिट तक लगाये गये हैं जबकि केन्द्र का स्पष्ट निर्देश है कि प्रति दो हजार यूनिट पर एक दुकान अनिवार्य रूप से खोली जाए। यही नहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो वस्तुएं वितरित होने वाली हैं उनका भी अभाव है जैसे खाद्य तेल, साबुन, सस्ता कपड़ा, मिट्टी का तेल इत्यादि। मिट्टी के तेल की दुकानें तो आवश्यकतानुसार हैं ही नहीं। परिणामस्वरूप यहां पर कालाबाजारी से महंगा मिट्टी का तेल खरीदना पड़ता है। यही नहीं, दुकानों की दूरी खासकर इन्टीरियर ब्लाकों में 8 से 10 किलोमीटर तक है। चलती फिरती दुकानों की घोषणा मीरजापुर के लिए की गई थी, उसकी भी व्यवस्था प्रदेश सरकार ने नहीं की।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए मैं केन्द्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय का ध्यान इस विकट समस्या की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि प्रदेश सरकार को तुरन्त वितरण प्रणाली को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यवस्था करने का निदेश दें।

(तीन) पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक नया रेल मंडल बनाने की मांग

****श्री रास बिहारी बहेरा (कलाहांडी)** : खुर्द स्थित रेल मंडल का उड़ीसा में फैले हुए 2,000 किलोमीटर लाइन में से लगभग 600 किलोमीटर पर नियंत्रण है। शेष 1,400 किलोमीटर के अन्तर्गत जो क्षेत्र आता है वह है पश्चिम उड़ीसा, राउरकेला के औद्योगिक और इस्पात कम्पलैक्स तथा बरसुआन और बीरमित्रपुर सैक्शनों की अन्य शारदा लाइनें जो मुख्य लाइन पर

**उड़ीसा में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हिमगिरी तक जाती है और झारसूगुडा से तितलागढ़ और रामगढ़ से रामपुर तक जो अन्य औद्योगिक पट्टी से घिरी हुई है, वह तीन डिवीजनों अर्थात चन्द्रपुर, बिलासपुर और वाल्टेयर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है।

इस क्षेत्र में भारी यातायात और अन्य लदान उपलब्ध होते हुए भी, प्रशासनिक जोकि कार्यचालन और सुप्रचालन सुविधा और समन्वय की दृष्टि से एक अलग मंडल बनाने का समर्थन करता है, एक नया मंडल बनाने के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव काफी समय से रेलवे बोर्ड के पास विचाराधीन है। इस क्षेत्र के रेल कर्मचारियों और रेल यात्रियों को अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए राज्य के बाहर स्थित तीन अन्य मंडल कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिला स्तर पर सभी सरकारी विभागों तथा व्यापार और उद्योग को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जबकि उन्हें राज्य के बाहर स्थिति तीन मंडलों पर निर्भर रहना पड़ता है और विशेषकर जबकि इन तीन मंडलों में कार्यभार तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए, मेरी यह मांग है कि और देरी किए बिना पश्चिमी उड़ीसा के लिए एक नया रेल मंडल बनाया जाना चाहिए।

(चार) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर तथा खड़गपुर जिलों में पेयजल की भारी कमी तथा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए पेयजल के नये स्त्रोत बढ़ाने की आवश्यकता

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, नियम 377 के आधीन, मैं सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित आवश्यक मामले को उठाना चाहता हूं।

खड़गपुर शहर जिसकी जनसंख्या 3 लाख है और पश्चिम बंगाल में मिदनपुर कस्बा जिसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख है, के लोग भारी सूखे और पानी की कमी से तड़फ रहे हैं। प्रेमबाजार, तालबगीचा, मगेरा, नीमपाड़ा, मालान्या क्षेत्र, चतीसपाड़ा, सुब्बासपाली, पंचभेड़िया, खड़गपुर का इन्दा और मिदनापुर के बहुत से क्षेत्र, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लोग नलकों पर पानी की एक बाल्टी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपराधी मामले दर्ज किये जा रहे हैं। अधिकारियों से कई बार कहा गया है ! दोनों नगरपालिकाओं के अध्यक्षों और आयुक्तों ने प्रस्ताव पास करके और शिष्टमंडल द्वारा अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। लेकिन फिर भी सही दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तत्काल कदम उठाए जाएं और पेय जल के मामले में लोगों को राहत देने के लिए नए जल स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं।

(पांच) गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने की कीमत की बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए बिहार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के ईख काश्तकारों का ईख के मूल्य का बकाया चिन्ता का विषय है। 8 वर्ष पहले बहुत सी मिलों का संचालन मालिकों ने मिलों के रुग्ण होने के कारण बन्द कर दिया था। राज्य सरकार ने ऐसी 10 मिलों का अधिग्रहण कर काश्तकारों तथा मजदूरों के हित के ख्याल से अलाभकर होने पर भी संचालन जारी रखा। 1982-83 की ईख की कीमत का बकाया अभी भी 6.50 करोड़ सरकारी और 5.50 करोड़ निजी चीनी मिलों के जिम्मे बचा हुआ है। 1982-83 में केन्द्रीय सरकार ने 20

करोड़ रुपए का ऋण "वेज ऐंड मीन्स" एडवांस के रूप में देने की सहमति प्रकट की। राज्य सरकार ने केवल 5 करोड़ लिया जिससे सरकारी मिलों पर बकाए का कुछ अंश अदा किया जा सका।

1983-84 में भी चीनी मिलें किसानों की ईख का मूल्य भुगतान नहीं कर सकेंगी तथा 20 करोड़ रुपये निजी चीनी मिलों तथा 5 करोड़ सरकारी चीनी मिलों पर बकाया रह जायेगा। इन्हें बैंक से भी कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि उत्पादन पर मिलने वाले कैश क्रेडिट से ईख के दाम का भुगतान नहीं हो सकेगा। अतः 1982-83 तथा 1983-84 का कुल 37 करोड़ का बकाया चुकाने के लिए यदि केन्द्र सरकार से 20 करोड़ रुपये का ऋण तीन वर्षों के लिए राज्य को मिले तो इन मिलों को तीन वर्षों की अवधि के लिए ऋण देकर तीन वर्षों के अन्दर वार्षिक किस्तों में अदा करने का आदेश दिया जा सकता है। राज्य सरकार के वित्तीय साधन के द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता है। अतः केन्द्र से अपेक्षा है कि यह बिहार राज्य सरकार को यह ऋण मुहैया करें जिससे बिहार के गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक संकट से बचाया जा सके।

(छह) पर्यवेक्षकों तथा अध्यापकों को वेतन में की गई वृद्धि की राशि का भुगतान करने के लिए भारी इंजीनियरी निगम (एच. ई. सी.) रांची को निदेश देने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, रांची स्थित भारत के सबसे बड़ी भारी इंजीनियरी उद्योग निगम (एच. ई सी.) में उत्पादन ह्रास, औद्योगिक अशांति एवं अपव्यय की ओर उद्योग मन्त्री एवं सम्पूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पर्यवेक्षक एवं शिक्षकों का वेतन स्तर मजदूरों के समान ही है, जबकि पर्यवेक्षकों के दिशा-निर्देश से ही सारा कार्य सम्पादन होता है। जहां मजदूरों सुपरवाइजरों की मजदूरी 65 रु० की वृद्धि का पुनरीक्षण हुआ जहां कार्यपालक अधिकारियों व्यवस्थापकों की वृद्धि 325 रु० से 1000 रु० हुई। यह यदि प्रतिशत में विचार किया जाए तो वह अधिकारियों की 30 प्रतिशत वृद्धि तुलना में मजदूरों एवं सुपरवाइजरों की वृद्धि मात्र 2% है, जो भेदभावमुलक तथा औद्योगिक अशांति का कारण है। इन्हीं कार्यवाहियों के कारण उत्पादन में भारी ह्रास तथा श्रमिक अशांति का सूत्रपात हुआ है।

सुपरवाइजरों एवं शिक्षकों के वेतन स्तर (वेज स्ट्रक्चर) मजदूरों के समान मानकर 65 रु० किया है। यह नैतिकता के प्रतिकूल है। इसलिए जनवरी-फरवरी, 1983 में लगभग 70 दिन तक शिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों ने नैतिकता के आधार पर उन्हें मर्यादित करने के लिए धरना एवं सत्याग्रह किया। अन्त में व्यवस्थापन ने 5 मार्च, 1983 को 36 रु० शिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों को अधिक राशि प्रदान करने का समझौता किया गया और सत्याग्रह समाप्त हो गया। मैंने भी संसद में एसोसिएशन की मांगों की पूर्ति हेतु 27 अप्रैल 1983 में एक अतारांकित प्रश्न के द्वारा उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया, अभी तक 36 रु० का भुगतान नहीं हो रहा है। अनुरोध है कि 37 रु० का मासिक भुगतान 1.1.82 से कराकर औद्योगिक संबंध में संतोष-प्रद सर्वमान्य किया जाए।

(सात) केन्द्रीय सरकार के सभी प्रतिष्ठानों में फैरो प्रिंटरों को एक-समान वेतनमान देने की मांग

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, तीसरे वेतन आयोग ने फैरो प्रिंटरों के वेतनमानों में संशोधन करके एक संगठित वेतनमान करते समय उन लोगों के साथ न्याय नहीं किया है जो उच्च वेतनमान में थे। ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्टर प्राइजिज में फैरो-प्रिंटरों का वेतनमान अन्य स्थानों पर फैरो-प्रिंटरों के वेतनमानों की तुलना में भिन्न और अधिक है। जब अन्य विभागों के फैरो-प्रिंटर अपने वेतनमानों में संशोधन की मांग कर रहे हैं तो सरकार यह सफाई दे रही है कि ब्यरो ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजिज के फैरो-प्रिंटरों के कर्तव्य और दायित्व भिन्न हैं इस बात को स्वीकार करना कठिन है क्योंकि कर्मचारी जांच एकक ने सभी विभागों के फैरो-प्रिंटरों के कर्तव्य और दायित्वों की पूरी तरह जांच के बाद सभी फैरो-प्रिंटरों के लिए समान वेतनमान की सिफारिश की थी। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने भी समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को उचित ठहराया है। इसका उपाय केवल यह है कि इन कर्मचारियों को सैलेक्षन ग्रेड दे दिया जाए। यह दलील कि चौथा वेतन आयोग इस समस्या को देखेगा, मानने योग्य बात नहीं है क्योंकि यह विषय असंगति को दूर करने से संबंधित है जोकि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण पैदा हुई है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के सभी प्रतिष्ठानों में फ़ैरो-प्रिंटरों को 260-430 रुपए का वेतनमान दिया जाए।

(आठ) कोचीन शिपयार्ड के विस्तार तथा उसके कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : कोचीन शिपयार्ड 160 एकड़ भूमि में स्थित है, लेकिन इस समय मुश्किल से केवल 100 एकड़ भूमि का ही उपयोग किया जाता है। इसमें 2500 कर्मचारी हैं, जो आधुनिक उपकरणों तथा लेआउट्स के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके विकास तथा विस्तार की बड़ी संभावनाएं हैं। दुर्भाग्यवश 150 करोड़ रु० से अधिक लागत के इस प्रतिष्ठान में प्रबन्धकीय नेतृत्व और निष्ठावान श्रमिकों का अभाव है।

सांविधिक अपेक्षा के अनुसार सभी जहाजों को शुष्क गोदी में रखना चाहिए। नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार भारतीय जहाजों के लिए 7,200 गोदी दिवसों की आवश्यकता है, जबकि क्षमता केवल 2,400 गोदी दिवस है। इसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में राष्ट्रीय टन भार को विदेशों में ले जाना पड़ता है और महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है।

श्रीलंका द्वारा बहुत तीव्रगति से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह उचित समय है कि हम इस सम्बन्ध में आत्मसंतोष की भावना से ऊपर उठें। देश में कोचीन शिपयार्ड सबसे बड़ी शुष्क गोदी तथा विकास और विस्तार का ढांचा है। दो अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन दलों अर्थात् जापान के एम. एच. आई. आई. एच. आई. के प्रतिवेदन मौजूद हैं और हाल ही में एडमिरल नरपति दत्त ने भी कोचीन शिपयार्ड की समस्याओं, समाधानों, उपयोगिता, संभाव्यता और विस्तार पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

मैं सरकार से श्रमिक-प्रबन्धक मामलों को सुव्यस्थित करने, सक्षम प्रबन्धकों को लगाने, कर्मचारियों के मन में अनुशासन तथा समर्पण की भावना उत्पन्न करने, शुष्क गोदी की मरम्मत

सुविधाओं का विस्तार करने तथा नौवहन, सामुद्रिक और तट-दूर छिद्रण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोचीन शिपयार्ड में विभिन्नता लाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

12.18½ म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1984-85---जारी

विदेश मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में विदेश मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान की मांग पर आगे चर्चा और मतदान किया जायेगा।

श्री बनातवाला ने 19 मिनट का समय ले लिया है, वह कृपया अपनी टिप्पणियां समाप्त करें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, यह दुःख की बात है कि युद्ध को समाप्त करने के सभी प्रयत्नों के बावजूद इराक और ईरान के बीच अभी भी युद्ध जारी है। यह बात और भी दुःखद है कि युद्ध में और वृद्धि हुई है। ईरान द्वारा यह भी आरोप लगाये गये हैं कि इराक द्वारा रासायनिक शस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है। इराक द्वारा इन आरोपों का खण्डन किया गया है लेकिन ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से यह अनुरोध किया है कि वह रासायनिक शस्त्रों के प्रसार का अध्ययन करने के लिए एक विशेष शिष्टमण्डल भेजे। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि लम्बे अर्से से चले आ रहे युद्ध से हुई हानियों के बारे में विश्व के लोग निष्क्रिय दर्शक नहीं रह सकते हैं। युद्ध को तुरन्त समाप्त करने के लिए सभी प्रयत्न किये जाने चाहिएं।

12.20 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, इसके पश्चात, नार्दन साइप्रस को तुर्किस रिपब्लिक बनाने के लिए तुर्किस साइप्रट्स द्वारा नवम्बर 1983 में घोषणा की गई थी। इस द्वीप में बीस से अधिक वर्षों से राजनैतिक अस्थिरता थी। इस अवधि के दौरान तुर्किस साइप्रट्स को उत्पीड़ित किया गया। उन्हें प्रशासन में उनका वांछित शेयर नहीं दिया गया और उनको राजनैतिक एकांतवास में धकेल दिया गया। उनको आर्थिक व्यापार प्रतिषेध का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की अनुचित स्थिति कितने समय तक चल सकती थी ? मैं यह निवेदन करता हूं कि यह अच्छा होता यदि कि 15 नवम्बर को तुर्किस घोषणा वर्ष 1977 के डेंकतास—मकारियन तथा वर्ष 1979 के डेंकतास—काईप्रियानाऊ समझौतों के अनुरूप होती। इसके अलावा, राष्ट्रपति रोफ डेंकतास ने इस बात पर जोर दिया है कि देश संयुक्त राष्ट्र सिद्धान्तों तथा गुट-निरपेक्ष की नीति का अनुसरण करता रहेगा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तत्वावधान में अन्तर्सामुदायिक बातों के लिए दरवाजे बन्द नहीं किये जायेंगे।

महोदय, घोषणा के सकारात्मक रुख अपनाने तथा घोषणा पर केवल अफसोस जाहिर करने के बजाय राजनैतिक समझौते के लिए डैकतास के प्रस्तावों पर कार्य करने की आवश्यकता है ।

संक्षिप्त में, यह प्रशंसनीय है कि युद्ध को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयत्नों में भारत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है । इस संदर्भ में कुछ स्वागत योग्य घटनाएं हुई हैं । 17 मई के लेबनान-इजरारल समझौते को रद्द करना, लेबनान राष्ट्रीय पुनर्गठन के लिए एक अच्छा कदम है । लेबनान के लोगों ने यहूदी मतानुयायी साम्राज्यवादी शासन के प्रति समर्पण करने से इंकार कर दिया है । यह आवश्यक है कि महाशक्तियां—अमेरिका और सोवियत संघ लेबनान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें । हम यह आशा करते हैं कि लेबनान के नेताओं के बीच वर्तमान राष्ट्रीय बातचीत के द्वारा समस्या का अन्तिम हल ढूंढने के लिए कोई निष्कर्ष निकाला जायेगा । हमें हाल ही में इस्लामिक कान्फेंस आर्गेनाइजेशन सम्मेलन द्वारा मिश्र को संगठन में पुनः सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित करने के निर्णय का स्वागत करना चाहिए । और यह जानकर प्रसन्नता होती है कि मिश्र ने आमन्त्रण को स्वीकार कर लिया है । हम उनके प्रशंसनीय उद्देश्यों के लिए उनके रैंकों में एकता की कामना करते हैं । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है । कि इजराइल अपने घृणास्पद षड्यन्त्रों पर बल दे रहा है और उसने अल-अलक्सा मस्जिद, मुस्लिमों के तीसरे पवित्र मकबरे को उड़ाने के प्रयास भी किये गये हैं । अमेरिका द्वारा इजराइल को प्रोत्साहित किया गया है । अमेरिका कांग्रेस के समक्ष अब एक प्रस्ताव है कि अमरीकी दूतावास को तेल अबीव से हटाकर जेरूसलेम ले जाया जाये । यह संयुक्त राष्ट्र तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के विरुद्ध है । अमेरिका की इस कार्यवाही के विरुद्ध हमें तीव्र विरोध तथा विश्व जनमत तैयार करना चाहिए । अमेरिका ने कोमिसो, दक्षिण इटली में अमरीकी पोतविहार नाभिकीय प्रक्षेपणास्त्र स्थापित करने पर भी विचार किया है । इटली के लोगों को विश्व के सभी सभ्य लोगों का समर्थन मिलेगा । हम लीबिया के कर्नल गद्दाफी का इटली के लोगों के साथ एकात्मता के वक्तव्य का स्वागत करते हैं ।

अन्त में, पाकिस्तान के सम्बन्ध में; जैसा कि मैं बता चुका हूं अन्तिम समाधान एक-दूसरे में विश्वास करने में निर्भर करता है, ताकि दुर्भाग्यपूर्ण हथियारों की होड़ को रोका जा सके और दोनों ही देश अपने आपको प्रगति तथा विकास में लगा सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय विश्व को पहले कभी भी इस प्रकार की भयंकर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है, जैसा कि अब करना पड़ रहा है । शांति तथा विकास के मोर्चे पर अधिक नकारात्मक ताकतें कार्य कर रही हैं । इस अस्पष्ट तथा निराशाजनक परिस्थिति में इस बात से प्रोत्साहन मिलता है कि विदेश मन्त्री अपने मंत्रालय के समर्थ अधिकारियों की सहायता से विश्व में मानसिक-संतुलन लाने के लिए निरन्तर रूप से लगे हुए हैं और उन्होंने विभिन्न दलों की बातचीत तथा समझौता कराने का प्रयत्न किया है, ताकि मूल संकटपूर्ण समस्या अर्थात् शांति तथा विकास की समस्या को हल किया जा सके ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिक प्रगति नहीं की गई है लेकिन यह निर्णय एक पक्षीय नहीं है । कुछ आशा की किरणें भी झलकती हैं, और मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में

एक वर्ष के दौरान गुट-निरपेक्ष आंदोलन द्वारा किये गये लगातार प्रयत्नों के परिणाम को बताना चाहता हूं। मैं उन निराशावादियों को, जो यह बात कर रहे थे कि इस आन्दोलन का कोई प्रभाव नहीं होगा, यह बताना चाहता हूं कि इसके परिणामस्वरूप श्रीमती इन्दिरा गांधी की एक वर्ष की अध्यक्षता अवधि के पश्चात् आज स्थिति यह है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन विद्यमान है और आगे बढ़ रहा है। एक वर्ष पहले की अपेक्षा आज यह अधिक विश्वसनीय, अधिक प्रबल तथा एक अधिक गुंजायमान बल के रूप में है। यह सच है कि शीर्ष बैठक में जिन मामलों को उठाया गया था उनका अभी समाधान किया जाना है, लेकिन गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की आवाज सम्मान के साथ तथा ध्यान से सुनी जाती है। कुछ मूल मुद्दे यह हैं कि ईरान-इराक युद्ध की स्थिति दुःखदपूर्ण है, इसका उल्लेख श्री बनातवाला द्वारा ठीक ही किया गया है। पश्चिम एशिया तथा फिलिस्तीनी मामलों के बारे में गुट-निरपेक्ष आंदोलन द्वारा एक समाधान ढूंढने के लिए पार्टियों को एक दूसरे के करीब लाने के बहुत प्रयास किये गये हैं। इस सम्बन्ध में गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये गये चार विदेश मंत्रियों के एक दल द्वारा हमारे विदेश मंत्री के नेतृत्व में काफी कठिन कार्य किया गया है और कम से कम पश्चिम एशिया की अत्यधिक कठिन स्थिति में, जो प्रतिदिन पेचीदा और विस्फोटक हो रही थी, सफलता मिली है। अब सभी पार्टियों में इस बात की अनुभूति है कि उन्हें एक समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारे विदेश मंत्री के नेतृत्व में चार विदेश मन्त्रियों के इस ग्रुप की महत्वपूर्ण सफलता यह है कि पी. एल. ओ. का अस्तित्व एक संयुक्त बल के रूप में बनाये रखा गया। यदि गुट-निरपेक्ष आंदोलन अध्यक्ष के द्वारा प्रयत्न न किये जाते और चार विदेश मंत्रियों के इस ग्रुप द्वारा यदि कठिन कार्य न किया गया होता तो पी. एल. ओ. को एक संयुक्त बल के रूप में नहीं देखा जा सकता था जैसा कि आज यह है और लेबनान में त्रिपोली से उसको शांतिपूर्वक वापस नहीं बुला लिया जा सकता था। अब सारा मामला संयुक्त राष्ट्र में है और मुझे यह विश्वास है कि सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे में, जिसके कम से कम दस सदस्य गुट-निरपेक्ष आंदोलन से सम्बन्धित है, सुरक्षा परिषद में इस पर बहुत ही गंभीर रूप से विचार किया जायेगा और इस अत्यधिक दुःखद समस्या का समाधान, जो पश्चिम एशिया की स्थिति का मूल सिद्धान्त है, वह फिलिस्तीनी समस्या का समाधान है। उनके स्वदेश के लिए अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। इसके बिना इस समस्या के लिए कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। यह विचार गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा व्यक्त किया गया था। हमने यह रुख अपनाया है कि फिलिस्तीनी समस्या का समाधान किये बिना पश्चिम एशिया की समस्या का जो आज बहुत ही कठिन तथा विस्फोटक समस्या है, कोई समाधान नहीं किया जा सकता।

फिलिस्तीनी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, उसे बचाया गया है। और हम यह आशा करते हैं कि सुरक्षा परिषद् के प्रयत्नों के माध्यम से आने वाले महीनों में इस समस्या को हल करने के गंभीर प्रयास किये जायेंगे। इस समस्या अर्थात् फिलस्तीनियों को उनका देश मिलना ही चाहिए। इसके बिना पश्चिम एशिया की समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। अतः गुट-निरपेक्ष आंदोलन की यह बहुत ही सकारात्मक उपलब्धि है।

अध्यक्ष द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यक्तिगत रूप से इस बारे में किये गये प्रयास इस सम्बन्ध में अन्य सकारात्मक पक्ष है। पिछली आम सभा की बैठक में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दो

अत्यधिक संकटपूर्ण समस्याओं अर्थात् शांति तथा विकास और बाद में 'चोगम' जिसका यह स्वरूप नहीं है के विचार-विमर्श के दौरान 25 देशों के शासनाध्यक्षों से गुट-निरपेक्ष बातचीत की। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का क्षेत्र बहुत विशाल है और इसका एक ही रूप है अर्थात् वे गुट-निरपेक्ष हैं। इसका सम्बन्ध दक्षिण से दक्षिण सहयोग की समस्या से है। 'चोगम' की बैठक में उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही भागों के देश सम्मिलित हुए थे लेकिन गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के महत्व, सिद्धान्त और इसके संदेश को 'चोगम' में विचार-विमर्श में सम्मिलित किया गया क्योंकि इस बात को महत्व दिया गया था कि दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में अर्थात् निरस्त्रीकरण तथा विकास के बारे में एक अधिक सकारात्मक प्रयास तथा दृष्टिकोण चाहिए अतः आज श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता—उनके विवेकपूर्ण नेतृत्व तथा विदेश मन्त्री और उनके दल के निष्ठावान प्रयासों के फलस्वरूप गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में पूर्णतः एकता, सामंजस्य, मजबूती तथा गतिशीलता मौजूद है। इसको अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करने वाले एक अत्यधिक प्रबल बल के रूप में मान्यता दी जा रही है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय दयनीय परिस्थिति में यह विवेकपूर्ण आवाज है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में आज इस बात का अत्यधिक महत्व है कि जब हम महा-शक्तियों अथवा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रति दो महाशक्तियों के दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं, तो इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। हम इस सदन में इसके बाहर अथवा देश के बाहर यह गूंज सुनते हैं कि या तो हमें वास्तविक रूप में गुट-निरपेक्ष होना चाहिए अथवा उचित गुट-निरपेक्ष होना चाहिए। लेकिन गुट-निरपेक्ष गुट-निरपेक्ष ही है। यह एक नकारात्मक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट विचारधारा है, जिसमें स्वतंत्र कार्यवाही तथा कार्य करने की स्वतंत्रता सभी मामलों को उसके गुणों के आधार पर परखना सम्मिलित हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में एक वर्ष के दौरान गुट-निरपेक्ष आन्दोलन किसी भी मामले पर तटस्थ नहीं रहा है। इस समय विश्व में जो अन्य सभी मामले हैं, वे कठिन मामले हैं, जिन्हें अन्य नेता उलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी के गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में इन मामलों पर स्पष्ट विचार हैं। इसलिए उन पर गुणों के आधार पर चर्चा की गई और इसकी पृष्ठभूमि यह थी : कि विश्व में शांति कैसे होगी और विश्व में समान विकास कैसे होगा, ताकि राष्ट्रों के बीच असंगतियों को दूर किया जा सके।

अब समदूरस्थ रहने के प्रश्न को लेता हूं। कुछ लोग दो महा-शक्तियों, अथवा पूर्व और पश्चिम के बीच समदूरी की बात करते हैं। लेकिन यह गुट-निरपेक्ष की विचारधारा नहीं है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन युद्ध और शांति के मामलों पर तटस्थ नहीं है। इन मुद्दों पर गुणता के आधार पर यह विचार करना है कि विश्व का अधिक सन्तुलित विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए; विश्व शांति और अन्तर्राष्ट्रीय-शान्ति कैसे प्राप्त की जाए। इसलिए इस वर्ष की यह मूल उपलब्धि रही है। हमने कुछ मूल समस्याओं या गम्भीर समस्याओं का हल ढूंढ लिया है अथवा नहीं, उसके लिए मुद्दों की जांच करने का यह कोई पैमाना नहीं है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि दिल्ली शिखर-सम्मेलन से किए गए आह्वाहन के प्रति जागरूकता है। आण-विक निरस्त्रीकरण का विकल्प परस्पर संहार है। मेरे विचार में यह जागरूकता आपको हर जगह मिलेगी। शान्ति के इस क्षेत्र में कुछ सकारात्मक लाभ हैं। उदाहरण के लिए, अब रासायनिक युद्ध पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी समझौते की उपलब्धि या सम्भावना के प्रति हम

आशा की एक किरण देख सकते हैं। मेरे विचार में इस संबंध में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की देन को उसके प्रयासों को कम करके नहीं आंका जा सकता।

साइप्रस एक गुट-निरपेक्ष देश है और हिंसा के परिणामस्वरूप इसे विभाजन का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस आन्दोलन की अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से—जब उन्होंने इस क्षेत्र के अनेक देशों को सीधे यह संदेश भेजे थे कि पृथक् सरकार को मान्यता न प्रदान की जाए—इस संबंध में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की पहल से, विशेषरूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा की गई पहल से साइप्रस का विभाजन रुक गया। मैं यह अवश्य कहूँगा कि आस-पास के मुसलमान देशों ने उचित कार्रवाई करते हुए पृथक् सरकार को प्रोत्साहन नहीं दिया अथवा उसे मान्यता प्रदान नहीं की। इस पागल संसार की, जहां हर कोई, खास तौर से महाशक्तियाँ पागल हो गई हैं, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप मध्य अमेरिका की उस समय की स्थिति में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की उपलब्धि देख सकते हैं, जब सबसे छोटे देश ग्रेनाडा पर संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली देश ने हमला किया था, क्योंकि इस सर्वाधिक शक्तिशाली देश के विचार में ग्रेनाडा जीवन के अमरीकी तौर-तरीके के लिए खतरा है। क्या आप इस स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं? फिर आप देखेंगे कि पश्चिम एशिया में जहाँ कहीं सम्भव हुआ, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने क्या भूमिका निभाई है, उन्होंने स्थिति से निपटने का प्रयास किया है, शान्ति स्थापित की ताकि उचित मंच, सुरक्षा परिषद में विचार-विमर्श किया जा सके। फिलिस्तीनी आन्दोलन समाप्त नहीं होना है; एकता बनाए रखनी है, साइप्रस के विभाजन की स्थिति को टाले रखना है तथा विकास के संबंध में, अध्यक्ष के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से इस पर चर्चा करने के लिए पहल की, तथा निरस्त्रीकरण की अन्य समस्याओं के साथ-साथ 25 शासनाध्यक्षों के साथ इसे संबंध में बातचीत की। लेकिन आज वहां क्या स्थिति है? जैसा कि मैंने तुलन-पत्र में कहा है, कुछ ऐसे सकारात्मक कारक हैं, जिन्हें हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। आज सर्वाधिक सकारात्मक कारक क्या हैं? इस गम्भीर स्थिति में आशा की क्या किरण दिखाई देती है? वह सकारात्मक कारक हैं आणविक युद्ध और हथियारों के इकठ्ठा करने के विरुद्ध अत्यधिक लोकप्रिय घृणा। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं। आप अमेरिका जाइए। आप वहाँ **न्यूयार्क टाइम्स** या **वाशिंगटन पोस्ट** में प्रकाशित सम्पादकीय लेख देखें अथवा खुद राष्ट्रपति रेगन के द्वारा दिए गए वक्तव्य देखें, जिनमें यह बताया गया गया है कि आणविक युद्ध आत्मघाती होगा। सोवियत नेता श्री आन्द्रोपोव ने पहला वक्तव्य यह दिया कि अब कोई भी आणविक युद्ध आत्मघाती होगा; इसमें विजय नहीं मिलेगी; और इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप राष्ट्रपति रेगन का भी यह मत है कि आणविक युद्ध आत्मघाती होगा। पूरे संसार में, यूरोप में या गुट-निरपेक्ष देशों में, आणविक युद्ध और हथियारों के भण्डार के प्रति घृणा है। मेरे विचार में इस संबंध में भी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

और संसार में, विश्व में व्याप्त निराशापूर्ण गहन अन्धकार में आशा की यह किरण गुट-निरपेक्ष आंदोलन के परिणामस्वरूप है। अन्य सकारात्मक कारण क्या हैं? दूसरे शीत युद्ध और महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में पश्चिम यूरोप के देशों का उभरना शान्ति और संतुलन कायम करने के लिए उत्तरदायी है। दोनों ही स्थितियों में यह ऐसा है। उत्तर-दक्षिण वार्ता में विश्व की

आर्थिक समस्याओं का पुनरावलोकन करते हुए एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था द्वारा कुछ बुनियादी मुद्दों और पुनर्निर्माण की समस्या को हल करने का प्रयास जारी है—जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा है। यहां भी ओ० ई० सी० डी० देश या पश्चिमी देश या पूर्वी देश—यह कोई संगठित दल नहीं है, लेकिन उनमें कुछ सूक्ष्म भेद हैं। इस प्रकार निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में तथा आणविक निरस्त्रीकरण जैसे बुनियादी मुद्दों के संबंध में मध्य यूरोप एक समग्र शक्ति के रूप में उभरा है, यह दो महाशक्तियों के बीच एक संतुलित शक्ति के रूप में उभरा है। यह एक अनुकूल बात है। गुट-निरपेक्ष आंदोलन और विशेष रूप से भारत इस स्थिति को उत्पन्न करने में सहायक रहा है।

फिर चीन और सोवियत संघ के बीच तनाव कमकरने तथा सम्भावित समझौते की बात है। यह एक अन्य कारण है। क्योंकि ये दो साम्यवादी शक्तियां, समाजवादी देश एक-दूसरे को समझ नहीं रहे थे और विश्व तथा सामरिक महत्व की बातों में भारी असंतोष अथवा भारी गड़बड़ की स्थिति पैदा हो गई थी और अब हमें यह जानकर खुशी है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने के संकेत मिले हैं। इस संबंध में यह कहूंगा कि यह एक शुभ संकेत है। जहां तक चीन का सवाल है, विश्व संबंधी मामलों में उसमें उचित परिवर्तन हुआ है और यह हमने देखा भी है। मैं इस बारे में चीन के दो प्रधान मंत्रियों का उद्धरण देता हूं। पहले मैं प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई की बात बताता हूं। वे बीस वर्ष पहले अफ्रीका गए थे और वर्तमान प्रधानमंत्री झाओ झेंग भी हाल में दो महीने पहले वहां गए थे। इन बीस वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी चीनी प्रधान मंत्री ने अफ्रीका की यात्रा नहीं की। मैं चीन के दो प्रधानमंत्रियों के अफ्रीका की धरती पर दिए गए वक्तव्यों का ही उद्धरण दूंगा। बीस वर्ष पहले श्री चाऊ एन लाई ने कहा था कि अफ्रीका में क्रांति के लिए बढ़िया अवसर" है। ये उनके शब्द थे, "क्रांति के लिए बढ़िया अवसर" उस समय चीनी सब जगह विशेष रूप से अफ्रीका में क्रान्ति पैदा करने के विषय में सोच रहे थे। और अब श्री झाओ झेंग किसी राजनीतिक खलबली के लिए नहीं, बल्कि व्यापार, व्यपार में साझेदारी, मित्रता और सहयोग के लिए वहां गए थे। इसलिए उनकी भाषा भी बदल गई और हम आशा करते हैं कि यदि ये शक्तियां सोवियत संघ के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बना लेती हैं और जिसकी शुरूआत हो गई हुई दिखती है, तो स्थिति बिल्कुल भिन्न होगी। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने में विश्वास रखते हैं। बातचीत चल रही है। मैं जानता हूं कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि सीमा-संबंधी विवाद पेचीदा मसला है। उनके लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने हमला किया है। उन्हें वे स्थान खाली करना है। उन्होंने अपना एक रुख बना लिया है और आसानी से वे उससे डिगेंगे नहीं। लेकिन जितना भी समय लगे, हमें धीरज रखना होगा। मैं यहां धीरज रखने की सलाह देता हूं। चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के संबंध में हमें कोई शीघ्र परिणाम प्राप्त नहीं होने वाले हैं, हालांकि व्यापार बढ़ रहा है, अधिक मात्राओं का आदान-प्रदान हो रहा है, बातचीत में परिवर्तन है, भाषा में परिवर्तन है, यह सब एक नई ताजी हवा के संकेत हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जब तक सीमा-विवाद हल नहीं हो जाता है, तब तक अन्य प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। चीन को ही इस मामले में रियायत बरतनी है। हम तब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे, जब तक कि वह हमसे प्रतीक्षा करवाना चाहता है। लेकिन पहल उसे करनी होगी। भारत चीन संबंधों का आशय स्पष्ट है। एक बात और यह है कि चीनी नेता गुट-निरपेक्ष

आन्दोलन के प्रति विशेष रूप से स्नेही भाव रखते हैं। उन्होंने इसकी सराहना की है और यह कहा है कि नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और शान्ति के लिए पहल, दोनों ही दिशाओं में गुट-निरपेक्ष आंदोलन अनुकूल भूमिका निभा रहा है। वे सोवियत रूस के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अमेरिका के साथ उनके सम्बन्ध सुधर रहे हैं। शान्ति के लिए यह एक अच्छी बात है, क्योंकि चीन हमारे पड़ोस में एक बड़ी शक्ति है और इस संबंध में चीन के विचारों और आशयों से हम महत्वपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हैं।

इस समय सबसे अधिक अनुकूल बात यह है कि गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी के उत्साहवर्धक नेतृत्व में अभूतपूर्व एकता दर्शायी गई है तथा निरस्त्रीकरण, विशेष रूप से आणविक निरस्त्रीकरण और राष्ट्रों के बीच आर्थिक विषमता दूर करने के आह्वान का स्वागत किया गया है। ये अनुकूल बातें हैं।

अपने पड़ोस का जिक्र करते हुए, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि कैसे अनुकूल और प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियां काम कर रही हैं। सबसे अधिक प्रतिकूल बात, जिसका रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है, यह है कि हमारे पड़ोस में सुरक्षा संबंधी वातावरण बहुत चिन्ताजनक है। स्थिति क्या है ? आप हिन्द महासागर देखते हैं। अब इसमें अत्यधिक आक्रमक हथियारों का जखीरा जमा है तथा दिएगो-गार्सिया में आणविक अड्डा है जिसमें मिसाइल और आधुनिकतम शस्त्रागार भरे पड़े हैं। सभी समुद्री ताकतों ने अपनी शक्ति यहां बढ़ा दी है और उनके पास ऊंचे दर्जे के आधुनिकतम हथियार और उनको छोड़ने के साधन मौजूद हैं। फिर पश्चिम एशिया की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। हमें हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि इससे युद्ध, विश्व-युद्ध भड़क सकता है। फिर ईरान और इराक के बीच अभी युद्ध चल रहा है। हमारे प्रयासों के बावजूद, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रयासों के बावजूद और विदेश मंत्रियों के प्रयासों के बावजूद ये दोनों देश अब भी विनाशकारी युद्ध में उलझे हुए हैं। हमारे इन दोनों अत्यधिक प्रिय मित्र देशों को, गुट-निरपेक्ष देशों को हमले की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। श्री बनातवाला ने इस संबंध में आपत्ति की है। इस सभा ने भी हमारे परम् मित्रों से यह अपील की है कि उन्हें आक्रामक गतिविधियां छोड़नी चाहिएं।

हममें से अधिकांश के लिए पाकिस्तान सुरक्षा के लिए खतरा है। बात केवल इतनी नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऐसे घातक आधुनिकतम हथियार जमा हैं, जो उस क्षेत्र में दूसरों के पास नहीं हैं, ये हथियार गत 12 महीनों से उसे भूमि, समुद्र और वायु के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं और अब इस अभूतपूर्व सप्लाई को पाकिस्तान के लिए दुगुना कर दिया गया है। इस क्षेत्र की सुरक्षा को वास्तविक खतरा अब क्षेत्रीयतर शक्तियों से है। हमें इस बात को अनुभव करना चाहिए कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का यह एक सार है। पाकिस्तान एक गुट-निरपेक्ष देश है। लेकिन आप कोई स्वतन्त्र कार्यवाही नहीं कर सकते, यदि आपको किन्हीं अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से भारी मात्रा में हथियार प्राप्त हो रहे हों। यह सब जानते हैं कि ऐसी शक्तियाँ बिना किसी मतलब के हथियार नहीं देती हैं। उन्हें अपने सामरिक लक्ष्य सिद्ध करने होते हैं। अतः खतरा यह पैदा हो गया है कि पाकिस्तान विश्व सामरिक अनुभाव्यतन में इस क्षेत्र में एक महाशक्ति का पिछलग्गु बन गया है।

कभी-कभी हम यह सुनते हैं कि पाकिस्तान इसलिए हथियार प्राप्त कर रहा है, कि वह अफगानिस्तान से अपने देश की रक्षा कर सके अथवा अफगानिस्तान की ओर से होने वाले किसी

हमले का मुकाबला कर सके । हालांकि यह बात सही नहीं है । फिर वे आणविक बम की तैयारी कर रहे हैं । निश्चित रूप से वे सर्वाधिक यूरेनियम संयंत्र स्थापित कर रहे हैं । यह शान्ति अथवा युद्ध किसी भी काम के लिए हो सकता है । इसलिए ये ऐसे कारक हैं जिनसे लगातार अविश्वास असमझ का वातावरण बन रहा है ।

कल श्री बीजू पटनायक ने कहा था कि वे पाकिस्तान से आए थे और वे पाकिस्तानियों के मित्रता भाव के कायल हैं । मित्रताभाव किनका ? यदि वे पाकिस्तान की जनता का जिक्र करते रहे हैं, तो मैं उनकी बात स्वीकार करता हूं, क्योंकि वहां के लोग मित्रता रखना चाहते हैं, वे युद्ध नहीं चाहते हैं । लेकिन शासकों का क्या रवैया है ? सेना के उच्च अधिकारियों का क्या रवैया है ? पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही है, वहां कोई लोकतान्त्रिक विवशता नहीं है । यदि पाकिस्तानी शासक अपने देश में अपना उल्लू सीधा करने के लिए दुस्साहसी नीति अपनाते हैं, तो हमारे विरुद्ध ऐसी दुःस्साहसी नीति अपनाने या हमला करने से उन्हें कौन रोकेगा ? यही मूल बात है ।

हमारे लिए यह एक खुशी की बात है कि दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग चलाया गया था यह इसलिए चलाया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए यह ढांची में एक सामान्य प्रयास था अनेक समितियों, स्थायी समितियों और अन्य निकायों का गठन किया गया है और उनका अध्ययन दल तैयार किया जा रहा है । मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कार्यकारी दल में बदल दिए जायेंगे, यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसमें सभी सात बहिनें शामिल हैं । किसी ने भारत का बड़े भाई के रूप में उल्लेख किया है । भारत बड़ा भाई नहीं है । यह बड़ी बहिन है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत ही ऐसा देश है जिसकी सीमा सभी देशों के साथ लगी है, अन्य किसी देश की सीमा पर ऐसा नहीं है ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : बड़ी बहिनें बड़े भाइयों से बेहतर होती हैं ।

श्री बी० आर० भगत : भाइयों और बहिनों के बीच का अन्तर आपको मालूम है । भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी सीमा बाकी सभी देशों के साथ लगी है, अन्य किसी देश की सीमा सभी देशों के साथ नहीं लगी है ।

इस क्षेत्र में विश्व की 20 प्रतिशत जन संख्या रहती है । यहां कुछ सर्वाधिक गरीब देश है जिनकी प्रति व्यक्ति आमदनी 200 डालर से कम है । जन संख्या में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है । पाकिस्तान और बंगलादेश का स्थान जनसंख्या के अनुसार सातवां और आठवां हैं । क्षेत्रीय संकल्पना के रूप में यह एक छोटी बात है लेकिन यदि इसे पूरा किया जाय तो यह एक बहुत बड़ी बात है, एक छोटी सी शुरूआत की गई है । मानसून, सभी देशों का राष्ट्रीय मानस, साहित्य, भाषा और इसी प्रकार की अन्य बातें जैसे कुछ दृष्टिकोण हैं । यह क्षेत्र मानव सभ्यता का एक पालना रहा था जिसका इतिहास बहुत लम्बा है । इन सभी देशों ने उपनिवेशवाद का सामना किया था । इतिहास में उन्होंने उपनिवेशवाद के अनुभव में हिस्सेदारी बटाई है और अब ये स्वतन्त्र हो गए हैं । हमें उम्मीद है कि हम क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में सफल होंगे लेकिन प्रत्येक देश का अपना अलग अस्तित्व और व्यक्तित्व है । उनकी अलग-अलग अवधारणाएं हैं, उनकी राजनैतिक प्रणालियां भिन्न हैं । इसलिए क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक छोटी सी शुरूआत की गई है । हमें उम्मीद है एक साथ रह कर यह क्षेत्र कठिनाइयों का निराकरण कर सकता है ।

इसलिए हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण और हमारी नीति मैत्रीपूर्ण और सक्रिय सहयोग की है क्योंकि यही सभी समस्याओं की कुंजी है। इसलिए जब हम देखते हैं कि हथियार और तनाव बढ़ाकर पाकिस्तान इस क्षेत्र की नीति में दखल दे रहा है तो यह हमारे लिए सबसे कड़ा धक्का है। लेकिन हमें अभी भी उम्मीन है कि क्षेत्रीय स्तर सन्दर्भ जो भी हो हम युद्ध को निष्फल करने हेतु इस सक्रिय नीति का पालन कर सकेंगे, क्योंकि शान्ति का मतलब युद्ध न होना नहीं है, शान्ति निश्चित रूप से इससे बढ़कर भी कुछ और है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहां अवश्य शान्ति होनी चाहिए। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि दोनों देशों के बीच सहयोग और मैत्री हो। मैं दोनों देशों के स्वभाव को जानता हूँ। सरकार की नीति में, जिसका हम अनुसरण करते हैं; इसको अवश्य परिलक्षित होना चाहिए। जिससे मुझे खुशी है कि सरकार के विचार नीति इस का अनुसरण करने के बारे में पूर्णतया स्पष्ट है।

इसका निष्कर्ष तनाव शैथिल्य का समाप्त होना और दूसरे शीत युद्ध का प्रारम्भ होना है जो निश्चित रूप से पहले शीत युद्ध से अधिक खतरनाक है। पहले शीत युद्ध से कोरिया, वियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, पश्चिम एशिया और बर्लिन में युद्ध हुआ था। दूसरे शीत युद्ध ने निश्चित रूप से सभी समस्याओं को और विकराल रूप दे दिया है क्योंकि अब मुद्दा यह है कि हमारा अस्तित्व किस प्रकार बना रहेगा। यदि हम साथ-साथ नहीं रह सकते, तो हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं। सहयोग के बिना अस्तित्व नहीं है। सह-अस्तित्व का विकल्प विनाश है। आज इतनी भयंकर स्थिति बनी हुई है।

विश्व की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है। विश्व भर में खून बह रहा है। 6000 बिलियन डालर प्रतिवर्ष के अत्यधिक सेना व्यय भार से औद्योगिक देशों की कमर टूट रही है। इसके परिणामस्वरूप यहां विषाद, मन्दी और बेरोजगारी फैली हुई है। यहां उपर्युक्त क्षमता भी है। विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली औद्योगिक देशों में उनके उद्योगों की 40 प्रतिशत क्षमता का कोई उपयोग नहीं होता है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 28 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। अधिकांश देशों में बेरोजगारों की संख्या दुगुनी हो गई है और विश्व व्यापार में गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप अनेक विकासशील देश दिवालिए हो गए हैं। अधिकांश विकासशील देश आर्थिक और वित्तीय संकट में हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में इन दो कारकों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें कुछ भी हो सकता है।

उत्तर-दक्षिण वार्ता से कोई हल नहीं निकला है अथवा यह निष्क्रय रही है। दक्षिण-दक्षिण वार्ता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यदि हम आपस में स्वयं कुछ अधिक सहयोग करते हैं तो दक्षिण-दक्षिण के देश उत्तर के देशों को मुद्दों पर बातचीत के लिए बुलाने के लिए भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि पश्चिम का कोई व्यूह नहीं है। एक बार यदि दक्षिण-दक्षिण की बातचीत आगे बढ़ जाती है तो हम नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मूल मुद्द पर बातचीत करने के लिए उत्तर के देशों को भी बुलाने में सफल होंगे।

इसलिए हम सभी विदेश मंत्री के लिए सफलता की कामना करते हैं। प्रधान मंत्री के प्रति गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में, न कि किसी और कारण से, हम अपनी

शुभ कामनाऐं प्रेषित करते हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और विकास का यही एकमात्र रास्ता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों के परिणाम वर्ष के दौरान निकले हैं। इस नीति का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि आखिरकार विश्व को बचाना है और ऐसा तभी हो सकता है जब कुछ सभ्यता और सह अस्तित्व के मूल सिद्धांतों को अपनाया जाये, जहां पर हम एक दूसरे पर निर्भर होकर, आणविक हथियारों और सभी प्रकार के युद्धों से रहित संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जीने दें। एक दूसरे पर निर्भर होकर संसार में आपसी विकास की ओर बढ़ा जा सकता है जिसमें उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, एक ऐसा एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला विश्व होगा, जिसमें न कोई अमीर होगा और न गरीब। परन्तु इस समय तो सारे विश्व को इस दुहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है।

1.00 म० प०

अस्तित्व के संकट और आणविक विनाश के परिणामस्वरूप सारे विश्व में विकास का संकट और आर्थिक संकट फैला हुआ है जिसमें जैसा कि पहले मैंने कहा, एक एक सामान्य आधार बना हुआ है और वह है मानव जाति का कल्याण है। विदेश मंत्री कठिन परिश्रम और असाधारण वायदे करके नीति का अनुसरण करके अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। उनकी नीति की सफलता की कामना करते हैं।

श्री पी० के० कोडियन (अड़ूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मानव जाति के लिए शान्ति के लिए संघर्ष करना और आणविक विनाश को रोकना प्रमुख मुद्दा बन गया है। भारत हमेशा शान्ति और निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है क्योंकि हमारे विकास के लिए शान्ति अनिवार्य है; परन्तु दुर्भाग्यवश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में इस गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति आणविक विनाश के खतरे का जिसका समस्त मानव जाति को सामना करना पड़ रहा है, उल्लेख नहीं किया गया है। स्वाभाविक रूप से भारत में हम अपने देश की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरों के प्रति चिन्तत है परन्तु देश की सुरक्षा को होने वाले खतरे को हमें वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संकट के सन्दर्भ में देखना चाहिए। दुर्भाग्यवश अमेरिका के राष्ट्रपति श्री रीगन ने रूस और अन्य समाजवादी देशों के साथ सैनिक विवाद की नीति को अख्तियार किया है और वह सोवियत संघ के खेमें पर सैनिक वरीयता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से आणविक हथियारों सहित सभी प्रकार के घातक हथियारों का उत्पादन और उन्हें स्थापित करने में लगे हुए हैं।

जब चार वर्ष पूर्व साल्ट-II समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे तो सारे विश्व ने राहत की सांस ली थी। भारत में हमने इस साल्ट-II समझोते का स्वागत किया था इस समझौते के फल-स्वरूप यूरोप में जिस तनाव-शैथिल्य का वातावरण बना था, हमने उसका स्वागत किया था भारत ने और आगे बढ़कर यह मांग की थी कि केवल यूरोप में ही तनाव शैथिल्य सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि विश्व के अन्य भागों में भी इसे फैलाना चाहिए ताकि विश्व शान्ति में रह सके और विभिन्न देश और वहां के लोग स्वयं को शान्तिपूर्ण विकास कार्यों में लगा सकें। लेकिन साम्राज्यवादी अमेरिका ने दूसरी दिशा चुनी, एक ऐसी दिशा जो केवल उनके लिए या सोवियत संघ के लिए ही विनाशकारी नहीं है। बल्कि जो समूचे विश्व और मानव जाति के लिए विनाश कारी है। तीन वर्ष से अधिक समय से वे साल्ट समझौते के अनु समर्थन पर सफलता पूर्वक हमला

कर रहे हैं । साल्ट-समझौते की धारा दो में व्यवस्था थी कि इस समझौते में हस्ताक्षर करने वाले अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका को 600 किलो मीटर की सीमा से अधिक में क्रुजेयर मिसाइल नहीं लगाने चाहिए । परन्तु अब उन्होंने पश्चिमी यूरोप से, पश्चिम जर्मनी में, ब्रिटेन में और इटली में अपने पहले मार करने वाले उपकरण स्थापित कर दिये हैं, और इस प्रकार जनेवा के निरस्त्रीकरण वार्त्ता की खिल्ली उड़ा दी है । साल्ट-समझौते में दोनों बड़ी शक्तियों के बीच वर्तमान नीतिगत सन्तुलन में एक तरफ परिवर्तन करने के विरुद्ध भी सुरक्षा की व्यवस्था है । लेकिन पश्चिम जर्मनी में मीडियम रेंज मिसाइल, परशिंग-II और क्रुजेयर मिसाइल स्थापित करने से इस सामरिक नीति सन्तुलन में बदलाव आ गया है । ऐसी परिस्थितियों में सोवियत संघ जनेवा वार्ता से हटने पर बाध्य हो गया था अब स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है । जिस जनेवा वार्ता को अमेरिका ने चलाया है, वह पश्चिम यूरोप में आणविक मिसाइल स्थापित करने के लिए वास्तव में एक कवच सिद्ध हो गया है, सोवियत संघ ने आणविक हथियारों में कमी करने, निरस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रस्ताव रखे हैं । लेकिन अमेरिका ने एक-एक करके इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया है । यह सोवियत संघ ही है जिसने एकतरफा यह घोषणा की है कि वह आणविक हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, दूसरे शब्दों में उसने यह घोषणा की है कि वह आणविक हथियारों के प्रयोग में पहल नहीं करेंगे और उन्होंने अमेरिका से इसकी प्रतिक्रिया पूछी थी लेकिन अमेरिका ने प्रतिक्रिया जाहिर करने से इन्कार कर दिया था । इसलिए यह ऐसा नहीं है कि वर्तमान गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति दो बड़ी ताकतों के बीच की प्रतिद्वन्द्विता के परिणामस्वरूप पैदा हुई है जैसा कि कुछ लोग इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं । वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संकट के लिए सोवियत संघ और अमरीका दोनों ही देश बराबर जिम्मेदार हैं । हमने उनको केवल घोषणा से नहीं देखा है, बल्कि दोनों महा शक्तियों, की वास्तविक हरकतों से देखा है कि कौन शांति के लिए युद्ध न करने की संधि चाहता है, कौन सम्पूर्ण मानव जाति की शांति से रहने की आकांक्षाओं हेतु कार्य कर रहा है और कौन सम्पूर्ण विश्व में परमाणु युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास बातचीत करने आ रहे हमारे पड़ौसी देश के बारे में भी अपने अनुभव हैं, मैं इस पर बाद में बोलूंगा ।

जैसा कि मैं आरम्भ में बता चुका हूं शांति के लिए लड़ने और मानव जाति को परमाणु विध्वंस से बचाने का कार्य मुख्य कार्य हो गया है जो मेरे विचार से यह हमारे विदेश मंत्रालय के प्रयासों से कुछ कम हुआ है । इस रिपोर्ट से स्थिति की गंभीरता प्रतिविम्बित नहीं होती है । शांति के लिए लड़ाई कोई दलगत कार्य नहीं है । यह किसी अकेली पार्टी तक सीमित नहीं है । शांति के लिए लड़ाई सम्पूर्ण मानव जाति की रक्षा करना है, जिसमें हमारे देश के लोग भी हैं, अतः सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों को एक साथ शांति की लड़ाई में आना चाहिए ।

दिल्ली में सातवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ने महत्वपूर्ण आह्वान किया है । इसे 'नई दिल्ली संदेश' (न्यू दिल्ली मैसेज) के रूप में जाना जाता है । यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है । इस संदेश को सम्पूर्ण गुट निरपेक्ष आन्दोलन जिसमें विश्व की दो तिहाई मानव जाति का प्रतिनिधित्व था, की ओर से भेजा गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : विश्व के शांति प्रिय लोगों की ओर से ।

श्री पी० के० कोडियन : यह महा शक्तियों का आह्वान करता है और उनसे यह अनुरोध करता है कि वे निरस्त्रीकरण, शांति और विकास पर बातचीत करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

में इकठ्ठें हों । क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम इस संदेश को ठोस कार्यवाही के साथ अपनायें ? मैं इस बात से सहमत हूं कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री ने शांति, निरस्त्रीकरण आदि के लिए ठोस कदम उठाये हैं। संयुक्त राष्ट्र महा सभा में अपने भाषण में उन्होंने विश्व में शांति कायम करने की महत्ता और जरूरत तथा निरस्त्रीकरण के बारे में बहुत ही सही जोर दिया है। किन्तु हमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष और नेता होने के नाते और कुछ भी करना है । यह शांति की लड़ाई केवल सरकारों तक सीमित नहीं रह सकती है—कि सरकारें, सरकारों से सम्पर्क करें और बातचीत करें । वर्तमान समय में केवल राजनयिक माध्यमों से ही शांति कायम नहीं की जा सकती है। शांति के लिए संघर्ष करना है और इसे प्राप्त करना है तथा इसे केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य भागों में तथा अन्य देशों में भी जनता के सक्रिय रूप से इसमें दिलचस्पी दिखाने से प्राप्त किया जा सकता है। यही कुछ आजकल कुछ देशों में हो रहा है । भूतपूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री बी० आर० भगत ने पश्चिमी यूरोप में तथा अमरीका और विश्व के अन्य कई भागों में शांति के लिए संघर्ष में लोगों के सक्रिय रूप से सहयोग के बारे में उल्लेख किया है। केवल नई दिल्ली संदेश को राजनयिक स्तर की कार्यवाही के साथ पालन करने के लिए ही नहीं बल्कि महा शक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इकट्ठा होने के लिए मजबूर करने और वहां शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करने हेतु नई दिल्ली के संदेश के समर्थन के लिए सम्पूर्ण सैन्यसंघटन बनाने के लिए जन समूह को उनके देशों में प्रोत्साहन देने हेतु भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्यों को आह्वान करने हेतु शुरूआत क्यों नहीं कर सकता है ? मैं समझता हूं भारत सरकार को इसमें शुरूआत करनी चाहिए ।

महोदय, कुछ विपक्षी दलों ने, जिसमें मेरा दल भी है, शांति के इस प्रश्न को उठाया है और हम अपने लोगों को संघठित करने और शिक्षित करने हेतु अपने ही तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं आप भी शांति के लिए इस संघर्ष में हमारा साथ देंगे क्योंकि इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं है ।

सामान्यतः हमारी जनता को युद्ध के खतरे के बारे में पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं किया जाता है । यूरोप में मिसाइलें स्थापित करने से केवल यूरोप के लोगों को ही खतरा नहीं होगा । इस समय विश्व के किसी भी भाग में कोई भी परमाणु युद्ध शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों में फैल जाएगा सम्पूर्ण विश्व सम्पूर्ण युद्ध की चपेट में आ जाएगा जो कि सम्पूर्ण मानव जाति के लिए विनाशकारी होगा । विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने परमाणु युद्ध के संभावित प्रभावों का अध्ययन किया है । अमरीका ने भी इस संबंध में अध्ययन किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसका अध्ययन किया है । वे सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो परमाणु-युद्ध होगा वह सीमित परमाणु युद्ध नहीं होगा, वह स्थानीय युद्ध नहीं हो सकता है, उसमें जीत नहीं होगी, उस परमाणु युद्ध में विजय नहीं होगी । सम्पूर्ण मानव जाति और मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी । इसलिए मैं बड़ी गम्भीरता से सत्तारूढ़ दल से भी अपील करता हूं कि वह शांति के लिए संघर्ष में विपक्षी दलों के साथ हो जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी तरह से यह भी कहा जा सकता है कि इस कार्य में विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल में शामिल होगा ।

श्री पी० के० कोडियन : हमारे अपने पड़ोस के बारे में कई माननीय सदस्यों ने जिन्होंने भाषण दिया है, हमारे देश को होने वाले गम्भीर खतरे, हमारे देश की सुरक्षा को हमारे पड़ोसी देशों में परमाणु अस्त्रों के विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न खतरे की ओर उल्लेख किया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। किन्तु मैं एक बात बताना चाहता हूं। यह बात नहीं है कि हमारे देश का विशाल क्षेत्रफल, हमारी विशाल जनसंख्या अथवा हमारे दृष्टिकोण से हमने अपने पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान के दिमाग में आशंका पैदा की है। कल श्री बीजू पटनायक एक मामले के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार विफल हो गई है और इसने अपने बड़प्पन भाई का दृष्टिकोण अपनाकर पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में केवल आशंका पैदा की है। मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार हमारे सभी पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ शांति और मैत्री की नीति अपना रही है। किन्तु दुर्भाग्यवश पाकिस्तान, अमरीका की सैनिक प्रभुत्व की अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक नीति में उसके गुट का निर्देश बन गया है। यह सामरिक नीतिमतैक्य का एक भाग बन गया है कि अमरीका ने इस क्षेत्र में सैन्य शक्ति के रूप में अपना प्रभाव बना लिया है। इसीलिए तो अमरीका पाकिस्तान में विशाल मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों का जमाव कर रहा है। क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पार से तथा कथित खतरे का सामना करने के बहाने ये सब अत्याधुनिक हथियार प्राप्त किए हैं? लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं काफी मात्रा में हमारी सीमाओं पर जमा हो रही हैं? क्या हमें पिछले तीन युद्धों का अनुभव नहीं है जबकि अमरीका द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का उपयोग खुल कर हमारे विरुद्ध किया गया था?

केवल इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने क्षेत्र में अमरीका को सैनिक अड्डे बनाने की पेशकश कर रहा है और इस संबंध में नवीनतम जानकारी यह है कि इस क्षेत्र में सेनाओं का तेजी से जमाव करने के लिए पाकिस्तान, अमरीका के सेन्ट्रल कमान्ड का क्षेत्रीय मुख्यालय बन सकता है।

अत: पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, उस पर हम अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकते हैं। अत: हमें इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध सचेत रहना है। हमें अपनी रक्षा करने और अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हैं।

इस संदर्भ में मैं सोवियत संघ द्वारा सहायता करने की पेशकश और विशेष रूप से सोवियत संघ के रक्षा मन्त्री मार्शल यूसिनोव की हाल की यात्रा तथा उनके द्वारा हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम किस्म के हथियारों की पेशकश का सच्चे दिल से और निष्ठा से स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि हम सोवियत संघ से अत्यधिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम कर रहे हैं जिससे कई बार यह साबित हो गया है कि वह भारत का सच्चा साथी है। उसने संकट काल में हमारी सहायता की है।

हिन्दमहासागर के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में नवीनतम समाचारों से पता चलता है कि सम्मेलन आयोजित करने की संभावना पुन: कम हो रही है। किन्तु फिर भी भारत सरकार इस मामले पर निरन्तर प्रयास कर रही है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हम इसके पीछे पड़े रहेंगे जबकि हमें पता चला है कि अमरीका हिन्दमहासागर के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के क्रियान्वयन को रोकने हेतु जानबूझ कर कोशिश कर रहा है।

एक बार सोवियत संघ और अमरीका में हिन्दमहासागर में सैनिक शक्ति को कम करने के बारे में बातचीत हुई थी। अमरीका ने बिना किसी मान्य कारण के उस बातचीत का बहिर्गमन किया था और तब से वह पुनः बातचीत करने हेतु इन्कार करता रहा है। इसके साथ-साथ उसने दिएगो गार्सिया में सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया है। अब इसे हमारे क्षेत्र में विशालतम परमाणु शस्त्रागार के रूप में विकसित किया गया है और वहां अमरीका का सातवां बेड़े के नौसैनिक जहाज परमाणु अस्त्र ला रहे हैं।

इस सबसे यह स्पष्ट है कि अमरीका इस सम्मेलन को होने नहीं देगा।

इस संदर्भ में हम क्या करें ? क्या हमें अपने समझाने बुझाने के तरीके ही अपनाते रहना होगा ?

हमें सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रस्ताव लाना ही होगा चाहे उस सम्मेलन में अमरीका उपस्थित न हो, क्योंकि अमरीका सम्मेलन नहीं होने देना चाहता है। वह सम्पूर्ण हिन्द-महासागर का सैन्यीकरण करना चाहता है। यह न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा बन गया है। अतः अब इसमें और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। हमें अमरीका को अलग करना पड़ेगा क्योंकि वह हिन्दमहा-सागर के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के क्रियान्वयन को रोकने की निरन्तर कोशिश कर रहा है।

श्रीलंका के बारे में, वहां विशेष कर वहां के जातिवाद की समस्या हल करने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और की गई शुरूआत के सम्बन्ध में भारत सरकार की श्रीलंका के प्रति जो नीति है, मैं उससे सहमत हूं।

यह सबसे अच्छा सम्भावित हल हो सकता था जिसकी भारत श्रीलंका के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना पेशकश कर सकता था। इसने स्थिति को संभाल लिया। परन्तु मैं सरकार को कतिपय शक्तियों के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं जो श्रीलंका में क्रियाशील हैं और जो भारत के विरुद्ध वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रही हैं। अत्यधिक जिम्मेदार व्यक्ति, श्री जयवर्धने के मन्त्रिमण्डल के कुछ वरिष्ठ नेता तक ईलाम बल को भारतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण देने में भारत द्वारा सहायता देने के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने इसका अनेक बार खण्डन किया है। फिर भी वे यही कहते हैं। इस भारत विरोधी लहर के पीछे श्रीलंका को गुट-निरपेक्षता की इसकी वर्तमान नीति, इसके गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से सम्बद्ध रहने से दूर करने और उस देश में अमरीका को सैनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है वहां पर पहले ही यह खबर गर्म है कि त्रिंकोमाली को नौसैनिक अड्डा बनाने की पेशकश है। इसलिए भारत सरकार को इस अभियान से सचेत रहना चाहिए। न केवल श्रीलंका में यह अभियान चल रहा है बल्कि भारत को अपने पड़ोसियों से अलग-अलग करने का भी अभियान है; भारत को अलग करने, भारत और उसके पड़ोसियों के बीच शत्रुता पैदा करने का अभियान,

अमरीका द्वारा बनाया गया है और चलाया जा रहा है, वे न केवल सैनिक अड्डे बना रहे हैं बल्कि वे हमारे देश को यदि संभव हुआ तो, शत्रु शक्तियों, शत्रु सरकारों से घेरने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमें इससे सचेत रहना है, हमें इस खतरे का भी सामना करना है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट हमारे समक्ष है। उसके अन्दर यह इंगित किया गया है कि भारत संकटपूर्ण स्थिति में है। अमरीका द्वारा जो भारत के चारों तरफ सैनिक अड्डे बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को जो आधुनिक शस्त्रास्त्र दिए जा रहे हैं उससे यह लगता है कि अमरीका का रुख भारत की प्रगति की तरफ अच्छा नहीं है। हम अपने पड़ोसियों से मधुर सम्बन्ध बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हमारी संस्कृति और इतिहास एक ही रहा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे अच्छे दोस्तों में हो। हमारी सरकार का जो इस ओर प्रयास है, उसकी मैं बहुत सराहना करती हूं। अगर कोई देश लड़ाई करता है तो वह दूसरे देश के साथ-साथ अपना भी नुकसान करता है। जो हथियार देकर उनके हितैशी बन रहे हैं, हकीकत में वे उनका नुकसान ही कर रहे हैं। वे भारत का नुकसान तो चाहते ही हैं, साथ-साथ पाकिस्तान का भला भी नहीं चाहते। हमारी सरकार ने भी इस ओर अथक प्रयास किए हैं। हमारे उनसे अच्छे व मधुर सम्बन्ध हों और जो ज्वालामुखी सामने है, उससे बचा जा सके। आज हिन्दमहासागर जैसी शांत जगह में भी हलचल पैदा की जा रही है दिएगो गार्सिया में सैनिक अड्डे बनाए जा रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि भारत के ऊपर ऐसी शक्तियों की विपदा के बादल मंडराने की कोशिश की जा रही है जिससे हमारे विकास में रोक लग जाए। हम नहीं चाहते कि हम लड़ाई के चक्कर में फंसें। अपने पड़ोसी देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं चाहे वह श्रीलंका या चाइना हो। हमारे विदेश मन्त्री बहुत ही योग्य और समझदार हैं। उनके प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं। यह प्रयास दोस्ती के दोनों तरफ से होते हैं एकतरफा नहीं। मैं सदन के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों को आग्रह करना चाहती हूं कि हमारा जो पंचशील और सह-अस्तित्व का रास्ता है, उसी पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं।

श्रीलंका की हुई घटनाओं से बड़ा दुःख हुआ। हमारी प्रधान मंत्री और हमारे विदेश मंत्री की दूरदर्शिता तथा सहनशीलता से जो परिणाम निकले हैं, मैं समझती हूं वह अच्छे ही होंगे। श्री पार्थासारथी जी ने भी जो शांति हेतु प्रयत्न किए हैं, वह भी सराहनीय हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे सम्बन्ध सुदृढ़, शांतिपूर्ण और दोस्ती की तरफ बढ़ें। हमारी विदेश नीति सराहनीय रही है। विदेश मंत्री जी ने दुनिया में अपने देश के गौरव को बढ़ाया है। दिल्ली में जो गुट-निरपेक्ष सम्मेलन हुआ उसमें सौ से अधिक देशों ने भाग लिया। हमारी प्रधान मन्त्री जी को उसका अध्यक्ष बनाकर गौरवान्वित किया गया। इससे हमारे देश के जन-जन का मस्तिष्क भी ऊंचा हुआ है। आज अधिकांश देश शान्ति के मार्ग पर चल कर अपनी उन्नति हेतु प्रयत्नशील हैं। पंचशील और सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों के हामीकार हैं। इससे यह साबित होता है कि जो राष्ट्र इस ओर झुकाव रखते हैं वे जानते हैं कि हमारी तरक्की और मानवजाति का कल्याण इसी पर निर्भर है। चाइना से जो हमारे अच्छे सम्बन्ध बन रहे हैं, वह बहुत ही अच्छा कदम है। इतिहास इस बात

का साक्षी है कि बंगलादेश के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। उसकी उन्नति एवं प्रगति के हम इच्छुक तथा एक अच्छे मित्र की तरह हमारी सह भावनायें उसके साथ और यही अपेक्षा हम बंगलादेश से करते हैं। हम लोकतन्त्र के अनुयायी हैं, जहां भी प्रजातांत्रिक आवाजें उठती हैं, चाहे पाकिस्तान में हों या दूसरी जगह, उनके प्रति हमारी सहानुभूति और सद्भावना होना स्वाभाविक है। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, स्वतन्त्रता या प्रजातन्त्र की आवाज उठाने वालों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है उसको देख कर हमें दुःख होता है। हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खां को, जो बीमार हैं, उनको जिस तरह का कष्ट है उनके प्रति हमारी सद्भावना और शुभकामनायें हैं और हम चाहते हैं कि हमें यह गौरव मिले वह इलाज कराने के लिए हमारे यहां आये, और उनकी सेवा करके हम अपने आपको गौरवान्वित महसूस करें, और दोनों देशों के बीच एक प्रेम की लहर दौड़े।

चोगम सम्मेलन में बहुत बड़ी सफलता मिली है। जब चार वर्ष पूर्व जनता पार्टी का शासन था और उस समय के हमारे विदेश मन्त्री, जिनके कदम देश की धरती पर नहीं पड़ते थे बल्कि विदेशों में ठोकरें खाते फिरते थे, उस समय हमारे देश की प्रतिष्ठा और गौरव को कितना बड़ा धक्का लगा था इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब वह चाइना पधारे थे तो उसी समय हमारे मित्र राष्ट्र वियतनाम के ऊपर चीन ने चढ़ाई करके हमें अपमानित किया था। आज वही चाइना हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और हम भी बढ़ाते हैं जो कि हमारी नीति भी है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं चाहती हूं सभी से हम अच्छे सम्बन्ध बनायें।

रूस हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है। हमारे यहां कहा है धीरज, धर्म और मित्र की परीक्षा होती है संकट के समय। रूस ने हमारा पूरा साथ दिया चाहे वह विकास से सम्बन्धित हो या और दूसरी प्रकार की आपत्तियों के समय, उससे हमें बहुत बड़ा भौतिक बल मिला है। लेकिन इसके माने यह नहीं है दोस्त होने के नाते उसकी जो नीतियां और विचारधारा है उसको हम अपने ऊपर थोप लें। हम अपनी नीतियों के अनुसार चलेंगे, हमारे देश के लिए क्या उचित है, किस तरह की विदेश नीति पर हम चलना चाहते हैं यह हमारे अपने सोचने का ढंग है। हम मित्रता करेंगे पर किसी की विचारधारा को अपने ऊपर थोपने के लिए तैयार नहीं हैं।

मेरा विदेश मन्त्री जी से एक और निवेदन है कि कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसी जगहें और एजेन्ट तथा दलाल हैं जो हमारे यहां के गरीब लोगों को फुसलाकर, दलाली करके उन्हें विदेशों में मजदूरी हेतु ले जाते हैं उन्हें रंगीन सपने दिखाकर, और वहां जाकर के उनके साथ किस तरह से शोषण होता है, उनको परेशानी में डाला जाता है इस ओर आप जरूर ध्यान देंगे। और हमारी जो वहां पर एम्बैसीज हैं वह ऐसे समय निष्क्रिय रहती हैं, उनका सहयोग नहीं मिलता है, इस ओर उन्हें सक्रिय करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जब भी कोई ऐसी घटनायें उनके सामने आयें तो उसको देखें और मदद करें। कई बार आपने अखबारों में देखा होगा, सदन में भी उसका चर्चा हुआ कि हमारे यहां की नाबालिग बच्चियों से शादी करके उनको अरब मुल्कों में ले जाते हैं पत्नी बनाकर और बाद में उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, उनको वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें गुलाम बनाया जाता है और तरह-तरह का अमानवीय उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है जो कि शोभनीय नहीं है।

मुझे आशा है कि विदेश मन्त्री इस बारे में उचित कदम उठायेंगे । मैं यह नहीं कहती कि हमारी सब एम्बैसीज में गफलत है, लेकिन जैसा कि सुनने को मिला है, अधिकांश एम्बैसीज ऐशो-आराम या पिकनिक का स्थान बन गई हैं । हमारी एम्बैसीज के लोग अपने कार्य और कर्त्तव्य से च्युत होकर काकलेट पार्टियों आदि में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं । उन्हें अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरुक करना चाहिए ।

मैं विदेश मन्त्री से अनुरोध करूंगी कि वह हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ और विदेशों में मान्यता दिलाने की पुरजोर कोशिश करें । यह इस देश के लिए गौरव की बात होगी तथा अपने दूतावासों में हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा दें ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वाजपेयी जी ने यह काम किया था ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : उन्होंने एक बार भाषण जरूर दे दिया था ।

जिन परिस्थितियों में श्री म्हात्रे की दुःखद मृत्यु हुई, उसका मुझे बहुत दुःख है और मैं समझती हूं कि सदन मेरे इस दुःख में शामिल होगा । मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं । हमें अब बहुत सजग रहना होगा, क्योंकि आज चारों तरफ ऐसी शक्तियां सिर उठा रही हैं । जो भारत की उन्नति नहीं देखना चाहतीं, वे शक्तियां केवल विदेशों में या हमारे देश के आस-पास ही सक्रिय नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सीमाओं के अन्दर घुसपैठ करके हमारे लोगों में फूट डालकर हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं । हमें उन शक्तियों से सावधान रहना है, और उन्हें मुँहतोड़ जवाब देना है, ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा न हो सके ।

कुछ समय पूर्व मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि हमारे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिसने विश्व रिकार्ड स्थापित किया है, के पास एक देश में खाने के लिए दाना तक नहीं था । उसने तीन-चार दिन तक हमारी एम्बैसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की । मैं विदेश मंत्री से क्षमा चाहूंगी कि मुझे उसका नाम भूल गया है, अगर याद आया, तो उनके समक्ष पेश करूंगी । उस खिलाड़ी ने तीन दिन भूखा रहने के बाद भी विश्व-रिकार्ड स्थापित किया । मैं विदेश मंत्री से आग्रह करूंगी कि वह इस घटना की जांच कराएं । अगर इसमें हकीकत हो, तो वह ऐसी व्यवस्था करें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो । हमारी एम्बैसीज का यह कर्त्तव्य है कि वे विदेशों में हमारे लोगों की सहायता करें और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें । उन्हें ऐशो-आराम में सारा समय नहीं बिताना चाहिए । जिस तरह से हमारे विदेश मत्री सक्षम हैं, जिस तरह से दुनिया में उन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है और इसकी छवि को उज्ज्वल किया है, मैं चाहती हूं कि विदेश मंत्रालय और हमारी एम्बैसीज भी उसी तरह से जागरूक और दक्ष रहें ।

आज जो अणु शक्तियां चारों तरफ मंडरा रही हैं, चाहे वे रूस की तरफ से हों, या अमरीका की तरफ से, चाहे अफगानिस्तान में बाहरी शक्तियां हों, चाहे ईरान और इराक को आपस में लड़ा कर एक दुःखद स्थिति पैदा करने वाली शक्तियां हों, हमें उनसे सावधान रहना होगा और डट कर उनका मुकाबला करना होगा, ताकि दुनिया इस बात के लिए तैयार हो सके कि इस तरह के गलत काम करने वाली चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो उसका बहिष्कार किया जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज विश्व के बिभिन्न भागों में तनाव बढ़ने और अमरीका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ने से विश्व में स्थिति बहुत गम्भीर है। अस्त्रों की विश्वव्यापी होड़ भी पूरे विश्व में तनाव पैदा कर रही है। अस्त्रों की यह होड़ शांति और पूरी मानवता के लिए खतरा बनती जा रही है। मानवता का अस्तित्व खतरे में है। आणविक शस्त्र पूरे विश्व को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। अनेक प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं और समस्याओं को बातचीत से नहीं सुलझाया जा रहा है। कुछ देश अन्य देशों पर शासन करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आणविक शस्त्र किसी भी दिन बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, पूरी मानवता के लिए अत्यविक विध्वंसात्मक सिद्ध हो सकते हैं। भारत को गुट-निरपेक्ष देशों के अध्यक्ष के नाते इस संबंध में वहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभानी है। विश्व में सामान्य रूप से और इस विशिष्ट उप-महाद्वोप में विश्व शांति कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत बहुत प्रमुख और विशिष्ट भूमिका निभाए परंतु महोदय, कभी-कभी मैं यह अनुभव करता हूं कि गम्भीर रूप से प्रयास करने के बावजूद हम इस दिशा में बहुत अधिक सफल नहीं हुए हैं। परन्तु बहरहाल हमें अपने प्रयास करने हैं और हमें पूरे विश्व में शांति कायम रखनी है।

शान्ति, उन्नति और समृद्धि के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है परन्तु दुर्भाग्यवश, अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सन्तोष जनक नहीं हैं। कुछ पड़ोसी देश हमारा विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। यदि पड़ोसी देश हमसे डरते हैं तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। यहां तक कि नेपाल जैसा देश जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हमसे अधिक खुश नहीं है। इसलिए यह निश्चित करने के लिए कि क्या हमारी विदेश नीति में कोई त्रुटि है जो नेपाल भी ऐसा सोचता है, अपनी सम्पूर्ण विदेश नीति का विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों तथा चीन से भी सम्बन्ध सुधारने का प्रयास कर रहा है। उसके उनसे अच्छे संबंध हो सकते हैं परन्तु फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके साथ हमारे संबंध न बिगड़ें। हमें नेपाल के साथ अपने संबंधों का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि केवल अच्छे संबंधों से ही हम अनेक समस्याओं को सुलझा सकते हैं।

महोदय, यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों को बर्बाद करने वाली विध्वंसात्मक बाढ़ की समस्या को केवल भालू बांध और जलकुण्डी परियोजनाओं को पूरा करके सुलझाया जा सकता है। भारत सरकार उनसे बात करने का प्रयास कर रही है परन्तु अब किसी को भी इस दिशा में कोई लाभप्रद परिणाम दिखाई नहीं दे सकता है। इसलिए नेपाल के साथ अच्छे संबंध बनाना अनिवार्य हो गया है ताकि हम इनमें से अनेक समस्याओं को सुलझा सकें।

इसलिए मैं सरकार से सारी स्थिति की समीक्षा करने तथा कोई हल ढूंढने का प्रयास करने का अनुरोध कर रहा हूं ताकि हम उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सकें। भारतीय उप-महाद्वीप में तनाव में वृद्धि हो रही है। इसको प्रत्येक व्यक्ति जानता है। जो सदस्य पहले बोल चुके हैं उनमें से अधिकतर वक्ताओं के यह विचार हैं कि इस समय भारत के चारों ओर इस महाद्वीप के चारों ओर पूर्णतः तनाव है इसका कारण महाशक्तियों की प्रति स्पर्धा है। इस

उप-महाद्वीप में एक सबसे देश होने के नाते हमें इस तनाव को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभानी है । यहां पर दिएगो गार्सिया की समस्या को बार-बार उठाया गया है । लेकिन दिएगो गार्सिया अभी भी अमरीका के नियंत्रण में है । हम इस बात की मांग करते रहे हैं कि दिएगो गार्सिया को मारिशस को सौंपा जाना चाहिए लेकिन अमरीका द्वारा इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है । हिन्दमहासागर, जिसे शांति का क्षेत्र होना चाहिए वह महाशक्ति विशेषत: अमरीका की उपस्थिति के कारण अशांत क्षेत्र बन गया है । समूचे हिन्दमहासागर पर अधिकतर अमेरिका का नियंत्रण है । क्या मैं यह कह सकता हूं कि अमरीका इस हिन्दमहासागर में एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग में संलग्न है ? मेरे विचार से यह कहना बहुत ही उचित है अत: हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही को रोका जाए ।

जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, भारत के प्रति उसकी भूमिका न तो बहुत सकारात्मक और न ही बहुत उत्साहजनक है । हमने हमेशा यही देखा है कि अमरीका द्वारा उन ताकतों को प्रोत्साहित किया गया है जो भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करती हैं । अमरीका द्वारा भारत विरोधी ताकतों को भी प्रोत्साहित किया गया है । अमरीका द्वारा तथाकथित खालिस्तान आंदोलन और तथाकथित खालिस्तान के तथाकथित राष्ट्रपति तथा इसी प्रकार के अन्य तत्वों को भी प्रोत्साहित किया गया है । इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है । वहां पर लोकतंत्र के नाम पर प्रत्येक बात की जा रही है । कभी-कभी वे यह कहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र है और वे इस प्रकार की कार्यवाहियों को नहीं रोक सकते । लेकिन कभी-कभी लोकतंत्र के नाम पर वे इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकना नहीं चाहते हैं और हम हमेशा से यही देखते रहे हैं कि इस देश में भारत-विरोधी लोग बहुत ही सक्रिय हैं ।

ब्रिटेन में हमारे राजनयिक श्री म्हात्रे की हत्या एक बहुत ही निन्दनीय घटना है । ब्रिटेन में भारत विरोधी ताकतों के बहुत ही अधिक सक्रिय होने के कारण ही यह घटना हुई । अन्यथा, इस प्रकार की घटना वहां पर नहीं होती । मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे राजनयिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और वे जहां पर भी रहें उनकी उचित सुरक्षा की जानी चाहिए । जैसा कि मैंने पहले ही कहा है इन ताकतों तथाकथित खालिस्तान आदि के समर्थकों के सम्बन्ध में, जिन्हें अमरीका द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, भारत सरकार को ये मामले अमरीका के साथ उठाने चाहिएं और हमें उनको इस बात की चेतावनी दे देनी चाहिए कि हमारे राजनयिक संबंध बिगड़ सकते हैं अथवा समाप्त हो सकते हैं । इस प्रकार की कोई बात कह दी जानी चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि सरकार को इस प्रयास में कितनी सफलता मिली है क्योंकि इस बारे में अमरीका की कार्यवाही बहुत मित्रतापूर्ण प्रतीत नही होती है । इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है । अमरीका द्वारा हमेशा पाकिस्तान को हथियार दिये जाते रहे हैं, जिनको भारत के विरुद्ध प्रयोग में लाया गया है । मुझे पूरा विश्वास है कि वे अब भी पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं । पाकिस्तान अधिकतर अमरीका का शस्त्रागार बन गया है तथा पाकिस्तान को हमेशा सभी प्रकार के आधुनिक हथियार दिए जाते रहे हैं । जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पाकिस्तान द्वारा उन हथियारों को अफगानिस्तान के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाया जाएगा । वे अफगानिस्तान के नाम पर इन हथियारों को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वे इनका प्रयोग अफगानिस्तान के विरुद्ध नहीं करेंगे वे इनको भारत के सिवाय चीन, सोवियत संघ, ईरान अथवा किसी अन्य देश के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लायेंगे ।

क्योंकि वर्ष 1954 जब पाकिस्तान को हथियार दिये जा रहे थे उस समय भी भारत द्वारा इन हथियारों की पाकिस्तान को सप्लाई किये जाने पर आपत्ति की गई थी। संयुक्त राष्ट्र प्रशासन द्वारा भारत सरकार को यह आश्वासन दिया गया था कि उन हथियारों को भारत के विरुद्ध कभी-कभी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जब 1965 में लड़ाई हुई तब अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए सभी हथियारों को भारत के विरुद्ध प्रयोग में लाया गया था। इसके पश्चात् वर्ष 1971 में अमरीका द्वारा भारत के विरुद्ध सातवां समुद्री बेड़ा भी भेजा गया था। हमारे प्रति अमरीका की यही भूमिका रही है और हमें इसको हमेशा याद रखना चाहिए।

अमरीका भारत के आसपास श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि में विभिन्न देशों में सैन्य अड्डे स्थापित करने करने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा हो जाता है, तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि हमें यह आशंका है कि अमरीका हमें नहीं चाहता है। यद्यपि हमारे देश में विश्व में सबसे बड़ा लोकतन्त्र है और उनके देश में भी लोकतंत्र है, उनको हमारे साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब तक तो वे विभिन्न मामलों पर हमारा समर्थन करना नहीं चाहते हैं और विशेष रूप से वे यह महसूस करते हैं कि सोवियत संघ का विरोध करना उनके राष्ट्रीय हित में है और सोवियत संघ का विरोध करने के लिए उनको पाकिस्तान को अथवा किसी अन्य देशों को, जो उनको सैन्य अड्डे स्थापित करने की व्यवस्था प्रोत्साहित करना पड़ रहा है इसके साथ ही वे यह चाहते हैं कि हम उनके साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखें। यदि उनका राष्ट्रीय हित सोवियत संघ के साथ मुकाबला करने में है तो क्यों न हमें भी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने तथा अपने मित्र देशों से हथियारों को अर्जित करके अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए ? हम केवल अर्जित किये जाने वाले हथियारों के द्वारा ही उन देशों में जो हर समय हम पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं और पाकिस्तान द्वारा हमेशा ऐसा ही किया गया है। अपनी प्रादेशिक एकता तथा स्वतन्त्रता की सुरक्षा कर सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय हित हमारी राष्ट्रीय एकता प्रादेशिक एकता तथा स्वतंत्रता अपने मित्र देशों से हथियारों को प्राप्त करके उनकी सुरक्षा करने में ही निहित है।

संयुक्त राज्य अमरीका गुट-निरपेक्ष आंदोलन के प्रति कोई सम्मान नहीं रखता है। न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में राष्ट्रपति रीगन द्वारा दिए गए भाषण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वे समूचे आंदोलन की पूर्णतः निन्दा करते हैं। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और हमें इस मामले को विश्व समुदाय और विशेष रूप से गुट-निरपेक्ष आंदोलन के समुदाय के साथ उठाना चाहिए ताकि इस ओर ध्यान दिया जा सके संयुक्त राज्य अमरीका को गुट-निरपेक्ष आंदोलन के विरुद्ध उसके षड्यंत्रों को किसी प्रकार का समर्थन न दिया जाये क्योंकि इस आंदोलन के प्रति वे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखते हैं और अतः वे कुछ भी कर सकते हैं।

पाकिस्तान की आणविक सक्षमता भी हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। अतः सरकार को इस स्थिति से अवगत रहना चाहिए। हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की हत्या के षड्यंत्र के सम्बन्ध में ब्रिटेन के एक दैनिक समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था और यह इस देश के अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। यह समा-

चार भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे इस स्थिति को स्पष्ट करें क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ पश्चिमी देशों द्वारा जानबूझकर इस प्रकार के समाचारों को प्रोत्साहित करके तथा इस प्रकार की अफवाहों को महत्व देकर भारत तथा पाकिस्तान के बीच गलत फहमी उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के बारे में कल ही हमारे गृह मंत्री जी ने इस क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों में कुछ विदेशी ताकतों के अन्तर्ग्रस्त होने के सम्बन्ध में सदन को बताया है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। कभी-कभी सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि पंजाब की गतिविधियों में कुछ विदेशी ताकतों का हाथ है और कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि यह स्थिति पूर्वोत्तर पूर्व क्षेत्र के सम्बन्ध में भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा इनविदेशी ताकतों का पता लगाने की कोई कार्यवाही की जा रही है। सरकार द्वारा उनका पता लगाने का

2.00 म० प०

प्रयास किया जाना चाहिए और यह उन ताकतों तथा उन देशों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए जो हमारे देश में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।

गृह मंत्री की यह बहुत ही एक गंभीर टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि "ऐसे समाचार मिले हैं कि विद्रोहियों को प्रशिक्षित करने के लिए बंगलादेश में केम्प लगाये गये थे।" यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिस पर बंगलादेश की सरकार के साथ भी बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि वे हमारे पड़ोसी हैं। यदि वहां पर इस प्रकार की बातें होती हैं तो हम उनके साथ अच्छे और हार्दिक सम्बन्ध बनाये नहीं रख सकते। उस प्रयोजन हेतु यह बहुत ही आवश्यक है कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाये। हमें इन मामलों को उनके साथ उठाने और इस संकट को हल करने का प्रयास करना चाहिए।

जहां तक श्रीलंका में तमिल समस्या का सम्बन्ध है हमें वहां पर रहने वाले तमिल मूल के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने पड़ेंगे।

हमें चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि वे आजकल विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में है। वह हमारा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भी है।

पश्चिम एशिया में स्थिति बहुत ही खराब है। हमें सावधान तथा सतर्क रहना पड़ेगा। हमें पी० एल० ओ० को अपना समर्थन देते रहना रहना चाहिए।

जहां तक ईरान-इराक युद्ध का सम्बन्ध है, इसके लिए हमें एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी ताकि यह युद्ध समाप्त किया जा सके। हमारे विदेश मंत्री जी ने बेहतर प्रयास किये हैं, उन्होंने इस संकट को हल करने का प्रयास किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको सफलता नहीं मिली है, हमारे विदेश मंत्री जी योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन वे एक असक्षम सरकार में हैं। मुझे आशा है कि उनको सफलता मिलेगी।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरूचेन्दूर) : विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में, कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। उससे पहले पूर्व के सभी वक्ताओं ने विश्व के विभिन्न मुद्दों तथा विश्व समस्यओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अत: मैं श्रीलंका के भारतीय मूल के चाय

बागान के श्रमिकों तथा वहां पर रहने वाले तमिल मूल के राज्यविहीन लोगों की समस्या पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। हमारे विदेश मंत्री इस समस्या से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने इसका अध्ययन किया है। इसलिए मुझे इनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं श्रीलंका के तमिलों की समस्या का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट कर देता हूं, श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों को जरफन तमिल के नाम से पुकारा जाता है, जो श्रीलंका के उत्तरी भागों में रह रहे हैं और वे एक पृथक् तमिल राज्य स्थापित कराना चाहते हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

2.03 म० प०

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

मैं इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऊंचे पर्वतों पर स्थित चाय बागानों में भारतीय मूल के चाय बागान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था मौजूद नहीं है। श्रीलंका के जातिवादी लोगों द्वारा शारीरिक रूप से उन पर हमला किया जाता है। तीन महीने पूर्व लोगों को मारा गया था। भारतीय मूल के लोगों को कत्ल किया गया है। मेरे अपने रिश्तेदारों, सगे सम्बन्धियों को कत्ल किया गया है और गोली से मारा गया है। उनको उनकी सम्पत्तियों से वंचित किया गया है। श्रीलंका सरकार के मंत्रालय के एक मंत्री द्वारा स्पष्ट रूप यह टिप्पणी की गई कि उन सभी को हिन्दमहासागर में फेंक दिया जाना चाहिए। वहां के केबिनेट में वह एक बहुत ही जिम्मेदार मंत्री है। यह उन्होंने श्रीलंका की संसद में कहा है।

इसी प्रकार तमिल मूल के नागरिकता विहीन लोग श्रीलंका वासियों की बर्बरता के भी शिकार हैं। मुझे अपने ही उन रिश्तेदारों के मामलों की जानकारी है, जिनके मकान और दुकानें जलाकर राख कर दी गईं, कुछ को गोली मार दी गई, कुछ की हत्या और कत्ल कर दिए गए। हालांकि वे शताब्दियों से वहां रह रहे थे और हाल के दंगों के वे शिकार हो गए हैं।

जहां तक उन्हें नागरिकता के अधिकार देने जारी करने का सम्बन्ध है, आपको इसकी जानाकरी है ही। वहां के एक कैबिनेट मंत्री श्री थोंडेमैन को नागरिकता के अधिकार देने संबंधी रिपोर्ट पेश करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने केबिनेट को एक रिपोर्ट पेश की है। केबिनेट ने पूर्णरूप से रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है, लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। शास्त्री-सीमाओं संधि के अधीन नागरिकता के अधिकार जारी करने का प्रश्न की पूरी अवधि के दौरान घसीटा जाता रहा, जिसकी अवधि के बाद में श्रीमती इन्दिरा गांधी-श्रीमती बंडारनाइका समझौते द्वारा बढ़ा दी गयी। आज भी इनकी संख्या लगभग 6 लाख है। तमिल मूल के नागरिकताविहीन लोगों की वापसी के बारे में भारत और श्रीलंका के बीच इस समय कोई समझौता नहीं है। कुछ वर्षों पहले जयवर्धने की केबिनेट के एक मंत्री श्री थोंडेमैन द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में नागरिकताविहीन सभी लोगों को नागरिकता के अधिकार जारी करने की सिफारिश की गई थी, जिसे श्रीलंका की केबिनेट ने एकमत से स्वीकार किया था। लेकिन इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब राष्ट्रपति जयवर्धने ने यह कहा है कि तमिल मूल के सभी नागरिकता-विहीन लोगों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए जायेंगे। लेकिन इस प्रयोजन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

माननीय मंत्रीजी को नागरिकता-विहीन लोगों के बारे में जानकारी है। मैं श्रीलंका में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अपनी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों का जिक्र करना चाहूंगा। पूरे मामले पर विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करने में उनके विशेष दूत श्री जी० पार्थसारथी और हमारे माननीय मंत्री जी ने भी विशेष भूमिका निभाई है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों ने हमारे प्रधानमन्त्री के उन प्रयासों की सराहना की है, जिनके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि श्रीलंका की यह आन्तरिक समस्या विश्व-समस्या के रूप में न भड़क उठे।

दुर्भाग्यवश मुझे श्रीलंका के समाचार-पत्रों के माध्यम से यह पता चला है कि राष्ट्रपति जयवर्धने श्री जी० पार्थसारथी द्वारा किए गए समझौते को कार्यान्वित करने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वे श्रीलंका के थग और बौद्ध महावलम्बियों के हितों की रक्षा करते हुए पक्षपातपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी दोगली नीति का एक और संकेत भी है। हमारी सरकार की हिदायत से श्रीलंका में हमारे उच्च-आयुक्त ने श्रीलंका सरकार को यह बात लिखित रूप में दी है कि संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत त्रिकोमाली में एक तेलशोधक कारखाना खोला जा सकता है, जहां 101 विशाल तेल-टैंक हैं। यह बात लोकसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में बताई गई है। फिर भी राष्ट्रपति जयवर्धने ने इन सभी 101 विशाल तेल-टैंकों को कनाडा स्थित अमरीकन कम्पनी को दीर्घावधि पट्टे पर दे दिया है। शायद आपको इसकी जानकारी हो, यह भी हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी न हो। लेकिन मुझे यह पक्का पता है। मैं श्रीलंका के एक केबिनेट मन्त्री को जनाता हूं। एक अन्य अमरीकन कम्पनी ने कोलम्बो में एक विशाल संचार मिनार की स्थापना की है जिससे हिन्दसहासागर में जलपोतों के आवागमन की खुफिशा जानकारी प्राप्त की जाएगी। अमेरिका से श्री लंका को मिलने वाले हथियारों में कोई कमी नहीं की गई है। उसे हथियार मिलना अभी जारी है।

इन परिस्थितियों में हमारे लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि भारतीय मूल के बागान श्रमिकों और तमिल मूल के नागरिकताविहीन लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। विश्व बैंक ने यह स्पष्टरूप से कहा है, आपको शायद इसकी जानकारी होगी, और इस बात को श्रीलंका बैंक ने स्वीकार किया है कि इन बागान श्रमिकों के बिना श्रीलंका की चाय सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था सदा के लिए चौपट हो जाएगी। इस बात को श्रीलंका सरकार ने स्वीकार किया है। मेरा यह सुझाव है कि हमें भारतीय मूल के इन बागान श्रमिकों को समग्र रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बसाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हमें इस प्रयोजन के लिए अपनी नौसेना के जहाज तैयार रखने चाहिए ताकि यदि हाल के नस्ली दंगों की तरह यदि स्थिति बिगड़ती है, तो एक ही बार में हम उन सभी को यहां से निकाल सकें। यह बात हमारी माननीय प्रधान मंत्री के बार-बार दिए गए उस वक्तव्य के अनुरूप ही है कि यदि भविष्य में नस्ली दंगे होते हैं। तो वे चुप नहीं बैठेंगीं। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य दिया है।

मैं आपको पहले ही यह लिख चुका हूं कि मछली पकड़ने सम्बन्धी दोनों देशों में हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए श्रीलंका की नौसेना रामेश्वरम के हमारे मछुआरों को तंग करने में नहीं हिचकेगी। हमारे कुछ मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने अपनी हिरासत में ले रखा

है। कई बार हमारे मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को श्रीलंका की नौसेना ने जब्त कर लिया है।

श्रीलंका सरकार कच्चा टेवु समझौते का भी आदर नहीं कर रही है। जब वे इस मामले में बार-बार निर्दयतापूर्ण रवैया अपना रहे हैं, तो हमें भी मूक दर्शक की तरह बैठे रहने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मछुआरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

इसी प्रकार श्रीलंका सरकार ने हमारे लोगों के उन सभी भवनों, कारखानों और दुकानों पर कब्जा कर लिया है, जिन्हें दंगों में जला दिया गया था। वे इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। न ही वे सम्पत्ति लौटा रहे हैं। सरकार को श्रीलंका में हमारे लोगों की सम्पत्ति की बहाली के लिए कदम उठाने चाहिए। अपने दक्षिणी तट की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि इस लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान चल रही चर्चा में हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने संकेत दिया था, अपने हितों की रक्षा के लिए सेतुसमुद्रय परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस परियोजना पर जितनी जल्दी हो सके, उतनी ही जल्दी काम शुरू कर दिया जाना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, एक प्रश्न इस प्रकार का उठा है कि हमारे देश में कुछ वर्गों द्वारा भारत में युद्ध की मनोस्थिति तैयार की जा रही है। प्रारम्भ में ही मैं पक्के रूप से यह बता देना चाहता हूं कि भारत की जनता पाकिस्तान के विरुद्ध वास्तव में किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध की मनोस्थिति तैयार करने के लिए किसी भी प्रकार से इच्छुक नहीं है। हम किसी भी युद्ध संकट का, किसी भी युद्ध की मनोस्थिति का, किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न करने का विरोध करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान में विद्यमान स्थिति की चर्चा करते हुए हमें परिस्थितियों की वास्तविकता पर भी ध्यान देना चाहिए। अमेरिका से आधुनिकतम हथियारों की सप्लाई, पाकिस्तान में सैनिक अड्डों के प्रयोग के लिए भूमि पट्टे पर देने हेतु अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कथित समझौता, कराकोरम सड़क खोला जाना, आणविकीकरण के प्रति पाकिस्तान का अभियान तथा हाल में बंगलादेश और श्रीलंका की नीति में परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए खतरा ही पैदा कर सकते हैं। इस स्थिति में हम स्थिति की वास्तविकता की उपेक्षा नहीं कर सकते और स्वाभानिक रूप से इस व्यापक सन्दर्भ में ही इस मसले पर विचार करना होगा।

सबसे गम्भीर बात तो यह है कि पाकिस्तान के तानाशाह अपनी इच्छा के अनुसार या अपने संकल्पानुसार कार्यवाही नहीं करता है। उन्होंने अपने आपको तथा देश को अमेरिका की इस विश्व नीति या सैनिक सन्तुलन में हिस्सेदार बना लिया है, जो शत-प्रतिशत आक्रामक है; इस बात में कोई सन्देह नहीं है। पश्चिमी शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में पाकिस्तान की बाहरी विवशताएं हैं। एक तानाशाही शासन के रूप में पाकिस्तान की कुछ घरेलू विवशताएं हैं। हम इस वास्तविकता को अनदेखा नहीं कर सकते; हम इसकी उपेक्षा करने लायक हैं भी नहीं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा।

पाकिस्तान की जनता हमारी दुश्मन नहीं है। सच तो यह है कि भारत की जनता पाकिस्तान की जनता के साथ मित्रता के सूत्र में बंधना चाहती है। भारत की जनता को यह देखकर

भारी दुःख पहुंचता है कि पाकिस्तान की जनता तानाशाही शासन से मुक्त नहीं है । वास्तव में सरकारी नीति यह होनी चाहिए कि वह पाकिस्तान में सक्रिय लोकतान्त्रिक शक्तियों से अपनी दूरी कम करे तथा पाकिस्तान की जनता के साथ मित्रता बनाने पर अधिक जोर दिया जाए क्योंकि इससे इस उपमहाद्वीप के इन दो बड़े देशों के बीच मित्रता और नेक पड़ोसी के व्यवहार की गारन्टी होगी ।

आधुनिक युग में युद्ध और शान्ति का प्रश्न ही एक केन्द्रीय सवाल है । यह बात समझ ली जानी चाहिए कि हमें एक नई अधिक गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । यह बात भी समझ ली जानी चाहिए कि आणविक विनाश की तरफ बढ़ रही है । इससे मानव-जाति के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है । मैं जानता हूं कि सरकार ने शान्ति, गुट-निरपेक्ष और विकास की नीति अपना रखी है । लेकिन इस नीति का कोई महत्व नहीं रह जाता, यदि दुश्मन की पहचान न की जाए, विशेषरूप से लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन, विश्व का वह आक्रामक तेवर जो दुनिया को नष्ट कर देने वाला है । यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें, तो मैं यह बताता हूं कि कथित महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता का सिद्धान्त गलत है, इसका मूल गलत है और यदि इसे शीघ्र ही समाप्त नहीं किया गया, तो मुझे यह आशंका है कि इससे शान्ति के दुश्मनों के आक्रामक गतिविधियों में और वृद्धि होगी । मुझे नहीं मालूम कि क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी और ऐसे रुख अख्तियार करेगी जो साम्राज्य-विरोधी, युद्ध विरोधी और शान्ति समर्थक हो ।

महोदय, मुझे यह ज्ञात नहीं है कि आप मेरे से सहमत होंगे, लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि आज हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि साम्राज्य विरोधी और शान्ति एक ही चीज है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, हम आज इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सके कि आर्थिक आत्म-निर्भरता और शान्ति एक ही चीज है और इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, हम इस बात को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि स्वतन्त्रता-संघर्ष और शान्ति एक ही चीज है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, समाजवाद और शान्ति एक ही चीज है और इन्हें अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता । इस सम्बन्ध में मैं माननीय विदेश मंत्री का ध्यान रेगन प्रशासन द्वारा सहायता को राजनीतिक मंशाओं के साथ जोड़ने सम्बन्धी हाल में लिए गए निर्णय की ओर भी दिलाना चाहूंगा । क्या इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जब तक आपके राजनीतिक विचार मेल न खाते हों, रेगन प्रशासन ऐसे देशों को कोई सहायता नहीं देगा ? इसलिए आधुनिक सन्दर्भ में शान्ति के लिए संघर्ष कोई चीज नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध आर्थिक आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेने से जुड़ा हुआ है ।

महोदय, हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं । वस्तुतः हमारी प्रधान मंत्री गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष हैं । लेकिन इसी सन्दर्भ में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के किन्हीं विशेष गुटों से सम्बद्ध कुछ ऐसे देश सदस्य हैं, जिनके बारे में जानकारी है और इसके कुछ देशों के बारे में अभी पता नहीं है और यही गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की मूल कमजोरी है ।

गुट निरपेक्ष आंदोलन वास्तव में शान्ति विकास और स्थायित्व के लिए एक कारगर शक्ति हो सकता है वशर्ते यह दृढ़तापूर्वक साम्राज्य विरोधी हो ।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, आज मध्य अमेरिका में स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है। इस सन्दर्भ में गुटनिरपेक्ष ब्यूरो ने, जिसकी हाल ही में बैठक हुई, इसमें कार्यों में तेजी, विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना धमकी और वहां शत्रुतापूर्ण कार्यों में नई तेजी पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है। इस ब्यूरो ने साल्वाडोर के आन्तरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप जारी रहने के कारण साल्वाडोर संघर्ष के और अधिक बिगड़ने पर भी चिंता व्यक्त की। जहां तक ब्यूरो की घोषणा का सम्बन्ध है, इसने सकारात्मक रुख अपनाया है, सकारात्म कदम उठाया है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि वे देश कौन से हैं जो साल्वाडोर में विदेशी हस्तक्षेप में शामिल हैं? वे देश कौन से हैं जो निकारागुआ के चारों ओर सुरंग बना रहे हैं, वे देश कौन से हैं जो अलगाव के सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं?

दुर्भाग्य से इस ब्यूरो के अध्यक्ष हमारे विदेश मंत्री दृढ़तापूर्वक यह नहीं कह सके कि मध्य अमेरिका की इस जटिल और विस्फोटक स्थिति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जिम्मेदार है। क्या इससे व्यक्ति की मूलभूत कमजोरी जाहिर नहीं होती? हां, होती है। मेरी दलील यह है कि यदि आप वास्तव में शांति की नीति में विश्वास रखते हैं तो, आपको युद्ध के उन एजेन्टों के विरुद्ध लड़ने के लिए दृढ़तापूर्वक साम्राज्यवाद विरोधी होना चाहिए जो नरसंहार और विनाश पैदा करते हैं।

मैं अन्य मसलों की चर्चा करना चाहता हूं। उनमें से एक श्रीलंका से सम्बद्ध है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि श्रीलंका सरकार ने विदेश सम्बन्धों के बारे में भारी नीति परिवर्तन किए हैं और यह हमारे लिए बड़ी चिंता की बात की है। श्रीलंका की जातीय समस्याओं के सम्बन्ध में कोलम्बो वार्ता की प्रगति अत्यन्त धीमी है। श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका के तमिल लोगों पर यात्रा प्रतिबन्ध लगा दिए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का क्या करने का विचार है कि श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधि, श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता भारत पर दोष लगाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते और इससे वे ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जो उनके हितों के लिए शत्रुतापूर्ण होती हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सरकार सशस्त्र विद्रोहियों को भारत में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे रही है। विदेश मंत्रालय को बंगलादेश की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। इस समय बंगलादेश में भारत-विरोधी अभियान पराकाष्ठा पर है। हाल ही में बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच सैनिक संधि हुई है। बंगलादेश में एक नई स्थिति पैदा हो गई है जिसने बंगलादेश में अभी भी रह रहे अल्पसंख्यक लोगों में, अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति के बारे में बंगलादेश सरकार के दृष्टिकोण के कारण बहुत अधिक चिन्ता और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। मैं इस चर्चा में यह प्रश्न नहीं उठाता लेकिन वहां गंभीर उलझाव पैदा हो गए हैं और यदि वहां स्थिति अधिक खराब हो जाती है तो भारत पर उसका गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

दिएगो गार्सिया की स्थिति के बारे में अनेक अच्छी बातें कही गई हैं। मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि भारत सरकार को तटवर्ती देशों का एक सम्मेलन बुलाने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि हिन्दमहासागर को वास्तव में एक शांति-क्षेत्र बनाया जा सके।

शांति और मैत्री की भारत-सोवियत संधि शांति की रक्षक है और हमें इसे और अधिक मजबूत बनाना चाहिए।

श्री भुवनेश्वर मूयन (गौहाटी) : सभापति महोदय, मैं (विदेश मंत्रालय की) अनुदान मांगों के प्रस्तावों को अपना समर्थन देना चाहूंगा । बजट प्रस्तावों पर अपना समर्थन देते समय मैं महत्व के अनेक मुद्दों की ओर विदेश मंत्री का ध्यान उनके विचारार्थ आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्रीमन्, यह महज पुनरावृत्ति होगी यदि मैं यह कहूं कि खासतौर पर इस उपमहाद्वीप में वर्तमान स्थिति अत्यन्त गंभीर जटिलताओं और परिस्थितियों से भरी पड़ी है जैसा कि कुछ महाशक्तियों द्वारा कुछ पड़ोसी देशों को शस्त्रों से लैस करने से स्पष्ट है। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक दूसरे तथ्य से अवगत कराना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में, मुझे यह पता लगा है कि भारतीय सैन्य विशेषज्ञ यह बात समझ गए हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान 'अमेरिकन रेपिड डिप्लोयमेंट फोर्स' के लिए नौसैनिक भू-अड्डे अथवा मुख्यत: जहाज उतारने (लेंडिंग) सुविधाएं देने वाले हैं भले ही अमेरिका के उपसहायक विदेश सचिव श्री हार्वड सेफर ने इस बात से इन्कार किया है । उनके अनुसार श्रीलंका, त्रिकोमाली बन्दरगाह और पाकिस्तानी बन्दरगाहों पर अमेरिका को नौसैनिक सुविधाओं की बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । और नरसंहार, मानव विनाश और प्राकृतिक संसाधनों की तबाही के लिए अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से पाकिस्तान को लैस करने के अलावा यह स्थिति अत्यन्त गंभीर है । इसलिए, इस संदर्भ में, हमारे विदेश मंत्री, हमारे समग्र राजनयिक प्रयासों और हमारे सिद्धान्तों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । यद्यपि हमारे विदेश मंत्री ने इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किया है, फिर भी, मैं समझता हूं यह विरोधी पड़ोसी देशों द्वारा विश्व में भारत के विरुद्ध किए जा रहे व्यापक प्रचार का सामना करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है । इसलिए, मैं समझता हूं कि पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सक्षम प्रचार तंत्र लागू करके और विभिन्न विषयों पर हमारे रुख तथा दृष्टिकोण बताने के लिए विदेशों में भेजे जाने के लिए सक्षम शिष्टमंडलों की व्यवस्था करके उन विरोधी देशों द्वारा हमारे विरुद्ध किए जा रहे प्रचार का जवाब देना चाहिए । इस सम्बन्ध में हम इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि हमारे कुछ पड़ोसी देश हम पर प्राय: यह आरोप लगाते रहते हैं कि हम उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसी तरह की तमाम बातें वे करते रहते हैं । इस बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हमने किस सीमा तक इन आरोपों से अपना बचाव किया है तथा विश्व में अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए, हाल ही में मकबूल बट्ट को तथा अन्य अनेक व्यक्तियों को फांसी देने के मामले में हमें अनेक रिपोर्टें पढ़ने सुनने को मिली हैं। हम भी यह कह सकते हैं कि यह कुछ पड़ोसी देशों द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है । यदि हम अपना भय अथवा आशंका व्यक्त करते हैं तो, मुझे इस बात का विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति केवल विदेशों में ही नहीं हैं अपितु हमारे देश में भी हैं जो यह कहते हैं कि हम युद्ध के भय से ग्रसित हैं । क्या मैं आप से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? आप कहते हैं कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों ने अपने क्षेत्रफल, जनसंख्या और आवश्यकताओं की तुलना में बहुत अधिक अस्त्र-शस्त्र जमा कर लिए हैं । तब, क्या हम हस्तक्षेप कर रहे हैं अथवा हम वास्तव में युद्ध के भय से ग्रसित हैं ? क्या हमको न केवल अपने देश के अपितु विश्वभर के लोगों को साहसपूर्वक यह नहीं बताना चाहिए कि हम रक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यदि उन देशों के कोई गलत इरादे नहीं हैं, तो उन देशों को अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने की क्या आवश्यकता है और उन देशों के नाम क्या हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं ? निश्चय ही इस स्थिति से यह जाहिर होता है कि उनकी कुछ अनर्थकारी अभिकल्पनाएं हैं जो हमारे हितों को लक्षित कर बनायी गई हैं।

जहां तक दिएगो गार्सिया का सम्बन्ध है, हिन्दमहासागर के इस क्षेत्र विशेष में जो कुछ हुआ है उससे आप अच्छी तरह अवगत हैं। वहां वर्तमान स्थिति क्या है ? इन स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि आज यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी प्रधान मंत्री गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष हैं फिर भी मैं यह देखता हूं कि संभवत: हम अपने इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं कि हिन्दमहासागर विश्व में तनाव मुक्त सागरों में एक होना चाहिए। मैं समझता हूं इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। इस दृष्टिकोण को कि हिन्दमहासागर को एक शांति क्षेत्र बनाया जाए, प्रस्तुत करने में भारत सभी गुटनिरक्षेप देशों के समूह का नेतृत्व कर सकता है। इस संदर्भ में, हमें साहसपूर्ण राजनयिक रवैया अपनाना चाहिए और इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण समझाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

न केवल इस उपमहाद्वीप में अपितु सारी विश्व में हो रही हथियारों की दौड़ के परिप्रेक्ष्य में, भारत के लिए निरस्त्रीकरण आंदोलन की दिशा में व्यापक रूप से सहयोग करना आवश्यक है। जहां तक निरस्त्रीकरण आंदोलन की मौजूदा स्थिति का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं इसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसमें हमारे विदेश मंत्री को प्रमुख भूमिका निभानी है और वह इस दिशा में एक अत्यन्त साहसपूर्ण पहल कर सकते हैं।

शांति के लिए अडिग रहने वाले एक देश के रूप में भारत, अफ्रीकी उपमहाद्वीप तथा एशिया दोनों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे अन्य देशों को पर्याप्त समर्थन और सहानुभूति दे सकता है और साहसपूर्वक उनका नेतृत्व कर सकता है। बहुत देश हमारी सहायता मांग रहे हैं। मैं समझता हूं, एक स्वतन्त्र देश के रूप में और जिस रूप में विगत में हमने अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया उससे हमें उनकी सहायता करने का नैतिक अधिकार है खासतौर पर अपनी वर्तमान विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए, मैं समझता हूं कि हमारे देश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हमारे विदेश मंत्री ऐसे तरीके खोजेंगे जिनसे हम अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें और न केवल विश्वभर के लोगों को अपना दृष्टिकोण समझा सकें अपितु हम इस दिशा में साहसपूर्ण कदम भी उठा सकें।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं इस सदन के सभी सदस्यों से, उनके राजनीतिक मतों और मतभेदों की ओर ध्यान दिए बिना, यह अनुरोध करूंगा कि वे सारे संसार में शांति के लिए आगे रहने वाले देश के रूप में भारत की छवि प्रस्तुत करने में सरकार और उसके रुख का समर्थन करें।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, आपने मुझे विदेश नीति पर जो बोलने का मौका दिया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं। आज सारा विश्व देखा जाए तो जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, कूटनीतिक चालें जिस तरह की दिखाई पड़ रही हैं, और जिस तरह से आणविक युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं उससे लगता है कि सारा विश्व बाल्कैनो पर बैठा हुआ है। इस परिस्थिति के निर्माण करने में दो महाशक्तियां अपनी अन्तर्निहित कुत्सित भावनाओं से काम कर रही हैं जिसका परिणाम तीसरे विश्व के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उन दो महाशक्तियों के कारण तीसरा विश्व जो पैदा हुआ है और वहां के लोगों को जिस तरह से एक संगठन में आत्म निष्ठा और विश्वास के साथ बंधुता के साथ मिलना चाहिये वैसी परिस्थिति अभी तक निर्मित नहीं हो रही है।

भारत की जो भूमिका पिछले तीन दशकों में रही है और उसके दौरान समीक्षाधीन 1983 को देखा जाए तो इन तीन दशकों में भारत पराकाष्ठा पर इन्टरनेशनल विकास के सम्बन्धों के सम्बन्ध में पहुंचा है। 1983 में हमने साउथ सम्मेलन, निर्गुट-सम्मेलन, चोगम और विश्व हिन्दी सम्मेलन किये और दुनिया के देशों को प्रभावित करने का प्रयास किया है, और भारत की विदेश पराकाष्ठा पर 1983 में मानी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे सम्बन्ध जितने सुदृढ़ होने चाहियें और अगाढ़ प्रेम होना चाहिये वह अभी तक नहीं बन पाये हैं। पाकिस्तान में अभी भी सरकार की ओर जिस तरह से समाचार आ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि एक भयानक युद्ध होने वाला है। और इस तरह की बात बराबर कही जाती है, चाहे संसद हो, बाहर हो या समाचार-पत्र हों, जनता के मन में एक मनः-स्थिति बनती चली जा रही है कि सम्भवतः भारत और पाकिस्तान के बीच एक भयानक युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में सारे देश की जनता को भ्रम में डाला जा रहा हो इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई है। यह सही है कि दो महाशक्तियां अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हथियारों की होड़ लगा रहे हैं; उनका बिक्री मार्केट बना रहे हैं जिसके बीच में छोटे-छोटे देश उलझते चले जा रहे हैं। अमरीका का जो इस वर्ष का बजट है उसमें 1.78 खरब डालर 1984 के लिये रखे हैं और उसका जो खर्चा हथियारों के निर्माण में, संग्रहण और भंडारन में खर्च हो रहा है प्रति दिन वह 1 अरब डालर हो रहा है। और यही कारण है कि हथियारों का व्यापार करके सारे अविकसित और विकासशील देशों में अपना मार्केट बना रहा है। और इसी उद्देश्य से दूसरी महाशक्ति रूस भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये ही राइवलरी में आ गया है। इस राइवलरी के चक्कर में निर्गुट देशों का चेयरपर्सन होने के बावजूद भी हम निर्गुटता में कहां तक सफल हुए हैं। यह सब को स्पष्ट है।

निर्गुटता का जहां तक सम्बन्ध है बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, श्याम के साथ हमारे सुदृढ़ सम्बन्ध और व्यवहार होना चाहिये ताकि विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर न हो।.....

जहां तक हिन्दमहासागर का सम्बन्ध है, यह हौआ खड़ा किया जा रहा है कि अमरीकी जहाजी बेड़ा दिएगो गार्सिया में पहुंच गया है लेकिन दूसरी ओर रूस के 36 जहाज भी हिन्द-महासागर में मौजूद हैं। इसी प्रकार वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और यू०के० के 7 जहाजों का मिला-जुला बेड़ा भी वहाँ पर है। इस प्रकार हिन्दमहासागर समुद्री बेड़ों के घेरे में पड़ता जा रहा है। कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा दुश्मन है, यह तो भविष्य ही बताएगा।

हमें तटस्थता और पंचशील की नीति का अनुसरण करते हुए बीच का रास्ता अपनाना चाहिए ताकि सब देशों के साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हों। मंत्री महोदय निश्चित रूप से एक योग्य मंत्री माने जाते हैं। वह सभी भाषाओं के जानकार हैं। लेकिन महासभा के 38वें सम्मेलन की कार्यवाही से पता चलता है कि हम अपनी नीति पर अडिग रहने में असफल रहते हैं

निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, को लेकर इतना हंगामा होता है, लेकिन प्रश्न यह है कि हम कहां तक उसको एक व्यावहारिक रूप दे पाते हैं। निर्गुट देशों का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्बन्ध में उसका क्या योगदान रहा ? ईरान और इराक का युद्ध लगातार चल

रहा है। इसी प्रकार फिलस्तीनियों का युद्ध भी हो रहा है। उसको रोकने के लिए हम कहां तक अपनी भूमिका निभा रहे हैं ? निस्संदेह हमारा प्रयास अच्छा रहा है, लेकिन तथ्य यह है कि संसार की स्थिति बहुत जटिल है। एक महाशक्ति अफगानिस्तान में आ गई है और दूसरी महा-शक्ति ग्रेनाडा में पहुंच गई है। महाशक्तियों की आपसी होड़ ने संसार की अधिकांश समस्याओं को जन्म दिया है। हम निर्गुट देशों का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एक गुट होकर शान्ति बनाए रखने में सहयोग दें।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : सभापति महोदय, हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत शान्तिपूर्ण चर्चा की है। मैं उन सभी 22 माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

जब मैं चर्चा में कही गई बातों के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। दूसरा मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया गया है वह गिरती हुयी अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति के बारे में है। मैं इन दोनों मुद्दों को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानता हूं और इन्हीं दो मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा भी हुयी है। महोदय, मैं भी इन्हीं दो मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा।

मैं पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के बारे में चर्चा करूंगा। कुछ माननीय सदस्य हाल ही में पाकिस्तान से लौटे हैं। इसलिए यहां सदन में यह उत्साह प्रकट किया गया है, लेकिन किस ढंग से उन्होंने इसे प्रदर्शित किया है मैं अभी इसी पर चर्चा करूंगा। मैं प्रो० रंगा और श्री केयूर भूषण का आभारी हूं कि उन्होंने श्री बीजू पटनायक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है और उन्हीं बातों को मैं पुन: नहीं दोहराना चाहता हूं। यह जरूरी भी नहीं है। मैं पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों के बारे में प्रो० रंगा के विश्लेषण से पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्धों के अन्य पहलुओं पर चर्चा करने से पहले मैं इन सभी आरोपों और आक्षेपों का स्पष्ट रूप से खण्डन करता हूं जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान में किसी विद्रोह अथवा षड्यन्त्र में भारत का हाथ है। कुछ विदेशी समाचारपत्रों में छपी इस प्रकार की खबरें और आक्षेप बिल्कुल निराधार, बेहद शरारतपूर्ण और निन्दनीय हैं। हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और पाकिस्तान अथवा किसी दूसरे देश के अन्दरूनी मामलों में कुछ भी हो, हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनकी सरकारों के गठन अथवा स्वरूप से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है और इस नीति को आगे अपनाने से पहले अनेक बार इसके बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। इस क्षेत्र में और विश्व भर में शान्ति को बढ़ावा देने के लिए और पड़ोसी देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के बारे में हमारे प्रधान मन्त्री के हार्दिक और कर्मठ प्रयास सर्वविदित हैं और इन्हें सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं इस बात की जरूरत नहीं समझता हूं कि कोई माननीय संसद सदस्य या सदन से बाहर का कोई व्यक्ति अथवा विश्व के किसी कोने से इस प्रकार के सन्देह व्यक्त किये जायें। या मनघड़न्त बातें गढ़ी जायें। मैं इन बातों को सन्देह का नाम भी नहीं देता हूं क्योंकि सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन यदि आप वास्तव में मनघड़न्त बातें चाहते हैं तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, यही यहां पर हो रहा है, मैंने रिपोर्टों का विश्लेषण किया है। हमने रिपोर्टों

की जांच की है और रिपोर्टों में जो भी है उसका विस्तार से अध्ययन किया है। उनमें हमने कल्पना की उड़ानों को पाया है। असली सन्देहों का हमेशा निराकरण हो सकता है लेकिन जहां पर आपको कपोल कल्पनाओं से निबटना है, तो कपोल कल्पनाओं का निराकरण करना बहुत कठिन है क्योंकि कल्पनाएं, कल्पनाएं होती हैं।

प्रधान मन्त्री 1980 से ही इस क्षेत्र की सुरक्षा सम्बन्धी स्थिति के निरन्तर खराब होने के बारे में कहती रही हैं। कुछ वक्तव्यों में कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं कि ऐसा 1983 और 1984 में इसलिए किया जा रहा है कि उसके पीछे कोई खास उद्देश्य है अथवा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। या कोई और बातें कही गयी हैं। लेकिन मैं इन सभी बातों का जोरदार ढंग से खण्डन करता हूं, कम से कम सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सदन के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों के लोगों के मामले में सभी दलों को अपने दलों की नीतियों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए। मेरी पार्टी ने भी ऐसा किया है। सरकार अन्य सभी दलों से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करती है। 1980 में जो भी कहा गया था उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि इन बातों को 1985 के चुनाव को ध्यान में रखकर कहा गया हो। उस समय जब नयी सरकार बनी ही थी प्रधान मन्त्री ने इस स्थिति की ओर सबका ध्यान दिलाया था। पिछले चार वर्षों में क्या हुआ है ? क्या स्थिति में सुधार हुआ है ? क्या यह सच नहीं है कि जब से प्रधान मन्त्री ने अपना पहला वक्तव्य दिया है, स्थिति में निरन्तर गिरावट आयी है। और आज यदि कोई कहता है कि यह सब चुनावों को ध्यान में रखकर कहा जा रहा है तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार का वक्तव्य गलत, मिथ्या और गैर जिम्मेदाराना है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए और इस प्रकार के मिथ्यापवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और हमें यथास्थिति को उसी रूप में लेना चाहिए।

हमने पाकिस्तान को हथियार मिलने के बारे में चर्चा की है। सदस्यों ने अनेक बार और अनेक अवसरों पर इस बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है। भारत में एक साधारण व्यक्ति भी अपने विचार प्रकट करता है। लेकिन अस्थायी बैठकों और दौरों के दौरान एक व्यक्ति जो भी सोचता है, यह सच है, निर्विवाद रूप से सच है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को शक होता है जब हमारे एक पड़ोसी देश को बहुत अधिक हथियार दिए जाते हैं। इसलिए इस बारे में हमें क्या करना चाहिए। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं हम उनसे बहस करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

कल श्री पटनायक ने कहा था "हमें स्वयं से अनेक प्रश्न पूछने हैं" जब हम उन प्रश्नों को पूछते हैं तब हमें पता लगता है कि हम जिन प्रश्नों को पूछ रहे हैं वह हमीं पर उल्टी चोट कर रहे हैं। हां, वे प्रश्न निश्चित रूप से हमीं पर चोट करेंगे क्योंकि हमें यह नहीं मालूम है कि हमें किन प्रश्नों को पूछना चाहिए। पूछने योग्य सही प्रश्न क्या है ? अपने आपसे और उनसे जो इससे सम्बन्धित हैं पूछने योग्य एक प्रश्न यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आधुनिक हथियारों की विनाशकता के स्तर में और पिछले दस अथवा पन्द्रह वर्षों में विनाशकारी हथियारों के भण्डारन और उन शस्त्रों के स्तर में वृद्धि के लिए वस्तुतः कौन उत्तरदायी है ? इस मामले में पहल किसने की है, किसने किसका अनुकरण किया है ? यह एक रिकार्ड का विषय है

कि प्रत्येक स्तर पर पाकिस्तान ने आधुनिक हथियारों के स्तर को बढ़ाया है। संख्या पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। संख्या उनके आकार पर निर्भर होती है; संख्या समुद्री सीमा की लंबाई पर निर्भर होगी, संख्या सीमा की लम्बाई पर निर्भर होगी। लेकिन विनाशकता का उल्लेख किए बिना और उनकी किस्मों के उल्लेख के किए बगैर इस प्रकार के हथियारों की संख्या का कोई मतलब नहीं होता है। और जब-जब इन हथियारों की किस्म का मामला आता है तो सच यह है कि पाकिस्तान ने इस मामले में पहल की और भारत ने उसका अनुकरण किया है।

हम अभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं। हमने पहले भी ऐसा कहा है। हम, जितनी बार कहो ऐसा कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब सारे अनुरोध अनसुने कर दिए जाते हैं और कोई भी माध्यम उन्हें समझाने में असफल हो जाता है तो समयानुसार हमें भी तैयार रहना पड़ता है; और हम ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे विचार से हमारी इस नीति, इस शान्ति की नीति के प्रति किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता है। यह नीति स्वयं को तैयार रखने की है क्योंकि हमने पाकिस्तान की सामरिक नीति के बारे में बहुत कुछ सुना है। चाहे इसे कोई माने या न माने इस बारे में कई बार चर्चा हुई है। सच्चाई यह है कि स्थिति के मूल्यांकन से आपको पता लगेगा कि वहां पर इस प्रकार की सामरिक नीति एकमत से बनायी जा रही है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के देश अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्ध बनाकर शांतिपूर्वक रहें। दक्षिण-एशियाई सहयोग के लिए हमने हर प्रकार के प्रयास किए हैं, हमने इसके लिए कार्यक्रम चलाये हैं। और अनेक क्षेत्रों में कार्यक्रम में अच्छी प्रगति हो रही है।

हमें सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने में सफलता मिली है। इस प्रकार एक तरफ तो हम सहयोग के शान्तिपूर्ण कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ अच्छे सम्बन्धों के मार्ग में यह कि कांटा बाधक बन रहा है। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि यही वास्तविक बाधा है। सम्बन्धों में सुधार करने के लिए हम जो भी प्रयास करें वे केवल एक सीमा तक हो सकते हैं। और उन पर सब कुछ तो कुर्बान नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस बात को हमें समझना है। ये वे प्रश्न हैं जिन्हें हमें अपने आपसे पूछना है।

महोदय, प्रायः हम हर सप्ताह यह सुनते हैं कि पाकिस्तान में नये हथियार—हारपून मिसाइल अथवा कुछ शस्त्र विदेशी मंगाए जा रहे हैं। मैं सैन्य-विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं दे सकता हूं। मुझे विश्वास है इनमें से कुछ के बारे में रक्षा मन्त्री सदन को जानकारी देंगे।

3.00 म० प०

इसलिए हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए। श्री पटनायक ने दो घरेलू नौकरों के बारे में भी प्रश्न पूछा है। मेरे विचार मे यह विश्व में घरेलू नौकरों के बारे में हुयी सर्वाधिक चर्चाओं में से है। जो इतिहास में अंकित होगी। मैं इस बारे में विस्तार पूर्वक बात नहीं करूंगा लेकिन मैं श्री पटनायक या अन्य किसी भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे पाकिस्तान से लौटे घरेलू नौकरों से साक्षात्कार करने का अवसर दें और मुझे बतायें कि इन लोगों के बारे में उनके क्या विचार हैं। मुझे बतायें कि क्या इन नौकरों को किसी भी प्रकार से फंसाने के बारे में सोचा जा सकता है। अथवा क्या वे ऐसा कभी कर सकते हैं जैसा कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है। यह कोरी कल्पना है। यह एक कहानी है। यह एकदम मनघड़न्त बात है और हमने इससे इन्कार

किया है । लेकिन मैं आपको इन लोगों के नाम और पते बताते के लिए तैयार हूं यह एक असाधारण और आश्चर्यजनक बात है कि इन दो व्यक्तियों को जो सीमा पार कर रहे थे या जिन्हें सीमा पार भेजा गया, को मुख्य लक्ष्य बनाया जाना चाहिए, जिसके चारों ओर यह जाल बुना गया है । कम से कम यह एक अविश्वसनीय कहानी है और इस प्रकार की कहानियां नहीं गढ़ी जानी चाहिएं क्योंकि इनसे दोनों देशों के सम्बन्ध खराब होंगे ।

सभापटल पर रखे गए दो दस्तावेजों के बारे में बात चीत करने के लिए दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक होने वाली है । सदस्यों को उन परिस्थितियों की जानकारी है जिनमें ये दो दस्तावेज तैयार हुए और इन पर पहले चर्चा क्यों नहीं हो सकी । कुछ बाधायें थी, जो बहुत युक्तिसंगत और वास्तविक थी तथा हम आशा करते हैं कि दूसरे पक्ष द्वारा बातचीत पुनः आरम्भ करने में आगे कोई बाधायें उत्पन्न नहीं की जाएंगी । हम आशा करते हैं कि बातचीत निर्धारित समय पर आरम्भ होगी । निस्संदेह, हमारी अपनी समझ है और उनकी अपनी, श्री पटनायक ने कहा वे दो दस्तावेज लगभग एक जैसे हैं । हां, वे 80 प्रतिशत एक जैसे हैं किन्तु 20 प्रतिशत उनमें अन्तर है । यदि हम 20 प्रतिशत अन्तर को दूर करने में समर्थ न हों तो हमारी 80 प्रतिशत सहमति का कोई फायदा नहीं । यहां तक कि यदि यह 10 प्रतिशत अथवा एक प्रतिशत भी हो तो हमें उस एक प्रतिशत को भी दूर करने की तब तक बार-बार कोशिश करनी पड़ेगी जब तक हम सफल नहीं हो जाते। इसलिए यह स्वयं ही एक प्रक्रिया है । हमें आशा करनी चाहिए कि यह प्रक्रिया सफल होगी और भारत अपनी तरफ से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सफल व सुसंगत बनाने की यथासंभव कोशिश करेगा ।

बंगलादेश के संबंध में हमारे सम्बन्ध फिर अच्छे हुए हैं और आज हमारे उनसे अच्छे सम्बन्ध हैं । हमारे बीच कुछ मसले हैं । पड़ोसियों के बीच हमेशा ही कुछ मसले होते हैं । मुझे कल एक माननीय सदस्य ने उदार बनने का सुझाव दिया । मैं माननीय सदस्य से विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे चाहते हैं कि गंगा जल के विवाद के संबंध में भारत उदारता बरते हैं । उदार से तात्पर्य क्या है ? किस बात के लिए उदार बनना है ? इस देश की भावी पीढ़ियों के हितों के विरुद्ध मैं दूसरे देश को गंगा जल देने वाला कौन होता हूं ? भारत के 70 करोड़ लोगों के हितों के विरुद्ध यह सरकार इस काम को करना उचित नहीं समझती । जब राष्ट्रीय हितों का सवाल होता है, तो उदारता का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए । हम समानता चाहते हैं; हम न्याय चाहते हैं; हम आपस में सहयोग की भावना चाहते हैं जिससे दोनों देशों को लाभ हो । अंत में, हमारे सभी सम्बन्ध आपसी लाभ के आधार पर होंगे ।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि फरक्का में गंगा में पर्याप्त पानी नहीं है । यदि आप बंगलादेश को और पानी देते हैं, तो कलकत्ता पत्तन को पानी की कठिनाई होगी । यदि आप कलकत्ता पत्तन को और पानी देंगे, तो बंगलादेश को अपेक्षित मात्रा में पानी नहीं मिल सकेगा । इसलिए मुख्य प्रश्न यह है कि फरक्का में पानी की मात्रा में किस प्रकार वृद्धि की जाए । प्रस्ताव भी आये हैं । हमने उन्हें फरक्का को बंगलादेश के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी का जल देने के संबंध में एक प्रस्ताव रखा है । उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है । उनके कुछ घरेलू कारण हैं । उन्होंने कहा कि हमें नेपाल में बांध बनाकर वहां से पानी प्राप्त करना चाहिए । यह बंगलादेश

और भारत के बीच द्विपक्षी मसला है, जब बंगलादेश ने प्रस्ताव किया कि इस द्विपक्षी मसले को त्रिपक्षीय बनाया जाये, तो हम सहमत नहीं हुए, हमारी नेपाल के साथ अपनी द्विपक्षीय व्यवस्था है। हम भारत और बंगलादेश के बीच मामले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते हैं। इन दो प्रस्तावों पर कोई खास प्रगति न होने पर कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। उन पर अभी कार्यवाही हो रही है। मुझे विश्वास है हम कार्यवाही को जारी रखेंगे और अंत में समानता के आधार पर गंगा जल के बंटवारे के सम्बन्ध में कोई रास्ता निकालेंगे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह समय का सवाल है। यह धैर्य रखने का सवाल है। यह दोनों तरफ राजनीतिक इच्छा का सवाल है, अपने ही लोगों को फार्मूला देने में समर्थ होने के लिए। ये सभी बातें हैं, कौन कह सकता है कि 1978 का समझौता जो केवल 5 वर्ष के लिए था एक ऐसा समझौता था जो भारत के हितों के विरुद्ध नहीं गया। गत चार वर्षों से भी अधिक समय में मैंने किसी भी माननीय सदस्य को यह कहते हुए नहीं सुना है कि 1978 का समझौता भारत के लिए लाभदायक था या भारत के हित में था। यह पांच वर्ष के लिए था इसलिए इसे पांच वर्षों के बाद समाप्त करना होगा। किन्तु उसका मतलब यह नहीं कि हम बातचीत समाप्त करने जा रहे हैं या जल के बंटवारे के प्रश्न को समाप्त करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा। हम वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि किसी समय हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे।

तीस्ता नदी के जल के मामले में जैसे कि सभा को जानकारी है, हम कुछ समय के लिए बंटवारा फार्मूला तैयार करने में समर्थ हुए हैं। इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु इससे पानी का कुछ प्रतिशत अनिर्णित, बिना बंटा हुआ छूट जाता है। किन्तु शेष का बंटवारा हो गया है। अतः उस थोड़ी सी मात्रा के संबंध में बाद में फैसला किया जा सकता है। हम देखते हैं कि यह दोनों पक्षों के लिए संतोषप्रद फार्मूला है। दोनों पक्ष सहमत हैं।

बंगलादेश में सम्पत्ति के बारे में, जिसे बेचे जाने का खतरा बताया गया है, हम समय-समय पर बराबर कार्यवाही करते रहे हैं, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं कहूंगा कि यह इन्हीं प्रयासों का परिणाम है—कि बंगलादेश सरकार इस मामले पर उन लोगों के दृष्टिकोण से, जिन्हें इन सम्पत्तियों से हाथ धोना पड़ सकता है, विचार कर रही है। उन्होंने एक से अधिक बार हमें आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिसका अर्थ जब्त करना हो, सम्पत्ति वैध स्वामियों को लौटा दी जाएगी। अब, वे यह कैसे निबट करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, कौन से कानून लागू किये जाएंगे, ये सब बातें उनके देश का अंदरूनी मामला है। किन्तु हमने उस परिणाम पर जोर दिया है, जो हम चाहते हैं। वह यह है कि इस प्रकार लोगों की सम्पत्ति नहीं छीनी जानी चाहिए।

मैं उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि तीस्ता नदी के जल के संबंध में सभी बातचीतों में पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि था, यह सूचित कर देना चाहता हूं कि इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का पूरा दखल है। चाहे बंगलादेश और भारत के बीच भूमि सीमा की बात हो या कोई अन्य हमारी तरफ से राज्य सरकार हमेशा उस मामले में सम्बद्ध है।

श्रीलंका के बारे में नवीनतम स्थिति यह है कि हमारी प्रधान मंत्री के प्रयासों के फल-स्वरूप स्थापित सर्वदलीय सम्मेलन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। वहां यह बताया गया

था कि चूंकि इन मसलों के संबंध में काफी प्रगति नहीं की जा सकी थी, इसलिए राष्ट्रपति जयवर्धने संभवत: बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की बात सोच रहे हैं। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ है, किन्तु मई के प्रथम सप्ताह अथवा उसके लगभग तक बातचीत स्थगित हुई है। अत: इस बीच आगे बातचीत होगी, आगे परामर्श होगा, अनौपचारिक सुझाव आदि होंगे और हम आशा कर रहे हैं कि क्योंकि यह प्रक्रिया जारी रखी गई है इसलिए वे इस बीच कुछ हल निकालने में समर्थ हो सकेंगे, जो सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य हैं। यह मामला बहुत पेचीदा है, यह कई कारणों से पेचीदा है और इसलिए यदि वे अधिक समय लेते हैं, तो हमें इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आप इसमें लम्बा अन्तराल रखते हैं, तो विचार करना होगा कि इस बीच क्या बात हो सकती है। अत: जब हमें प्रसन्नता है कि प्रक्रिया चल रही है और निराश होकर इसे छोड़ नहीं दिया गया है, तो हमें इन्तजार करनी होगी कि अनौपचारिक बातचीत और सभी पक्षों को एक हल ढूंढने में ध्यान देने हेतु इस अन्तराल का कितना अच्छा उपयोग किया जाता है।

एक सुझाव, जो पहले भी दोनों सदनों में रखा गया था और जिसे कल दोहराया गया है, वह यह है कि श्रीलंका में हमारे उच्चायुक्त को तमिल भाषी होना चाहिए। महोदय यह मांग स्वीकार करना कठिन है क्योंकि यदि मैं अपना राजदूत नेपाल में नेपाली भाषा बोलने वाला व्यक्ति रखूं, और बंगलादेश में बंगाली भाषा बोलने वाला व्यक्ति रखूं, मुझे तो शंका है कि यह संभव नहीं हो सकता है। हमें अपने राजदूतों, उच्चायुक्तों को उनकी मातृभाषा को छोड़कर कुछ निश्चित मानदण्डों के आधार पर नियुक्त करना होता है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि ऐसा करना संभव नहीं है; किन्तु श्रीलंका में हमारे वर्तमान उच्चायुक्त के बारे में मैं सदन को एक सच्चाई के रूप में बता देना चाहता हूं कि वे श्रीलंका की जनता के हर वर्ग के लोगों में न केवल लोकप्रिय हैं बल्कि वास्तव में यदि उनकी बात मानी जाये, तो उन्हें उससे भी अधिक समय तक वहां रखना चाहेंगे, जितना कि हम भी उन्हें वहां न रखना चाहें। उन्होंने इतना अच्छा, इतना रचनात्मक कार्य किया है कि उनसे हर व्यक्ति खुश हैं और श्रीलंका के किसी भाषाई वर्ग का उनसे नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सिद्धांत रूप में हम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी देश में किसी खास मातृभाषा वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाये।

राज्यविहीन लोगों के बारे में मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जयवर्धने बार-बार वायदा किये जाने के अलावा इस मामले पर सर्वदलीय सम्मेलन में भी चर्चा हुई है और नवीनतम स्थिति यह है कि श्रीलंका में वे दल, जो इन शेष राज्यविहीन लोगों को नागरिकता देने के बारे में बहुत उत्साही नहीं थे, अब इस विचार से सहमत हो रहे हैं कि उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए ताकि वे सभी श्रीलंका के नागरिक बन सकें।

वे ऐसा करने में कुछ महत्वपूर्ण लाभ समझते हैं, उनके जो भी कारण हों, हम श्रीलंका के दलों के इस दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं।

भूटान के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है क्योंकि उनके साथ हमारे संबंध बहुत बढ़िया हैं। जैसा कि मैंने कहा है नेपाल के साथ कुछ परियोजनाओं आदि के बारे में हमारे कुछ मसले हैं। कुछ ही दिन पहले हमने करनाली परियोजना के बारे में निर्णय किया। मैं समझता हूं यह

कदम सही दिशा में उठाया गया है। इस कार्यवाही की बहुत लम्बे समय से प्रतीक्षा हो रही थी और अब यह हो रही है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें प्रगति हो रही है।

बर्मा के साथ हमारी कोई समस्यायें नहीं हैं। बर्मा के साथ केवल एक प्रश्न शेष रह जाता है जो समुद्री सीमा का प्रश्न है। हम इसे हल करने जा रहे हैं और इसमें हाल ही में प्रगति हुई है। मुझे सदन को यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि हम इस प्रश्न को थोड़े से समय में ही हल कर लेंगे। उस संबंध में निर्णय ले लिए गए हैं।

अब मैं दूसरे मुद्दे को लेता हूं, जिसमें सभा का वाद-विवाद के दौरान काफी समय लगा है, यह मुद्दा है विश्व शांति तथा निरस्त्रीकरण का। सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि मानव जाति एक ज्वालामुखी पहाड़ के ऊपर बैठी हुई है और कुछ भी घटित हो सकता है, यदि परमाणु युद्ध आरम्भ होता है, तो एक भी व्यक्ति इस परमाणु युद्ध का अन्त देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा और सम्पूर्ण बिश्व टुकड़े-टुकड़े होकर समाप्त हो जाएगा। यह अत्यन्त निराशाजनक स्थिति है। हम संसद में और संसद के बाहर विश्व भर के कई मंचों पर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि विनाश की यह स्थिति कितनी भयानक है, सामयिक विनाश भी मानवजाति को दिन-प्रतिदिन झकझोर देता है। परन्तु मैं सभा से निवेदन करूंगा कि जब एक ओर निराशाजनक स्थिति देखने को मिलती है, दूसरी ओर कुछ आशाजनक संकेत में दिखाई पड़ते हैं कि मानव जाति ने इस संबंध में अपने आपको जागृत कर लिया है। ऐसा लगता है कि लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इस विनाश से अपने आपको बचाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। लोगों में बढ़ती जागृति दिखाई देती है कि इस विनाश को होने न दिया जाए। मानव जाति की जीवित रहने की और विलुप्त न हो होने की इच्छा अपने आपको कई रूपों में प्रकट कर रही है। जैसा कि सभी जानते हैं, यूरोप तथा अन्य कई देशों में शांति आंदोलन आरम्भ हो चुके हैं। वह आंदोलन विशाल रूप ले रहे हैं यद्यपि उक्त शांति आंदोलन अभी इतने मजबूत नहीं कि वे अपनी सरकारों के निर्णयों को बदल सकें और शांति आंदोलन के बावजूद भी निर्णय लिए जा रहे हैं, तथापि उनका विरोध भी होता है। उन निर्णयों के विरुद्ध चुनौती दी जा रही हैं और ऐसा समय आयेगा। जबकि उन देशों के लोग अपने नेताओं पर, अपनी सरकार के नेताओं पर दबाव डालेंगे कि वक्त को पहचानें और अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करें।

एक और अत्यन्त आशाजनक लक्षण यह है कि अनेक देशों में सभी स्तरों पर इन मामलों पर गहन वाद-विवाद शुरू हो चुका है। वैचारिक स्तर पर यह चल रहा है। सेना विशेषज्ञों के स्तर पर यह चल रहा है। मुझे इस सम्बन्ध में अमरीका में सात वर्ष विदेश सचिव रह चुके, श्री मैकनेमरा के एक स्पष्ट लेख पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने कई अन्य लेखकों का भी उल्लेख किया जो अपने समय में युद्ध और शास्त्रास्त्रों के मामले में विशेषज्ञ थे और वह स्पष्टतया इस नतीजे पर पहुंचे कि अधिक से अधिक सेना विशेषज्ञ जटिल समस्या को दुरुह मानने लगे हैं जैसा कि "वार गेमज' नामक सुन्दर चलचित्र में दिखाया गया था। अन्ततोगत्वा सभी कम्प्यूटर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह एक ऐसा खेल है जिसका कोई अन्त नहीं है। और इसलिए इसे आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए था। अतः जब एक बार परमाणु युद्ध आरम्भ होता हो, तो

उसका कोई अन्त नहीं है। समूचे विश्व का अन्त है, इसलिये न कोई विजेता है और न कोई विजित। परमाणु युद्ध में विजय प्राप्त करना संभव नहीं है और अत: परमाणु युद्ध शुरू नहीं किया जाना चाहिए। और यह तभी संभव होगा, जब उन लोगों में लोग युद्ध आरंभ कर सकते हैं, यह राजनैतिक इच्छा हो कि वह इकट्ठा बैठें और इस बात के तरीकों पर विचार करें कि किस प्रकार युद्ध से बचा जा सकता है अथवा जनबूझ कर अथवा मानवीय गलती अथवा दुर्घटना के कारण युद्ध आरम्भ होने को रोका जा सकता है। मैं कुछ वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं, जो मैकनेमरा के एक स्पष्ट विवरण में से हैं, वह कहते हैं :—

"यह मेरी समझ से परे हैं, जैसा कि उन लोगों के लिए भी, जिन्होंने इस मामले पर भी विचार किया है कि सीमित परमाणु युद्ध सीमित रहेगा। परमाणु हथियारों के प्रयोग सम्बन्धी किसी भी निर्णय में उतने ही भयानक परिणामों की अधिक संभावना रहेगी, जितने पूर्ण परमाणु युद्ध में हैं। संक्षेप में, मुझे ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं है, जिससे यथार्थ आश्वासन मिलता है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग उत्तर अतलांतिक सन्धि संगठन की सुरक्षा के लिए लाभप्रद रूप से किया जा सकता है।" अत: यदि उनका प्रयोग न इस तरफ के तथा न उस तरफ के लाभ के लिए किया जा सकता है, तो उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। उनका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस श्रम से कोई लाभ नहीं है। मैं फिर उद्धृत करता हूं।

"मुझे विश्वास नहीं है कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों के साथ युद्ध करना चाहता है और यह भी निश्चित है कि पश्चिमी देश सोवियत संघ और उसके मित्र देशों पर हमला नहीं करेंगे। परन्तु पहले, वारसा सन्धि के देशों और 'नाटो' देशों के बीच खतरनाक विवाद पैदा हुए थे और भविष्य में भी पैदा हो सकते हैं। यदि निरोधक उपाय विफल हो जायेंगे और युद्ध होता है तो इस बात की पूरी संभावना है 'नाटो' की वर्तमान नीतियों के कारण पश्चिमी सभ्यता जिस रूप में हम उसे जानते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जायेगी।"

यह वह बात है जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन बारम्बार कहता आया है और जो हम सभी बारम्बार कह रहे हैं और परमाणु हिंसा, परमाणु युद्ध त्यागने का यही रास्ता है जिसे मानव जाति को अपनाना पड़ेगा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जहां तक जनता का संबंध है, आज समूचा विश्व इस बात पर सहमत है।

3-23 म० प०

(डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुईं)

मैंने मैकनेमरा को इसलिए उद्धृत किया क्योंकि उनका उद्धरण, स्पष्ट रूप से, हमारी बात को स्पष्ट करने में अधिक प्रभावशाली साबित होगा।

(व्यवधान)

अब मैं अपनी प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में गुट-निरपेक्ष आंदोलन द्वारा गत एक वर्ष के दौरान लिये गये कुछ निर्णयों तथा कुछ अनुवर्ती कार्यवाहियों के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। कल न्यूयार्क में हुए विचार-विमर्श का उल्लेख किया गया था। मैं कल बताई गई बात पर कुछ टिप्पणी करूंगा। यह बताया गया कि 150 से अधिक देशों में से केवल 24 या 25 देशों ने उसमें

भाग लिया था। मैं इसके सम्बन्ध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन 24 या 25 देशों के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन द्वारा आह्वान किया गया था। 150 में से 102 या 103 देश पहले ही आन्दोलन में हैं। अत: वास्तव में उन सभी 102 देशों के राज्याध्यक्षों या शासनाध्यक्षों को जो दिल्ली आये थे, दोबारा इस बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयार्क जाने का बुलावा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा। उनमें से बहुत देशों ने प्रधानमंत्री को लिखा कि वे उनके साथ हैं। वह आन्दोलन की ओर से यह बैठक बुला रही थीं इसलिये सभी देशों को भाग लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार 50 देश शेष थे। इन 50 देशों में से यह बैठक उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम के लिये थी। हमने इस प्रकार उसकी योजना बनाई, और इसे इसी प्रकार समझा गया था। यह केवल उत्तर-दक्षिण का सवाल नहीं है जैसा कि हमने कई बार किया है और भविष्य में भी करेंगे और उसके परिणाम क्या होंगे, सभी जानते हैं यह बैठक इस अर्थ में निराली थी कि इसमें उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दोनों के प्रतिनिधि थे।

अब मैं सभा को सूचित करूंगा —आस्ट्रिया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के चेयरमैन, फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड, नीदरलैंडस और स्वीडन—क्या यह समूह ओ० ई० सी० डी० देशों और विकसित विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिये काफी महत्वपूर्ण नहीं हैं? मेरे विचार में यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस नये उपाय में, विश्व की अत्यावश्यक आर्थिक समस्याओं के समाधान का पता लगाने की इस नई प्रक्रिया में और शांति की समस्याओं में सहयोग देने के लिए राजनैतिक इच्छा लेकर आये थे। पूर्व-यूरोपीय देशों में से, उनमें से 6 देश हैं, जिनमें से हंगरी, पोलैण्ड, और बुलगारिया वहां पर आये। उनमें से आधे देश आये, तो यह भी महत्वपूर्ण है, और बाकी गुट-निरपेक्ष देश थे। परंतु अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, मुद्रा स्थिति के सम्बन्ध में उनके निश्चित विचार थे और वे पूर्णतया उसे प्रस्ताव के साथ भी थे जिसकी इस शिखर सम्मेलन में आम सहयोग सहित मुद्रा और वित्त पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में रूपरेखा बनाई गई थी। अब, मुझे इस सभा को सूचित करने में प्रसन्नता है कि इन परामर्शों में न केवल सभी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया अपितु प्रधानमंत्री ने उक्त निर्णय के अनुसरण में एक समिति बनाई गई है जो इन सभी मामलों को विस्तार से देखेगी और उसका प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर अपेक्षित है। अत: शिखर सम्मेलन की समाप्ति के समय से अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है और मुझे विश्वास है कि इसके परिणामस्वरूप और आगे विचार विमर्श तथा बैठकें होंगीं। इसी उद्देश्य को लेकर न्यूयार्क में बैठक बुलाई गई थी। और मुझे विश्वास है कि यह इस मायने में सफल बैठक थी कि उसमें भाग लेने वाले सभी देशों ने सोचा कि ये विचार-विमर्श, ये अनौपचारिक विचार-विमर्श अत्यन्त लाभप्रद हैं और उन्हें किसी न किसी रूप में जारी रखा जाना चाहिए और यह एक ही बार की बैठक नहीं होनी चाहिए जिसे समाप्त होते ही भुला दिया जाता है। वहां पर भाग लेने वालों का उद्देश्य यह नहीं था। अत: न्यूयार्क में किए गए विचार विमर्श से सभी संबंधित देशों के लिए कुछ लाभप्रद परिणाम निकले हैं।

अन्य देशों में, संपत्ति के निर्माण, हमारे दूतावासों के भवनों आदि का मामला उठाया गया है। यह सच है कि हम कई देशों में बहुत अधिक किराया अदा कर रहे हैं परंतु हमने वर्ष

1979-80 से 1984-85 तक 70 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। यह कार्यक्रम अब चार वर्षों से चल रहा है और लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य की संपति खरीदी गई है या उसका निर्माण किया गया है। आज विदेश मंत्रालय विदेशों में 440 कार्यालयों और आवासों का स्वामी है जिनमें 40 चान्सरी कार्यालय और दूतावास मुख्यों के 51 आवास शामिल हैं। मैं यह जानकारी उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है देना चाहता हूं।

मेरे विचार में मैंने उन सभी बातों का उत्तर दे दिया है, जो भी उठाई गई हैं। यदि कोई ऐसी बात है, जिसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, मैं उसके लिए तैयार हूं, परन्तु मेरे विचार में मैंने सभी बातों के उत्तर देने का प्रयास किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) आपकी मध्य पूर्व यात्रा के क्या परिणाम निकले ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह उठाने के लिए आप यहां नहीं थे। परन्तु मैं आप को बताऊंगा कि क्या परिणाम निकले ?

मध्य पूर्व का मामला प्रत्येक देश के लिये चिंता का विषय है। कुछ सदस्यों ने इसे उठाया है। और इसकी नवीनतम स्थिति यह है कि लेबनान में समझौते के प्रयास आरम्भ किये गये हैं। हमें इस पर खुशी है। परन्तु स्थिति इतनी खतरनाक है और इतनी अनिश्चित है कि इसके परिणामों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम उनकी मंगल कामना करते हैं। यह बातचीत स्विटजरलैंड के ल्युसांक में चल रही है और हम आशा करते हैं वे इसका कोई निश्चित समाधान ढूंढ़ निकालेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : स्विटजरलैंड को वर्ता का स्थान बनने की अनुमति देने के बजाय आप स्वयं क्यों उनसे बात नहीं करते ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उन्होंने समझौते का कोई उपाय ढूंढ़ निकाला है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : लेबनान के मामले को मुख्य प्रश्न पर 'कमोबेश' लाद दिया गया है, जो फिलिस्तीनी प्रश्न से संबंधित हैं। जैसा कि सभा को जानकारी है फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन में कुछ आन्तरिक मतभेद थे। प्रधान मन्त्री ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा नियुक्त आठ देशों की समिति की एक बैठक बुलाई थी। आठ देशों में से चार देशों को उप-समिति के रूप में चुना गया और उसे दमशकश और अरब देशों की कुछ अन्य राजधानियों में जाने को कहा गया था। हम वहां गये और पी०एल०ओ० के गुटों से बात की और जैसा कि मैं पहले ही संसद को बता चुका हूं कि हमारे प्रयास इस दृष्टि से सफल साबित हुये कि वे युद्ध विराम के लिये सहमत हो गये और बाद की घटनाएं फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की एकता के लिये अच्छी रही हैं यद्यपि उनमें गुटबन्दी जारी है। फिलिस्तीनी लोगों की मुख्य समस्या अभी तक बीच में अटकी हुई है, क्योंकि इजराइल के लोग अपनी साम्राज्यवादी नीति जारी रख रहे हैं। बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान निकालने के उद्देश्य से अरब देशों को इकट्ठा करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अतः हम किसी भी समाधान से बहुत दूर हैं। परन्तु फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन

के बीच एकता बनाये रखने में हमें सफलता मिली है । परन्तु हमें अभी और आगे बढ़ना है ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या आप यह नहीं सोचते हैं कि दूसरे पक्ष अर्थात् इजराइल से बातचीत किये बिना, आज कोई समाधान नहीं प्राप्त कर सकते । आप उनसे बात करने से क्यों घबराते हैं ?

श्री जी० एम० बनानवाला : उनसे बात करने के बजाय, अच्छा हो कि उनका बम्बई स्थित वाणिज्य दूतावास कार्यालय बन्द कर दिया जाये । वे बात करने लायक नही है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ये दोनों इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है । मुद्दा यह है कि कोई भी संबंधित पार्टियों के पीठ पीछे हल ढूंढने की बात नहीं करता । मैं नहीं सोचता कि ऐसी कोई बात है । लेकिन इजरायल से हमारे राजनीतिक संबंध नहीं है और इजरायल ने अपना आक्रमण जारी रखा है । आक्रमण करने वाले से आप किस प्रकार बात कर सकते हैं जबकि आक्रमण जारी है ? मुद्दा यह है । यदि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी आक्रमण समाप्त कराने में सहायता कर सकते हैं... (**व्यवधान**) ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप पाकिस्तान में बातचीत कर सकते हैं । जोकि आक्रमण हैं, आप चीन से बातचीत कर सकते हैं जोकि आक्रमण है लेकिन आप उस देश के साथ बातचीत नहीं कर सकते जिसने हमारे देश पर आक्रमण नहीं किया है । मुझे हैरानी है । मैं फिलिस्तीनियों की समस्या का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन आपका दृष्टिकोण एक आडंबरी दृष्टिकोण है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरी इजरायल से बातचीत करने से समस्या हल नहीं हो जाएगी । उनके एक दूसरे से बातचीत करने से समस्या हल हो सकती है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इजराइल से बातचीत करने की बजाए, आपको अमरीका से बातचीत करनी चाहिए, जोकि उनका स्वामी है क्योंकि अन्यथा इजरायल से बातचीत करने से कोई हल नहीं निकल सकता ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उस स्थिति में पी० एल० ओ० से बातचीत न की जाए, सोवियत संघ से बात की जाए क्योंकि वह पी० एल० ओ० का स्वामी है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपकी सलाह के लिए आपका धन्यवाद । मुझे विश्वास है कि हम इसे इस सभा में हल करने नहीं जा रहे हैं ।

महोदय, मैं सदस्यों का उनके योगदान के लिए धन्यवाद करता हूं, मुझे आशा हैं कि मैंने सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने बांगला देश में शत्रु सम्पति के बारे में एक मुद्दा उठाया था ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने उसका उत्तर दे दिया है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दूसरा मुद्दा मैंने गंगाजल के बारे में उठाया था ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : दोनों मुद्दों का उत्तर दे दिया गया केवल आप उपस्थित नहीं थे ।

श्री सुबोध सेन (जलपाईगुड़ी) : क्या तीस्ता जल के बटवारे के संबंध में तदर्थ समझौते के समय पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श किया गया था ? क्या उसने अपनी सहमति व्यक्त की थी ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : उसका भी उत्तर दिया जा चुका है।

सभापति महोदय इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है आप दिए गए उत्तर को देखें।

अब, मैं विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के लिए सभी कटौती प्रस्ताव, जब तक कि कोई सदस्य यह नहीं चाहता कि उनका कोई कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाए; मतदान के लिए रखती हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32 के सामने कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गए, मांग, शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से आवश्यक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोकसभा द्वारा स्वीकृत विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांग, 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
	विदेश मंत्रालय	राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
32	विदेश मंत्रालय	3398,39,000	10,38,17,000	169,91,92,000	51,90 83,000

3.38 म० प०

रक्षा मन्त्रालय

सभापति महोदय : सदन में अब रक्षा मन्त्रालय से संबंधित मांग संख्या 18 से 23 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा जिसके लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्यगण, जिनके अनुदानों की मांगों के लिए कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती पस्ताव रखना चाहते हैं तो 15 मिन्ट के अन्दर पटल पर अपनी पर्ची भिजवा दे और उनसे वह कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या का हवाला दे जिसे वह रखना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को ही प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

रखे गए माने जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी सूची में किसी सदस्य को कोई गलती का पता चलता है तो कृप्या उसे देरी किए बिना पटल पद अधिकारी के ध्यान में लाया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रक्षा मंत्रालल से संबंधित मांग संख्या 18 से 23 के सामने कार्य सूची के स्तम्भ 2 दर्शाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक लेखानुदान राशियां सविल निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें

माँग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गयी अनुदानों की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
रक्षा मंत्रालय		रु०	रु०	रु०	रु०
18.	रक्षा मंत्रालय	69,14,31,000	26,18,50,000	345,71,52,000	130,92,49,000
19.	रक्षा सेवायें-थल सेना	648,68,25,000	—	3243,41,22,000	—
20.	रक्षा सेवायें-नौसेना	83,94,82,000	—	419,74,08,000	—
21.	रक्षा सेवायें-वायुसेना	237,80,84,000	—	1189,04,17,000	—
22.	रक्षा सेवायें-पेंशनें	93,97,33,000	—	469,86,67,000	—
23.	रक्षा सेवाओं का पूंजी परिव्यय	—	119,92.83,000	—	599,64,17,000

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, रक्षा बजट के लिए निर्धारित इन 8 घंटों में, यह संसद लगभग 7000 करोड़ रुपए की राशि के लिए मतदान करेगी। अनुदानों को पारित करने से पहले यह उपयुक्त प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्तव में इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है? क्या संसद सदस्यों को बजट में अथवा अन्यथा इसकी सूचनी दी जाती है?

महोदय, रक्षा मंत्रालय जो एक नीति अक्सर अपनाता है, वह यह कि अन्य मामलों में किसी भी प्रकार की असंगतियां क्यों न हों, वह संसद को देश की सुरक्षा के बारे में सभी प्रकार प्रकार की सूचना से वंचित रखता है। इसलिए, जो कुछ भी हम इस वाद-विवाद में कहते है क्या रक्षा मंत्रालय में जो कुछ हमें बताता है, उसपर आधारित नहीं होता, लेकिन जो कुछ हमें दैनिक समाचार-पत्रों से, पत्रिकाओं से पता लगता है, और उनके द्वारा उठाए जाने वाले विवादों के बावजूद भी, सरकार, हजारों करोड़ों रुपए मूल्य के हथियारों की खरीद से संबंधित प्रत्येक विवाद के बारे में अक्सर चुप्पी साधे रही है। जगुआर की खरीद, मिराज की खरीद और पनडुब्बी की खरीद यह कुल मिलाकर, यदि अधिक नहीं तो यह 4000 से 5000 करोड़ रुपए से कम धनराशि नहीं बैठेगी, क्योंकि मैंने अलग अलग समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से अलग अलग आंकड़े देखे हैं और उनके संबंध में विवाद उठाये जाते हैं। एक पत्रिका में तो यहां तक छपा है कि, 'क्या श्री वेंकटरामन झूठ बोल रहे हैं?' जहां तक रक्षा का सम्बन्ध है उनकी जानकारी का केवल मात्र स्रोत समाचार पत्र हैं और न कि रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कि सभी प्रकार की गलत सूचना है और मानक सूचना दी गई होती है। मैं समझता हूं कि मैं अभी आपके सामने सिद्ध कर सकता हूं। इसलिए, रक्षा संबंधी बाद-विवाद, सदस्यों के लिए बिना सूचना की एक ऐसी विधि बन गई है, जिसमें किसी पुकार के वाद-विवाद में 7 अथवा 8 घंटे गुजारने के बाद, इस धन को स्वीकृति दे दी जाए जिसमें कि रक्षा प्रयास, वे जो भी हैं, जारी रहेंगे। किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की नीति नहीं अपनाई जाती। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा कर रहे हैं। क्या हम अन्य लोकतंत्र देशों के उदाहरणों में से एक विधि को नहीं अपना सकते? पश्चिमी देशों द्वारा जो कि आदर्श हैं, क्या किया जा रहा है? हमें वैस्टमिनस्टर प्रणाली के आदर्श के अनुयायी कहा जाता है। वे प्रत्येक नई खरीद और प्रत्येक नए परिवर्तन किये जाने पर श्वेत पत्र जारी करते हैं। फ्रांस और अन्य देशों में भी ऐसा ही किया जाता है। लेकिन यहां, यहां तक कि कई विवाद उठाए गए है। तो भी क्या सरकार ने सुरक्षा के संबंध में एक भी श्वेत पत्र जारी किया है? कोई भी नहीं। इस प्रकार हम कोई भी नीति नहीं अपनाते हैं। एक विस्तार नीति यह है, जैसाकि मैंने कहा है। कि संसद सदस्यों को पर्याप्त सूचना देने से वंचित करना और उनको हर प्रकार से गल्त तथा भ्रामक सूचना देना। लेकिन जहां तक उन लोगों की बात है जिनको सूचना की आवश्यकता है, उनके लिए यह अप्रासांगिक बात है, कि वह उन्हें सूचना देते हैं अथवा नहीं दें। बाद में मैं अपने भाषण में यह बताऊगा कि उन्हें न केवल इसका पता ही रहता है बल्कि यहां तक कि वे रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नीति के बारे में भी निर्देश दे सकते हैं। लारकिन्स जैसे व्यक्तियों की कमी नहीं है, जो यदि उन्हें सूचना की आवश्यकता होगी, वह सूचना प्राप्त करेंगे और अन्य व्यक्तियों को पहुंचा देंगे। लेकिन रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री द्वारा यह सूचना केवल संसद को नहीं दी जा सकती।

महोदय, दिल्ली में बेस कार्यशाला में उत्पादन और मरम्मत सुविधाओं का उपयोग न किये जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, मैंने माननीय मंत्री से फैक्टरी में दौरा करने की अनुमति मांगी। लेकिन उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी, और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा आधार है और मैं इसे सदन में रखूंगा कि मैंने किस आधार पर बेरू कार्यशाला का दौरा करने की अनुमति मांगी थी। हमारे आज के एम. बी. टी. विजयन्त टैंक के लिए 100 से अधिक इंजिनों का आयात किया गया है क्योंकि उन बेस कार्यशाला में उनकी मरम्मत नहीं की गई है, जबकि इसमें मरम्मत सुविधाएं उपलब्ध हैं। सूचना के आधार पर, जिसे मैंने माननीय मंत्री से स्पष्ट कर दिया था, मैंने वहां जाने के लिए अनुमति मांगी थी जिससे मैं वहां उपलब्ध सुविधाओं को स्वयं दे सकूं। लेकिन एक ससंद सदस्य को इसकी अनुमति नहीं दी गई। यह हमारी आज की स्थिति है। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार की स्थिति जारी रही तब यह रक्षा संबंधी वाद-विवाद, जो कि पहले ही बहुत ही नीरस और कर्मकांडीय बन गई है, पूरी तरह अनुपयोगी बन जायेगा। इससे तो यह बेहतर है कि इसे अन्य बहुत से ऐसे मंत्रालयों के साथ रख दिया जाए जिनकी अनुदानों की मांगों पर कभी भी वाद-विवाद नहीं होता बल्कि उनका 'गुलेटिन' होता है और उनको पारित कर दिया जाता है। निस्संदेह मैं एक बात स्वीकार करूंगा—हम देखते हैं कि सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमारी बात नहीं सुनी जाती। जो भी रचनात्मक सुझाव हम देते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। उन सुझावों पर न तो कोई ध्यान देता है, न ही कोई सुनता है और न ही उनका उत्तर दिया जाता है। इस बात का पता लगाने के लिए कि कितने आरोपों का उत्तर दिया गया है और यह देखने के लिए कि मंत्री ने क्या उत्तर दिया था मैंने पिछले वर्ष की पूरे वाद-विवाद को पढ़ा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि समय की कमी है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों का भी उत्तर नहीं दिया गया था। ऐसा ही एक सुझाव श्री उन्नीकृष्णन का स्थायी समिति बनाने के बारे में था, जो रक्षा मंत्रालय के कार्यों की जांच कर सके। आपको पहले ही मालूम है। संसद के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण करना असंभव और अनियंत्रणीय होने पर, ब्रिटिश संसद ने नियमों में परिवर्तन किये हैं और प्रत्येक मंत्रालय एक सम्बद्ध प्रवर समिति बनाई हैं और इससे रक्षा मंत्रालय को भी छूट नहीं दी गई है। रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध एक प्रवर समिति है जो कि रक्षा मंत्री को छोड़ कर किसी को भी साक्ष्य देने के लिए बुला सकती है। यदि ऐसा हो जाता है, तो ऐसे बहुत से सौदों के प्रश्न जिनमें सन्देह पैदा होता है कि कोई इसमें कमीशन ले रहा है, तो इस प्रकार की बातें नहीं उठेंगी यदि फिर भी कोई बात उठती है तो संसदीय समिति इसकी जांच कर सकती है और सन्देह दूर कर सकती है। इससे मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात की सच्चाई, की पुष्टि आज के समाचार पत्र से पुष्ट होती है जिसमें इस आरोप को बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है, कि नाइजेरिया का तख्ता किस कारण से पल्टा गया। ऐसा पिछले शासनाध्यक्ष द्वारा कमीशन में बहुत बड़ी धनराशि लेने के कारण हुआ था। यदि इस प्रकार के सौदे ही और उन पर इस प्रकार उठें और किसी प्रकार की संसदीय जांच के द्वारा यदि उनका निराकरण न किया जाये वो सशस्त्र सेनाओं के मनोबल पर इस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जांच करने के लिए संसद सदस्यों की तुलना में किसे बेहतर माना जा सकता है ? मेरी यह मांग है कि मंत्री महोदय को रक्षा मंत्रालय संबंधी एक संसदीय स्थायी समिति बनानी चाहिए। यह न केवल व्यय और रक्षा मंत्रालय की अन्य गतिविधियों की जांच

करने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इस प्रकार के विवाद को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक है जो कि देश के मनोबल और सशस्त्र सेनाओं के लिए बहुत बुरी बात हैं ।

रक्षा मंत्रालय की अनुदानों पर किसी चर्चा को हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति के साथ शुरू करना चाहिए । हम ऐसी स्थिति में हैं जहां पर संयुक्त राज्य अमरीका के मनसूबे हमें सभी तीनों स्तरों अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा उप महाद्वीपीय स्तर प्रभावित कर रहे हैं । उन्होंने स्वयं दिएगो गार्सिया में अड्डा बनाया है जिसे वे दिन प्रति दिन मजबूत बनाते जा रहे हैं । उन्होंने नौसैनिक अड्डा बनाया हैं, वायुसैनिक अड्डा बनाया है और अब वहां तीव्र प्रसार बल तैनात किया गया है । उन्होंने सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वयं को शांति के स्थापक होने का दावा किया है । वे दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों को शस्त्र दे रहे हैं । उन्होंने अपने आप तनाव पैदा किया है । उन्होंने हमारे पड़ौसी पाकिस्तान तथा पूरे पश्चिम एशिया में शस्त्र सप्लाई करके तनाव पैदा किया है । पकिस्तान को आयुध सामग्री देकर उन्होंने अपने आपको पूरे पश्चिम एशियां में शांति स्थापक की भूमिका निभाने वाला बना लिया है । जहाँ तक बाहरी खतरे की बात है पाकिस्तान ने स्वयं इन शस्त्रों और एफ-16 विमानों, टैंकों आदि को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में गुणात्मक अंतर पैदा कर लिया है । परन्तु हमें यह भी देखना है कि देश के भीतर की स्थिति क्या है । क्या देश एकजुट है ? क्या देश संसक्तिशील हैं ? क्या युद्ध शुरू होने की स्थिति में देश एकजुट हो सकता है ? इसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है । आन्तरिक सुरक्षा के बारे में सरकार का नजरिया क्या है ? क्या सरकार अपने दृष्टिकोण के साथ सभी को साथ लेकर चल सकती है ? क्या सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर सकती हैं ? न तो ऐसी स्थिति ही पैदा की जा सकी है बल्कि यह कह कर कि युद्ध होगा और "1984 के समाप्त होने से पूर्व पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा", दल द्वारा दिए जा रहे अनुतरदायित्वपूर्ण वक्तव्यों से आन्तरिक और बाहरी—दोनों प्रकार की सुरक्षा सम्बन्धी धारणाओं को जटिल बना दिया गया है । इतने उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों द्वारा इस प्रकार के अनुत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य क्यों दिए जा रहे हैं ? यह असम्भव है कि एक 70 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में नेता लोग इस प्रकार के अनुत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य देते हैं । परन्तु ऐसा किया गया हैं । और बहुत से लोगों के दिमागों में उलझन पैदा की गई हैं । वास्तव में मैं यह कहूंगा कि गत वर्ष रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि "हम अपना परमाणु पनडुब्बियों का विकल्प खुला रखे हुए हैं" । इससे भी काफी भ्रम पैदा हुआ । आपके पास परमाणु शक्तियों के सहयोग के बिना पनडुब्बियां बनाने की भी क्षमता नहीं है तथा फिर भी आप इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं चाहें भले ही वे यहाँ कुछ माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए की जाती हो । मुझें नहीं पता उन्होंने यह घोषणा किस लिए की । परन्तु इस प्रकार की घोषणाएं जिनका, कोई आधार नहीं होता, काफी भ्रम पैदा करती हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी होती है । मैं इस बात पर बल दे रहा हूं क्योंकि इस बारे में कोई योजना बद्ध प्रयास नहीं किया गया है । आन्तरिक और बाहरी, दोनों प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सरकार में कहीं भी कोई संस्थागत प्रयास नहीं किया गया है । पहले मन्त्रिमडंल की एक रक्षा समिति हुआ करती थी । परन्तु, मुझे बताया गया है कि उस समिति का कार्य अब राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ले लिया है । इस समिति को बहुत सी बातों पर विचार करना होता है । इसे न केवल सुरक्षा आकलन और रक्षा योजना पर

बल्कि और भी बहुत सी बातों पर विचार करना पड़ता है। फिर भी, 4 या 5 मंत्री, जिन्हें कोई विशेष जानकारी नहीं है और स्थिति को गहराई से समझने के लिए जिनके पास समय नहीं है, एक साथ बैठकर क्या कर सकते हैं जब तक कि उन्हें कोई संस्थागत सहायता प्राप्त नहीं होती ? इस प्रकार कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। देश की भीतरी और बाहरी स्थिति का आकलन करने तथा खतरे से निपटने के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से गुणात्मक और मात्रात्मक आकलन करने के लिए कोई संस्थागत प्रणाली नहीं है। इस प्रकार की कोई संस्था बनाई जानी चाहिए जिसका एक मात्र उद्देश्य यही आकलन करना होगा। नहीं तो, कोई भी अनुकूल और सुसंगत योजना नहीं बनाई जाएगी और आप तदर्थात्मकता का शिकार बन जाएंगे। गत लगभग 25 वर्षों से हम यही कर रहे हैं। वर्ष 1964 के बाद से हमारी कुछ रक्षा योजना रही है। परन्तु यह पंचवर्षीय आधार पर रही है। जैसा कि रक्षा मंत्रालय के गत वर्ष के प्रतिवेदन में बताया गया है, नवीनतम रक्षा योजना 1980-85 की अवधि के लिए 1982 में अन्तिम रूप दिया गया था। जिस योजना को 1982 में अन्तिम रूप दिया गया हो, वह 1980 से कैसे लागू की जा सकती है ? इसका अर्थ है कि आप 1980 से लेकर अब तक जो कुछ करते रहे हैं उसे एक योजना तैयार करके और उनमें उन बातों को शामिल करके नियंत्रित कर दिया गया है। योजना केवल एक दिखावा है, धोखा है और एक झूठा विश्वास है, इससे अधिक कुछ नहीं। यह कोई योजना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि योजना तो काफी समय पहले तैयार करनी पड़ती है। एक अनवरत योजना और एक सापेक्ष योजना होनी चाहिए।

इस वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में बिना कोई ब्यौरा दिए कहा गया है कि सापेक्ष योजना कक्ष भी शुरू कर दिया गया है। सभी घोषणाओं में सभी पांडित्य पूर्ण लेखों में रक्षा तैयारी, हथियारों की खरीद तथा अनुसंधान और विकास आदि के बारे में हम सदा विशेषज्ञों को यह कहते हुए पाते हैं कि देश की रक्षा तैयारी के लिए 15 से 20 वर्ष की अवधि वाली अनवरत सापेक्ष योजना की आवश्यकता है। कहां है वह योजना ? कहां है उस योजना को बनाने वाली संस्था ? केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आपने सापेक्ष योजना शुरू कर दी है जब तक कि आप यह नहीं बताते कि उस योजना को बनाने वाली सस्था कौन-सी है। इस कार्य के लिए आपके पास संस्था नहीं है।

रक्षा मंत्रालय में असैनिक कर्मचारी भी हैं, ठीक है, असैनिक कर्मचारी होने भी चाहिए। परन्तु असैनिक कर्मचारियों को सैन्य मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि उन्हें आवश्यक जानकारी नहीं है तो वे आजकल के बेहद जटिल और उन्नत तकनीक से लड़े जाने वाले युद्ध के जमाने में कोई प्रभावपूर्ण योगदान नहीं कर सकते। उनकी उपस्थिति एक रबड़ की मोहर की भांति है; या तो वे मोहर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। कभी कोई असैनिक कर्मचारी एक ऐसी योजना को मनमाने ढंग से अस्वीकृत कर सकता है जिसकी देश की रक्षा के लिए वास्तव में आवश्यकता होती है और वह किसी ऐसी योजना की स्वीकृति दे सकता है जिसकी वास्तव में देश की रक्षा के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। जिन लोगों से इन योजनाओं को परखने और उन्हें स्वीकृति प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, वे सैन्य-मामलों से अनभिज्ञ होते हैं। क्या रक्षा मंत्रालयों में कार्यरत असैनिक कर्मचारियों का सैन्य-मामलों सम्बन्धी ज्ञान बढ़ाने, उन्हें आज की उन्नत प्रोद्योगिकी की जानकारी देने का कोई प्रयास किया गया है ? इसका उत्तर स्पष्टतः नहीं में है।

इसका कारण यह है कि सरकार ऐसी विशेषज्ञता प्राप्त करने की किसी सुसंगत नीति का अनुसरण नहीं करती । इसने तो एक सचिव या संयुक्त सचिव या उप-सचिव या अवर सचिव को, एक मधुमक्खी की तरह जो कि हर प्रकार के फूलों से शहद एकत्र करती है, तीन वर्ष के लिए यहाँ और तीन वर्ष के लिए वहां रखने की उपनिवेशवादी नीति का अनुसरण किया है । इस प्रकार की नीति से अब काम नहीं चलेगा । माननीय मंत्री सभी बातें नहीं समझते हैं और संभवत: समझ भी नहीं सकते हैं । मैं उन्हें दोष नहीं देता । आजकल के अति तकनीकी युद्धों को कोई नहीं समझ सकता है । कोई भी अकेला व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता है । परन्तु मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आपको स्वयं रक्षा मंत्रालय में असैनिक कर्मचारियों का भी इस बारे में ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ।

4.00 म० प०

अन्तत: केवल एक सैनिक अधिकारी ही यह बता पायेगा कि कोई हथियार युद्ध क्षेत्र में प्रभावी है या नहीं । रक्षा मंत्रालय में इस प्रकार के बहुत से सैनिक अधिकारी होने चाहियें, जो इन असैनिक विशेषज्ञों के साथ एक ग्रुप बनाए, जो किसी प्रस्ताव विशेष के लाभ-हानि के बारे में उचित रूप से खुली चर्चा कर सके । इस समय रक्षा मंत्रालय में ऐसा कोई संगठन नहीं है । रक्षा मंत्रालय में इस प्रकार का संगठन होना बहुत आवश्यक है । यह भी आवश्यक है कि इस बात का उचित अकालन करने के बाद हमसे शत्रुता रखने वाले देशों में क्या हो रहा है और अगले 10 या 15 वर्षों में क्या होने जा रहा है, योजना को लागू किया जाए । हमारा इस बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमारे देश के साथ कौन-कौन से देश विद्वेष रखते हैं तथा कौन-कौन से देशों से हमारे देश की सुरक्षा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खतरा है । यदि योजना में इस प्रकार के दृष्टिकोण या आकलन या नियोजन की कमी है तो हम तदर्थात्मकता के शिकार होंगे । हमारे पास रक्षा नियोजन के लिए कोई कक्ष या विभाग हो सकता है । परन्तु इस प्रकार के आकलन और विशेषज्ञता के बिना रक्षा के लिए उचित और प्रभावपूर्ण योजना तैयार नहीं की जा सकती है ।

मुझे नहीं पता कि हमारे देश की योजनाओं में प्रारम्भ से ही 'रक्षा' को उतना महत्व क्यों नहीं दिया गया जितना कि इसे मिलना चाहिए था । यहां तक कि भारत में विकास नियोजन की शुरूआत 1950 या 1951 में हो गई थी जबकि रक्षा नियोजन 1964 में शुरू हुआ है । दुर्भाग्यवश, रक्षा को हमने विकास नियोजन की परिधि से बिल्कुल अलग कर दिया । हो सकता है कि रक्षा सम्बन्धी गुप्त जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया हो या देश की रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की जानकारी न होने के कारण ऐसा किया गया हो । परन्तु विगत में जो कुछ हुआ है, उसे देखते हुए अब दोनों को बिल्कुल अलग-अलग रखना संभव नहीं है । ऐसे कई पहलू हैं, जिनमें रक्षा विकास और नागरिक विकास एक साथ होना चाहिए और उन्हें एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए । इसलिए यह आवश्यक है कि रक्षा मंत्रालय को रक्षा के लिए एक सुस्पष्ट निवेश योजना तैयार करनी चाहिए । रक्षा मंत्रालय को योजना आयोग के साथ समन्वय करके कार्य करना चाहिए और इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक ही योजना दोनों जगह न दोहराई जाए तथा रक्षा योजना वास्तविक रूप में तैयार हो

ताकि रक्षा मन्त्री को सदन में आकर यह न कहना पड़े कि मेरे वैज्ञानिकों ने इंजन तैयार किया है परन्तु उस इंजन को बनाने के लिए बुनियादी औद्योगिक ढांचा नहीं है ।

हमारी एम० बी० टी० परियोजना काफी विवादग्रस्त रही है । कल के समाचार-पत्र में मैंने पढ़ा है कि हम न तो इंजन बनायेंगे और न गियर-बाक्स बनाएंगे । यद्यपि हमने परियोजना 1972 में शुरू की थी, परन्तु अब भी हम सभी चीजें आयात करते हैं । इस वर्ष हमें बताया गया है कि देश में इंजन, गियर-बाक्स और सस्पैन्शन आदि जैसी सभी चीजें अब भी आयात की जा रही हैं । इस दर पर हम क्या पैदा करेंगे ? क्या हम देश में बख्तर (आर्मर) तैयार कर सकते हैं ? हमें आशा करनी चाहिए कि हम कम से कम यह तो बना ही सकते हैं । हमें आशा करनी चाहिए कि हम अपने देश में टैंकों के लिए बख्तर (आर्मर) और 'ट्रैक्स' बना सकेंगे । यह मुद्दा संसद में पहले भी उठा था । गत वर्ष हमारे माननीय रक्षा मन्त्री ने कहा था "यह मत सोचिए कि एम० बी० टी० जैसी कोई चीज 7 वर्षों के समय में विकसित की जा सकती है । केवल इस बात के लिए हमें दोष मत दीजिए कि हम इसे सात वर्षों में विकसित नहीं कर सके, क्योंकि अन्य देशों ने इसके विकास में इससे भी काफी अधिक समय लिया है ।" और उन्होंने जर्मनी और अमरीका के उदाहरण दिए । मैंने इस वक्तव्य की जांच की है । मेरे पास यहां इंटरनेशनल डिफेंस रिव्यू के कुछ सम्बन्धित पृष्ठ हैं, जिनमें जर्मनी के लियोपार्ड टैंक, ब्रिटेन के चीफ टेन टैंक और अमरीका के एक्स०एम०टैंक का विकास सम्बन्धी ब्यौरा दिया हुआ है । रक्षा संबंधी विशिष्ट विवरण दिए जाने के बाद इनको विकसित करने में चार वर्षों से अधिक का समय नहीं लगा । अतः पिछले वर्ष के बजट भाषण में रक्षा मन्त्री द्वारा संसद को जो कुछ बताया गया वह सत्य नहीं है । यह पूर्णतः असत्य है । कृपया इसकी जांच करें । जहां तक इस टैंक का सम्बन्ध है, मैं इस पर बाद में अपने विचार व्यक्त करूंगा । अब हम योजना की बात करते हैं ।

हम किस प्रकार की योजना बना रहे हैं ? मुझे यह बताया गया है कि रक्षा मन्त्री की एक समिति है, जिसकी प्रतिदिन प्रातःकाल बैठक होती है लेकिन यह बैठक बिना किसी कार्यसूची के ही होती है । इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया जाता है । चूंकि इसकी बैठक बिना किसी कार्यसूची के होती है इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, यह एक प्रकार का अनौपचारिक विचार-विमर्श होता है ।

इसके अतिरिक्त, यहाँ पर संस्थागत व्यवस्था क्या है ? सेना के स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हैं । सेनाओं के अध्यक्षों ने अपनी योजनाएं बनाई हैं । नौ सेना ने बड़ी योजनाएं बनाई हैं । वायु सेना द्वारा बड़ी योजनाएं तैयार की गई हैं और नौ सेना के हथियारों, गोला-बारूदों, कार्मिक, तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि के लिए इससे भी बड़ी योजनाएं बनाई हैं । सेनाओं के अध्यक्ष इस बात का पता लगाने के लिए बैठक करते हैं कि बजट का कितना अधिक हिस्सा उनको प्राप्त हो सकता है । हथियारों का समेकन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । हथियारों के मानकीकरण के प्रयोजन हेतु कोई संस्था नहीं है । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कोई यह कहता हो 'ठीक' है ये नौ सेना के हथियार हैं। इसलिए नौ सेना के पास इस प्रकार के हथियार होंगे। मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, साधारणता को सुनिश्चित करने के लिए, हथियार व्यवस्था के समेकन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हथियारों के मामले में एक संयुक्त योजना, एक संयुक्त मूल्यांकन करना होगा । वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है । मैंने अभी जो बताया है उसको केवल स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की एक व्यवस्था द्वारा ही किया जा सकता है । यह जानकारी मैंने स्वयं ही प्राप्त की है । ये

गोपनीय बातें हैं, जिनको हममें से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते । जहां तक हो सका है मैंने उनको समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं से एकत्रित किया है । अत: ये समितियां एक अव्यवस्थित रूप में कार्य कर रही हैं, वे उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य कर रही, हैं वे एक-दूसरे की पूरक नहीं हैं, वे शत्रु के आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए एक स्थिर अनुरूप रक्षा योजना का विस्तार नहीं कर रही हैं ।

मैं इस समय एक अन्य बात पर भी जोर देना चाहता हूं—क्योंकि बाद में अवसर नहीं मिलेगा—वह यह है । हम एक प्रकार की नीति जिसे केवल 'प्रतिक्रिया नीति' कहा जा सकता है, का अनुसरण करते रहे हैं, अर्थात् हमारे निकट पड़ौसी अर्थात पाकिस्तान में जो कुछ होता है हम उस पर प्रतिक्रिया नीति का अनुसरण करते रहे हैं। पिछले वर्ष रक्षा मंत्री के भाषण में यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने एफ-16 प्राप्त कर लिया है और हम मिग्राज प्राप्त कर रहे हैं और वह एफ-16 का मुकाबला करेगा । क्या हम अपनी रक्षा की योजना इस प्रकार तैयार कर रहे हैं कि यदि पाकिस्तान यह प्राप्त करता है तो हम वह हथियार प्राप्त करेंगे और यदि पाकिस्तान वह हथियार प्राप्त करता है तो हम यह हथियार प्राप्त करेंगे, आदि ? क्या इसी प्रकार योजना तैयार की जाती है ? आपकी कोई योजना नहीं है । आप केवल प्रतिक्रिया करते हैं । और अब तक यही किया जाता रहा है । हमें न केवल इसे रोकना है वल्कि रक्षा योजना के क्षेत्र अथवा विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत असैनिक योजना के उस भाग को भी सम्मिलित करना है जो प्रभावी रक्षा तैयारी के लिए बहुत ही आवश्यक है । इस प्रकार के अनेक उद्योग हैं जो प्रभावी रक्षा तैयारी के लिए, हथियारों को बनाने के लिए, इलैक्ट्रोनिक युद्ध तथा इस प्रकार की सभी वस्तुएं जो आज किसी भी युद्ध में प्रमुख खतरा बन गई हैं, के तैयार करने के लिए अपेक्षित हैं ।

4.10 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

आज इस बात की बहुत ही आवश्यकता है कि सरकार यह समझे कि इस प्रकार की योजना आवश्यक है । मूल रूप से इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे लोगों का मनोबल इस प्रकार का हो कि हम यह जान सकें कि यहां पर न केवल सैन्य बल ही है बल्कि इसका समर्थन करने के लिए एक औद्योगिक ढांचा भी मौजूद है और देश के लोग उनके पीछे हैं और वे शत्रु का किसी भी कीमत पर मुकाबला करेंगे । आप असैनिक सुरक्षा सिविलियन डिफेंस के लिए क्या कर रहे हैं ? मेरे विचार से सरकार को यह भी जानकारी प्राप्त नहीं है कि कुछ कार्य किया जाना है लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अपनी गोपनीय बातों को बताने की इच्छुक हैं···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें कुछ भी पता नहीं है ।

श्री अमल दत्त : मुझे आशा है कि वे कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल कामना ही करता हूं ।

मुझे यह जानकारी प्राप्त है कि जनरल स्पैरो ने प्रादेशिक सेना के बारे में एक प्रतिवेदन दिया है और उसको पिछले वर्ष तक तो क्रियान्वित नहीं किया गया था । अत: कम से कम इस प्रकार के कार्य को प्रारम्भ किया जाना चाहिए और फिर इसका विस्तार किया जा सकता है ।

जहां तक हथियारों को प्राप्त करने की नीतियों का सम्बन्ध है वर्ष 1965 से पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से लेकर जब अमरीका ने यह कहा था कि वे भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगे, आधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए हमारा एक ही स्रोत था अर्थात् सोवियत संघ ।

और उन्होंने हमें इन बहुत से हथियारों का देश में उत्पादन करने में मदद की है । हमने मिग 21 का उत्पादन किया है । इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता लेकिन हमने अन्य अनेक वस्तुओं सहित प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन किया है। लेकिन अब हमने पिछले कुछ वर्षों से तथाकथित—स्रोतों की पूर्ति की विभिन्नता का मार्ग अपनाना प्रारम्भ कर दिया है । पूर्ति के स्रोतों की यह विभिन्नता किसके हित में है ? मैं नहीं जानता । लेकिन यह बात स्पष्ट है कि उन देशों से जो अपने हथियारों को बेचने के लिए काफी मात्रा में कमीशन देने को तैयार हैं, हथियार प्राप्त करने में बड़े पैमाने पर धनराशि का भुगतान अन्तर्ग्रस्त है । और इन सभी से विवाद उठ खड़े हुए हैं । लेकिन ऐसी स्थिति पर चर्चा करने से पूर्व हथियारों के भण्डारों को बनाये रखने तथा सामरिक नीतियों को व्यवस्थित करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है । मैं यह जानता हूं कि एक विमान में 25,000 पुर्जे होते हैं और यदि हमारे पास एक प्रकार का विमान है, तो हमें 25,000 पुर्जों की आवश्यकता पड़ेगी और यदि हम तीन प्रकार के विमान रखना चाहते हैं, तब मेरे विचार से हमें विभिन्न प्रकार के 75,000 पुर्जों की आवश्यकता पड़ेगी । यह प्रश्न केवल खरीदने तथा उनके भण्डारण का ही नहीं है बल्कि उनको उस स्थान पर पहुंचाने का भी है जहां पर उनकी आवश्यकता है और आपका उनको अपेक्षित स्थान पर तथा उचित समय में किस प्रकार ले जाने का प्रस्ताव है। यह बात वास्तव में आश्चर्य में डाल देती है और मुझे यह आशा है कि यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो आप इसको करने में समर्थ हो सकेंगे । लेकिन आपने इसके लिए यह कार्य क्यों और कैसे किया है, एक ऐसी बात है जिसके लिए आपको देश और संसद को एक स्पष्टीकरण देना है ।

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन बातों के सम्बन्ध में प्रकाशित विवादों तथा कारणों, जिनका संसद में उत्तर नहीं दिया गया है, के सम्बन्ध में—मैंने इनमें से कुछ की सूची तैयार की है, मेरा यह विचार है कि इनसे मंत्री महोदय को समझने और उत्तर देने में सहायता मिल सकती है । 'जगुआर' के बारे में हमें यह बताया गया है कि इसका कोई निर्माण नहीं किया जायेगा । यह उस नीति के कि केवल उन्हीं हथियारों का अर्जन किया जायेगा, जिनका निर्माण हम यहां पर करेंगे, के विपरीत है । हमने जगुआर का उस स्थिति में अर्जन क्यों किया है, जबकि हम यह जानते हैं कि केवल जगुआर को जोड़ने के कार्य को पूरा करने के समय तक यह अप्रचलित हो सकता है और ब्रिटेन के कारखाने द्वारा जगुआर का निर्माण करना बंद किया जा सकता है ? अब प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह कहा है कि वे जगुआर में प्रक्षेपास्त्र व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं ।

क्या उस समय जबकि यह सौदा किया बया था कोई जानकारी नहीं थी कि इन प्रक्षेपास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी ? इस स्तर पर जगुआर की प्रक्षेपास्त्र व्यवस्था को क्यों मजबूत बनाया जा रहा है ? इस कार्य को पहले क्यों नहीं किया गया था ? मूल्य में बार-बार वृद्धि हुई है । प्रारम्भ में जब बातचीत की गई थी, तब इसकी लागत 7.5 करोड़ रुपये थी । लेकिन प्राक्कलनों से यह पता चलता है कि जगुआर के लिए लगभग 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है । यदि नाइजीरिया के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार सही है, तो मेरे विचार से नाइजीरिया के लिए एक जगुआर का मूल्य 21 करोड़ रुपये होगा । लेकिन वे कमीशन के रूप में 2 करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे हैं । मैं नहीं जानता कि भारतीय सौदे के बारे में उन्होंने कितना कमीशन दिया है और यह किसको दिया गया है । मुद्दा यह है कि हमने जानबूझ कर ऐसे देशों

से सौदा किया है जो इस प्रकार का कमीशन देते हैं । और कोई व्यक्ति उस कमीशन को प्राप्त कर रहा है । अन्यथा इस प्रकार की बात न होती । ब्रिटेन ने हमें इलेक्ट्रोनिक प्रतिरोधी उपाय-प्रणाली की पेशकश की थी । वे इस बात पर सहमत हुए थे कि वे हमें पर्याप्त इलेक्ट्रोनिक प्रणाली प्रदान करेंगे । अब उन्होंने यह बताया है कि यह नवीनतम निर्माण नहीं है और नवीनतम निर्माण को इस मूल्य पर प्रदान किया जायेगा । क्यों ? मुझे यह बताया गया है कि जगुआर कम-ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है । अब यह दोषपूर्ण है । क्योंकि इन्फैंट्री का भी एक व्यक्ति 'शोल्जर हंग राकेट' से इसको गिराया जा सकता है (**व्यवधान**) (ए०डब्ल्यू०ए०सी०एस०) (वायुसेना पूर्व चेतावनी प्रणाली) जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, के सामने जगुआर पूर्णतः बेकार है । ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही कह रहा हूं । यह सभी जानते हैं । कृपया आप इसका उत्तर दें । मैं किसी अन्य स्रोत से इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, या तो आप इसकी पुष्टि करें या खण्डन करें ?

दूसरा विमान मिराज है । मिराज के बारे में पहली बात यह है कि इसके निर्माण का कोई कार्यक्रम नहीं है । क्या यह बात सही है अथवा नहीं ? क्या मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ? मिराज का क्या मूल्य है ? ठीक है, आप समग्र हथियार प्रणाली के साथ मूल्य बता सकते हैं । मेरे विचार से ऐसा करने का वही बेहतर तरीका है । पिछले वर्ष के वाद-विवाद में, जबकि मिराज के निर्माण की बात उठाई गई थी, मेरे विचार से मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि हमने अन्तिम रूप से अभी यह निर्णय नहीं लिया है कि हम मिराज का निर्माण करेंगे अथवा नहीं । यह बात इसलिए थी कि हम दो इंजन वाले विमान का सौदा करना चाहते थे । यह बात अप्रैल के पहले सप्ताह की है । जून में, जब मंत्री महोदय सोवियत संघ गये, उस समय मिग 29 को खरीदने की बातचीत के बारे में समाचार प्रकाशित हुए थे । इसी बीच श्री उस्तीनोव आये । मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से यह उत्तर दिया था लेकिन मिग 29 के बारे में उनको जानकारी प्राप्त थी । मिराज का सौदा पूरा होने और अक्तूबर, 1982 में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने से पूर्व मिग 29 के विकास के बारे में उनको स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त थी । यह स्पष्ट था कि यहां पर मिराज का निर्माण करने का कोई इरादा नहीं था । देश को यह कहकर धोखा दिया गया था कि हम कुछ 'मिराज' का निर्माण यहां पर करेंगे । अतः यह जानबूझकर सौदा करने के लिए नीति में उल्लंघन के सिवाय कुछ भी नहीं है । मिग 29 के बारे में मैं नहीं जानता कि आप इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं । आपने कहा था कि मिराज की अपेक्षा दो इंजन वाला विमान बेहतर होगा । फिर मिराज को क्यों रखा जाये ?

श्रीमन्, हमने पनडुब्बी का सौदा किया है । और यह स्वीडिश फर्म की तुलना में एक जर्मन फर्म डी० डब्लू० टी० जोकि बड़े नाम का संक्षिप्त रूप है—के साथ किया गया है । मुझे यही बताया गया है । जो मैंने समाचारों में देखा है यह यह है कि ऐसा उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा के रूप में किया गया है जो कि मर चुका है । मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता ।

सत्तारूढ पार्टी के उस व्यक्ति की मृत्यु के एक सप्ताह के अन्दर ही आपने यह समझौता किया है । इस सौदे की मूल्यांकन रिपोर्ट क्या रही है ? किसी व्यक्ति विशेष की आखिरी इच्छा के आधार पर पनडुब्बियां तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएं नहीं खरीदी जाती हैं । यह अत्यंत हास्यस्पद और बेतुकी बात है और यह बात प्रकाशित हो चुकी है और मंत्री महोदय को इसका

उत्तर देना है बशर्ते कि वह इसका उत्तर दे सकते हों। इन पनडुब्बियों के सम्बन्ध में तीन बार मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार की गयी हैं। तब इस सौदे को क्यों रोके रखे गया। क्या इस सौदे को इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि नौ सेनाध्यक्ष ने कम आवाज करने वाली पनडुब्बी की मांग की थी। यद्यपि सेवा के शीर्ष अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरियां देकर पुरस्कृत किया गया है लेकिन उस नौसेना अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के बाद कोई नौकरी नहीं दी गयी है।

महोदय, बीरेट्टा पिस्तौल इटली से आयात की जा रही है जबकि इशापुर में इसका निर्माण किया जा सकता है। यह हालात हैं। हम मध्यम दूरी तक मार करने वाली तोपें भी नहीं बना सकते। हमारा रक्षा और अनुसंधान व्यय 2 प्रतिशत है और यह सबसे कम है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप इस व्यय में वृद्धि नहीं कर सकते जबकि आप विदेशों से प्रतिवर्ष हथियारों की खरीद के जरिए रक्षा बजट में, वृद्धि कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि बजट से उन वास्तविक सौदों का बोध नहीं होता जो सरकार कर रही है क्योंकि भुगतान की शर्तें 15 वर्षों के आधार पर हैं।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आयुध कारखानों तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों में 6 लाख से अधिक असैनिक कर्मचारी हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने अपने वार्षिक सम्मेलन के बाद हड़ताल का नोटिस दिया है। यह तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से है जिससे कि उन्हें रेल और डाक तथा तार कर्मचारियों के समकक्ष मंजूरी मिल सके। यह उनकी एकमात्र मांग है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मान्यता आदि की उनकी अन्य मांगें हैं लेकिन यह उनकी मुख्य मांगें हैं। माननीय मंत्री महोदय को उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेना माननीय रक्षा मंत्री के लिए एक सामान्य बात है लेकिन इस मामले विशेष में उन्हें तीन दिन बताए गए थे और वह इन तीन दिनों में से किसी भी एक दिन वहां जा सकते थे फिर भी उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यदि वह सम्मेलन में भाग लेते तो हड़ताल का नोटिस नहीं दिया गया होता। मैं समझता हूं कि मतभेदों को समाप्त करने की अभी भी गुंजाइश है। समाधान करने की अभी भी गुंजाइश है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस अन्तर मतभेद को हल करने के लिए भरसक प्रयास करें क्योंकि जो वह (कर्मचारी) चाहते हैं वह न्यायसंगत है और उनको देय है। यह बहुत मामूली सा अन्तर होगा। हो सकता है भविष्य में थोड़ी और धनराशि देनी पड़े।

अंत में एक बात और, माननीय मंत्री ने कही है कि हथियार उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो उसको चला रहा है। इलेक्ट्रोनिक युद्ध के दिनों में हम और अधिक अत्याधुनिक हथियार प्राप्त कर रहे हैं जबकि वायु सेना में इंजीनियरों की भर्ती की संख्या कम होती जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान जहां 650 इंजीनियरों की भर्ती होनी चाहिए थी वहां 250 से अधिक की भर्ती नहीं की गयी है, जिसका अर्थ है कि हमारी तकनीकी सेवाएं बिगड़ती जा रही हैं जबकि एक ओर हम अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करते जा रहे हैं। आपको इंजीनियरों की सेवा शर्तों में सुधार अवश्य करना चाहिए। वे कुंठा के शिकार हैं। क्योंकि उन्हें पदोन्नति के कोई अवसर नहीं दिए जाते। जब तक इस स्थिति में सुधार नहीं

किया जाता तब तक हम भविष्य में होने वाले युद्ध का, जो कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रोनिक युद्ध होगा, बेहतर तरीके मे सामना नहीं कर सकेंगे ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों में अधिकारियों तथा जवानों के लिए समिति साझी मैसों की स्थापना करने में असफलता ।] (1)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[रक्षा सेवाओं के तीनों अंगों में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों की तुलना में पदोन्नति अधिकारियों के अनुपात को बढ़ाने में असफलता ।] (2)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[देश के सम्मुख विद्यमान आन्तरिक और बाहरी खतरों के संदर्भ में साम्राज्यवाद-विरोधी साम्प्रदायिकता-विरोधी तथा लोकतांत्रिक देशभक्ति की भावना अधिकारियों तथा जवानों के मन में पैदा में असफलता ।] (3)

"कि रक्षा सेवाएं पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

10-12-82 को दिये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार बिहार में मधुबन में ट्रेजरी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को संशोधन पेंशन के भुगतान करने संबंधी आदेशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।] (26)

"कि रक्षा मंत्रालय पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के जवानों को पेंशन की दरों को बढ़ाने की आवश्यकता ।] (27)

"कि रक्षा मंत्रालय पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

भूतपूर्व सैनिकों को ऋण राजसहायता तकनीकी जानकारी देकर उन्हें स्वनियोजन का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता ।] (28)

श्री ई० के० इम्बीचीबाबा (कालीकट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[आजीमाला में एक नौसैना अकादमी की स्थापना करने के लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (4)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए रक्षा-सेवाओं को तैयार रखने की आवश्यकता ।] (5)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[जल, थल और वायु सेना की मजबूती के लिए सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी देशों से भरपूर मदद लेने की आवश्यकता ।] (6)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी देशों से लड़ाई के आधुनिकतम हथियार खरीदने की आवश्यकता ।] (7)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[भारत के आयुद्ध कारखानों को सोवियत संघ तथा दूसरे सामाजवादी देशों की मदद से आत्मनिर्भर और सुसज्जित बनाने की आवश्यकता ।] (8)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाय ।"

[रक्षा सेवाओं के तीनों अंगों के अधिकारियों एवं जवानों के लिए एक ही भोजनालय चलाने की आवश्यकता ।] (9)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[रक्षा सेवाओं के अधिकारियों और जवनों के बीच एकता और भाईचारे की भावना भरने की आवश्यकता ।] (10)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[रक्षा सेवाओं के अधिकारियों एवं जवानों में साम्राज्यवाद-विरोधी, साम्प्रदायिकता विरोधी, देश की एकता एवं जनतंत्र को मजबूत करने की भावना जागृत करने की आवश्यकता ।] (11)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[रक्षा सेवाओं के जवानों में असंतोष को दूर करने की आवश्यकता ।] (12)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[भूतपूर्व सैनिकों के लिए बने पेंशन कोड में संशोधन करने की आवश्यकता ।] (13)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति होते ही अर्धसैनिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सुरक्षा संगठनों में रोजगार देने की आवश्यकता ।] (14)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की आवश्यकता ।] (15)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[भूतपूर्व सैनिकों को यात्रा के लिए रियायत देने की आवश्यकता ।] (16)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक तथा सिविल अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (17)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[एक हजार रुपये प्रतिमाह तक पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता।] (18)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायं।"

[भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षा सेवा बैंक की स्थापना करने की आवश्यकता।] (19)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपय कम किए जायं।"

[रक्षा सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी जवानों की तरह सेवानिवृत्ति के लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता।] (20)

"कि रक्षा मंत्रा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[भारत को चारों ओर से घेरने की साम्राज्यवादियों के काले कारनामों का भण्डाफोड़ करने की आवश्यकता।] (21)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पटना स्थित रक्षा लेखा कार्यालय को यहां से हटाने के प्रयास को रोकने की आवश्यकता।] (22)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रक्षा लेखा कार्यालय पटना के कार्य की मदों को अन्यत्र स्थिति कार्यालयों को अन्तरित किये जाने को रोकने की आवश्यकता।] (23)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।"

[रक्षा लेखा कार्यालय पटना के कर्मचारियों के ट्रांसफर को रोकने की आवश्यकता।] (24)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायं।"

[भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।] (25)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पटना स्थित रक्षा लेखा कार्यालय के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता।] (29)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रक्षा लेखा कार्यालयों के कर्मचारियों की कलकत्ता स्थित फैडरेशन को मान्यता देने की आवश्यकता।] (30)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पटना स्थित रक्षा लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को परेशान न करने की आवश्यकता।] (31)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रक्षा सेवाओं के तीनों अंगों के जवानों के लिए अधिक अच्छी सुख सुविधाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (32)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[आल इंडिया डिफेंस एम्पलाईज फैडरेशन की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता।] (33)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रक्षा सेवाओं के सभी सिविलियन कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता।] (34)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने की आवश्यकता।] (35)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का निदान करने में विफलता।] (36)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता।] (37)

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

[प्रशासन को कुशल बनाकर, 'बचत करके' तथा अपव्यय को रोक कर रक्षा व्यय को कम करने में विफलता।] (38)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[छावनी क्षेत्रों के निकट नागरिकों के साथ सैनिक कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार को रोकने की आवश्यकता।] (39)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[सैनिक कर्मचारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को सेवा सम्बन्धी पर्याप्त लाभ देने की आवश्यकता।] (40)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा तथा रोजगार के सम्बन्ध में रियायतें देने की आवश्यकता।] (41)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पाकिस्तान से चुनौतियों, जिनमें आधुनिकतम शस्त्रों का प्रयोग भी सम्मिलित है, का सामना करने के लिए सतर्कता तथा अधिक अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता।] (42)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[उत्तर-पश्चिम अथवा उत्तर-पूर्व से किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता।] (43)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[सेना के लिए देश के सभी भागों से योग्य व्यक्तियों की भर्ती करने की आवश्यकता ।] (44)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[सभी प्रकार के हथियारों के भारत में निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता ।] (45)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[सैनिकों को भोजन की सप्लाई में कदाचार को रोकने की आवश्यकता ।] (48)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें

[आयुध कारखानों के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता ।] (49)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[सामान पर खर्च को कम करने की आवश्यकता ।] (50)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[खर्च में कमी करने की आवश्यकता ।] (51)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[सैनिकों के वेतन में वृद्धि की आवश्यकता ।] (52)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[सैनिक कर्मचारियों के विशेषाधिकारों को बढ़ाने की आवश्यकता ।] (53)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अंतर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[उच्च सेना अधिकारियों द्वारा आतिथ्य सत्कार पर किये जा रहे खर्च को कम करने की आवश्यकता ।] (54)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[आयुध कारखानों के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता ।] (55)

"कि रक्षा सेवाएं—वायुसेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[भूतपूर्व वायु सेना अधिकारियों को जासूसी करने से रोकने हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता ।] (56)

"कि रक्षा सेवाएं—वायुसेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[भूतपूर्व वायुसेना अधिकारियों को गैर-सरकारी फर्मों में नियोजन पर रोक लगाने की आवश्यकता ।] (57)

"कि रक्षा सेवाएं—वायुसेना शीर्षक के अन्तर्गग माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[खर्च को कम करने की आवश्यकता ।] (58)

"कि रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता।] (60)

"कि रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[निरीक्षण संगठन में भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता।] (61)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पश्चिम बंगाल में हल्दिया में एक नौसैनिक जलपोत निर्माण कारखाना स्थापित करने में असफलता।] (74)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पश्चिम बंगाल में एक इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माण कारखाना स्थापित करने में असफलता।] (75)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[शस्त्रास्त्र निर्माण में आत्मनिर्भर होने में असफलता।] (76)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[विदेशों से सहायता लिये बिना रक्षा सेवाओं को नवीनतम हथियारों से पूर्णतया सुसज्जित करने में असफलता।] (77)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रक्षा कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में असफलता।] (78)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रक्षा सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनों में विषमता को कम करने में असफलता।] (79)

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[भूतपूर्व सैनिकों को उपयुक्त रोजगार देने की आवश्यकता।] (62)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[प्रबन्ध में सुधार करके रक्षा व्यय को कम करने की आवश्यकता।] (63)

कि "रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए बड़े राष्ट्रों पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता।] (64)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[रक्षा सेवाओं के अधिकारियों तथा जवानों में साम्राज्यवादी विरोधी, सम्प्रदायिकता विरोधी तथा तानाशाही-विरोधी तथा लोकतंत्र के लिए प्रेम की भावना भरने की आवश्यकता।] (65)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[हमारी सीमाओं के चारों ओर विस्तारवादी शक्तियों की चालों का भण्डाफोड़ करने की आवश्यकता ।] (66)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[हमारे जवानों और अधिकारियों में राष्ट्रीय एकता की भावना भरने की आवश्यकता ।] (67)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग (पृष्ठ 21-22) में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[सशस्त्र बलों में भर्ती समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता ।] (68)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग (पृष्ठ 21-22) में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[जाति और धर्म के नाम पर ब्रिगेडों के नाम रखने की पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता ।] (69)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग (पृष्ठ 21-22) में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[वर्तमान ब्रिगेडों के नाम से जाति के नामो को हटाने की आवश्यकता ।] (70)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग (पृष्ठ 21-22) में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिगेडों को दिये गये नामों में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।] (71)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग (पृष्ठ 21-22) में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[सेवानिवृत्ति सैनिक कर्मचारियों के समुचित पुनर्वास की आवश्यकता ।] (72)

"कि रक्षा सेवाएं—सेना शीर्षक के अन्तर्गत माँग (पृष्ठ 21-22) में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[जवानों और अधिकारियों में भाई-चारे की भावना भरने के लिए उनके लिए संयुक्त मैस बनाने की आवश्यकता ।] (73)

श्री आनन्द पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[रक्षा कर्मचारियों के सक्रिय सेवा में न होने पर उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाने में असफलता ।] (95)

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[जवानों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरने और उनमें राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से उन्हें शिक्षित करने में असफलता ।] (96)

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[दार्जिलिंग जिले में कुरसे ओंग में चांदमारी की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने और उक्त भूमि को सार्वजनिक स्टेडियम और खेल का मैदान बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को देने की आवश्यकता ।] (97)

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[जालापहाड़, लेबोंग, तथा अन्य छावनी क्षेत्रों के असैनिक लोगों को मिलने वाली नागरिक सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता।] (98)।

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[छावनी बोर्ड सेवाओं में कार्यरत असैनिक कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान देने और अन्य सेवा शर्तें लागू करने की आवश्यकता।] (99)।

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[छावनी क्षेत्रों में तथा उसके आसपास रहने वाले असैनिक लोगों को रक्षा कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जाना रोकने की आवश्यकता।] (100)।

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को उपयुक्त नौकरियां देने की आवश्यकता।] (101)।

"कि रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[खपरियाल, माटीगारा, बागडोगरा, बेंगदुबी और सलबारी में तथा उसके आसपास और उत्तरी बंगाल के अन्य भागों में गरीब किसानों को रक्षा कर्मचारियों द्वारा तंग करना, रोकने की आवश्यकता।] (102)।

"कि रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[दार्जिलिंग में सैनिक स्कूल की स्थापना करने की आवश्यकता।] (103)।

"कि रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[दार्जिलिंग में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता।] (104)।

"कि रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[दार्जिलिंग जिले में कैलिम्पोंग की सैनिक और असैनिक जनसंख्या के लिए पीने के पानी की सप्लाई में वृद्धि करने हेतु नियोराखोला परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता।] (105)।

"कि रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[रक्षा सेवाओं में सभी सैनिक कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता।] (106)।

"कि रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[जालापहाड़, लेबोंग और अन्य छावनी क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को पश्चिम बंगाल सरकार के वेतन-मान देने की आवश्यकता।] (107)।

"कि रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[छावनी बोर्ड कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता] (108)।

"कि रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[सीमा सड़क परियोजनाओं, एम० ई० एस० और जी० आर० ई०पी० के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता] (109)।

"कि रक्षा सेवाएं—पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन का, चाहे उन्हें सेवा निवृत्त हुए कितना ही समय हो गया हो, उचित निर्धारण और समायोजन करने की आवश्यकता] (110)।

"कि रक्षा सेवाएं—पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[रक्षा कर्मचारियों की पेंशन की दरों का पुनरीक्षण करने और उनमें वृद्धि करने की आवश्यकता] (111)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

श्री एम०एम० लारेंस (इडुक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाये।"

[रक्षा कार्मिकों में ऐसी भावना भरने में असफलता कि हमारे देश के मजदूर तथा किसान उनके घनिष्ठ सहयोगी हैं] (112)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रक्षा कार्मिकों चाहे उनका दर्जा अथवा रैंक कुछ भी हो, के बच्चों की शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने में असफलता] (113)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रक्षा विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले वैज्ञानिकों को उचित प्रोत्साहन देने में असफलता] (114)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रक्षा विभाग में ठेका प्रणाली समाप्त करने में असफलता] (115)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों में सभी रैंकों के लिए एक ही मेस रखने में असफलता] (116)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों में सीधी भर्ती किये गये अधिकारियों की तुलना में पदोन्नति द्वारा बनने वाले अधिकारियों का अनुपात बढ़ाने में असफलता] (117)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[एझीमाला में नौसेना अकादमी बनाने के लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता] (118)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कोचीन बन्दरगाह में अमरीकी युद्धपोत को आने की अनुमति न देने की नीति] (119)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों के साथ सेना अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार को रोकने की आवश्यकता] (120)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों को सैनिकों को दिए जाने वाले सभी लाभों को देने की आवश्यकता] (121)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

]भूतपूर्व सैनिकों के लिए बनायी गई पेंशन संहिता की समीक्षा करने की आवश्यकता] (122)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के तुरन्त पश्चात् रोजगार देने की आवश्यकता](123)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[सभी भूतपूर्व सैनिकों को यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता] (124)।

"कि रक्षा मंत्रालय पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[सभी भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की आवश्यकता] (125)।

"कि रक्षा मंत्रालय पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता] (126)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[नौसेना के असैनिक कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता] (127)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कोचीन नौसैनिक अड्डे के असैनिक कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता] (128)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[जल, थल एवं वायु सेना को पूर्णत: अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता] (129)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[आयुध कारखानों में उदीयमान छात्रों को आकर्षित करने की आवश्यकता] (130)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[जल, थल एवं वायु सेना के लिए आवश्यक आयुधों के निर्माण में आत्मनिर्भर एवं पर्याप्त सुसज्जित होने की आवश्यकता] (131)।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[रक्षा सेवाओं के जवानों के असन्तोष को दूर करने की आवश्यकता] (132) ।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[रक्षा सेवाओं में बेरोजगार युवकों को भरती करने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता] (133) ।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[बढ़ती हुई अनुशासनहीनता एवं अराजकता को खत्म करने के लिए असमाजिक तत्वों को सेना में भर्ती करने की आवश्यकता] (134) ।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास सीमा क्षेत्रों में व्यवस्थति ढंग से करने की आवश्यकता] (135) ।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[रक्षा सेवाओं के अधिकारियों को जवानों की तरह आयु सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता] (136) ।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[रक्षा सेवा के सिविलियन कर्मचारियों को उद्योग कर्मचारियों की तरह बोनस देने की आवश्यकता] (137) ।

"कि रक्षा मंत्रा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[रक्षा सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का चयन निष्पक्ष भाव से योग्यतम और वरिष्ठतम लोगों में से करने की आवश्यकता] (138) ।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए ।"

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों में से एक को सेना में नियोजित करने की आवश्यकता] (139)।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : सभापति महोदय, विकासशील भारत की बहुमुखी विषमताओं और व्यापकता को देखते हुए, विशेषकर, इसकी रक्षा, आर्थिक निर्माण, कार्यक्रमों की आवश्यकताओं, इसके वार्षिक बजट के आवंटन के विशेषकर इसकी रक्षा पक्ष का वैज्ञानिक पुनर्गठन करना आदि कोई आसान कार्य नहीं है । मेरे विचार से किसी भी प्रकार के वित्तीय आंकड़ों की हेराफेरी द्वारा इस समस्या का निश्चित समाधान नहीं किया जा सकता । परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि राष्ट्रीय राजकोष की व्यवस्था को संभालना अत्यन्त कठिन कार्य हैं । इस पर भी मैंने यह पाया कि रक्षा शीर्षों के अन्तर्गत रक्षा बजट अनुदानों का आवंटन बड़ी कुशलता से किया गया है और मैं रक्षा तथा वित्त मंत्रालयों को इस प्रकार की व्यवहारिक तालिका तैयार करने के लिए बधाई देता हूं यह एक व्यवहारिक कार्य तालिका है यह असंभव चीज मांगने वाली बात नहीं है । हम जानते हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति है । हम अपनी सीमाओं को भी जानते हैं । हम जानते हैं हमारे देश की क्या स्थिति है । हम अपनी सीमाओं को भी जानते हैं । हम जानते हैं कि हमें 70 करोड़ लोगों का पालन भी करना है । हम अन्य अड़चनों से भी वाकिफ हैं । हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर विश्व में क्या हो रहा है । तो इन

सभी को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आवंटन किया गया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। तथापि यहां वहां कुछ रचनात्मक सुधार किए जा सकते हैं।

रक्षा संबंधी तैयारी, इस समय एक अटल आवश्यकता है। भारत की भौगोलिक तथा राजनीतिक स्थिति ही इस प्रकार की है। इसलिए हमारा परम उद्देश्य प्रथम श्रेणी की रक्षा क्षमता, अत्याधुनिक हथियार, सर्वोत्तम प्रशिक्षित नियमित सशस्त्र सेनाएं तथा आरक्षित सेनाओं की समाप्त न होने वाली द्वितोय पंक्ति तैयार करना है। जो किसी भी परिस्थिति में हम पर थोंपे गये युद्ध का सामना कर सके।

मैं आगे इसके बारे में थोड़ा और कहूंगा।

महोदय, हमारे चारों ओर युद्ध के इतने घने बादल मंडरा रहे हैं कि इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री ने भी इस संबंध में इशारा किया है। हममें से बहुतों को इसकी जानकारी है। इसलिए, मैं इस भाग को छोड़ ही जाता हूं।

किन्तु, जरा ठहरिये, यदि आप मेरी बात सुने तो मैं आपको बताता हूं कि विश्व की स्थिति क्या है। मेरे विचार से विश्व एक भयानक संकट का सामना करने की आशंका में है। हम सभी मानव हैं और मनुष्य के स्वभाव से परिचित हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से जो भी हथियार उसे प्राप्त होते रहे हैं। पत्थर युग से लेकर आज तक वह उनका इस्तेमाल किस प्रकार करता रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं —अब हम सब इसे समाप्त करें। मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हिरोशिमा और नागासाकी का दौरा किया था और मैं जानता हूं कि वहां की स्थिति कितनी भयंकर थी। जो विनाश लीला अब हो सकती है, वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। हम परमाणु हथियारों के प्रभाव से परिचित हैं, हम जानते हैं कि कितने परमाणु हथियार हैं। विश्व की विभिन्न शक्तियों के पास 50,000 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 10,000 हैं और उसका पहला स्थान है; सोवियत संघ जिसका दूसरा नम्बर है इसके पास 7400 हैं इस प्रकार अन्य भी हैं। जहां तक परमाणु युद्ध के संबंध में, आप जितना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं। आंकड़े उपलब्ध हैं। किन्तु आप जानते हैं कि यह सब क्या है। इस प्रकार की परिस्थितियों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यह तो संयोग ही है कि अपने, राजनैतिक, सैद्धांतिक एवं आर्थिक हितों से प्रेरित महा शक्तियाँ अपनी परमाणु समर्थित कार्यों और रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। साल्ट-I, साल्ट-II में सभी प्रकार के प्रयत्न और सिद्धांत प्रयोग में लाये गए हैं और हर बार पर्शिंग क्रूस मिसाइलों की तैनती के बारे में सोचा गया है। जैनेवा सम्मेलन में भी प्रयत्न किए गए हैं किन्तु कोई हल नहीं निकला और इस प्रकार हम एक दूसरे का सामना करने को तैयार खड़े हैं। इसके विपरीत प्रत्येक मामले में उनका आम रवैया सैनिक शक्ति असुधार्य रूप से बढ़ती ही जा रही है मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश "भारत" आशा का एकमात्र 'नखलिस्तान' है।

भारत ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई चैन की सांस ले सकता है, नहीं तो सब जगह स्थिति भयानक है और हैरानी वाली बात यह है कि अधिकांश गड़बड़ी और अधिकांश युद्ध कैरिबियन देशों से आरम्भ हुए हैं और लेबनान, कोंगो, कारंगा, नाइजीरिया, बायफरा, उगांडा, इथोपिया, सोमालिया, इराक ईरान को घेरे में लेकर कोरिया, वियतनाम और नीचे कम्पूचिया को अपने घेरे में ले लिया

और छोटे बड़े युद्ध हुए। और हैरानी वाली बात यह है कि उन्हें यह हथियार महाशक्तियों द्वारा 'बख्शीश' के रूप में मिलते हैं और भयानक युद्धों द्वारा वह आपस में अपने लोगों का कत्ल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताई कि यह सब एशिया की जमीन पर होता है। यहीं पर कोरिया की लड़ाई हुई, यही पर भारत-चीन और यहीं पर अब विएतनाम कम्पुचिया की लड़ाईयां हुईं। बंगलादेश में भी गड़बड़ी हुई। आप इससे इंकार नहीं कर सकते हैं। यह वहां पर भी हुआ। किसी न किसी प्रकार से इतनी मारकाट हुई है मैंने अभी इसका मध्यपूर्व के क्षेत्र का तो जिक्र ही नहीं किया है।

महोदय, आपको मालूम है कि लाखों नाविक चारों ओर आते जाते हैं, लगभग 81 लाख लोग मारे गए। संसद की एक समिति कम्पुचिया गई और उन्होंने एक स्थान पर 7000 लोगों, महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की हड्डियों का ढेर देखा, जिनका एक साथ कत्ल कर दिया गया था। यह हैरानी वाली बात है। इसलिए यह अपशुकन है।

अब मैं खून जमा देने वाले प्रमुख समाचारों पर आता हूं। सदन को शायद इन घटनाओं की याद हो। पहली तो यह कि विध्वंसक परमाणु हथियारों का लगातार बिना रोक टोक जमाव बढ़ रहा है। दूसरा यह कि 1963 की परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बावजूद परमाणु परीक्षण जारी है। इस संधि के होने के समय से अन्य देशों के अलावा अमरीका ने इस प्रकार के 407 परीक्षण किए हैं और सोवियत संघ ने 336 किन्तु, परीक्षण जारी है। तीसरे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सभी युद्ध केवल विकासशील देशों में हुए हैं और हम कितनी प्रसन्नतापूर्वक सभी प्रकार के हथियार प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक लागत का प्रश्न है, हथियारों को दौड़ पर विश्व में प्रति मिनट 13 लाख डालर खर्च हो रहे हैं। पिछले बीस वर्षों के दौरान तृतीय विश्व के देशों को 400 बिलियन डालर की सैनिक सहायता दी गई है जबकि इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान 25 बिलियन डालर आर्थिक सहायता दी गई है। युद्ध के प्रयोजन के लिए 400 बिलियन डालर ताकि तुम एक दूसरे को समाप्त कर दो और बाद में जो भी बचेगा, हम परमाणु हथियारों से लड़ेंगे और मानव जाति समाप्त हो जाएगी।

जहां तक घातक हथियारों का सम्बन्ध है मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना; आप इस बारे में जानते हैं। मैं केवल यही कहूंगा कि यह परमाणु हथियारों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि बड़ी शक्तियों ने अपनी सैन्य करण की सूचि में रसायनिक, जैविक, लेसर और कास्मिक किरणों, अंतरिक्ष से नियंत्रित हथियार तथा अन्य विनाशकारी प्रणालियां जोड़ ली हैं। जैविक हथियार रखना खतरनाक है। यह प्रथम महायुद्ध में आरम्भ हुई और रसायनिक हथियार, पीली गैस, और मैं उन देशों के नाम जानता हूं जहाँ पर इनका दोबारा प्रयोग किया गया। आपको इनके बारे में इक्का-दुक्का जगहों पर सुनने को मिलता है किन्तु इनका जमाव हो रहा हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं हैं। जब इनका प्रयोग होगा तो इस ग्रह पर लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।

अब मैं अपने देश और दक्षिण एशिया की बात करता हूं। निसंकोच रूप से आज भी भू-राजनीतिक और भोगोलिक परिस्थितियों में भारत, युद्ध के लिए तैयार अखाड़ा प्रतीत होता है।

मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। मैंने सभी युद्ध देखे हैं और मैं जानता हूं कि युद्धों में क्या-क्या भयानक दृश्य होते हैं। भारत के लोग शांति चाहने वाले लोग हैं। हम शांति के समर्थक हैं और हमने सफलतापूर्वक शांति दिखाई है जैसे कि कुछ ही मिनट पहले मेरे एक साथी ने उल्लेख किया है। संयुक्त राष्ट्र में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में और हर जगह भारत का नाम सबसे ऊपर रहा है। मुझे बाहर जाने और अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। वहां मैंने देखा है कि भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यूरोप और सारे विश्व से लगभग सत्तर से अस्सी देशों ने उसमें भाग लिया था। बहुत अच्छी बात है। हम लड़ाई के समर्थक नहीं हैं। मैंने सब युद्ध देखे हैं, भारत-पाकिस्तान युद्ध आदि सब देखे हैं। हमने कभी आक्रमण नहीं किया किन्तु जब समय ही ऐसा आया तो हमें कभी-कभी युद्ध का जवाब युद्ध से देना पड़ा।

दुर्भाग्यवश, संबंधित महाशक्तियों की इस मामले में धारणा को समाचार पत्रों के शीर्षक से आसानी से समझा जा सकता है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इसमें साठगांठ कर रही हैं और लोगों को एक-दूसरे से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह बात समाचार पत्रों के शीर्षकों से स्पष्ट हो जाएगी, जिनका मैं हवाला दे रहा हूं—

"जिया अमरीका को सैनिक अड्डे सौंप रहा है"

"अमरीकी रक्षा विशेषज्ञ क्वेटा में तैनात, पाकिस्तान द्वारा अमरीका को सुविधायें—पत्तन, सैनिक अड्डे इत्यादि।

"जिया द्वारा काश्मीर की दुहाई"

उनका कहना है : "पाकिस्तान काश्मीर को नहीं छोड़ सकता अथवा भूल सकता।"

और यह !

"पाकिस्तान परमाणु शस्त्र बनाने में एक कदम आगे।"

हम काराकोरम सड़क का महत्व समझते हैं, यह सड़क हमारे लिए गंभीर खतरे की घंटी है। हम देखते हैं चीन के सैनिक विशेषज्ञ स्वामित्वहीन क्षेत्र के साथ-साथ जिसे हम अधिकृत काश्मीर कहते हैं और जिसे वे आजाद काश्मीर कहते हैं हवाई अड्डे और न जाने क्या कुछ बना रहे हैं। यही सब हो रहा है।

वहां सैनिक जासूसी की जा रही है ? वे हम पर जासूसी क्यों कर रहे हैं ? इसके क्या कारण हैं ? हम किसी के विरुद्ध जासूसी नहीं करते हैं। हमारे कुछ जनरलों को धन, किसी भी बात के लिए, गलतफहमी या जो भी आप कहें, के कारण पकड़ा गया है। तीन वर्ष पूर्व कई जासूस पकड़े गए थे। महा शक्तियों के एजेन्ट पंजाब तथा अन्य स्थानों में उग्रवादियों और आतंकवादियों को सहायता और सहयोग दे रहे हैं। यह सब भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में मेरी चेतावनी की ओर ध्यान दीजिए। इससे हमें कुछ सबक मिलता है। भगवान के लिए हमें एकजुट होना चाहिए और इसे राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में समझना चाहिए तथा एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए।

हमें अपनी रक्षा करनी है, हम जानते हैं हमें अपनी रक्षा किस प्रकार करनी है। हमने अपनी रक्षा की है। मेरे घनिष्ठ मित्र ने अभी-अभी बताया है कि रक्षा योजनायें दोषपूर्ण हैं। मैं

उन्हें बताना और कहना चाहता हूं कि "ठीक है सुधार कभी भी किया जा सकता है।" मेरा रक्षा मंत्रालय पर पूर्ण विश्वास है। वे हर समय इस पर विचार करते हैं। जब कभी किसी तरह की कमी सामने आती है, तो उसे दूर किया जाता है। मैं यह अनुभव के आधार पर कहता हूं। वर्तमान प्रणाली परीक्षण में वास्तव में अब तक खरी उतरी है, जो प्रशंसनीय हैं।

सभी अंग्रेज चले गये थे। हमें उच्चतम स्तर पर सिखाने और प्रशिक्षित करने के लिए कोई नहीं था। उस दिन से 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के अन्त तक यही स्थिति थी।

पाकिस्तानियों के अपने सलाहकार थे। हमारा एक भी सलाहकार नहीं था। हम लड़े, हमने योजनाएं बनाईं और युद्ध नीति से लेकर सामरिक चातुर्य और प्रशासनिक दृष्टिकोण तक हमने बहुत अच्छा काम कर दिखाया। अतः मैं यह कहूंगा कि सभी विचारणीय बातों पर विचार किया जायेगा और जब कभी कोई संशोधन आवश्यक हुआ, तो वह किया जा सकता है।

जहां तक युद्ध की तैयारी का संबंध है, मैं एक या दो शब्द बोलूंगा। सबसे पहले मैं यह अवश्य कहूंगा कि तीनों सशस्त्र सेनाओं-थल सेना, नौ सेना और वायु सेना की मैं प्रशंसा करूंगा। तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष हमारे लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वास्तव में वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको नीचे के स्तर पर इधर-उधर हमेशा कुछ अलग प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। यह एक अलग प्रश्न है। अब यह एक विशाल कार्य है। अब आप न केवल---** जैसाकि केवल एक या डेढ़ या दो दशक पूर्व स्थिति थी अब आप---**

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : कृपया आंकड़े मत दीजिए।

श्री आर० एस० स्पैरो : अब हमारी संख्या अधिक है।

सभापति महोदय : उन्हें रिकार्ड न किया जाये। आंकड़े रिकार्ड न किए जायें।

श्री आर० एस० स्पैरो : मैं आपसे सहमत हूं। यद्यपि मैं गोपनीयता के प्रति काफी सजग हूं, फिर भी क्षमा कीजिए।

"अतः मेरा मतलब यह है कि दिन प्रतिदिन स्थिति जटिल होती जा रही है और हमें चारों तरफ से इसके महत्व को समझना है। इसलिए आंकड़े उपलब्ध हैं। किन्तु हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां तक हमारी सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, उनमें उत्कृष्ट स्थिति में है। किसी को भी सामने आने दीजिए और फिर उन्हें आजमाइये।

मैं अपने पुराने साथी से, जो अब पाकिस्तान में बड़ी हस्ती है, क्षमा याचना करता हूं जब मैं कहता हूं सावधानी से कार्य कीजिए सब कुछ चौपट न करिए और हमें भी खतरे में न डालें इस सुन्दर उप-महाद्वीप को अन्य क्षेत्रों की तरह विनाश की ओर न ले जायें आप कहते हैं आप काश्मीर चाहते हैं। आपको काश्मीर नहीं मिल सकता। काश्मीर अथवा और किसी अन्य भाग को प्राप्त करने का यह कोई तरीका नहीं है। पिछली बार आपने इसे प्राप्त करने की कोशिश की थी। आप काश्मीर लेना चाहते थे। आप जानते ही हैं, क्या हुआ।"

मैंने याह्या खाँ को भी संदेश भेजा था "याह्या इसमें न उलझें।" उन्होंने 1½ वर्ष मेरे अधीन भी काम किया था। मैंने उन्हें विशेष संदेश भेजा था : "इसमें न उलझें। आप सब कुछ नष्ट कर दोगे।" नतीजा क्या हुआ ? उन्हें बांगलादेश से हाथ धोना पड़ा।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह विस्मयकारी बात है, इसलिए इन मामलों में थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए।

मुझे अपनी बात कुछ संक्षेप में कहनी होगी। मुझे एक या दो विशेष सिफारिशें करनी है। इस संबंध में मेरी विशेष सिफारिश यह है कि शताब्दियों से हमारा देश युद्ध स्थल नहीं रहा है। कम-से-कम 100 वर्षों से तो यह युद्ध स्थल नहीं रहा है; और सामान्य जनता को इस बात की जानकारी नहीं है कि रक्षा उपाय क्या होते हैं। इसलिए हमें इस सम्बन्ध में अधिक जोर देना होगा। हम इसे कैसे करें ? इसके साथ-साथ हमें अपनी रिजर्व और दूसरी सुरक्षा पंक्ति को बढ़ाना है। रिजर्व और दूसरी सुरक्षा पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि एक बार जब आप किसी लम्बी लड़ाई का सामना करेंगे, तो आपको इनकी बहुत जरूरत होगी। काफी सैनिक हताहत हो सकते हैं और आपको किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में समय लगेगा। कुछ मामलों में, जैसे वायु सेना या टैंक में कर्मियों को प्रशिक्षित करने में कुछ वर्ष लगते हैं। इसलिए आपको प्रादेशिक सेना में वृद्धि करनी होगी। आपकी एन. सी. सी. में सशस्त्र सेनाओं की ओर रुझान होता है और हर देश ऐसा करता है। यहां तक कि बालचरों का भी इससे सम्बन्ध है। एक बार जब आप अनुशासित हो जायेंगे, तो जब कोई आपको कुछ सिखाये चाहे वह कोई हथियार हो या कुछ और हो तब आप उसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। अतः मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें इस ओर अपना ध्यान और अधिक केन्द्रित करना होगा और विद्यमान परिस्थितियों में यथा संभव अधिकतम प्रगति करनी है।

दूसरी बात जिसकी मैं सिफारिश करना चाहता हूं वह यह है। किन्तु उसे बताने से पहले मैं आपको (पूर्व वक्ता) के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। मैं समझता हूं मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। आपने एम. बी. टी. (मेन बैटल टैंक) के निर्माण में विलम्ब का प्रश्न उठाया। इसमें समस्या यह है। जब आपने तेंदुआ और चीते आदि का उदाहरण दिया तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं आपको पहले के बारे में बताता हूं, जिसके बारे में आपको व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने कुछ टैंक अर्जित किए थे। उनके पास मार्क I मार्क II और कई अन्य टैंक थे। आपको चर्चिल लैन्डर, और बाद में सेन्चूरियन आदि पसन्द हैं उनके पास ये सब टैंक थे। तुरन्त कोई चीज तैयार करना सरल नहीं है। विजयन्त टैंक हमारे कारखाने में तैयार किया गया था और उस समय इत्तफाक से मैं निदेशक था और इस टैंक को मेरे सहयोग से तैयार किया गया था। प्रयोक्ता के लिए किसी निश्चित डिजाइन के अनुसार प्रोटोटाइप बनाने में ही काफी समय लगता है; प्रयोक्ता को प्रोटोटाइप अन्य विशेषज्ञों के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक काम देता है, लगभग दो वर्ष तक लगातार प्रोटोटाइप को प्रयोग करना होता है। पुराने समय में जब ये टैंक, उदाहरणार्थ शेरमन, बनाये गये थे, तब अमेरिका ने क्या किया ? उन्होंने एक या दो वर्षों में शेरमन टैंक का निर्माण किया था उन्होंने चार क्रिस्लर इंजन लेकर जोड़ दिये उससे ऊर्जा मिली और ट्रांसमिशन को जोड़ दिया गया और काम चल गया। इसके ऊपर एक प्रकार की तोप सहित, जो बाद में पता चला कि एक मामूली तोप है, स्टील कॉकल शैल लगा दिया गया। किन्तु उस समय के लिहाज से यह अच्छा था, यह ठीक था। अतः उस तरह यह भिन्न था। वह युद्ध स्तर का काम था किन्तु आप इसे अत्याधुनिक बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक उपकरण, हर चीज का टैंक के प्रत्येक उपकरण के

साथ तालमेल करना होगा । इसलिए इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है । किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय रक्षा मंत्री इस मुद्दे के सम्बन्ध में और ब्यौरा देंगे ।

मैं एक खास बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा के सभी सदस्य मेरी बात का समर्थन करेंगे । आपने और सरकार ने सैनिक कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है । संवर्ग की पुनरीक्षा करने से उन्हें प्रोत्साहन मिला है । उनके वेतन में भी बढ़ोत्तरी की गई है । उन्हें और अधिक सुविधायें भी दी गई हैं । जहां तक भूतपूर्व सैनिकों की पेंन्शन का सम्बन्ध है, वे अब काफी कुछ प्राप्त कर रहे हैं और उनकी स्थिति काफी अच्छी है । जनवरी/अप्रैल, 1979 के पहले के भूतपूर्व सैनिकों को उतनी पेंशन नहीं दी जाती है जितनी उनके बाद वालों को दी जाती है । इसी को आप पेंशन में असमानता कहते हैं । पेंशन में कोई विषमता नहीं होनी चाहिये । ऐसा नहीं हो सकता । आपने इसकी अच्छी शुरूआत की थी । हमने इसके संबंध में चर्चा की । हमने विभिन्न समितियों जैसे प्राक्कलन समिति और अन्य समितियों तथा इस प्रकार की अन्य समितियों में इस पर चर्चा की । और उसके बाद उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय प्राप्त हुआ । उस समय दो समानान्तर पक्ष कार्यरत थे । एक था केन्द्रीय निकाय, जो असैनिक कर्मचारियों की तरफ था और दूसरा निकाय सैनिक कर्मचारियों की तरफ था । असैनिक कर्मचारी जो चाहते थे, उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया । सशस्त्र बल जो चाहता था वह उसे प्राप्त नहीं कर सका । असैनिक कर्मचारियों ने जो चाहा, उन्होंने उसे तत्काल प्राप्त कर लिया उन्होंने मुझे अपना प्रोत्साहक और मित्र भी मान लिया था और हम साथ-साथ काम करते रहे । उन्होंने इसे प्राप्त किया है क्योंकि उनकी सेवा का तरीका पिछली सेवा पर आधारित है जबकि भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों के मामले में उनके वेतन और परिलब्धियाँ और पेंशन संबंधी सभी मामले रैंक के आधार पर बनाये जाते हैं । यह इसलिए होता है क्योंकि वे 58 की उम्र तक सेवा में नहीं रह सकते जबकि असैनिक कर्मचारी रहते हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों के बारे में दूसरी बात यह है कि वे जीवन भर जोखिमपूर्ण जीवन बिताते हैं । उन्हें भी उसके लिये कुछ रियायतें दी जानी चाहिये । जहाँ तक उच्चतम न्यायालय का संबंध हैं, संभवतया उनकी रैंकिंग एकतरफ है और वित्तीय अधिकारियों ने भी हिसाब बनाया होगा अथवा रुकावटें डाली होंगी, परंतु लगता है भाषान्तर में अन्तर है । उदाहरण के तौर पर, भूतपूर्व सैनिकों को एक विकल्प दिया गया और ऐसा लगाता है मानो काम करने के लिये एक तरह का रेडी रेकनर दिया गया था ।

यह तो कोई ऊंचे दर्जे के गठित या पेचीदगी भरे हिसाब किताब जैसी कुछ चीज हुई । यदि हम गढ़वाली, कुमाऊं और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अथवा हरियाणा के पहाड़ों में रहने वाले डोग्रा रेजिमेंट के कुछ अन्य भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में सोचें, तो वे इसे समझ नहीं पायेंगे । मुझे इसी कठिनाई के संबंध में समूचे देश में से केरल से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पटना, सभी जगहों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं । मेरे विचार में यह उनकी वास्तविक कठिनाई है । वे कहते हैं कि यदि आप कोई पिछली देय राशि नहीं देना चाहते, तो मत दीजिये, परन्तु कृपया कोई विषमता नहीं होने दीजिये भुगतान करना तो शुरू कर दीजिये क्योंकि वे पद-अन्तर की भावना से त्रस्त हैं । मैं सोचता हूं एक तारीख विशेष से कुछ ही समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले एक सूबेदार मेजर को अपने से कुछ दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाले जवान से कम या उसी के बराबर

पेन्शन मिलती है। इसी तरह यदि एक लेफ्टिनेन्ट कर्नल उस तारीख के कुछ समय पहले सेवानिवृत होता है, तो उसे 625 रुपये की पेंशन मिलती है, और यदि एक सूबेदार मेजर एक दिन के बाद सेवानिवृत होता है, तो उसे 646/-रुपये मिलते हैं। और हमारा देश बना ही ऐसे लोगों से है जहां कि बाप फिर बेटे और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां सशस्त्र सेना में काम करती हैं। ऐसा न होने दीजिये कि बाप बेटे का या बेटा बाप का मजाक उड़ाये। उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि आप अमुक-अमुक तारीख को सेवानिवृत हुये और आपको इतना मिल रहा है। इसे भी विचार में लेना पड़ेगा। आप कृपया सहृदय होकर इस पर विचार करें। यह महत्वपूर्ण है। यह मेरा नम्र निवेदन है और मैं आशा करता हूं कि इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया जायेगा उसके बाद आप जो कुछ निर्णय लेंगे, सभी उसका स्वागत करेंगे। यदि यहां बैठे हमारे कुछ मित्र इस सम्बन्ध में कोई फार्मूला बता सकें, तो अच्छा होगा, जो फार्मूला बनाया गया था, कैसे भी हो, किसी न किसी आदमी ने उसे बनाया था---और इसने हर एक व्यक्ति के लिये बहुत अच्छा किया।

यही एक मात्र बात है जो मैंने आपकी जानकारी में लाना चाहा। अन्यथा, रक्षा मंत्रालय जिस ढंग से सारा काम करता आया, मैं उसकी उच्च प्रशंसा करता हूं। उनकी योजना, सोच, कार्यकरण के तरीके, सभी के सभी बहुत सराहनीय हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपने को अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० बसंत कुमार पण्डित (राजगढ़) : महोदय, मेरे माननीय मित्र ने अभी-अभी रक्षा विभाग के कार्य की सराहना की। मैं यहां केवल आलोचना करने के लिये खड़ा नही हुआ हूं। हमारे पास इस रिपोर्ट में वह स्थिति दिखायी देती है, जैसे कि हमने दूरबीन (बाइनॉक्युलर) लगाई है। बाइनॉक्युलर हमें दिखा सकता है कि 'रेस कोर्स' में घोड़े कैसे दौड़ रहे है; या ज्यादा से ज्यादा हिमाचल पर्वतश्रृंखला के दर्शनीय भाग दिखा सकता है। परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हमें इस स्थिति को समझने के लिये टेलिस्कोप की आवश्यकता है।

किसी देश की रक्षा नीति भू-केन्द्रिक अवश्य होनी चाहिये। हम अपने चारों ओर अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। यह बहुत अच्छी रिपोर्ट है परन्तु इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं। प्रश्न यह है हमारी भू-केन्द्रिक स्थिति क्या है ?

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमारे चारों ओर एक भी मित्र नहीं है। पाकिस्तान युद्ध छेड़ने पर तुला हुआ है। बंगलादेश राजनैतिक रूप से अस्थिर है और उसमें आन्तरिक गड़बड़ी है। इन दोनों ही देशों में समुचित रूप से निर्वाचित सरकारें नहीं हैं। उनमें मिलट्री शासन है। हमारी उतरी सीमाएं दबाव में परेशानी उठा रही हैं। आन्तरिक स्थिति भी इतनी अनुकूल नहीं है। यदि हमें युद्ध का सामना करना पड़े, तो हमारी जनता का नैतिक बल इतना गिरा हुआ है कि हमें उसका सामना करने में कठिनाई होगी।

हमारी माननीया प्रधान मंत्री देश को हमेशा चेतावनी देती हैं कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे माननीय रक्षा मंत्री भी अपने विचार प्रकट करते रहे हैं और हमारे कुछ सेनापति भी कभी-कभी अपनी युद्ध सम्बन्धी तैयारी के बारे में बताते हैं। परन्तु हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन, "चोगम" और

इस प्रकार के अन्य संगठनों के माध्यम से शान्ति स्थापित करने हेतु युद्ध के विरुद्ध विश्व राय पैदा करने में बहुत कुछ किया है। मैं उनका अल्प मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, परन्तु युद्ध के संदर्भ में हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अकेले हैं। ऐसे देश हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहते कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश एशियायी महाद्वीप क्षेत्र में विकास या प्रगति करें। अत: स्पष्ट रूप से कहें तो यदि दुर्भाग्यवश कोई युद्ध छिड़ गया तो यह युद्ध केवल दोनों देशों के बीच नहीं होगा। अपितु इसमें दूसरे देश परोक्ष रूप से संबद्ध होंगे। इसलिये, हमें देखना होगा कि अपने चारों ओर क्या स्थिति है।

4.59 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

युद्ध की तैयारी में आंतरिक सतर्कता के साथ आत्म-निर्भरता भी शामिल है जिसमें दृढ़ रक्षा नीति भी होनी चाहिये। हम इस कार्य को समुचित परिप्रेक्ष्य में करें। अब मैं उन तीन कोणों की बात करूंगा। जिससे मैं देश की रक्षा संबंधी तैयारी देखना चाहता हूं। पहला, हमारे पडोसियों का अभिप्राय और उनके द्वारा अपनाई गई युद्ध जैसी तैयारियां और नीतियां। इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि किसी भी दिन हमें युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे दृष्टिकोण में रक्षा सम्बन्धी तैयारी, हथियारों में हमारी आत्म-निर्भरता और रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं। तीसरा पहलू देश में नैतिकता का है जिस पर केवल जवानों का ही नहीं आम जनता का नैतिक बल निर्भर करता है। लडाइयां बिना वजह से नहीं की जाती। लड़ाइयाँ करने के विभिन्न कारण होते हैं। लड़ाई छेड़ने के बजाए, पूर्ण तैयारी करना तथा आत्म-निर्भर बनना ही हमारी स्वतन्त्रता का सही फल होगा। इस दृष्टिकोण को मन में रखते हुये, मैं युद्ध का सामना करने हेतु सदैव की तत्परता रहने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दे रहा हूं।

5.00 म० प०

सिद्धांतत: देश की राजनैतिक स्थिति को यथासंभव नियंत्रित करना पड़ेगा। पिछले कई महीनों से, मेरा मतलब, डेढ़ साल से, पंजाब में तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछली लड़ाइयों में पंजाबियों ने अनेक अच्छे रिकार्ड कायम किये हैं, दूसरे रेजिमेंटों ने भी किये हैं। टैंक चलाने अथवा लड़ाकू विमान का चालक लोगों का हौसला नहीं बढ़ाता बल्कि यह कार्य जन सामान्य को आमंत्रित करता है। हमें वह मनोबल कायम करना है। राजनैतिक रूप से हमें कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, हम इस चरण में समय नहीं गंवा सकते। देश में अस्थिरता है। यह केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति ही नहीं, अपितु जातिवाद और अन्य संघर्ष भी हैं जो देश में जारी हैं भले ही उनका उद्देश्य वोट एकत्र करना है, परन्तु युद्ध की स्थिति में हमें इस की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम मौन नहीं बैठ सकते और हमें देश में इस आंतरिक स्थिति पर गम्भीरता से सोचना चाहिये।

महोदय, जम्मू और कश्मीर में स्थिति बहुत असन्तोषजनक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि युद्ध की स्थिति में जब हम अपनी सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजेंगे, तब वास्तव में क्या होगा। आम जनता के मनोबल पर क्या गुजरेगा ? लार्किन्स जैसे लोगों के मामले हैं। आज लोकसभा में

एक प्रश्न था जो गुजरात (कच्छ) क्षेत्र में विद्रोह और रक्षा संबंधी मानचित्रों को तस्करों के माध्यम से बाहर निकलने से संबंधित था। ऐसा बहुत समय से हो रहा है। विदेशी एजेन्ट तस्करों से मिले हुए थे। तस्करों की पुलिस से सांठ-गांठ है। परन्तु तस्करों के वेष में विदेशी एजेन्ट छिपे रहते हैं जिन्हें यथा संभव जानकारी प्राप्त करने हेतु नियुक्त किया जाता है और यह दुःखद बात है कि पैसे के लिए भारतीय रक्षा संगठन से संबंधित सामरिक महत्व की जानकारी आसानी से देश के बाहर चली जाती है। मुझे कुछ समय पहले गुजरात जाने का मौका मिला था। इस विषय पर प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि उन्होंने अब सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया है। परंतु हमारे पास उन्हें जो पहले ही सचेत होता है, वह समझो पहले ही से सशस्त्र रहता है। समय बहुत कम रह गया है। हमारे रक्षा बजट में वृद्धि हुई है और यह ठीक भी है। हम इसका स्वागत करते हैं। हम तो इससे अधिक परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। मशीन, हथियार और शस्त्र बहुत बड़ी मात्रा में जमा किए गए हैं जो कि हमारे पास नहीं हैं। और यह मामला सार्वजनिक विचार-विमर्श का बन जाता है। मैं अभी हाल ही के कुछ एक उदाहरण देता हूं। "पूअर प्रोड्क्शन प्लानिंग" शीर्षक से एक लेख है। यह 23 अप्रैल, 1983 के इंडियन एक्सप्रेस में है। इसमें जो लिखा है इसका आशय यह है :—

"जब बड़े-बड़े शस्त्र लाए गए हैं और लाइसेंस के अन्तर्गत उनका उत्पादन भी किया गया है तो प्रारंभिक स्तर पर उनको शत प्रतिशत आयातित सामग्री लगी होती है और उत्पादन शुरू होने पर यह लगभग 69 प्रतिशत रह जाता है। इसको देखते हुए पता चलता है कि रक्षा उत्पादन संगठन द्वारा उपकरणों के उत्पादन में जोड़ी गई प्रति व्यक्ति—वर्ष की लागत सहयोगी देशों की ऐसी ही लागत का एक छोटा सा अंश ही है। सरकार द्वारा सैनिक सामान के उत्पादन की लागत होने का यह एक प्रमुख कारण है जिसके कारण सेनाओं को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने के लिए संसाधनों का अभाव रह जाता है। उत्पादन लागत में प्रति वर्ष दिखाई जाने वाली वृद्धि का यह मतलब नहीं है कि इस लागत वृद्धि के अनुपात में हथियारों या शस्त्रों की कोटि में भी वृद्धि हुई है।"

मैं एक अन्य लेख का संदर्भ देता हूं। यह 6 दिसम्बर, 1983 के 'हिन्दू' समाचार पत्र में है। इसका शीर्षक है "दी चेंजिंग फेज ऑफ डिफेंस प्लानिंग" लोक लेखा समिति के इस कथन का उल्लेख किया गया है :

"समिति का विचार है कि यदि मंत्रालय और वायुसेना ने लम्बी अवधि की जरूरतों पर कड़ी निगरानी रखी होती तो इससे बचा जा सकता था। अतः समिति पहली की गई इस टिप्पणी को पुनः दोहराती है कि इस मामले में निर्णय लेने में तदर्थता दिखाई गई है और....." वास्तव में जैसा उत्पादन किया जाना था इसमें कोताई की गई है। जहां तक शस्त्रों, युद्ध उपकरणों का संबंध है हम एक वैज्ञानिक और आधुनिक युग से गुजर रहे हैं। इसमें अनेक मत क्यों लिए जायें कि यह विशेषज्ञ समिति, और वह विशेषज्ञ समिति उनकी रिपोर्टों में मत-भिन्नता होती है और इसका परिणाम यह होता है कि कोई निर्णय नहीं किया जाता।

एक तीसरा लेख भी है जिसमें बिल्कुल यही बात कही गई है। नई दिल्ली से प्रकाशित दिनांक 7 फरवरी, 1984 के 'स्टेट्समैन' में श्री एस० एन० अन्तिया द्वारा "डिफेंस प्रिपेयर्डनैस" "ए डिकेड ऑफ नैगलैक्ट एण्ड कम्पलेसेंसी" शीर्षक से एक लेख छपा है।

ऐसे लेख छपते हैं और ये छपने भी चाहिएं । परंतु इन पर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होनी चाहिए । ये लोग बुद्धिमान हैं । हम सामान्य लोग हैं, परन्तु जब हम इन्हें रुचि लेकर पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है । हम महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है । जैसा कि रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है वैसी बात नही है और कहीं न कहीं कुछ त्रुटि है । क्या कमी है इसका पता आप स्वयं लगाएं । मंत्री महोदय इन कमियों को जहां तक संभव हो, दूर करें और आगामी वर्षों में कोई ठोस कदम उठाएं । शीघ्रता से निर्णय लिया करें ।

श्री जी० सी० कटोच का एक लेख है । यह पहली जून, 1983 के स्टेट्समैन में 'डिफेंस ऑफ दी स्काईज' 'नो रूम फॉर दी हॉफ-मैजर्स' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है ।

इन सबसे पता चलता है कि हमारी योजना में कुछ कमी है और इसकी गम्भीरता से जांच की जानी चाहिए । अतः जब हम इन प्रश्नों के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो मन अशांत हो जाता है । यदि एडवांस वार्निंग एयरक्राफ्ट, शक्तिशाली राडार से युद्ध होता है तो हमारी स्थिति क्या होगी, हम नहीं जानते ? क्या जैगुआर या मिराज 2000 या मिग 29 के बारे में भ्रांति दूर हो गई है ? हम वास्तव में क्या लेने जा रहे हैं ? क्या आप तीनों लेंगे ? क्योंकि प्रत्येक आधुनिक उपकरण या मशीन के लिए विशेष किस्म के प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है । हम एक ही समय में इनमें से दो या तीन लेकर धन व्यर्थ नहीं कर सकते । इसी प्रकार 'मेन बैटल टैंक' कहां है ? जैसाकि मेरे एक मित्र ने पूछा है कि 'चेतक' कब तैयार होगा ? क्या रूस से आप ही टी-72 का आयात करेंगे ? क्या आप लाइसेंस के अन्तर्गत टी-72 बनायेंगे ? क्या आप इन बातों के बारे में ब्यौरा देंगे ? यह समाचार पत्रों में आम चर्चा का विषय बन गया है । 'एडवांस लाइट हेलिकाप्टर' के बारे में कुछ भ्रम है । मुझे बताया गया है कि पिछले एक दशक में इसका एक भी डिजाइन नहीं बनाया गया है । इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है कि किस मॉडल का अनुसरण किया जाए, क्या इसका आयात किया जाए या इन्हें खरीदा या बनाया जाए । मैंने तीन उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे मेरी आशंकाओं का समाधान करें । मेरे विचार में इस बारे में सारे देश में भ्रम है । इस सम्बन्ध में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है । परन्तु मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है । उन लोगों का हौसला बढ़ेगा जब उन्हें बताया जाएगा कि योजना, संभावी योजना और कड़ी निगरानी योजना के अनुसार सब कुछ ठीक-ठीक चल रहा है और कोई भी गलत बात नहीं होगी ।

विलम्ब से कार्यवाही करने और डिजाइन आदि बदलने का एक प्रमुख कारण इनके अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी खरीद करने का जुनून है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के विरुद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय गुट काम कर रहा है । यह गुट आपको पहले सस्ते माडल का मूल्य बताएगा । इसके बाद आप अच्छे मॉडल के लिए किसी अन्य देश से बातचीत करेगा । तब ये लोग अपने मूल्य कम कर देते हैं और इस सौदेबाजी में आपका कीमती समय बर्बाद हो जाता है । एक बार आप जिन आधुनिक शस्त्रों को खरीदने का निर्णय कर लेते हैं, उस पर दृढ़ रहें और इसे उस देश से खरीदें जो तुरन्त इसकी सप्लाई तकनीकी जानकारी के साथ करे । आपको उनके हिस्सों, पुर्जों के प्रश्न को भी विचार में रखना चाहिये । मुझे डर है कि जिन उपकरणों का हमने आयात किया है उनके 60 प्रतिशत पुर्जों का भी आयात करना पड़ेगा, पुर्जों के आयात की मजबूरी संकट के समय

पर हमारा गला दबा देगी । अत: रक्षा कार्यों की देखरेख के साथ-साथ रक्षा उत्पादन कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त पुर्जों के भण्डार पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए ।

कई बार रक्षा सेनाओं, डिपुओं और अन्य स्थानों पर भ्रष्टाचार के बारे में पता लगता है । इस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है । रक्षा बजट के लिए मंजूर की गई धनराशि में से एक भी रुपया व्यर्थ करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए । इसके विपरीत हमें कुछ और अधिक देने के प्रयास करने चाहिएं । गैर योजना मदों पर अनावश्यक रूप से भारी धनराशि खर्च की जाती है । इसकी भी जांच की जानी चाहिए तथा त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए । भारतीय सामान खरीदने, स्वदेशी वस्तुओं का आर्डर देने में भी राजनीति काम करती है । और इसके बाद यदि कोई भाई भतीजवाद का सहारा लिया जाता है और सेवा शर्तों में कुछ त्रुटिया हैं तो उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए । आधुनिक हथियारों और उपकरणों की खरीद के बारे में कोई विवाद और राष्ट्रीय चर्चा नहीं होनी चाहिए । मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय मेरा संदेह दूर करेंगे और सदन को आश्वासन देंगे कि सब कुछ किया जा रहा है और निकट भविष्य में किया जाएगा । देश की सैनिक तैयारी में सिविल डिफेंस भी शामिल है । किसी देश में आदमी का बहुत महत्व है । पिछले तीन युद्ध कुछ और किस्म के थे । मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है कि यदि युद्ध होता है तो यह पिछले तीन युद्धों में भिन्न होगा । यह एक आधुनिक ढंग का होगा और कम से कम 50 प्रतिशत लोग इससे प्रभावित होंगे ।

मुझे आशंका है कि सिविल डिफेंस के मामले में भी लापरवाही की जा रही है । पिछले सभी तीन युद्धों में, जब मैं महाराष्ट्र में था, हमने नागरिक सुरक्षा समितियां बनाई थीं । उस समय देखने में आया था कि सायरन भी उचित ढंग से काम नहीं कर रहे थे । अब समय है लोगों को प्रशिक्षित करने का । इसमें काफी समय लगेगा । आधुनिक युद्ध के दूरगामी प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षा देनी होगी । हमारे पास ठीक समुद्र के किनारे तारापुर परमाणु बिजली घर, भाभा अनुसंधान परमाणु आयोग, बोम्बे हाई और अन्य ऐसे स्थानों के अतिरिक्त कुछ नहीं है । वे आधुनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं । लोग ऐसे नाजुक स्थानों पर बैठे हैं जिन्हें लक्ष्य बनाया जा सकता है । उन्हें इस बात की शिक्षा देनी होगी कि आधुनिक युग का मुकाबला किस प्रकार किया जाए । अत: आपसे मेरा अनुरोध है कि नागरिक रक्षा समितियां, एन० सी० सी० का पुनर्गठन किया जाए, होमगार्ड, सहायक बलों, प्रादेशिक सेनाओं, भूतपूर्व सैनिकों को तैनात किया जाए और ताकि ये लोगों के पास जाकर उन्हें आश्वासन ही नहीं बल्कि उन्हें युद्ध का सामना करने के लिए तैयार कर सकें ।

सैनिक स्कूलों का विस्तार करने के लिए यह उचित समय है । अधिक से अधिक सैनिक स्कूल होने चाहिएं । हम 20 सूत्री कार्यक्रम, शिक्षित और अशिक्षित लोगों के रोजगार की बात करते हैं । और अधिक सैनिक स्कूलों की भी आवश्यकता है । मध्य प्रदेश, नागपुर और कर्नाटक संचार-तन्त्र की दृष्टि से उचित हैं और वहां सैनिक स्कूल खोले जाने चाहिएं ।

इसी प्रकार मेरे अन्य सुझाव सिविल या सैनिक अस्पतालों के बारे में हैं । इनकी हमारे पास कमी है । मरीजों की संख्या के अनुपात में डाक्टरों और नर्सों की कमी है । सैनिक अस्पतालों में जहां तक डाक्टरों, नर्सों और पैरा-मैडिकल स्टाफ के अनुपात का संबंध है, इनके अनुपात को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाना चाहिए ।

यदि ये सब काम कर दिए जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश स्थिति का सामना कर सकता है और किसी भी समय होने जाने वाले युद्ध का मुकाबला कर सकता है ।

श्री अर्जुन सेटी (भद्रक) : उपाध्याय महोदय, रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

चर्चा की शुरूआत करने वाले माननीय सदस्य की बात मैंने सुनी है । परन्तु मुझे यह नहीं समझ आया कि वे रक्षा मंत्रालय की त्रुटियां निकालने का इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं । उन्होंने इस समय मंत्रालय की इन बातों के लिए आलोचना की है कि मंत्रालय के पास कोई संभावित योजना नहीं है, युद्ध होने की स्पष्ट परिकल्पना नहीं है आदि आदि ।

इस गरिमायुक्त सदन का सदस्य होने के नाते मैं माननीय वक्ता सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि अपने भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा वह रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन से सम्बन्धित नहीं है । रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन के प्रारम्भ में ही हमारे देश की सुरक्षा के खतरों को स्पष्ट रूप से बताया गया है । प्रतिवेदन में देश में रक्षा योजना के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई परि-प्रेक्ष्य योजना के बारे में भी बताया गया है ।

यह बात सच है कि हम जिस योजना, अथवा विकास अथवा तकनीक को अपनाते हैं उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है । मैं इस बात को मानता हूं लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्य ने यह कहकर बेहतर कार्य नहीं किया है कि सरकार को हमारे देश की सुरक्षा के खतरों का बोध नहीं है और सरकार हमारे देश के लिए आवश्यक परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बना पाई है । विपक्ष के माननीय सदस्य ने केवल चर्चा के दृष्टिकोण से ही इस प्रकार की बात कही है ।

हमारे देश को सुरक्षा के खतरों को दीर्घकालिक, उप-महाद्वीपीय, क्षेत्रीय और विश्व के संदर्भ में यथार्थ रूप में देखने की आवश्यकता है । इस सच्चाई को हमारे देश के योजना बनाने वालों के ध्यान में लाया जाना चाहिए ।

यह बात आश्चर्यजनक है कि हमारे देश में विशेष कारण से ऐसा करने वाले लोग और गलत जानकारी रखने वाले लोग, उत्तर में चीन को भूलकर केवल पाकिस्तान के संदर्भ में ही देश की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा करते हैं लेकिन उस मामले में हम एक देश के रूप में जानते हैं तथा सारा विश्व जानता है कि हमें आन्तरिक तथा बाह्य दोनों ही समस्याओं का सामना करना है और पाकिस्तान हमारे लिए एकमात्र समस्या नहीं है ।

इन समस्याओं को हल करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जो भी प्रयत्न किये गए हैं और इसके द्वारा जो भी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, वे सराहनीय हैं ।

हमारे पड़ोसी देशों द्वारा तथा हमारे उत्तर, पश्चिम, उत्तरपूर्व के देशों द्वारा और हिन्द महासागर में समय-समय पर हमारे सामने जो चुनौतियां उपस्थित की गई हैं, उनका सामना करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में रक्षा मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में बताया है ।

निस्संदेह रूप से रक्षा मंत्रालय को एक वृहत कार्य करना है । यह बात सराहनीय है कि समस्या चाहे जितनी भी जटिल हो, रक्षा मंत्रालय ने हमारे पड़ौसी देशों द्वारा तथा हिन्द महा-

सागर में पैदा की गई चुनौतियों का सामना कर सकने वाले एक बल को तैयार करने के भारी प्रयत्न किये हैं।

दुर्भाग्यवश बहुत से माननीय सदस्य सदन में और सदन के बाहर बहुत से लोग हमारे देश की सुरक्षा को जिन खतरों का सामना करना पड़ रहा है उनको कम आंकते हैं तथा कम महत्व देते हैं। बहुत से माननीय सदस्य हमें यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। वे यह कहकर भी हमें संतुष्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान हमारे विरुद्ध युद्ध छेड़ने की स्थिति में नहीं है और हमारे पास पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक सैन्य शक्ति है, इसी कारण से पाकिस्तान की भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं होगी।

ये लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि सरकार लोगों के मन में युद्ध की बात बैठाने के विचार से ही देश की सुरक्षा को पाकिस्तान से खतरे की बात कर रही है।

लेकिन स्थिति इतनी आसान नहीं है। मेरे माननीय मित्र जनरल स्पंरो ने जो कुछ बताया है, उसको हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है, (समाचार-पत्रों में इस प्रकार के समाचार भी प्रकाशित हुए हैं कि अमरीका तथा अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को कौन-कौन से आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस प्रकार हथियारों से सुसज्जित किया जाना हमारे लिए खतरा है। हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा समय-समय पर जो हथियार और युद्ध सामग्री प्राप्त की गई, उसको समय-समय पर हमारे विरुद्ध प्रयोग में लाया गया है, और इस बात में कोई गोपनीयता नहीं है कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान तथा अन्य देशों द्वारा इस प्रकार हथियारों को प्राप्त करने से हमारी सुरक्षा प्रभावित होती है। हमारे देश को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह कहकर मैं सरकार तथा मंत्री महोदय से इस चुनौती का सामना करने का निवेदन करता हूं। हमारी नौ सेना, हमारी स्थल सेना तथा हमारी वायुसेना को भविष्य में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हमारा समुद्र-तट क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जिसकी किसी भी प्रकार के खतरे की स्थिति से रक्षा करनी होती है। हमें तट-पर तथा तट-दूर, दोनों पर ही स्थित बहुत से प्रतिष्ठानों तथा सामुद्रिक हितों की रक्षा करनी होती है। इसी प्रकार हमारा आर्थिक क्षेत्र भी है जो 19.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारी नौ सेना को इस विस्तृत समस्या का सामना करना पड़ता है। नौ सेना युद्ध इस दृष्टिकोण से भी विशिष्ट है कि इसके युद्ध का कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं होता है और समय-समय पर इसका युद्ध क्षेत्र नाटकीय ढंग से परिवर्तित होता रहता है। इसके लिए उच्च स्तर पर तैयारी करने तथा उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार उनका गतिशीलता से मुकाबला करने की आवश्यकता होती है। हम यह जानते हैं कि मंत्री महोदय ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में, तथा इस प्रतिवेदन में भी यह बताया है, कि उस समाचार के सम्बन्ध में, जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है और पाकिस्तान तथा पड़ोस में जो भी नये हथियार प्राप्त किए गए हैं, उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है कि हम उन चुनौतियों का पर्याप्त रूप से सामना कर सकें। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं वे यह स्पष्ट करें कि उनके द्वारा की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है? हमने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी नौ सेना के लिए हारपून प्रक्षेपास्त्र प्राप्त किए हैं। हम यह जानते हैं कि रक्षा करने के लिए पाकिस्तान का तटीय क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं है, जितना कि हमारा है। फिर

उन्होंने किस प्रयोजन के लिए उन प्रक्षेपास्त्रों को प्राप्त किया है ? इसका निश्चित रूप से हमारी रक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है । मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे संसद को स्पष्ट रूप से बतायें कि चुनौती का सामना करने के लिए सरकार पर आ रही नई जिम्मेदारी का सामना करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाये हैं, रक्षा मन्त्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ।

इसी प्रकार हमने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है—और यह प्रश्न इस सदन में भी उठाया गया है कि पाकिस्तान द्वारा हाल ही में ए० डब्ल्यू० ए० सी० एस० सहित और अधिक एफ-16 विमान प्राप्त किए गए हैं । यदि यह समाचार सही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परिस्थिति का सामना करने के लिए भी सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं । हम जानते हैं तथा मंत्री महोदय ने संसद को यह सूचित किया है कि हम इस चुनौती का सामना करने के लिए नवीनतम मिग विमान प्राप्त कर रहे हैं । हम नवीनतम अस्त्रों-शस्त्रों को भी प्राप्त कर रहे हैं । यह सब ठीक है, लेकिन हमें हमेशा विदेशी स्रोतों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध के समय में तथा संकट के समय में एक ऐसी स्थिति हो सकती है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो हमारे देश की रक्षा तैयारियों को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर सकती है । क्यों कि एक देश जो आज हमारा मित्र है वह किसी भी समय में हमारे प्रतिकूल हो सकता है । ऐसा मौका भी आ सकता है जो उनको हमारे प्रतिकूल कर दे । ऐसी स्थिति में यदि हम उन हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहते हैं तो हमारा हित संकट में पड़ सकता है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि विदेशों पर हमारी निर्भरता को कम किया जाए तथा सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि वे जब भी किसी हथियार का आयात करें, तब वे उस हथियार का अपने देश में उत्पादन करने का लाइसेंस प्राप्त करें । लेकिन जैसा कि मेरे माननीय मित्रों द्वारा बताया गया है कि जब तक हम अपने देश में उत्पादन करते हैं तब तक वह हथियार अप्रचलित हो आता है । ऐसी स्थिति में जब हम बातचीत करते हैं और कुछ हथियारों को प्राप्त करने के लिए कोई समझौता करते हैं, तब हम क्यों न सीधे लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए समझौता करें । समझौते में ही इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम सीधे लाइसेंस के अधीन उत्पादन का समझौता कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य द्वारा जगुआर तथा मिराज के बारे में उल्लेख किया गया है कि हमने पहले ही जगुआर को प्राप्त कर लिया है और हम फ्रांस से मिराज प्राप्त करने वाले हैं । जब हम इन हथियारों तथा विमानों को प्राप्त करते हैं तभी हमें तुरन्त एक समझौता करना चाहिए ताकि हम अपने देश के हित में उनके लाइसेंस प्राप्त उत्पादन को आरम्भ कर सकें । क्योंकि जब तक हम ऐसा नही करेंगे, तब तक कीमती समय नष्ट हो जाएगा और जब तक हम उस विशेष विमान अथवा हथियार का उत्पादन करेंगे तब तक वे अप्रयुक्त भी हो सकते हैं ।

मैं, अपने समुद्र-तट रक्षकों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । जैसा कि मैंने पहले ही बताया है नौ सेना को समुद्र-तट रक्षकों के साथ अपने देश की विस्तृत समुद्र-तट रेखा तथा सामूहिक हितों की रक्षा तथा समुद्र में स्थापित किये जा रहे नये प्रतिष्ठानों की रक्षा का वृहत कार्य करना होता है । मुझे यह बताया गया है कि सरकार ने समुद्र-तट रक्षकों के लिए कुछ हेलीकाप्टरों को प्राप्त करने का निर्णय किया है लेकिन इस कार्य को अभी तक नहीं किया गया है ।

यदि यह समाचार सही है और मैंने इनको समाचार-पत्रों में पढ़ा है, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हेलीकाप्टरों को प्राप्त करने का निर्णय किया है और क्या इसको कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं।

महोदय, अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि रक्षा प्रौद्योगिकी जो तैयार हो रही है उसमें भी बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। प्रौद्योगिकी एक ऐसा बल है जो तेजी से बढ़ रहा है और कोई भी हथियार, चाहे वह कितना भी आधुनिक अथवा उन्नत क्यों न हो वह नई प्रौद्योगिकी के आने पर अप्रयुक्त हो जाता है, तथा रक्षा के मामले में यह परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। अतः इसको अपने रक्षा नीति के सिद्धांत के रूप में ध्यान में रखते हुए हमें अपने आपको तैयार रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि किसी भी अवसर पर हमारी रक्षा तैयारियां पीछे न रह जायें और हम अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी में पीछे न रह जायें।

श्री एन० गोजागिन (बाह्य मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए बुलाने और अगली पंक्तियों से बोलने की अनुमति देने के लिए आपका आभारी हूं। मेरे विचार से यह पर्याप्त होगा कि कोई अन्तिम पक्तियों से भी बोले क्योंकि चर्चा का विषय रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है।

रक्षा सेनाओं को विभिन्न पंक्तियों से लड़ना पड़ता है। जब कभी आवश्यक होता है तो उन्हें पिछली ओर से भी बचाव करना होता है। इसलिए, यहां पर आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वाले हैं। सर्वप्रथम मुझे यह कहना है कि हमारी सेनाएं किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने में सक्षम हैं। यह देश के लोगों का विश्वास है। मुझे रक्षा सेनाओं के सभी अधिकारियों और सैनिकों पर गर्व है। मैं इसका श्रेय रक्षा मंत्रियों को देता हूं जिन्होंने रक्षा मंत्रालय के कार्य को कुशलता पूर्वक निभाया। मैं बजट के ब्यौरों में नहीं जाऊंगा। किन्तु मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम आजाद भारत में रह रहे हैं। किन्तु कुछ क्षेत्रों में हम लोगों के साथ समान बर्ताव करने में असफल रहे हैं—मैं यहां पेंशनभोगियों की बात कर रहा हूं—वे पेंशनभोगी जिन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व काफी लम्बे समय के लिए सेवा की और स्वतन्त्रता प्राप्ति के एकदम बाद सेवानिवृत्त हो गए। उन लोगों को बहुत कम पेंशन मिल रही है जबकि जो लोग हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें उनकी तुलना में अधिक पेंशन मिल रही है जबकि दोनों के रैंक एक ही थे। इस सम्बन्ध में क्या कठिनाई है। रक्षा मंत्रालय के प्रभारी मंत्री इस मसलों को क्यों नहीं निपटाते ? पेंशन के मामले में उन लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिये जिन्होंने निष्ठापूर्वक देश सेवा की। मैं यह कहूंगा कि हमने अपने देश के लोगों के साथ यह गलत बात भी है। यदि यह कर दिया जाता है तो यह सेवारत कर्मियों के लिए भी प्रोत्साहन होगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें। दूसरा, महोदय, हमारी सशस्त्र सेवाओं के तीन अंग हैं, अर्थात् थलसेना, वायु सेना और जल सेना, यदि उनके वेतन ढांचों में कोई भेदभाव है तो उसके परिणामस्वरूप असंतोष होगा। जहां तक संभव हो मंत्री महोदय को चाहिए कि वह अधिकारियों और जवानों को प्रोत्साहन दें। रक्षा सेनाओं के जवानों के बिना यह देश नहीं बचेगा। वह दिन रात हमारे देश की रक्षा करते हैं। वे दिन-रात हमारी सीमाओं की चौकसी करते हैं। वे लोग अपने कार्य के स्वरूप के कारण कोई समयोपरि भत्ता पाने के हकदार भी नहीं हैं। इसलिए मैं, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि

बजट तैयार करते समय रक्षा सेवाओं के वेतन ढांचे पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ताकि वे लोग अधिक वेतन तथा भत्ते प्राप्त कर सकें।

महोदय, हम जगुआर, मिराज, एफ-16, एटम बम और परमाणु बम की बात करते हैं। हम किसी ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयारी क्यों नहीं करते जब दूसरा हमारे विरुद्ध अत्याधिक घातक हथियार इस्तेमाल करता है ? हमें यह सामग्री प्राप्त क्यों नहीं करनी चाहिए ? क्या इसे प्राप्त करना हमारा अधिकार नहीं है। यदि हमें दूसरी ओर से किसी आक्रमण का डर है तो हम यह वस्तुएं प्राप्त क्यों नहीं करते ? इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले हमने ही इसका इस्तेमाल करना है।

महोदय, यदि आपके पास अत्याधुनिक हथियार हैं तो आप हर समय दूसरे पक्ष के साथ बातचीत करने की बेहतर स्थिति में हैं। इस प्रकार, आक्रमण होना सर्वोत्तम सुरक्षा है। हमें यह बात जान लेनी चाहिए।

मैं यह नहीं कहता कि हमें अपनी नीति बदल लेनी चाहिए। हम अपनी गुट-निरपक्ष और शान्ति की नीति जारी रख सकते हैं किन्तु हमें यह हथियार प्राप्त करने और बनाने का अधिकार है। पड़ौसी देशों द्वारा अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने के बारे में बातें करने और उनकी निन्दा करने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरा सिद्धान्त यह है कि आक्रामक होना सर्वोत्तम सुरक्षा है।

महोदय, इसलिए रक्षा बजट में जो भी राशि है, उसे बिना किसी आलोचना के स्वीकृति दे देनी चाहिए और यदि कोई महसूस करता है कि यह बहुत कम है तो इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, हम बेरोजगारी की बात करते हैं। हम अपनी रक्षा सेनाओं की संख्या बढ़ाकर युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा क्यों नहीं करते ? इसलिए, महोदय, यह सब बातें कहने का मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। बल्कि मुझे इस बात पर गर्व है कि हम किसी भी आक्रमण का सामना करने में समर्थ हैं।

महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इसमें सुधार कैसे हो सकता है। इससे हमारे देश की सुरक्षा की छवि सुधरेगी और हम किसी भी ओर से किसी भी आक्रमण का सामना करने के योग्य हो सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, रक्षा मंत्रालय की 1984-85 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।—धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैराले।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वह सामान्यतः शान्त रहते हैं किन्तु आज वह बहुत वाक्पटु हैं।

श्री मधुसूदन बराले (अकोला) : मेरे मित्र उस समय सदन में नहीं थे जब मैं सामान्य बजट पर 40 मिनट तक बोला था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगा रेल बजट पर 45 मिनट तक बोले थे। अब श्री बैराले।

श्री मधुसूदन बैरालें (अकोला) : मैं, रक्षा मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों का पूरा समर्थन करता हूं। महोदय, मैं यह कहूंगा कि रक्षा सम्बन्धी मामलों में हमारी तैयारी के बारे में हमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि प्रधान मंत्री के ओजस्वी नेतृत्व तथा हमारे रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा विभाग के कुशल संचालन के अन्तर्गत सभी बातें ठीक प्रकार से हो रही हैं। मेरे मित्र जो अभी मुझसे पहले बोले, उन्होंने नए हथियारों के निर्माण तथा अन्य बातों के बारे में कहा। मुझे उन सब बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

किन्तु, मैं सदन की जानकारी में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। जब हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमें अत्यन्त खतरनाक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की जानकारी है। दुर्भाग्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यन्त नाजुक और विस्फोटक है। सर्वप्रथम हमारा देश विकासशील देश है किंतु, मैं यह कहने का झूठा दावा नहीं करता कि हमें इस मामले में कुछ अन्य प्रजातंत्रों का अनुसरण करना चाहिए, मैं यह अनुभव करता हूं कि हम बड़े प्रजातान्त्रिक देशों का अनुसरण कर सकते हैं क्योंकि यह हमारी तैयारी में सहायक हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में नवीनतम सिद्धान्त निवारक सिद्धान्त है। यदि इस सिद्धान्त को मान्य समझा जाता है तो मैं समझता हूं कि देश में हमारी अपनी रक्षा नीति निर्धारित करते समय इस पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि निवारक नीति को पूरी मान्यता प्राप्त है। और यदि उस सिद्धान्त की कोई मान्यता है तो वह हमारे रक्षा सम्बन्धी तैयारी में लक्षित होनी चाहिए।

महोदय, आधुनिक तकनीक तेजी से विकास कर रही है। यह तकनीक रक्षा के क्षेत्र में है, परमाणु साज-सामान के उत्पादन के क्षेत्र में है, आधुनिक मिसाइलों के उत्पादन के क्षेत्र में है, और यह तकनीक अधिकाधिक कारगर साबित हो रही है। वास्तव में कुछ देशों में सैनिक साज-सामान का उत्पादन ही उनका प्रमुख उद्योग प्रतीत होता है। कुछ देशों में हथियारों का इस प्रकार से उत्पादन उनका मुख्य उद्योग है। अनुवर्ती सिद्धान्त बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक वे अपने उत्पादकों को नहीं बेचते, वे मुनाफा नहीं कमा सकते और जब तक युद्ध की सम्भावना न हो तो लोग हथियार नहीं खरीदेंगे। इसलिए युद्ध की सम्भावना होनी चाहिए और इस जमीन पर अधिक से अधिक युद्ध हों इसके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योजना होनी जरूरी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ महाशक्तियां विभिन्न तरीकों और उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से यह योजनाएं बनाती हैं। मेरे विचार से यह काफी भ्रामक अभिकल्पना है और वह यह है कि यह रक्षा संबंधी रणनीति तैयार करने के लिए किया जाता है। शायद दस वर्ष पूर्व 'रक्षा रणनीति' शब्द का और कोई अर्थ होता था। आज 'रक्षा रणनीति' का अन्य अर्थ है। यदि मैं दिल्ली में लोकसभा के निकट अपनी सुरक्षा चाहता हूं, तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ परमाणु मिसाइलें लगाने को इस तर्क के साथ न्यायोचित ठहरा सकता हूं कि यह रक्षा भी रणनीति है और मुझे रक्षा तैयारी की आवश्यकता है। ऐसे वातावरण में रक्षानीति की बात करते समय हमें अधिक से अधिक भयाक्रान्त रहना होगा। विशेष रूप से, जैसाकि हम अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, हम इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते, कि यदि हम युद्ध में न भी कूदें, तो भी दुर्घटनावश हम पर कहर ढह सकता है। किन्तु यदि कहीं लड़ाई आरम्भ है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, उन पर उसका कोई असर नहीं होगा उनको भी क्षति होगी, वे भी नष्ट होंगे।

एक पक्ष कहता है कि उसके पास एक मिसाईल है और यह 10 मिनट में दूसरे देश की राजधानी पर मार कर सकता है। किन्तु दूसरा पक्ष कहता है कि उसके पास ऐसी मिसाईल हैं जो दूसरे देश की राजधानी पर 7 मिनट में मार कर सकती हैं। अब, एक अन्य देश का कहना है कि उसके पास ऐसी मिसाईल हैं जो दूसरे देश की राजधानी पर 3 मिनट के भीतर पहुंच सकती हैं। अब समुद्र के अन्दर प्रक्षेपास्त्रों से लैस पनडुब्बियों की अधिकाधिक संभावनाएं हैं और फिर वे उन पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। और अब नवीनतम बात जो कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में पढ़ी है वह यह है कि कुछ देश अंतरिक्ष में कुछ ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं जहां से वे पृथ्वी पर ऐसी किरणें भेज सकेंगे जो बीच में ही प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट कर सकेंगी।

अब, ये बातें इसी तरह चलती रहीं, तो किस को किस प्रकार की रक्षा रणनीति तैयार करनी होगी ? मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूं कि हमें इन सभी सामरिक नीतियों का अनुसरण करना है। लेकिन मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि रक्षा कार्यक्रम और अपनी रक्षा आवश्यकताओं की योजना बनाते समय, हमें सामरिक नीति सम्बन्धी सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा, आज हमारे पड़ोसी चुप नहीं रह रहे हैं। हमारी घेराबन्दी कर दी गई है। पाकिस्तान को—मैं नहीं जानता कि मेरे आंकड़े ठीक हैं अथवा नहीं और यदि ठीक नहीं है तो उनको ठीक किया जा सकता है—पिछले पांच वर्षों के दौरान पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक के हथियार सप्लाई किए गए हैं और कुछ का ऐसा विश्वास है कि उसे ये हथियार उधार रूप में नहीं सप्लाई किए गए थे अपितु सहायता के रूप में दिए गए थे। मुझे नहीं पता कि उसे किस आधार पर इन हथियारों की सप्लाई की गई। इसके बाद, दिएगो गार्सिया में फिर एक परमाणु अड्डा बनाया जा रहा है और हाल ही में हमारे देश के पूर्वी भाग में आयोजित फुटबाल मैच के दौरान कुछ घटना हुई। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि यह इस अकेली घटना के अतिरिक्त किसी अन्य बात का संकेत नहीं हो क्योंकि आजकल कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब विश्व के एक भाग में कोई घटना घटित होती है तो इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कुछ लोग यह अवश्य चाहेंगे कि हमें अपनी पूर्वी सीमा पर व्यस्त रखा जाए, वे यह भी चाहेंगे कि वे हमें हमारी तट रेखा पर व्यस्त रखें, वे यह भी चाहेंगे कि इस सेवा के साथ-साथ हमें दिएगो गार्सिया में भी व्यस्त रखा जाए। और उत्तर में भी व्यस्त रखा जाए। उन्होंने सभी दिशाओं में आस्थिरीकरन की ताकतों को पहले ही लगा दिया है।

रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते समय मैं इन विभिन्न कारणों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

जब मैं आधुनिक प्रोद्योगिकी और कुछ देशों के लिए हथियारों का उद्योग प्रमुख हो जाने की चर्चा करता हूं तो इस एक बात की ओर मैं इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश की सीमाओं पर सजग तैनात हमारी सशस्त्र सेनाओं की एकमात्र समस्या देश की रक्षा करना नहीं है। जब तक हमारे देश के अन्दर लोगों में उच्च मनोबल नहीं होती, जब तक देश में उच्च मनोबल की भावना नहीं होती, जब तक देश में एकता की भावना नहीं होती, जब तक हमारे उच्च मनोबल और भावनाओं के बारे में अनवरत सतर्कता नहीं होती, तब

तक, मैं नहीं समझता कि हम केवल सशस्त्र सेनाओं पर निर्भर कर सकते हैं। आजकल ये सभी आक्रमण और प्रचार केवल विमानों अथवा परमाणु प्रक्षेपास्त्रों, अथवा टैंकों अथवा बमों से नहीं किए जाते अपितु आक्रमण के दूसरे तरीके भी हैं और आक्रमण के वे तरीके, खासतौर पर आधुनिक सभा में, हमारे देश के लोगों के बीच में झगड़े पैदा करके, हमारे देशवासियों में हीन भावना पैदा करके, हमारे नेतृत्व के बारे में सन्देह पैदा करके और इस प्रकार की भावना पैदा करके हम दुनिया के अन्य भागों की तुलना में छोटे, गरीब अथवा हीन हैं, हमारे देश वासियों के मस्तिष्क में विषवमन कर रहे हैं। और कुछ ऐसी एजेंसियां हो सकती हैं जो जानबूझकर अथवा बिना किसी उद्देश्य के उन ताकतों के हाथों में खेल रही हैं जो चाहते हैं कि हमारा मस्तिष्क, यदि पूरी तरह नहीं तो आंशिक तौर पर, विषाक्त कर दिया जाए, मनोबल कमजोर कर दिया जाए और मुझे इस बात की आशंका है कि यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम कठिनाइयों में फंस जाएंगे।

मैं जानता हूं, यह रक्षा विभाग का प्रत्यक्ष कर्तव्य नहीं है। मुझे आशा है माननीय मंत्री महोदय मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे, लेकिन जब मैं कार की चर्चा करता हूं तो कार के साथ स्टीपनी की चर्चा करना मेरे लिए अपरिहार्य होगा। यह कारण है कि मैंने इस बात का उल्लेख किया है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है। एक देश भक्त नागरिक के रूप में अनेक बार यह सन्देह मेरे मस्तिष्क में पैदा हुआ है कि प्रचार के माध्यम में रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से और अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और प्रचार माध्यमों के कुछ वर्गों के माध्यम से भी एक विशेष तरीके से हम पर अप्रत्यक्ष आक्रमण किए जा रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : किस रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से ?

श्री मधुसूदन बैराले : यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा स्टेशन सुनते हैं। रेडियो तो एक सा ही होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है आप किस 'बेव' पर रेडियो सुन रहे हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा स्टेशन लगाया है। यह इस

6.00 मा० प०

बात पर निर्भर करता है आप कहां से समाचार सुनना चाहते हैं। यह इन सभी बातों तथा इसी प्रकार की अन्य बातों पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि हमारे देश के चारों ओर अधिकाधिक शक्तिशाली रेडियों ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि श्रीलंका में 'वायस आफ अमेरिका' ज्यादा शक्तिशाली है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैराले, मैं समझता हूं, आप शीघ्रता से अपना भाषण समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि आप बड़े ही जोरदार ढंग से अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। इसलिए, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब हम आधा घंटा की चर्चा शुरू करते हैं। श्री रामविलास पासवान।

6.01 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिलों सम्बन्धी जाँच की रिपोर्ट

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि यह इतने लोक महत्व का प्रश्न है और यहां हमारे मित्र श्री आरिफ मोहम्मद खां साहब बैठे हैं, उनसे मुझे पूरी सहानुभूति हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मंत्री महोदय को बुलाएं ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई-उत्तर मध्य): मंत्री महोदय कहां हैं ?

श्री राम विलास पासवान : श्रीमन् ! मैं चाहता हूं कि केबिनेट मंत्री श्री पी० शिवशंकर को यहां उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है कि परसों जब आधे घंटे की चर्चा को कार्यसूची में शामिल किया गया था तब भी श्री शिव शंकर यहां थे लेकिन इस सदन में उपस्थित नहीं थे । आज भी दिल्ली में अपने कार्यालय में हैं ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : यह कोई अनुचित नहीं है ।

श्री रामविलास पासवान : मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कई अफसर पकड़े जा चुके हैं और मैटर इतना कांप्लीकेटेड है कि कैबिनेट रैंक का मंत्री ही हो ।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर रामविलास पासवान जी कांप्लीकेटेड मैटर उठा सकते हैं तो मैं उस कांप्लीकेटेड मैटर का जवाब भी दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं है तब आप यह बात कह सकते हैं और माननीय मंत्री जी से उपस्थित रहने के लिए कह सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत परिश्रम करने के बाद यह प्रश्न सदन के पटल पर आया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मंत्रि परिषद की संयुक्त जिम्मेदारी है कोई भी मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है । आप किस नियम के अन्तर्गत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केबिनेट मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए ।

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इससे एक गलत मिसाल स्थापित होगी । यहां अन्य मंत्री किसलिए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री व्यस्त हो सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : नीति सम्बन्धी मामलों का निर्णय राज्यमंत्री नहीं कर सकते । केवल केबिनेट मंत्री ही ऐसा कर सकते हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : इस बात मैं पर कड़ी आपत्ति करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान आपके अनुरोध पर मंत्री महोदय आ गए हैं । तमिल में एक कहावत है कि यदि आपके सिर में चोट मारी जाती है तो सोने की अंगूठी से मारी जानी चाहिए ।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम श्री शिवशंकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि जितना मैं आपको रिगार्ड करता हूं उतना ही श्री आरिफ मोहम्मद खां साहब को रिगार्ड करता हूं। लेकिन मामला इतना कांप्लीकेटेड है कि जब मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे तो आप स्वयं समझ जायेंगे। आसाम के मामले से भी ज्यादा कांप्लीकेटेड है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा था कि इतना अहम सवाल है। इस प्रश्न को मैंने सबसे पहले 10 अगस्त, 1982 को उठाया था। इसलिए उठाया था कि संसद सदस्यों और आम लोगों को यह शिकायत थी कि बिजली के बिल अनाप-शनाप ढंग से चलते रहते हैं। कोई मीटर रीडिंग करने वाला नहीं है। न कोई बोर्ड में उसको चैक करता है।

मैंने स्पीकर महोदय को भी पत्र लिखा था कि हम लोगों के बिलों में सुधार करने की कोशिश की जाए। लेकिन, हमेशा यही जवाब आता था कि मीटर रीडिंग की गई है और जो बिल आपके पास गया है, वह सही है। तब मेरे दिमाग में बात आई और इसीलिए 10 अगस्त, 1982 को एक प्रश्न किया था। क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को अनुचित ढंग से बने बिजली के अधिक राशि के बिल भेजे जाते हैं जबकि नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों को बावजूद इस तथ्य के कि उनके पास टेलीविजन, रेफरीजरेटर और गीजर हैं, अत्यन्त कम होते हैं? यदि हां तो नगरपालिका के मुख्य इन्जीनियर, सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर, एक्जीक्युटिव और सहायक इंजीनियर तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के मुख्य इन्जीनियर, अतिरिक्त इन्जीनियर, सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर, कार्यकारी इन्जीनियर और सहायक इन्जीनियर के गत दो वर्षों में बिजली के बिल कितना हैं और उनका प्रतिमाह धनराशि ब्यौरा क्या है? मंत्री जी ने जवाब के अन्त में कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है और इसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। उसके बाद एक साल बीत गया। इसको सदन के पटल पर नहीं रखा गया। फिर, मैंने दूसरा प्रश्न 12 अप्रैल, 1983 को किया। संयोग से वह स्टार्ड क्वेश्चन के रूप में बैलेट में दूसरे नम्बर पर आ गया। मंत्री महोदय ने उसका जवाब दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। उस दिन काफी हंगामा हुआ। मंत्री महोदय ने इस बात को कबूल किया कि किसलिए सूचना एकत्र कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं "जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।" इसके बाद आगे उन्होंने कहा, "हमने कुछ अधिकारियों का पता लगाया है। आई० सी० आंगर नामक एक मुख्य अभियंता हैं। उनके बिलों से यह जाहिर होता है कि उनका अप्रैल 1980 में 28 रुपए 20 पैसे का बिल था। जो कुछ उसमें है मैं वही पढ़ रहा हूं।" आगे उन्होंने कहा, "मैं स्वयं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि किसी व्यक्ति को 20 रुपए, 25 रुपए अथवा 26 रुपए का भुगतान करना है। इसी तरह के अनेक अधिकारी हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अनेक अधिकारियों के बिलों से, जो मेरी जानकारी में आए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न नहीं हूं।" उसके बाद फिर इन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि मैं तीस अप्रैल को सदन के पटल पर पूरी इन्फार्मेशन रख दूंगा। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने 29 अप्रैल को ही सारे तथ्य सदन के पटल पर रख दिए। मैं समझता हूं, मंत्री जी के पास पूरा का पूरा बंडल जवाब का है और मेरे पास भी है। मैंने सब आंकड़े एकत्र किए हैं। वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

113 अधिकारी ऐसे हैं जिनका बिल प्रति माह 20 रुपए से लेकर तीस रुपए है। 124 अधिकारी ऐसे हैं जिनका बिल दस रुपए से बीस रुपए तक है। बीस अधिकारी ऐसे हैं जिनका पांच रुपए से लेकर दस रुपए प्रतिमाह का बिल है। उनके नाम मैं बताना चाहता हूं। सर्व श्री, एच० पी० गुप्ता, बी० पी० मिनोचा, एस० बी० सूद, बी० डी० गर्गेश, ए० एस० ईरानी, आर० एस० अरोड़ा, टी० सी० अग्रवाल, वेद प्रकाश गर्ग, बी० डी० सहगल, गुरदीप सिंह।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी नाम का उल्लेख मत करिए यह उचित नहीं होगा यहां उन्हें स्वयं अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में इन 20 अधिकारियों के नाम हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सभी नामों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : मैं इसको रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। सर्व श्री सी० एल० चड्ढा, रमेश चन्द्र जैन, बी० पी० बंसल, बी० एस० मजूमदार, बाल किशन टमटा, बी० के० खन्ना, बी० डी० रावत, रामनाथ, एस०पी० गुप्ता और वाइ०के० सचदेव यह जवाब में है। इन आफिसरों का बिल पांच रुपए से लेकर दस रुपए तक है। ये बिल स्पष्ट हैं। वे दोनों पक्षों के लोगों के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारी प्रशंसा की थी और माननीय मंत्री महोदय भी इस बात को जानते हैं। इसलिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं आप भी मेरी प्रशंसा करेंगे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आठ अधिकारी ऐसे हैं जिनके बिल एक रुपए से पांच रुपए तक हैं। श्री आर० के० शर्मा के पांच रुपए 68 पैसे और श्री आर० पी० शर्मा के चार रुपए 69 पैसे और श्री एस० एस० जिन्दल के पांच रुपए 97 पैसे प्रतिमाह है।

श्री राम श्रीमणी 4.41 पैसे, श्री पी०के० रे, 4.55 पैसे, श्री डी० वी० कपूर, 4.66 पैसे, श्री वी० के० मैत्रय, 5.36 पैसे, श्री डी० डी० वशिष्ट, 1.70 पैसे, श्री एस० एस० जिन्दल, 5.97 पैसे, श्री आर० पी० शर्मा, 4.69 पैसे और श्री आर० के० शर्मा, 5.68 पैसे।

अब आप एन० डी० एम० सी० के० स्टाफ की बात सुन लें, यहां जो पार्लियामेंट हाऊस ऐनेक्स में जो उनका स्टाफ है भगवान जा दिया हुआ है पार्लियामेंट का स्टाफ आता है पौने 10 बजे, तो एन० डी० एस० सी० का स्टाफ आता है पौने 11 बजे। यह लंच के लिए जल्दी भी जाएंगे और लौटेंगे भी देर से। पार्लियामेंट स्टाफ लंच से 2 बजे लौटकर आयेगा तो एन० डी० एस० सी० का स्टाफ 3 बजे लौटकर आयेगा। तीन दिन घूमने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने शिकायत की है, पता नहीं उसका क्या हुआ। एन० डी० एम० सी० के एक एस० एस० वर्मा, ऐक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं उनका जुलाई 1980 का बिल है 27 रु० का और अगस्त का 27 रु० का, सितम्बर का 27 रु० का दिसम्बर 1980 का बिल है 21 रु० का और दिसम्बर 1980 के बाद सितम्बर 1981 में 9 महीने का बिल है 5.41 पैसे। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, नहीं तो हमारे पास पूरी लिस्ट है। और हमारा बिल कितना आता है? अप्रैल 1980 में बिल आता है 90 रुपए का, वही आकर के दूसरे महीने में 160 रुपए, तीसरे महीने में 242 रुपए, सातवें महीने में 287 रुपए और 5. 1 1981 को 408 रुपए का हमारा बिल आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय के बिल भी पढ़ सकते हैं ।

श्री रामविलास पासवान : मंत्रियों के बिलों की वह जानें । उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इनका प्रतिमास 17,00 अथवा 2,800 रुपए का भुगतान किया जाता है । यह औसत है । 8-2-83 का मेरा बिल आया 708 रु0 का ।

इसी तरह से दूसरे माननीय सदस्यों का यदि देखें, माननीय राजनाथ सोनकर ने हमें एक लिस्ट भेजी है जिसके अनुसार जनवरी, 1981 में 35.40 पैसे, जनवरी 82 में 161.50 और जनवरी 1983 में 273. 76 का बिल आया । फरवरी 1981 में 34.40 पैसे, फरवरी, 1982 में 305.96 पेसे, फरवरी, 1983 में 507.90 पैसे । मार्च, 1981 में 38.40 पैसे, मार्च 1982 में 337.95 पैसे और मार्च, 1983 में 370.92 पैसे ।

इसी तरह से माननीय बहुगुणा जी का बिल 11-2-83 को कुल मिलाकर 475 रु० था वही बढ़कर के दिसम्बर, 1983 में हो गया 800 रु० प्रतिमाह ।

इसी तरह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी का फरवरी, 1983 में 597 रुपए, मार्च में 595 रुपए, अप्रैल में 562 रुपए, मई में 486 रुपए, जुलाई में 627 रुपए, अगस्त में 747 रुपए, दिसम्बर 1983 में 1, 166 रुपए, और जनवरी, 1984 में 1,185 रुपए । यह इलेक्ट्रिसिटी चार्जिज हैं । आप समझ सकते हैं मंत्री जो, यह तो पार्लियामेंट के मैम्बरों का मामला है । जो मैम्बर आफ पार्लियामेंट कमाता है 1500 रुपए अगर उसको 1100 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जिज देने पड़े, तो वह चोरी नहीं करेगा, तो क्या करेगा—वह घर नहीं बेचेगा, तो क्या करेगा या वह चन्दा मांगेगा । दूसरी तरफ अधिकारियों के बिलों की क्या स्थिति है ? यदि किसी के घर में बिजली न भी जले, यदि किसी के घर पर ताला लगा हो, तो भी 8 रुपए प्रति-मास मिनीमम चार्जिज होते हैं । लेकिन सब अधिकारियों का बिल 1 रुपए 70 पैसे या 2 रुपए है । इसमें क्या वर्गलिंग है ?

जब मैंने चौथी बार 26 जुलाई, 1983 को प्रश्न किया, तो मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने जांच का आदेश दिया है । फिर मैंने पांचवी बार इस मामले को उठाया । एक मैम्बर आफ पार्लियामेंट का टर्म चार पांच साल का होता है । यदि पांच साल में केस का निबटारा न हो, और यदि पासवान दूसरी मर्तबा जीत कर यहां न आए, तो फिर कौन इस मामले को उठाएगा ? इस देश की ब्यूरोक्रेसी का यह हाल है । जब 5 अगस्त, 1983 को मैंने इस बारे में कहा, तो उस समय इस मंत्रालय के मंत्री महोदय श्री चन्द्र शेखर सिंह थे, जो अब हमारे राज्य के मुख्य मंत्री बन गए है । उन्होंने जवाब दिया :—

"जहां तक श्री रामविलास पासवान द्वारा पिछले सत्र में उठाए गये भ्रष्टाचार के मामलों का सम्बन्ध है हमने उनके बारे में उचित समय पर उत्तर तथा सूचना दी हैं । हमने स्वयं ही कहा है कि 'डेसू' से प्राप्त सूचना में कुछ अनिमितताएं स्पष्ट हैं—मैं श्री पासवान को आश्वासन देता हूं कि ऐसे कदाचारों के दोषी अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी या उसे पर्याप्त रूप से दण्डित किया जाएगा ।"

जब मैंने दूसरे सेशन में 26 नवम्बर को प्रश्न किया कि विजिलेंस द्वारा जांच किए जाने के पश्चात क्या एक्शन लिया गया है, तो मंत्री महोदय ने कहा कि विजिलेंस की जांच चल रही

है । फिर मैंने 6 मार्च, 1984 को प्रश्न किया कि क्या विजिलेंस की जांच समाप्त हो गई है, यदि हां तो उस पर क्या एक्शन लिया गया है । मंत्री महोदय ने जबाब दिया कि इनक्वायरी चल रही है ।

कल—20 मार्च, 1984 को—अनस्टार्ड क्वेस्चन नम्बर 3833 में मंत्री महोदय से पूछा गया : —

"क्या राजधानी में डेसू के अधिकारियों के बिलों में बिजली की खपत कम दिखाई गई है ।"

इस सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद ने उत्तर दिया कि :

"यह देखा गया है कि डेसू के कुछ अधिकारियों के बिजली बिलों में दिखाई गई बिजली की खपत असाधारण रूप से बहुत कम है । डेसू के सतर्कता विभाग द्वारा उसकी जांच की जा रही है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी ।

16 तारीख के जनयुग में छपा है : "दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) करीब पचास अधिकारियों को सतर्कता विभाग ने बिजली चोरी का दोषी ठहराया है ।" यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन अफसरों को बचाने की कोशिश की जा रही है और मंत्री पर प्रैशर डाला जा रहा है । मुझे मंत्री महोदय की काबिलियत और इनटेग्रिटी पर कोई डाउट नहीं है । मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वोल्डनेस का परिचय दिया है । मुझे आशा है कि आज भी जब वह जवाब देंगे, तो करप्शन को दूर करने के लिए सख्त कार्यवाही की घोषणा करेंगे । यह संस्थान एक पब्लिक अंडरटेकिंग है । समय नहीं है कि मैं बताऊं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की आज क्या स्थिति है । मंत्री महोदय मुझसे ज्यादा जानते हैं कि उनमें कैसे सफेद हाथी बैठे हुए हैं । पहली दफा मछली जाल में पकड़ी गई है । अब देखना यह है कि क्या जाल मजबूत है या मछली बलवान है । जाल इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि मछली उसको तोड़कर निकल जाए ।

मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह सिर्फ डेसू के बारे में जवाब न दें । डेसू और एन० डी० एम० सी० दोनों समान रूप से दोषी हैं और दोनों का बंधा हुआ है, मेरे पास समय नहीं है, वर्ना मेहनत करके जितना मैटीरियल मैंने इक्ट्ठा किया है, उसके आधार पर मैं इस विषय पर आठ घंटे तक बोल सकता हूं ।

यह डेसू है, इसके 27 हजार कर्मचारी हैं, इसके 12 लाख कन्ज्यूमर हैं । जिले कितने हैं ? 15 जिले हैं जबकि 50 हजार के ऊपर एक जिला हो तो 24 जिले होने चाहिए । एक अभियन्ता 60 लोगों की देखभाल करता है जबकि नियमत: उसको 10 की देखभाल करनी चाहिए ।

दिल्ली में 46,500 छोटे उद्योग हैं । इनमें से 26,500 अनधिकृत हैं जिनका दिल्ली नगर निगम में पंजीकरण नहीं है जिनका कोई लाइसेंस फीस तक नगर निगम को नहीं मिल रहा है लेकिन उनको बिजली मिल रही है । यही कारण है कि ओवरलोडिंग होता है और ब्रेकडाउन होता है । यह हमारे पास मई 1983 का माया का अंक है । इसमें पूरी की पूरी रिपोर्ट दी हुई है,

पूरा इन्वेस्टिगेशन उसमें दिया है कि कैसे कैसे करप्शन होता है। नजफगढ़ रोड पर एक फैक्टरी है जिसको 45 किलोवाट बिजली की इजाजत है लेकिन 65 किलोवाट बिजली वह उठा रहा है।

उसी तरीके से आप देखें, कम्प्यूटर सिस्टम है। कम्प्यूटर के 60 प्रशिक्षित कर्मचारी जो होने चाहिए वह उसमें नहीं हैं अभी तक सरकारी आंकड़े के अनुसार 60 मीटर रीडर इन्स्पैक्टर्स की कमी है। 4 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनको बोगस बिल भेजा जाता है। यह कुछ दिन पहले निकला था। एवरेज निकालकर भेज दिया जाता है। यह कम्प्यूटर सिस्टम आपका है। जो पैसा जमा करता है, इस कम्प्यूटर सिस्टम में वह उसका पैसा ऐड नहीं होता है और फिर उसका बिल चला जाता है। लोग चक्कर लगाते रहते हैं, लेफ्ट राइट करते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि 1977 के सर्वेक्षण के अनुसार 90 परसेंट कनेक्शन्स के ऊपर मीटर टर्मिनल और एम० जी० ओ० की सील नहीं थी? 1977 में न तो मीटर टर्मिनल था न एम० जी० ओ० की सील थी।

मैंने एक प्रश्न किया था, उसके जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था कि डेसू में 6-6-80 से जनरल मैनेजर नहीं है। अब जिसका जनरल मैनेजर नहीं होगा उसका मैनेजमेंट क्या होगा? पिछले चार साल से डेसू में जनरल मैनेजर नहीं है, न तो टेकनिकल साइड में है न ऐडमिनिस्ट्रेटिव जनरल मैनेजर है। कोई नहीं है। प्रति वर्ष 1 हजार कर्मचारी रिटायर होते हैं। उनकी भर्ती का कोई नियम नहीं है।

अभी मैं और दूसरी चीजों में नहीं जाऊंगा कि दिल्ली में कितने पावर हाउसेज हैं और कितनी किसकी क्षमता है। इन्द्रप्रस्थ की क्षमता 250 मेगावाट की है औरराज घाट की 20 मेगावाट की है जबकि दिल्ली की जरूरत 650 मेगावाट की है।

मैं कल गया था कांगड़ा निकेतन कालोनी में जो विकासपुरी ब्लाक में है। सितम्बर 83 से लोगों को उसका पजेशन दे दिया गया है और आज तक वहां बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया।

मंत्री महोदय को मालूम है यह बिजली का कनेक्शन कौन देगा। बिजली का खम्भा कौन गाड़ेगा? सब-स्टेशन कौन बनाएगा? यह सब का सब ठेकेदार बनाता है जिसका कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है किसी मकान में आग लग जाती है, किसी में कुछ हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं है। सारा का सारा कांट्रेक्टर के माध्यम से चलता है।

वही काम डेसू या एन० डी० एम० सी० अपना करवाना चाहे तो कम से कम 20 हजार नये लोगों को एम्पलायमेंट मिल सकता है। नया कनेक्शन लेने में 40 रुपये से 400 रुपये तक घूस देनी पड़ती है। पावर कनेक्शन के लिए कहा जाता है 10 हजार रुपये तक मिनिमम चार्ज है।

लाइन लास पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारी आंकड़े के मुताबिक 17 परसेंट लाइन लास है। यह सब कहा जाता है? कभी बिजली की रीडिंग नहीं होती, कभी मीटर रीडिंग नहीं होती। अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठ-गाँठ से स्विच आफ कर दिया जाता है। अब आपने सब स्टाप कर दिया, न उसमें रीडिंग आएगी न कुछ आएगा। किसी

का बिल 1 रुपया 70 पैसे होगा किसी का बिल कुछ नहीं होगा । मैंने देखा है कि एक-एक कर्मचारी का बिल 8-8, 9-9 महीने तक जीरो आता है । तो यह बिजली की चोरी और ये सारी की सारी चीजें भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली हैं । कोई किसी की सुनने वाला नहीं है । आप मैम्बर पार्लियामेंट हैं, आप टेलीफोन कीजिए, आपके टेलीफोन करने पर कोई नहीं आता तो आम आदमी के फोन करने पर कौन आएगा । बेचारा चक्कर लगाता रहता है । दो हजार का बिल आया तो आया । हम लोग स्पीकर साहब से मिलते हैं । मेम्बर पार्लियामेंट से मिलते हैं तो स्पीकर साहब भी लिखकर दे देते हैं । लेकिन कोई देखने वाला नहीं है । तीन दिन से हमारे आंगन में इतना गन्दा पानी लगा हुआ है । नाली बन्द है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं वह सारे के सारे करप्शन के अड्डे हैं । इससे पहले भी करप्शन चार्चेज में अधिकारी सस्पेंड किये गए थे लेकिन रीइंस्टेट भी कर दिए गए पोलिटिकल प्रेशर पर । इसलिए उनको आदत पड़ गई है और वे समझते हैं सस्पेंड होंगे तो रीइंस्टेट भी हो जायेंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस करप्शन के मामले पर जब आप जवाब दें तो ठीक से जवाब दें ।

इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि शादी-ब्याह के अवसर पर कितनी बिजली जलती है उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है । मैंने सारा इन्वेस्टिगेशन किया है लेकिन वह बतलाने के लिए मेरे पास समय नहीं है । मैं प्वाइन्टेड सवाल ही पूछना चाहूंगा ।

पहली बात तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो विजिलेन्स की इंक्वायरी हुई उसकी रिपोर्ट आई है या नहीं ? यदि आई है तो उसमें किस-किस रैंक के कितने-कितने आफिसर दोषी पाए गए हैं ? उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है या क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि पहले डेसू और एन० डी० एम० सी० के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड किया गया था लेकिन बाद में उनको काम पर ले लिया गया ? मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या आप डेसू और एन० डी० एम० सी० के कार्यकलापों की जांच करने के लिए कोई हाई-पावर प्रोब कमेटी बिठायेंगे ? केवल बिलों और स्टोर्स में ही नहीं, अन्य प्रकार के घोटाले भी होते हैं जैसे कि इन्द्रप्रस्थ पावर हाउस में 60 लाख की लागत का एक ट्रांसमीटर आया था जोकि चला ही नहीं, दूसरे दिन ही खराब हो गया । तो इस तरह से जो करोड़ों अरबों रुपए की बंगलिंग है इसकी जांच करने के लिए क्या आप एक हाई-पावर प्रोब कमेटी बिठायेंगे ?

इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि डेसू की वार्षिक रिपोर्ट 1981-82 के बाद माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में पेश नहीं की है जबकि अब सन् 1984 चल रहा है । एन० डी० एम० सी० की रिपोर्ट इस सदन में पेश होती है या नहीं लेकिन मैं समझता हूं कम से कम उसकी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष इस सदन में पेश होनी चाहिए । साथ ही आप करप्शन के मामलों की जांच एक हाई पावर कमेटी बनाकर करवायें । इसके अतिरिक्त आपने जिनको सीधे ही करप्शन में पकड़ा है उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और यह जो 162 पदाधिकारी करप्शन के दोषी पाए गए हैं, इतने ही अधिकारी करप्शन के दोषी हैं या सेन्ट परसेन्ट दोषी हैं तथा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? साथ ही वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह अगर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता तो जहां तक सम्भव हो उसको कम करने का प्रयत्न किया जाए ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य रामविलास पासवान जी ने जो अनियमितताओं के मामले बताए हैं वह उसी डाकूमेन्ट से बताए हैं जोकि माननीय ऊर्जा मन्त्री जी ने इस सदन में 29 अप्रैल, 1983 को रखा था। अनियमितता या भ्रष्टाचार कहीं किसी भी रूप में हो, उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाए या सरकार को उसकी जानकारी हो तो मैं इस माननीय सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि उसको दबाया जायेगा, रोका जायेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में, जो अनियमितताओं या भ्रष्टाचार के दोषी हैं, किसी भी प्रकार की कसर उठा कर नहीं रखी जाएगी। लेकिन कोई कार्यवाही करने से पहले जो वैधानिक प्रावधान है, जो तरीका है, जो ड्यू प्रौसैस आफ लॉ है, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। यदि किसी को कोई अपराध करते हुए सड़क पर देख भी ले, तो भी देखने वाले को यह अधिकार नहीं है कि वह अपराधी को सजा दे दे। अपराधी को सजा देने के लिए कानून के मुताबिक, विधान के मुताबिक, मुकद्दमे में जो फैसला होगा, उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। यह कहना भी उचित नहीं है कि यह मामला 10 अगस्त, 1982 से चल रहा है। यह सही है कि पहले माननीय सदस्य ने 10 अगस्त, 1982 को प्रश्न पूछा था। उसका जवाब 29 अप्रैल, 1983 को दिया गया। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, वह लगभग 463 अधिकारियों के बारे में पूछा था। मैं समझता हूं कि इतने अधिकारियों की सूचना एकत्रित करना कोई आसान काम नहीं था। उस में समय लगना ही था। उसका उत्तर 29-4-1983 को दिया गया। इसके बाद 26 जुलाई को प्रश्न जो पूछा गया था, वह उसी सूचना से उत्पन्न हुआ था, जो सूचना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस माननीय सदन में दी गई थी। हमने यानि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने खुद यह महसूस किया कि इसमें बिल इस प्रकार के आए हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए आपके प्रश्न पूछने से पहले ही हमें भी लगा कि इसमें अनियमिततायें हैं। हमें भी लगा कि यह मामला कुछ ठीक नजर नहीं आता है। इसलिए आपके पूछने से पहले ही 3 मई, 1983 को ऊर्जा मंत्रालय ने डेसू को इस मामले की पूरी जांच करने के लिए कहा। अपने ऐसे किसी विभाग द्वारा जिसका सीधा संबंध मीटर-रीडिंग और बिलिंग से न हो। 28 जुलाई, 1983 यह तारीख मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न पूछने की तारीख भी तकरीबन वही है.....

श्री रामविलास पासवान : मंत्री जी एशयोर किया था कि अप्रैल में ही इसकी जांच करवायेंगे। इसलिए आपका यह कहना गलत है। वह स्टार्ड क्वेश्चन में कह दिया था।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : चूंकि माननीय मंत्री जी ने इस पूरे मामले की जांच कराने का फैसला ले लिया था, इसलिए ऐसा कहा गया। श्रीमन्, डेसू से इस मामले की पूरी जाच कराने के लिए कहने के बाद कि किसी ऐसे अधिकारी से जिसका संबंध मीटर रीडिंग और बिलिंग से न हो, उसने 28 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दी, जिस अधिकारी द्वारा वह जांच कराई गई। ऊर्जा मंत्रालय का मत था कि इस अधिकारी द्वारा जांच नहीं कराई जाए, उस रिपोर्ट को भी इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उसका शुरूआत से कहीं न कहीं संबंध मीटर रीडिंग और बिलिंग से था। पहले निर्देश के अनुसार किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका संबंध न हो 10 अगस्त को ऊर्जा मंत्रालय ने फिर डेसू को इसकी जांच करने के लिए कहा। डेसू के एक सतर्कता विभाग द्वारा 3 सितम्बर को जांच प्रारम्भ कर दी। एक तथ्य आपकी जानकारी के लिए मैं और लाना चाहूंगा, जिसको मैं छिपाना नहीं

चाह रहा हूं । किन्हीं कारणों से डेसू का विजीलेंस डिपार्टमेंट ठीक काम नहीं कर रहा था। वहां पर डायरैक्टर विजीलेंस ने अगस्त, 1983 को अपना कार्यभार संभाला । 15 सितम्बर को डेसू सतर्कता विभाग ने इस मामले की कार्यवाही शुरू कर दी । इस आधार पर कि कौन अधिकारी क्या तनख्वाह पाता है, स्तर क्या है, उस का घर कितना बड़ा है और उसके घर में साधारणतया कितनी बिजली खर्च होनी चाहिए·····कुछ मापदण्ड बनाये गये । उसके बाद जो सूचना सदन के पटल पर रखी गई थी उसमें से कुछ ऐसे मामले निकाले गये जिन में अधिकारियों के बिजली और पानी के बिल असाधारण रूप से कम थे, उन मामलों को डेसू के पास जांच करने के लिये दोबारा भेजा गया···

श्री रामविलास पासवान : एन० डी० एम० सी० के क्यों नहीं गये ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उनमें वे भी शामिल हैं । मैं किसी ऐसी बात के बचाव का काम नहीं करना चाहता हूं जो गलत है, लेकिन यह भी सही है कि सिर्फ इस आधार पर कि कितने रुपये का बिल आया है, किसी को सजा देना मुश्किल है, क्यों कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मीटर रीडिंग नहीं हो पाई है या कई महीनों का मिला कर बिल दिया गया है···

श्री रामविलास पासवान : ऐसा नहीं है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं ऐसे मामलों में कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि किसी अधिकारी ने किस महीने में कितने रुपये का भुगतान किया है, इस आधार पर न उसे दोषी ठहरा रहा हूं और न दोषमुक्त कर रहा हूं लेकिन जो सही आधार है उसको मालूम करना आवश्यक है, वह आधार उचित है या अनुचित है या उसके यहां कितनी बिजली खर्च की गई है और बिल कितने का दिया गया है तथा मेम्बर पार्लियामेंट या किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुलना करते वक्त हमें यह भी देखना होगा कि माननीय संसद सदस्य को कोई छूट नहीं है जब कि डेसू के अधिकारियों को छूट दी जाती है, उनके वेतन के आधार पर उनको वह छूट मिलती है, यदि आप इसको विस्तार से जानना चाहें कि कितनी छूट मिलती है तो मैं वह भी बतला सकता हूं···

श्री रामविलास पासवान : आप जरूर बतलाइये, क्योंकि वही तो मुख्य बात है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जो अधिकारी जिस स्तर का है, उसके हिसाब से छूट दी जाती है । मैं साधारण कन्ज्युमर और अधिकारी की तुलना करते हुए बतलाना चाहता हूं— मान लीजिए एक परिवार एक महीने में 100 यूनिट कन्ज्यूम करता है, तो क्लास 1 अधिकारी का बिल 14 रुपये 20 पैसे का आयेगा, क्लास 2 अधिकारी का बिल भी 14 रुपये 20 पैसे का आयेगा, लेकिन जिनको छूट नहीं है, यानी एक साधारण कन्ज्यूमर को उस का 31 रुपया देना पड़ेगा । अगर किसी का 500 यूनिट्स कन्ज्म्पशन का बिल है तो क्लास 1, अधिकारी को 130 रुपया देना होगा, क्लास 2 अधिकारी को 142 रुपये देने होंगे, लेकिन आप को और मुझे उसके 182 रुपये देने पड़ेंगे ।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन बिजली न जले तो कम से कम का मिनिमम चार्ज भी होता है, आप बताइये कि बिजली न जलने पर कितना मिनिमम देना पड़ेगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर आप चाहेंगे तो यह सूचना मैं आप को भेज दूंगा ।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : मेरा विस्तार में जाने का तात्पर्य केवल इतना है कि इस मामले का एक पहलू यह भी है कि उन अधिकारियों को बिल में छूट दी जाती है । मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं और माननीय सदस्य रामविलास जी को फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में हमारी तरफ से कोई कमी उठा कर नहीं रखी जायगी—खास तौर से अनियमितताओं को रोकने और उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में जो इस के लिये दोषी हैं । डेसू के अधिकारियों के लिए दरों में जो छूट की बात मैंने कही है, वह इस तरह से है । क्लास 1 के अधिकारियों को 200 यूनिट की छूट है ।

श्री रामविलास पासवान : पहले कुछ बोले हैं और अभी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : मैं कुछ नहीं बोला हूं । आप गौर से सुन लें । अगर इतने यूनिट के बाद वे कन्ज्यूम करेंगे, तो उनको छूट नहीं है ।

श्री रामविलास पासवान : सीनियर मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे इसे रेक्टिफाई कर दें । अभी इन्होंने बताया था कि अगर इतने यूनिट वे कन्ज्यूम करेंगे तो उन्हें इतना देना पड़ेगा और हमें इतना देना पड़ेगा और अब ये 200 यूनिट की बात कर रहे हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने यह कहा है कि ये छूट की दरें हैं । छूट की दरें क्लास 1 के अधिकारियों के लिए 200 यूनिट हैं, क्लास 2 और क्लास 3 के अधिकारियों के लिए 150 यूनिट और क्लास 4 के कर्मचारियों के लिए 100 यूनिट हैं । जो कन्सेशनल टेरिफ है, वह इतने यूनिट्स के कन्जम्पशन तक इन अधिकारियों पर लागू है और अगर वे इस से ज्यादा खर्च करेंगे, तो उनको भी उन्हीं दरों पर भुगतान करना पड़ेगा, जिन दरों पर दूसरा साधारण नागरिक भुगतान करता है ।

आपने विजीलेंस की बात कही । इसी महीने इसका उत्तर दिया जा चुका है । विजीलेंस डिपार्टमेंट द्वारा इस मामले की जांच चल रही है ।

श्री रामविलास पासवान : एक साल से ?

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : एक साल से नहीं, 5 सितम्बर से यह जांच चल रही है ।

श्री रामविलास पासवान : महोदय, आप पीठासीन हैं । माननीय सदस्यों की सुरक्षा करना आपका कर्त्तव्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप दोनों की ही सुरक्षा करूंगा । आप चिन्ता न करें । परन्तु उन्हें अपनी बात पूरी करने दें ।

श्री रामविलास पासवान : 1982 से यह मामला चल रहा है । ज्यों ही मिनिस्टर साहब की नालिज में यह मामला आया, इंक्वायरी उसी समय स्टार्ट हो गई और अब इसको दो साल हो गये हैं । अब 1984 चल रहा है और दो साल में अगर यह नहीं हो पाया, तो कब होगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : डेसू के सतर्कता विभाग द्वारा इस में जांच की जा रही है । 5 सिम्बर को यह जांच शुरू हुई है ।···**(व्यवधान)**···मैं इसके आगे भी बता रहा हूं कि जहां-

जहां सतर्कता विभाग ने यह पाया कि यह मामला गंभीर है और मिसाल के तौर पर जहां यह पाया कि न केवल अनियमितताएं हैं बल्कि जहां सतर्कता विभाग का यह मत बना कि यह मामला चोरी का है, तो उसकी रिपोर्ट थाने में की और उसी प्रकार से उसमें कार्यवाही की जैसे कि चोरी के मामले में दूसरे के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। डेसू के कर्मचारियों के खिलाफ भी उसी प्रकार से कार्यवाही की गई जैसे कि औरों के खिलाफ की जाती है।

मुझे यह भी बताया गया है कि 9 मामले ऐसे थे, जिनमें यह महसूस किया गया कि यहां पर अन्डर-विलिंग हुई है, तो उनसे रिकवरी की गई और 6028 रुपये उनसे वसूल किये गये हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह जो पूरा मामला है, वह खत्म हो गया है। इस मामले की पूरी जांच चल रही है और अगर माननीय सदस्य को यह महसूस होता हो कि बहुत देर हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो अगला सत्र होगा, उसके पहले दिन ही हम जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख देंगे।

श्री रामविलास पासवान : तब तक आप मंत्री रहेंगे ? क्या बात करते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : श्रीमन्, हमारे यहां व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं चलती है। मैं नहीं हूंगा, तो कोई दूसरा होगा और वह जवाब देगा।

श्री रामविलास पासवान : यही ब्यौरों क्रेसी की टेक्टिक्स हैं कि लिंगर करो।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : तो मैं निश्चित तिथि बता रहा हूं। मैं यह कह सकता हूं कि जुलाई तक हम इसको देने की कोशिश करेंगे।

जहां तक उच्चस्तरीय जांच का सवाल है, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर, इस वक्त यह मुनासिब नहीं रहेगा। हां, यह रिपोर्ट आने के बाद अगर जरूरत महसूस की गई, अगर आवश्यकता समझी गई, तो जैसा मैंने पहले कहा है कि अगर अनियमितताएं पाई गईं और अगर कानून की खिलाफवर्जी पाई गई, तो सरकार रिपोर्ट को केवल उठा कर ऐसे ही नहीं रख देगी, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्री रामविलास पासवान : महोदय, मैं वरिष्ठ मंत्री श्री शिवशंकर जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मैंने सीधा-सीधा प्वाएंटडली सवाल किया था। यह तो हाफ-एन-आवर हमारे नाम से आ गया, नहीं तो घपले और अनियमितताओं के ऐसे मामले चलते रहते हैं जो कि पार्लियामेंट के सामने नहीं आ पाते। मैंने यह सवाल पूछा था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अभी तक क्या इंक्वायरी की है ? आपने बताया कि किसी के खिलाफ चोरी का इल्जाम पाया गया है, उसके खिलाफ प्राइमाफेसी केस सिद्ध हो चुका है, उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

एक बिजली का मिनिमम चार्ज होता है। अगर हम अपना घर बन्द करके भी चले जाएं तो भी हमें सर्टेन अमाऊंट मीटर का पे करना पड़ता है। आठ या दस रुपये पे करना पड़ता है। जिन लोगों का आठ या दस रुपये से कम का बिल आया है, उनके बारे में मंत्री महोदय यह बता दें कि उनसे आप बिजली का मिनिमम चार्ज क्या लेते हैं ? क्या उनके बारे में भी आपके विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी की है और आपको कोई रिपोर्ट दी है ?

जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप चाहें या न चाहें, यदि फिर भी इस तरह का भ्रष्टाचार चलता है और आप इस तरह का जवाब देते हैं तो मैं आप पर चार्ज लगाऊंगा कि आप स्वयं भ्रष्ट लोगों को बचाना चाहते हैं। अभी तक तो मुझे इसमें डाऊट था लेकिन अब आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें मैं आप पर चार्ज लगाता हूं कि आप भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो आप अपने प्रशासन में स्वच्छता नहीं ला सकते हैं। आप मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर की एक मर्यादा होती है, एक फर्ज होता है। मिनिस्टर जब जवाब देता है तो वह साफ-साफ जवाब देता है और जिसके मुंह पर कालिख लगी है उसके बारे में बताता है।

जब मिनिमम चार्ज होता है तो जिसने एक रुपये दस पैसे दिये, उसके बारे में आपने नहीं बताया कि उसको कितना मिनिमम चार्ज देना था ? आपके विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इंकवायरी करके अब तक क्या पता लगाया है, यह आपने नहीं बताया।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : मिनिमम चार्ज के बारे में अभी बताता हूं। श्रीमन्, मैंने पहले भी आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त किया है कि किसी को भी भ्रष्टाचार या अनियमितता के मामले में बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

जितनी देर आप सवाल पूछते हैं, अगर उतनी देर मुझे जवाब देने की इजाजत दे दें तो मैं आपको बताऊं। **(व्यवधान)**

मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाह रहा था और मैंने यह बात बार-बार कही है कि आपने जो चिंता इस मामले में व्यक्त की है, हम भी उतने ही चिंतित हैं। हम आपकी चिंता से सहमत हैं।

श्री रामविलास पासवान : मिनिस्टर को घर से बिजली का पैसा नहीं देना पड़ता है, इसलिए उसे चिंता नहीं है। आप सीधा जवाब दें, क्यों अगल-बगल कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। पता नहीं आप क्यों इतना नाराज हैं। श्रीमन्, सतर्कता विभाग द्वारा 63 ऐसे मामले आइडेन्टिफाई किये गये थे जिनकी पूरी इंफर्मेशन सदन के पटल पर रखी गई थी। उनमें से 49 मामलों में सतर्कता विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है।

श्री रामविलास पासवान : आप यह क्यों नहीं बताते हैं कि उनमें आपने क्या पाया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं राम विलास जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वे सड़क पर किसी को अपराध करता देख लें तो क्या इसका उनको अधिकार है कि वे उसको सजा दे दें? किसी भी चीज की सतर्कता विभाग द्वारा जांच होने के बाद, उसके निष्कर्षों को सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन को भेजा जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब अपनी राय दे देता है तब कार्यवाही शुरू की जाती है। उपाध्यक्ष जी, आप तो स्वयं बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे होंगे।

श्री रामविलास पासवान : उसके बाद सुपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जाएगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा है कि 49 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। थोड़े से मामले बचे हैं और मैंने निश्चित तिथि भी दे दी है···।

श्री रामविलास पासवान : आपके जवाब से कोई सेटिसफाई नहीं हो रहा है ।

मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है । मीटर का न्यूनतम चार्ज कितना है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं बता रहा हूं । मैं सरकार की तरफ से जवाब तो दे सकता हू लेकिन संतुष्टि नहीं दे सकता ।

श्री रामविलास पासवान : मुझे खेद है । न्यूनतम चार्ज कितना है ? मीटर का चार्ज कितना है ? आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मैंने विशिष्ट प्रश्न पूछा है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं विशिष्ट उत्तर दे रहा हूं । आप कृपया मुझे उत्तर देने दें ।

श्री रामविलास पासवान : आपने क्या उत्तर दिया है ? आपने किसी भी बात का ठीक उत्तर नहीं दिया है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं अभी उत्तर दे रहा हूं । मैंने उत्तर पूरा नहीं किया है । खेद है कि आपको इस बात का पता नहीं है ।

श्री रामविलास पासवान : मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं । आप इतना सा जवाब नहीं दे सकते ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं बिल्कुल सीधा सा जवाब दे रहा हूं ।

श्री रामविलास पासवान : अपने आपको बचाने का प्रयास न करें । ऊर्जा मंत्री श्री पी० शिवशंकर को उत्तर देने दें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्री रामविलास पासवान का जूनियर मंत्री कहने का क्या अर्थ है ।

श्री रामविलास पासवान : मीटर का मिनिमम चार्ज क्या है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप बैठेंगे तभी तो जवाब दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में किसी मामले पर चर्चा करने का यह तरीका नहीं है। माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में इस तरीके से भाग नहीं ले सकते ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, क्या वे जवाब नहीं दे सकते ?

श्री रामविलास पासवान : इनको पूरी जानकारी नहीं है। शिवशंकर जी को पूरी जानकारी है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं नहीं मान रहा हूं । कृपया मुझे पूरा उत्तर देने दें । मैं झुकने वाला नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई मंत्री उत्तर दे रहा हो तो किसी को भी व्यवधान नहीं डालना चाहिए । जब कोई माननीय मंत्री उत्तर दे रहा हो तो किसी भी सदस्य को बीच में नहीं बोलना चाहिए । जब तक मंत्री उत्तर दे कोई भी सदस्य नहीं बोलेगा । क्या माननीय सदस्य इस नियम का अनुसरण करेंगे ? अन्यथा यह संसद के नियम और प्रक्रिया के विरुद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय ने इस विचार से चर्चा की अनुमति दी है कि सही बात सामने आ जाए और दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जाए । अध्यक्ष महोदय पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा ।

माननीय सदस्य को मंत्री महोदय से तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए। मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। मंत्री महोदय ने तारीख निश्चित की है। इसके बावजूद भी यदि माननीय सदस्य कोई और बात उठाते हैं तो यह उचित नहीं है।

यदि मंत्री महोदय को पूरा उत्तर देने की अनुमति दी जाती है तो तथ्यों की जानकारी मिलेगी। इस समय मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है कि मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं। व्यवधान के कारण कोई भी सदस्य उनकी बात नहीं सुन पा रहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मिनिमम चार्जेज के संबंध में, डेसू के अधिकारियों के लिए कोई मिनिमम चार्जेज नहीं हैं, मिनिमम मीटर रेंड एक रुपया है। एन. डी. एम. सी. के लिए 3 रुपया है। रामविलास जी उत्तेजना में आ गए हैं। ये समझते हैं कि प्रश्न पूछना भी इनका अधिकार है और कौन जवाब दे यह अधिकार भी इनका है। ये इनको बड़ी गलतफहमी है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो प्रश्न उठाए गए हैं उनका उत्तर दे सकूं। मैं अपनी बात को दोहराना नहीं चाहता। जैसा कि आपने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं करप्ट अधिकारियों को बचाने की हम भ्रष्ट अधिकारी को कभी नहीं बचाएंगे। परन्तु इसके साथ ही हम कानून की उचित प्रक्रिया को भी नहीं छोड़ सकते।

श्री रामविलास पासवान : विजीलेंस की इंक्वायरी के बार क्या हुआ ? आप कब एक्शन लेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : महोदय, मैं अपने मित्र श्री आरिफ को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले को बड़े उचित ढंग से लिया है। मैं यह कह सकता हूं कि जो उन्होंने किया है मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता था। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मेरे और उनके बीच अन्तर स्थापित करने का प्रयास किया है। हम एक ही बात कहते हैं। उन्होंने ने भी इसको महसूस किया है। परन्तु क्योंकि···

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी आयु को देखते हुए, दोनों ही जूनियर हैं।

श्री पी० शिवशंकर : फिर भी, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि वे असंतुष्ट रहें, मैं बोल रहा हूं।

वास्तव में, मेरे सहयोगी श्री आरिफ मोहम्मद ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। जहां तक हमारा संबंध है, कोई भी कितने ही उच्च स्तर का क्यों न हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वास्तव में जब मैं और वह (श्री आरिफ) विवरण प्राप्त कर रहे थे तो हम दोनों ही कुछ मामलों से, जोहमारे ध्यान में आए, संतुष्ट नहीं थे। इस स्तर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि हम अधिकारियों के मन में यह नहीं बैठाना चाहते कि हम उनको दबा रहे हैं, हम उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया अपनाने का अवसर नहीं दे रहे हैं। वास्तव मैं, जैसा कि श्री आरिफ ने ठीक ही कहा है, 49 मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। अनुशासन अधिकारी को जांच करनी है वह अपना समय ले रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है हम उसे उचित नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन यह सरकारी प्रक्रिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। न मैं, और न मेरे सहयोगी श्री आरिफ, इस प्रकार की बातों का पक्ष-पोषण करेंगे। इसमें बहुत समय लगता है। विशेष रूप से

डेसू की स्थिति ऐसी है। प्रशासनिक रूप से यह गृह मंत्रालय के अधीन है लेकिन इस विभाग में जो घांधली हो रही है इसके लिए मैं और मेरे सहयोगी जवाबदेही हैं। यह एक अजीब बात है, यह द्विभाजन है, हमें द्विभाजन का सामना करना पड़ रहा है और हमें सामजस्य करना होगा। जो मामले सामने आये हैं उनसे मैं और मेरे सहयोगी प्रसन्न नहीं हैं। जिस प्रकार मेरे सहयोगी ने सदन को आश्वासन दिया था, मैं भी आश्वासन देता हूं कि इस मामले में हम किसी को भी नहीं माफ करेंगे चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। हमें केवल यह देखना है कि इस कार्यवाही को पूरा होने में जितना समय अपेक्षित है, उतना उसे देना चाहिए। वरना वे न्यायालय में जायेंगे और स्थगन आदेश ले लेंगे। सारी कठिनाई यहीं पर है। इसमें समय लग रहा है। मैं इसे महसूस करता हूं। मैं सदन की इस चिन्ता से सहमत हूं कि इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है। जो प्रक्रिया हमने निर्धारित की है, उसमें बहुत समय लगता प्रतीत होता है। हम इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। यह कानूनी व्यवस्था है, हमें इनका पालन करना होता है, हममें से अनेक लोग शायद यह पसन्द करते हैं कि न्याय करने के लिए अनेक नियमों की अवहेलना कर देनी चाहिए। इस देश के लोगों को कानून के अनुसार न्याय मिलता है, जो बिल्कुल न्यायोचित है उसके अनुसार नहीं मिलता है, हम कुछ नियमों और विनियमों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्राधिकृत अधिकारी, जो अनुशासन अधिकारी है, इस मामले की जांच कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम किसी का बचाव नहीं करने वाले हैं, चाहे भावना कुछ भी हो। हो सकता है कुछ लोग परेशानी महसूस करें, लेकिन जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह सन्तुष्ट हैं, श्री रामावतार शास्त्री आप संक्षेप में अपना वक्तव्य दें। एक घंटा हो गया है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, पहली बात तो यह बता दूं कि मैं फ्लैट में रहता हूं, जो छोटा सा है, किसी बंगले में नहीं रहता हूं। इसलिए अपने बिल की भी मैं चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी निजी शिकायतों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप पत्र लिख सकते हैं।

7.00 म. प.

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी एक शिकायत भी है। मैं केवल आकड़े ही दूंगा। दिल्ली प्रशासन के डी० ई० एस० यू० में बिजली बिलों को ले कर जबरदस्त घोटाला चल रहा है। पता नहीं बिजली के मीटर किस प्रकार से चल रहे हैं? कोई उनकी खोज खबर लेता है कि नहीं? या जो मन में आया बिल बना दिया? इस सदन से इस सवाल को बारबार उठाया गया है, जिसकी चर्चा की गई फिर भी बिजली बिलों में कमी नहीं आ रही है, खासतौर से जो हम लोग जानते हैं।

मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान अपने बिजली बिलों की ओर दिलाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं इनके पीछे क्या राज है? मई, 1983 में मुझे 29.65

पैसे देने पड़े, जून, 1983 में 81.80 पैसे, जुलाई, 1983 में 14 रु०, अगस्त, 1983 में 11.50 पैसे का भुगतान करना पड़ा। परन्तु आश्चर्य है कि सितम्बर में बिजली राशि बढ़ कर 56.90 पैसे हो गई। अक्तूबर का बिल मेरे पास है, मिला नहीं इसलिये अमाउन्ट नहीं बता सकता, नवम्बर, 1983 में 103.02 पैसे हो गया, फिर दिसम्बर, 1983 में 140.78 पैसे हो गया। और यह है फ्लैट का, बंगले का नहीं है। उसके बाद जनवरी, 1984 में 100.03 पैसे का बिल हो गया और फरवरी, 1984 में 152.20 पैसे का बिल भुगतान करना पड़ा। मैक्सिमम हमको 152.20 पैसे का बिल भुगतान करना पड़ा और मिनिमम 11.50 पैसे। और जाड़े में तो पंखे नहीं चलते हैं, केवल बल्ब जलते हैं या हीटर चलेंगे। तो इससे यह जरूर अंदाज लगता है। फिर भी इतना अधिक बिल कैसे आ रहा है यह सचमुच में पता लगाने का विषय है। यह सिर्फ एक, दो आदमी का नहीं है, कितनों का ही है। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है जिसका पता लगाने में जांच समिति महीनों के बाद भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। आपके मुताबिक भी सितम्बर से जांच शुरू हुए कई महीने हो गये।

तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपका जो सतर्कता विभाग है उसके सदस्य कौन हैं? और उनके स्वयं के बिजली के बिल का क्या हाल है? और मैं समझता हूं कि सतर्कता विभाग पूरा न्याय नहीं कर सकेगा, जांच करने में मुझे संदेह है। तो क्यों नहीं आप सी० बी० आई० से जांच करवाते?

एक माननीय सदस्य : उनके बिल कम हो जायेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : फिर भी अभी तक जाना जाता है कि सी० बी० आई० वाले औरों से ठीक हैं।

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : मिथ है।

श्री रामावतार शास्त्री : ठीक है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : शास्त्री जी, फारसी का एक शेर है :

हर कि दर कानि, नमक रफत नमक शुद्ध।
यानी जो नमक की कान में गया वह नमक हो गया।

श्री रामावतार शास्त्री : आपके यहां चोरियां भी बहुत होती हैं, जिसकी आपने चर्चा की। तो अगर इसका भी ब्यौरा दे सकें कि डी० आई० एस० यू० और एन० डी० एम० सी० की चोरियों की वजह से कितना घाटा हो रहा है?.....

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो डेसू के बड़े अधिकारी हैं—मैं छोटे कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं.....

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : उनके बारे में आप नहीं कह सकते। वे तो आपकी फौज हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अगर वे गड़बड़ करें, तो उनको भी सजा दीजिए। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आम तौर पर बड़े बड़े मगरमच्छ ही गड़बड़ करते हैं।

जो बरसों से डेसू के बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या सरकार ने उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा लेने की कोशिश की है ? क्या वे मालदार बन गए हैं या भिखारी बन गए हैं या जहां थे, वहीं हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि डेसू के अधिकारियों की आर्थिक स्थिति या सम्पत्ति की स्थिति क्या है।

बड़े-बड़े अधिकारियों को बहुत तनख्वाहें मिलती हैं। उनको बिजली के सम्बन्ध में छूट देने का कायदा बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, डेसू की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि जो अंडरटेकिंग्ज उसको बिजली सप्लाई करती हैं, उनके तकाजे के बावजूद वह बरसों से उनके करोड़ों रुपयों की पेमेंट नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ जिन लोगों से डेसू ने पैसा लेना है, वह उनसे लाखों रुपए रीकवर भी नहीं कर रहा है।

श्री पासवान की बातों और मंत्री महोदय के उत्तर को सुन कर मुझे ऐसा लगा कि यह मामला कोई अंडरबिलिंग का नहीं है बल्कि लार्ज-स्केल मीटर-टैम्परिंग का है। मंत्री महोदय ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इसमें कोई असाधारण बात है, इतना कम बिल नहीं होना चाहिए। जब सम्बद्ध कानून के तहत साधारण मीटर-चोर के विरुद्ध एफ. आई. आर. दायर किया जाता है, तो बिजली की चोरी के लिए इन अधिकारियों के खिलाफ एक एफ०आई० आर० दायर क्यों नहीं किया गया ? जब यह मामला मंत्री महोदय के नोटिस में आया, उस समय एफ०आई०आर० दायर नहीं किया गया। जब मामला हाउस में उठा और उसको डिसकस कर लिया गया, उसके बाद एफ०आई०आर० दायर हो और विजिलेंस विभाग द्वारा उसकी जांच की जाए, यह बात कुछ समझ में नही आती। ऐसा लगता है कि या तो आर्गनाइजेशन द्वारा मंत्री को प्रापरली फीड नहीं किया गया है, या गड़बड़ को प्रापरली पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। मंत्री महोदय इस शंका को दूर करने की कोशिश करें। इस मामले से डेसू के प्रशासन का खोखलापन जाहिर हुआ है।

अखबारों में छपा था कि डेसू के बहुत से अधिकारी कुछ निजी कंपनियों को किसी प्रकार की कनैक्शन देते रहते हैं जिनके हैडक्वार्टर दिल्ली में हैं, मगर काम काज अन्यत्र भी हैं। उनके प्रभाव का इस्तेमाल कर के डेसू के अधिकारी एक तरफ बरसों से मिडस ईस्ट में नौकरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका लियन डेसू के साथ मेनटैन्ड हैं। जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने अधिकारी हैं, वे कितने समय से मिडल ईस्ट या दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं, जबकि डेसू के साथ उनका लियन मैनटैन्ड है और इसका क्या कारण है।

27 फरवरी के 'नवभारत टाइम्स' में एक न्यूज में कहा गया है कि डेसू में चार अधिकारी ऐसे हैं—यह मामला अन्दर हाउस में उठ चुका है और वहां पर उनके नाम लिए जा चुके हैं; वे हैं डा० के० के० शर्मा, एस० आर० खन्ना, सी० एल० शर्मा और वाई० आर० सोनी, और वे सन एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर हैं—जिनको सी० बी० सी० ने दोषी पाया और रीकमेंड किया कि उन पर मेजर पिनेल्टी इम्पोज होनी चाहिए, उनको मेजर पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन जिन अधिकारियों के खिलाफ सी० बी० सी० ने यह संस्तुति दी है, उनके खिलाफ अभी तक कोई अनशन नहीं लिया गया है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर का प्रशासन उनका बचाने में लगा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत है। यह ठीक है कि उन पर मंत्री महोदय का सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब सरकार को पार्लियामेंट में

उनकी वजह से छीछा-लेदर सहन करनी पड़ रही है, तो क्या आप अपने सहयोगी मंत्रालय को और माननीय गृह मंत्री महोदय को यह कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ यदि कोई मामला सी० बी० सी० ने रेकमेंड किया है तो उन के खिलाफ वह स्ट्रिक्ट ऐक्शन लें। ये दो सवाल हैं।

यह डेसू इतना पापुलर है कि मैं बाहर पानी पीने के लिए गया तो मुझे तीन चार लोगों ने, मैम्बर्स ने इधर उधर से कतरनें ला कर दीं जिसमें किसी ने कहा ये जो बिल देते हैं उसमें किसी के साइन नहीं होते हैं, किसी ने कहा कि मन्थली मीटर रीडिंग नहीं करते हैं, किसी ने कुछ और प्रकार की बातें कीं। जब इतने आरोप चलते चलते लोगों ने लगाए, भले ही मेरा अपना अनुभव जो है वह यह है कि डेसू ने अपनी वार्किंग में कुछ सुधार किया है, ब्रेक डाउन इत्यादि घंटे हैं, और भी कुछ सुधार हुआ है मगर इसके बावजूद भी जो प्रशासन में कमियां हैं उनको कब तक छिपा कर हम अपने ऊपर दोष लें और सम्मानित मैम्बर्स को उसके लिए एजीटेट करना पड़े ? जब मैम्बर्स एजीटेटेड हों और जब आप को यह लगे कि इतना गम्भीर मामला है तब जा कर उसमें कोई ऐक्शन हो, यह बात समझ में नहीं आती है। माननीय मंत्री जी इन प्रश्नों के जरा स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिव शंकर द्वारा दिए गये इस उत्तर से मैं संतुष्ट हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। उसे दण्ड दिया जाएगा और उस पर कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अत: मैं अधिकारियों में भ्रष्टाचार के संबंध में नहीं बोल रहा हूं।

महोदय, बिजली की चोरी व्यापक रूप से हो रही है। यह केवल दिल्ली में ही नहीं है बल्कि जगह-जगह है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जो बिजली के बिल बनाते हैं। केवल मीटर रीडिंग के लिए कितने कर्मचारी हैं और क्या कुल उत्पादित बिजली का कुल विक्रय मूल्य बिजली के बिलों से वसूल की गई धनराशि के बराबर है। ऐसा विद्यमान तंत्र क्या है जो इस बात की जांच करता हो कि क्या मीटर रीडिंग कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं ? इस बात की जांच करने हेतु क्या तंत्र है कि क्या जो कर्मचारी बिल तैयार करते हैं वे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार काम कर रहे हैं। क्या मीटर रीडिंग और बिल बनाने के कार्य में रत कुल कर्मचारी इस प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के अनुरूप है और क्या ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि मीटर रीडिंग कर्मचारी ग्राहक से सम्पर्क करे और उसका अथवा उसके एजेन्ट का हस्ताक्षर मीटर रीडिंग के कागज पर करवाये।

श्रीमति प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर आखीरी है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन्स पूछने की स्थिति में मैं नहीं हूं। लेकिन मैं इसलिए कुछ कहना चाहती हूं कि हमारे बिल बढ़ते जाते हैं और पता नहीं चलता कि क्यों ? मुझे बताया गया कि आप ठण्ड के दिनों में हीटर लगाती हैं, या और 'चीजें लगाती हैं इसलिए यह ऐसा है। तो मेरे सामने सवाल आया कि पिछले साल मैंने कम लगाया और इस साल ज्यादा लगाया, क्या हमारे घर में कुछ ज्यादा लोग पैदा हो गए या क्या हो गया ? मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि यह कैसे हो गया ? मैं यह कह रही हूं कि कहां गलती है यह देखना चाहिए। मैं सारे

बिल्स में नहीं पड़ती हूं। अभी बिल आया है जनवरी फरवरी का 672 रुपये 40 पैसे का और पिछले साल वह बिल मेरा 287 रुपये का था।

...(व्यवधान)...

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा बिल भी मैं पे करती हूं पार्टी का। बात कुछ दूसरी है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस में कहीं न कहीं गलती है, वह आप देखिए।

हमें यह बताया जाता है कि लाइन वगैरह कुछ गलत है। यह क्या है माननीय बूटा सिंह जी चले गए, यह उनको देखना पड़ेगा। मैं केवल अपनी बात कहूं, यहां इसके लिए हम नहीं आए हैं। दिल्ली में ही नहीं जगह जगह पर एलेक्ट्रिसिटी की चोरी की वजह से लोगों को परेशानी है।

दिल्ली शहर में यह ज्यादा है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता यहां पर आकर बोल नहीं सकती है, उसके लिए हमें बोलना चाहिए। आज दिल्ली में इतने अधिक कंज्यूमर्स हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और अगर सुनवाई करने लग जाते हैं तो पता चलता है कि डेसू और एन० डी० एम० सी० की ओर ऐसे काम हो रहे हैं। इन कामों के बारे में अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे और जनता की शिकायतें इसी तरह से बनी रहेंगी तो शायद चुनाव में आपको इसका जवाब देना पड़े।

दूसरी बात यह है कि डेसू में 20 करोड़ का घाटा होता है और 20 करोड़ की चोरी स्टोर्स से होती है ऐसी खबर भी अखबारों में आई है। यह खबर कुछ रेस्पांसिबल ने दी है। तो इस प्रकार से जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए आप कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं।

इसी प्रकार से डेसू की ओर से जो बिजली कंज्यूमर्स को दी जाती है उसकी मीटिंग नहीं होती है। बीच में आपने बिलों का कम्प्यूटराईजेशन भी शुरू किया लेकिन उसके खिलाफ भी बहुत लोगों ने शिकायत की है और कहा है कि इसको बदलना चाहिए। अगर यह साइंटिफिकली हो सकता है तो हो वरना मैं यह कहना चाहती हूं कि एक यह सुझाव आया है कि हर कंज्यूमर के पास मीटर-रीडिंग की किताब रहे और वह खुद देखे कि पिछले समय में कितनी बिजली का इस्तेमाल हुआ और अगर वह देखेगा कि मीटर-रीडिंग के बारे में कुछ गलती हो गई है तो शिकायत लेकर जायेगा। जो व्यवस्था हैदराबाद व कुछ अन्य शहरों में है वह दिल्ली में आज तक नहीं हुई है।

इसी प्रकार से दिल्ली में 26 हजार अनअथराइज्ड इण्डस्ट्रीज चल रही हैं जोकि बिजली इस्तेमाल करती हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को उन अनअथराइज्ड इण्डस्ट्रीज से जो कर की हानि हो रही है वह तो अलग बात है लेकिन बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद उनके पास चूंकि लाइसेन्स नहीं है इसलिए मीटर भी नहीं है और जब मीटर नहीं है तो रीडिंग भी नहीं होती है और इस तरह से जो बिजली को इस्तेमाल करते हैं उसका पैसा डेसू के पास नहीं जाता है इसलिए यह भी देखने की बात है कि दिल्ली में जो बिजली इस्तेमाल की जाती है जिसका पैसा आपको मिलना चाहिए वह आपको पूरा मिलता है या नहीं। इसके अलावा जो मीटर

रीडर्स हैं वे भी काम के मुताबिक कम रखे गए हैं यह भी शिकायत है। इसलिए क्या आप ज्यादा तादाद में मीटर रीडिंग इंस्पेक्टर्स रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलायेंगे ?

इसके अलावा जो जानबूझ कर लोगों के बिलों को बढ़ा दिया जाता है, जैसे दो तीन कमरों में रहने वालों का बिल दो हजार रुपए का जानबूझ कर बना दिया जाता है। जब वे उसको लेकर जाते हैं तो ऐसे बिलों को सेटिल किया जाता है और इस तरह से बिलों को सेटिल करने में जो करप्शन हो रहा है, उसके बारे में भी क्या शिकायतें आई हैं और क्या इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध आपने कार्यवाही की है, किसी को गिरफ्तार किया है ? मेरा सुझाव है कि डेसू और एन० डी० एम० सी० दोनों के ही काम करने की व्यवस्था के बारे में जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त होनी चाहिए। साथ ही कंज्यूमर्स की शिकायतों को हल करने के लिए एक कोई परमानेन्ट बाडी गठित की जानी चाहिए जहां पर जाकर कंज्यूमर्स अपनी शिकायतों को दूर करवा सकें। इस प्रकार का कोई यन्त्र अवश्य बनाया जाना चाहिए। अगर किसी का मीटर खराब हो जाता है तो उसके बारे में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। अगर किसी का मीटर खराब हो जाता है तो बाद में एवरेज निकालकर उसको बिल दिया जाता है। लेकिन शादी के समय मीटर बिगाड़ दिया जाता है और और बाद में तीन महीने के एवरेज के आधार पर बिल बना दिया जाता है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि अच्छा तो यही होगा कि शादियों में लाइट लगाई ही न जाए लेकिन इसको आप नहीं रोक सकते हैं तो उनसे आप पहले ही कुछ एक्स्ट्रा डिपाजिट करवा लीजिए वरना वे बिजली भी जलायेंगे और उसका बिल भी नहीं अदा करेंगे। साथ ही साथ आपको मीटर की रेग्युलर चेकिंग के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए।

पिलफ्रेज वगैरह जो हो रहा है, चोरी वगैरह जो हो रही है, उस की ओर ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि दिल्ली के लिए जो 65 करोड़ रुपए की परचेजिंग होती है, उसके बारे में इंडियन एसोसिएशन ने कहा है कि करोड़ों रुपयों का माल जंक खाता है, जिसको बाद में वैसे ही बेच दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि सामान पब्लिक अंडरटेकिंग से नहीं खरीदा जाता है, प्राइवेट पार्टी से खरीद लिया जाता है। एक सुझाव यह भी आया था कि सारा सामान पब्लिक अंडरटेकिंग से खरीदना चाहिए। इस प्रकार सामान खरीदने से बाद में स्पेयर पार्ट्स इतने मंहगे हो जाते हैं कि डेसू को उसके लिए खर्च ज्यादा करना पड़ता है। कन्डक्टर्स भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स से नहीं लेते हैं। प्राइवेट पार्टी से लिए जाते हैं। इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसकी जांच के लिए आपको एक जांच कमेटी नियुक्त करनी चाहिए, ताकि सारा प्रोसैस स्ट्रीमलाइन हो सके। इनर्जी हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए उसकी किसी भी प्रकार से वेस्टेज नहीं होनी चाहिए।

राम विलास जी ने बिलिंग के बारे में प्रश्न उठाया है, मैं पूछना चाहती हूं कि प्रश्न के उठाने के बाद उन अधिकारियों के बिल कितने के आ रहे हैं ? क्या वे बढ़ गए हैं या अभी भी वे 2-4-5-10 रु० ही दे रहे हैं ? यदि वे अब भी इतना ही दे रहे हैं तो सवाल यहां पर उठाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह व्यवस्था हुई या नहीं कि उन्होंने अपने बिल ठीक देने शुरू कर दिए हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय उपाध्यक्ष जी, राम विलास जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह डेसू अधिकारियों के बिजली बिलों से संबधित है। उसके अलावा जिन माननीय सदस्यों ने इसमें बाद में हिस्सा लिया है·····

श्री रामविलास पासवान : डेसू और एन० डी० एम० सी०, दोनों के लिए हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अधिकारियों के बिलों के संबंध में हैं, चाहे वे अधिकारी डेसू के हों या एन० डी० एम० सी० के हों। कुछ ऐसे प्वाइंटस सम्माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाए गए हैं। श्रीमन् वे सीधे इस विषय से संबंधित नहीं है। लेकिन यह कहने के बजाए कि उनको उत्तर देने के लिए मुझे अग्रिम सूचना चाहिए, मैं आपसे यह इजाजत चाहूंगा कि जो प्वाइंटस उन्होंने उठाए हैं, वे हमने नोट कर लिए हैं। जो प्रशासन से संबंधित बातें हैं, जो सुझाव हैं, वे हम माननीय गृह मंत्री जी को या गृह मंत्रालय को भेज देंगे। जो हम से संबंधित हैं, वे हमने नोट कर लिए हैं। उनको हम देखेंगे और जहां जरूरी होगा हम सारी जानकारी माननीय सदस्यों को सप्लाई कर देंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : चोरी तो आपसे संबंधित है। उसको तो आप को देखना चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : आप म्यूनिसिपिल कारपोरेशन के एक्ट को पढ़िए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि यह भी अग्रिम सूचना मिल गई होती कि चर्चा सिर्फ अधिकारियों के बिजली बिलों के बारे में ही नहीं होगी, माननीय सदस्यों के बिजली बिलों के बारे में भी होगी, तो ···(**व्यवधान**)···मैं उसको गलत समझता नहीं कह रहा हूं। जहां पर आप शिकायत महसूस करते हैं, जरूर कहना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : कम्पैरेटिबली दोनों बारे में हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने उसको अनुचित नहीं कहा है।

श्री राम विलास पासवान : आपने कहा है कि सिर्फ अधिकारियों का था। दोनों का था। अधिकारियों के बिल कम हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं पासवान जी की कमी नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी कमी बता रहा हूं। उसके लिए मैं आपके माध्यम से इनसे क्षमा चाहता हूं।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से सारी दिल्ली इन्टरैस्टेड हैं। किसी एक संसद सदस्य का सवाल नहीं है, दिल्ली की सारी जनता का सवाल है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही कहा है कि मुझ से ज्यादा मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री शिव शंकर जी ने कहा है। जहां पर भी अनियमितता या भ्रष्टाचार के मामले सरकार को बतलाये जायेंगे या सरकार की नोटिस में आयेंगे उनके खिलाफ वैधानिक प्रावधान के अनुसार जांच करके सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

माननीय सदस्य रामावतार शास्त्री जी ने सतर्कता विभाग की 5 सितम्बर के बाद की कार्यवाही का उल्लेख किया है। हम आपके सुझावों पर जरूर गौर करेंगे और मैं यह भी बत-

लाना चाहता हूं कि 5 सितम्बर के बाद एन्कवायरी में काफी प्रगति हुई है। जहां तक आपके दूसरे सुझाव--सी० बी० आई० द्वारा जांच का ताल्लुक है, मैं ऐसा समझता हूं, अगर इस स्टेज पर आपके सुझाव को मान लिया जाए तो जैसा हमने अगले सत्र के पहले दिन तक रिपोर्ट को सदन की पटल पर रखने के लिए कहा है, वह पूरा नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वह एक अन्य संस्था है और वह अपने नियमों और कायदों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगी और चूंकि इसमें ज्यादा तादाद में अधिकारी है जिनके खिलाफ शिकायत है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगेगा।

अधिकारियों की सम्पत्ति आदि के जो मामले हैं उनके बारे में आपने जो कहा है वह रिकार्ड पर है। आपकी सजेश्चन को नोट कर लिया गया है और ऐसे सारे मामले जिनका हमसे सम्बन्ध नहीं है हम उनको गृह मंत्रालय भेज देंगे।

हरीश रावत जी ने डेसू के पैसे की रिकवरी और आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा है—हमें भी इस बारे में उतनी ही चिन्ता है जितनी हरीश जी को है। इसमें भी जिन बातों से हमारा सम्बन्ध नहीं है, उनके बारे में मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि उन मामलों को गृह मंत्रालय को भेज देंगे। जहां तक अरब और मिडिल ईस्ट की कन्ट्रीज में जो अफसर लम्बे अर्से से गए हैं, चूंकि इस प्रश्न की आगामी सूचना मुझे नहीं थी, इसलिए उनकी जानकारी में इस समय नहीं दे पाऊंगा, बाद में इसकी जानकारी उनको दे दूंगा।

श्री हरीश रावत : यह जानकारी मुझ को ही नहीं, बल्कि सदन के पटल पर रख दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : श्री सुधीर गिरी और श्रीमती दण्डवते जी ने भी अनेक प्रश्न पूछे हैं जिनमें उन पसोनेल के बारे में पूछा गया है जो बिल तैयार करते हैं और जो मीटर रीडिंग के लिये जाते हैं—उन्होंने यह भी पूछा है कि कितनी पावर मनरेट की जाती है ये सूचनायें भी इस समय उपलब्ध नहीं हैं, यदि आप चाहेंगे तो ये सूचनायें माननीय सदस्यों को या माननीय सदन को उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती दण्डवते जी ने अपने बिजली के बिल के बारे में कहा है—यदि उसके बारे में उन्होंने मुझे सदन के बाहर भी बतला दिया होता कि उसमें क्या शिकायत है या क्या अनियमितता है तो मैं उसको देख लेता। फिर भी उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जानकारी आप की तरफ जो दी जाएगी हम उसको देख लेंगे और सुधार करेंगे।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैंने जांच करने के लिए कहा था।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : जांच के लिए मैंने पहले ही कहा है—इस स्तर पर यदि हम किसी दूसरी संस्था के द्वारा जांच करायेंगे तो उससे पहली जांच प्रभावित हो जाएगी क्योंकि वे सारे कागज दूसरे जांच अधिकारियों को सौंपने पड़ेंगे और वे फिर नये सिरे से जांच करेंगे जिसमें देर लग सकती हैं। इसलिए यह स्टेज उसके लिए उचित नहीं है। जो जांच इस समय चल रही है उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद माननीय ऊर्जा मन्त्री जी या सरकार यह आवश्यक समझेगी तो जरूर उस पर गौर करेंगे।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैंने जो सवाल उठाया है वह बिल का सवाल नहीं है, मैंने तो टोटल फंक्शनिंग में जो करप्शन है उसके बारे में कहा है। वह बिल्कुल अलग बात है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्या का सुजाव गृह मंत्रालय को भेज देंगे ।

7.30 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरूवार, 22 मार्च, 1984/2 चैत्र, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

1984 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिन्टर्स नई दिल्ली-2 द्वारा मुद्रित ।